खण्ड-467, अंक-8
सोमवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(25 फरवरी, 2008 ई0)

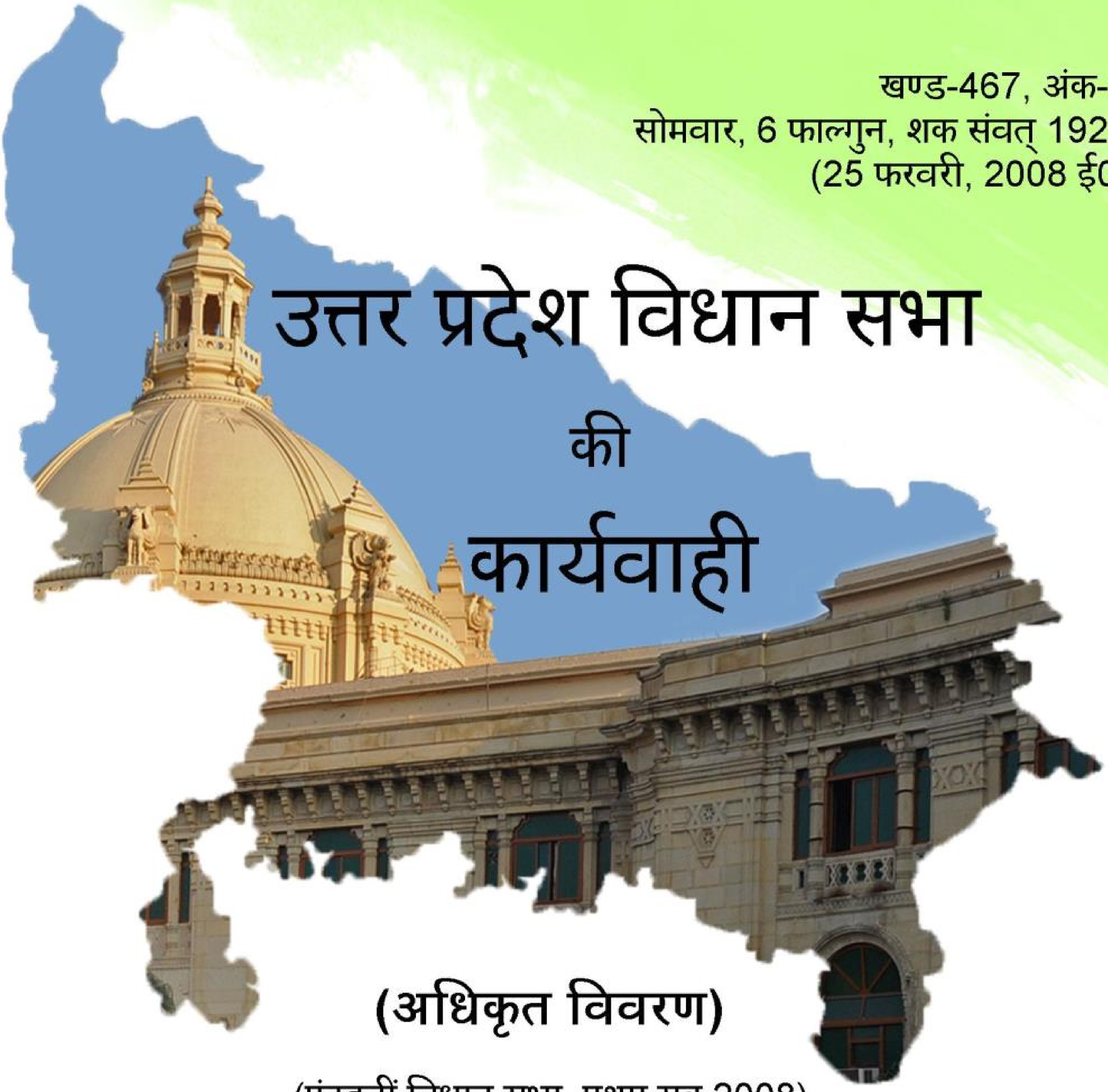

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
फतेहपुर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को पहले सुने जाने की मांग (जारी)	1-3
प्रश्नोत्तर	3-83
फतेहपुर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को पहले सुने जाने की मांग	84
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)...	84-85
प्रदेश के शहीदों के परिजनों को दिये गये आश्वासन के क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	85-86
प्रदेश के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के उर्दू अनुवादकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति एवं सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
झांसी नगर निगम में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
जनपद गोरखपुर अन्तर्गत खड़कपुर-शाहपुर सुपाई बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु स्वीकृति देने एवं धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
उन्नाव के ग्राम भैसई कोयल में सस्ते गल्ले की दुकान का चयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	87-88
बागपत के रमाला टाण्डा बाया किरठल क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
फैजाबाद के दर्शननगर में प्रस्तावित 500 शैय्या के अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर मानक के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2006-2007 में लगभग 32 कि0मी0 लम्बे खड़न्जा मार्गों का खड़न्जा ईंट उखड़वाकर दबंगों द्वारा निजी प्रयोग में लाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ के कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत जेल चौकी के बगल में देवी खेड़ा होते हुए रायबरेली रोड को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों हेतु सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन आदि सुविधायें देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	90
जनपद रामपुर, तहसील मिलकपुर के मिलक-विलासपुर क्षतिग्रस्त मार्ग का हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	90
सीतापुर के ग्राम पंचायत तरसेउरा में ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित पूर्व में आरक्षित स्थान पर ही जूनियर विद्यालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
दिनांक 9-10-2006 को हरदोई शहर के तीन अल्पसंख्यकों की दुकानों में लगी आग के फलस्वरूप अभी तक शासकीय सहायता उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
दिनांक 31-3-2007 को ऐशबाग लखनऊ स्थित पूर्वांचल टेन्ट हाउस पर श्री शत्रुधन सिंह व श्री जितेन्द्र की हत्या की जांच एस0टी0एफ0 से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	91-92
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	92-121
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	122-160
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...	160-167
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	167-191
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ...	192-195
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	195-196
जनपद कुशीनगर स्थित नारायणी नदी के तट पर अवैध बालू खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री का वक्तव्य	196-197

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद वाराणसी स्थित गंगा नदी में राजघाट से रामनगर तक आरक्षित कछुआ सेन्चुरी क्षेत्र समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन्य एवं जन्तु राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का वक्तव्य... ...	197-199
जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार स्थित प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	199-200
जनपद सीतापुर के जिला पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	200-201
जनपद मऊ स्थित हाहा नाला बैरियाडीह के अधूरे पुल एवं रामपुर बेलौली के टूटे पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	201-202
जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गौरा बड़हरी में थानाध्यक्ष द्वारा किसानों के पेड़ जबरन कटवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	202
जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां स्थित मदरसा दारुल उलूम जियाउल इस्लाम में 26 जनवरी, 2008 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र विरोधी बयान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	202-203
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील-लालगंज के अन्तर्गत मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य ...	203-204
जनपद चन्दौली में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	204

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आलू की फसल के नुकसान होने से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उद्यान मंत्री का केवल वक्तव्य	205-206
राज्य संसाधन केन्द्र, उत्तर प्रदेश, साक्षरता निकेतन, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लम्बित वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	206-207
जनपद गोण्डा में जिला पंचायत द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	207
इलाहाबाद शहर की मलिन बस्तियों में मा0 काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	208-209
जनपद उन्नाव के विकास हेतु शासन से स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दरलाल लोधी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	209
दस्यु प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा राजनैतिक विद्वेष से निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह चन्देल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	209-210
जनपद सन्तकबीर नगर को घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बनाये गये बांध के लिये अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ प्रसाद चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	210
नत्थियां	211-226

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-330

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थ नगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीरनगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज 'कुशवाहा', श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिव शंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल	
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरिओम, श्री	जालौन
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा		

नोट- सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) एवं कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री कमला कान्त गौतम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फतेहपुर में किसानों पर हुये लाठी चार्ज विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को पहले सुने जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर में निर्दोष किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है। उन पर गोलियां चलाई गई हैं। पहले आप इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल हो जाने दीजिये। उसमें भी आप लोगों के ही प्रश्न हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमने 311 में सूचना दी है इस विषय पर। यह गम्भीर प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय अग्रवाल साहब आज फतेहपुर के किसानों के सन्दर्भ में 311 के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने नियम-311 में सूचना दी थी और मैंने सोचा किसानों से जुड़े इस प्रकरण को सुन लिया जाय इसलिये सबको क्लब करके नियम-56 में सर्वप्रथम सुन लूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर में जो हुआ है उसको आप कह रहे हैं कि हम 56 में कार्य-स्थगन में सुन लेंगे। मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि आप सब नियमों को स्थगित करके अभी सुन लीजिये। नियम-311 में हमारी नोटिस है इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। मान्यवर, ऐसा बर्बर अत्याचार कभी आपकी याददाश्त में नहीं हुआ होगा। किसान जो अपने हकों के लिये आये थे। अपनी बात को रखने के लिये आये थे न्यायालय में और अनुरोध कर रहे थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि माइक हटा लो, हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। मान्यवर, माइक भी हटा लिया उन लोगों ने तो उसके बाद उनके नेता नरसिंह पटेल को पुलिस घसीटकर ले जाने लगी और जब पुलिस उनको घसीटकर ले जा रही थी तो उन लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। मान्यवर, मामूली घटना नहीं है, 3 लोग लापता हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा कि प्रश्नकाल हो जाने दीजिये। आप ही के प्रश्न हैं। 56 में मैंने इसको प्राथमिकता पर लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियमावली में नियम-311 की व्यवस्था इसीलिये है। मान्यवर, आपको अधिकार है इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिये मान्यवर इसका लाभ उठाते हुए आपसे आग्रह है कि आप इस नियमावली के सभी नियमों को निलम्बित करते हुए इसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

311 का प्राविधान का कभी-कभी विषम परिस्थितियों में भी इसका प्रयोग हुआ है मैं मानता हूं। मैंने कहा कि आप लोगों ने किसानों के मुद्दे की जो सूचना दी है उसको प्राथमिकता पर लेने को कहा है। इसके बाद भी आपके प्रश्न किसानों से जुड़े हुए हैं। 311 में जिसको आप सुनना चाहते हैं उसको 56 में मैं प्राथमिक रूप में चयन किया हूं आप सुनाइयेगा।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पहले इसको सुन लें, यह गम्भीर प्रकरण है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रश्न भी हमारे हैं लेकिन यह ज्यादा ज्वलंत प्रकरण है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह घटना ऐसी है जो किसी प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न का जो उत्तर आयेगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण घटना नहीं है मान्यवर, इसलिए आपसे आग्रह है नियम-311 में सुन लें।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि आप नियमावली का नियम-314 का भी संज्ञान लें, जिसमें लिखा है कि किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। मान्यवर, आपने एक विनिश्चय दे दिया और उसके बाद उस पर आपत्ति करना यह तो आपके विनिश्चय के विरुद्ध है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये)

(भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

किसानों का मामला है महत्वपूर्ण मामला है आप नियम 56 में कह सकते हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर किसान विरोधी नारे लगाने लगे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब यह किसानों से जुड़ा विषय है नियम 56 में इसको प्रथम नम्बर पर चयनित किया गया है। आप लोग अपने स्थान पर जायें। किसानों से सम्बन्धित मामला है महत्वपूर्ण है इसको देखते हुए ही इसको प्रथम नम्बर पर चयनित किया गया है। नियम 311 में कहने का क्या औचित्य है। कभी नियम-311 में सुना गया हो तो बतायें। कोई समय याद हो तो बतायें। आपको भी लम्बा अनुभव है आप बतायें। (घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 36 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न †

प्रदेश में विद्युत उत्पादन इकाइयों की विद्युत उत्पादन की क्षमता एवं प्लांट लोड फैक्टर उत्पाद सम्बन्धी विवरण

**1-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन इकाइयों की कुल विद्युत उत्पादन की क्या क्षमता है तथा वर्तमान में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है ? क्या यह सत्य है कि विद्युत उत्पादन एवं उसकी मांग के अन्तर को देखते हुए पूरे प्रदेश के नगरों में केवल 10 घण्टे व गांवों में केवल 4 घण्टे बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है तथा वह कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

प्रदेश में स्थापित तापीय एवं जलीय विद्युत गृहों की क्षमता एवं प्लान्ट लोड फैक्टर/उत्पादन सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है :-

(अ) ताप विद्युत गृह :-

विद्युत गृह का नाम	क्षमता (मे0वा0)		दि0 01-04-07 से 31-01-2008 तक	
	अधिष्ठापित	अवक्षरित	उत्पादन (मि0यू0)	प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशत)
अनपरा	1630	1630	9815.425	82.00
ओबरा	1550	1442	4422.373	41.76
हरदुआगंज	330	275	603.389	29.88

† उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

विद्युत गृह का नाम	क्षमता (मे0वा0)		दि0 01-04-07 से 31-01-2008 तक	
	अधिष्ठापित	अवक्षरित	उत्पादन (मि0यू0)	प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशत)
पनकी	220	210	825.040	53.50
पारीछा	430	430	1575.371	49.89
योग तापीय	4160	3987	17241.598	58.88

(ब) जल विद्युत गृह :-

विद्युत गृह का नाम	क्षमता (मे0वा0)		दि0 01-04-07 से 31-01-2008 तक	
	अधिष्ठापित	अवक्षरित	उत्पादन (मि0यू0)	विवरण
रिहन्द	300	300	357.00	जल विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः प्लान्ट लोड फैक्टर की गणना तर्क संगत नहीं है
ओबरा (जलीय)	99	99	151.21	
माताटीला	30	30	63.66	
खारा	72	72	226.23	
गंगाकैनाल	15.5	15.5	21.99	
यमुना कैनाल	6	6	01.27	
शीतला	3.6	3.6	02.12	

जी नहीं। प्रदेश में विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण विभिन्न स्तर के नगरों/क्षेत्रों में प्रतिदिन आदशित विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम निम्नवत् है :-

1-ग्रामीण क्षेत्र : 14 घण्टे
2-तहसील स्तरीय नगर : 15 घण्टे
3-जनपद स्तरीय नगर : 16 घण्टे
4-मण्डल स्तरीय नगर : 18 घण्टे
5-महानगर : 20 घण्टे
6-बुन्देलखण्ड क्षेत्र : 16 घण्टे
7-औद्योगिक पोषक : 24 घण्टे

उपरोक्त प्रतिबन्धित दैनिक विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु वर्तमान में प्रदेश की औसतन प्रतिदिन प्रतिबन्धित विद्युत मांग लगभग 6500-6600 मेगावाट है, जिसके सापेक्ष विभिन्न स्रोतों से विद्युत उपलब्धता लगभग 5400-5800 मेगावाट है। दिन के समय विद्युत की मांग एवं उपलब्धता में लगभग 500-600 मेगावाट तथा रात्रि अवधि में 1000-1100 मेगावाट का अन्तर बना रहता है, जिसे आपातकालीन कटौती कराकर पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय वितरण प्रणाली में उत्पन्न व्यवधानों के कारण स्थानीय विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित होती रहती है।

विद्युत उत्पादन एवं मांग के अन्तर की पूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

(अ) राज्य क्षेत्र

*** तापीय विद्युत परियोजनाएं :-**

(1) 2×210 मे0वा0 पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-

इस परियोजना के अन्तर्गत 210 मे0वा0 क्षमता की दो इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें से 210 मेगा0 की एक इकाई 24 नवम्बर, 2006 को कामर्शियल भार पर आ चुकी है तथा दूसरी इकाई दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 सिन्क्रोनाईज की जा चुकी है तथा ट्रायल रन पर चल रही है।

(2) 2×250 मे0वा0 पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-

इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्यों हेतु मे0बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका हैं इस परियोजना की पहली एवं दूसरी इकाई का निर्माण कार्य क्रमशः जुलाई, 2009 तथा नवम्बर, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) 2×250 मे0वा0 हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-

इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्यों हेतु मे0 बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका हैं इस परियोजना की पहली एवं दूसरी इकाई का निर्माण कार्य क्रमशः अक्टूबर, 2009 तथा फरवरी, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) 2×500 मे0वा0 अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना-

इस परियोजना की स्थापना हेतु मे0बी0एच0ई0एल0 को "लेटर ऑफ इण्टेण्ट" 24 अक्टूबर, 2007 को निर्गत किया जा चुका है तथा 15 प्रतिशत एडवांस दिनांक 13 जनवरी को रिलीज किया जा चुका है। इस परियोजना की प्रथम तथा द्वितीय इकाई की कमीशनिंग जीरो डेट से क्रमशः 39 माह एवं 42 माह में किया जाना प्रस्तावित है।

(5) 2×800 मे0वा0 ओबरा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-

इस परियोजना के लिए छेंदीपाड़ा एवं छेंदीपाड़ा-2 कोल ब्लॉक्स कोल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवंटित हो गया है तथा प्रथम इकाई हेतु कोल-लिंकेज भी आवंटित हो गया है। पूर्व में प्रस्तावित 2×500 मेगावाट की परियोजना हेतु कम्प्रिहेन्सिव इन्वायरमेण्टल इम्पैक्ट असेस्मेण्ट स्टडी कराये जाने के स्थान पर अब 2×800 मेगावाट की इकाइयों की स्थापना के परिपेक्ष में कम्प्रिहेन्सिव इन्वायरमेण्टल इम्पैक्ट असेस्मेण्ट स्टडी कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ब) संयुक्त उपक्रम-

(1) 2×660 मे0वा0 की मेजा तापीय विद्युत परियोजना एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम-

भारत सरकार के उपक्रम मे0 एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में 2×660 मेगा0 क्षमता की मेजा तापीय विद्युत परियोजना, जिला-इलाहाबाद में प्रस्तावित है जिसके लिए उ0प्र0

राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य 22 नवम्बर, 2007 को एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रेषित टेन्टेटिव प्रोग्राम के अनुसार भूमि अधिग्रहण, साइट लेविलिंग आदि के पश्चात् इन इकाइयों से उत्पादन प्राप्त होने में कुल 54 माह का समय लगेगा।

(2) 4000 मे0वा0 की ललितपुर तापीय विद्युत परियोजना एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम (प्रस्तावित)-

एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 4000 मेगावाट क्षमता की ललितपुर तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उ0प्र0 सरकार से इक्विटी हेतु सहमति प्रतीक्षित है ताकि इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का 75 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश को मिल सके अन्यथा केवल 37 प्रतिशत ही प्राप्त होगा। इस परियोजना हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है।

(स) निजी क्षेत्र

*** ताप विद्युत परियोजनायें-**

1-अनपरा "सी" तापीय विद्युत परियोजना (2×500 मेगावाट)

इस परियोजना हेतु निजी क्षेत्र में निवेशक मेसर्स लेंको कोंडापाल्ली पावर प्रा0 लि0 का चयन लेवलाइज टैरिफ पर आधारित बिडिंग के अनुसार किया गया। जून, 2007 में लैंड लीज सम्पादित की जा चुकी है। इस परियोजना हेतु आवश्यक जल आवंटन मेसर्स लेंको अनपरा पावर प्रा0 लि0 के पक्ष में किए जाने के लिए शासन द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2007 को सहमति प्रदान कर दी गई है। यूनिट सं0 1 तथा यूनिट सं0 2 की प्रस्तावित "वाणिज्यक परिचालन तिथि" (सी0ओ0डी0) क्रमशः मार्च 2011 तथा जुलाई, 2011 है।

2-रोजा ताप विद्युत गृह (600 मेगावाट)

इस परियोजना का विकास मेसर्स रोजा पावर सप्लाई कम्पनी द्वारा किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 2×300 मेगावाट क्षमता की इकाइयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की भूमि का अधिग्रहण दिनांक 31-01-07 को हो चुका है। निर्माण कार्य दिनांक 28-2-07 से प्रारम्भ है। परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः मार्च, 2010 एवं जून, 2010 में किया जाना प्रस्तावित है।

3-बारा ताप विद्युत गृह (1980 मेगावाट)

इस परियोजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद की बारा तहसील में 3x660 मेगावाट क्षमता की इकाइयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लेवलाइज्ड टैरिफ बिडिंग के आधार पर निवेशक के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

4-करछना ताप विद्युत गृह (13200 मेगावाट)

इस परियोजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद की करछना तहसील में 2x660 मेगावाट क्षमता की इकाइयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लेवलाइज्ड टैरिफ बिडिंग के आधार पर निवेशक के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

***जल विद्युत परियोजनायें**

1-विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना-

इस परियोजना का विकास निजी क्षेत्र की कम्पनी मै0 जयप्रकाश पावर बैन्चर्स लि0 द्वारा किया गया है। जिसके अन्तर्गत 400 मेगावाट (4x100 मे0वा0) क्षमता की इकाइयां स्थापित की जा चुकी है तथा इकाइयों द्वारा वाणिज्यक विद्युत उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है।

2-श्रीनगर जल विद्युत परियोजना-

इस परियोजना का विकास निजी क्षेत्र की कम्पनी मै0 अलकनंदा हाइड्रो पावर लि0 कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत 330 मेगावाट (4x82.50 मे0वा0) क्षमता की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं तथा इकाइयों द्वारा वाणिज्यक विद्युत उत्पादन क्रमशः जुलाई, 2010 अगस्त, 2010 सितम्बर, 2010 अक्टूबर, 2010 से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में डि-सिल्टिग बेसिन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बर्ड फ्लू रोग पर नियंत्रण तथा रोकथाम हेतु उपाय

**2-श्री मदन भैया, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही व श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प0 बंगाल व आसाम में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए क्या सरकार द्वारा प्रदेश में कोई एहतियाती निरोधात्मक कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

जी हां।

1-पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी प्रकार के कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों को प्रदेश की सीमा से भीतर न आने देने एवं निगरानी बरतने हेतु शासन द्वारा सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से जनहित में सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 एवं 144 के अधीन कार्यवाही करने पर विचार करने की अपेक्षा की गयी है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रदेशों से आने वाले कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों को रोकने हेतु जन स्वास्थ्य/जनहित के दृष्टिगत तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु परिवहन व वाणिज्य कर विभागों तथा मण्डल रेल प्रबन्धक (नोडल अधिकारी रेलवे), पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ से अनुरोध किया जा चुका है।

2-प्रदेश में सघन सीरो-सर्विलेन्स का कार्य चल रहा है। अब तक लगभग 5000 सीरम सैम्पुल बर्ड फ्लू के परीक्षण हेतु पुणें स्थिति प्रयोगशाला को भेजे जा चुके हैं। किसी भी सैम्पुल के पाजिटिव होने की सूचना नहीं है। प्रदेश में रोग अस्तित्व में नहीं है।

3-प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक रैपिड रिस्पान्स टीमों को गठित किया जा चुका है तथा वे पूर्णतया प्रशिक्षित एवं तैयार है।

4-कुक्कुट व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को विभागीय अधिकारियों के माध्यम से बचाव/बायोसिक्योरिटी अपनाने के दिशा-निर्देश बराबर दिये जा रहे हैं।

5-पूरे प्रदेश में आपात् सतर्कता है तथा व्यापक जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

6-किसी भी आपात् स्थिति से निपटने के लिये निदेशालय, पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ पर टास्क फोर्स गठित है, जो पूरी तरह तैयार है।

7-सभी सम्बन्धित विभागों यथा-स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण एवं सिंचाई द्वारा समन्वित रूप से कार्य किया जा रहा है।

8-प्रदेश में निदेशालय, पशुपालन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ पर 50 हजार बर्ड्स की कलिंग हेतु सामग्रियों की पूर्ण व्यवस्था है।

9-प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बर्ड फ्लू रोग की पहचान करने एवं नियंत्रण तथा रोकथाम हेतु लगातार सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षण का कार्य चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 क नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु किये गये उपाय

*1-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सरकार द्वारा कोई कारगर उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराध मुक्त एवं भयमुक्त वातावरण उत्पन्न करते हुए कानून का राज कायम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिनांक 19-5-2007 को प्रदेश के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में राज्य सरकार की इस प्राथमिकता से अवगत करा दिया गया था और विस्तृत निर्देश भी सभी को भेज दिये गये थे।

इसके लिये शासन स्तर पर तथा पुलिस महानिदेशक के स्तर पर एवं मण्डलों/जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा की जाती है तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। मण्डलीय समीक्षा बैठकों में भी कानून व्यवस्था सम्बन्धी बिन्दुओं पर नियमित अनुश्रवण किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें भी भेजी गई थीं जिनके द्वारा कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के बारे में स्थानीय स्तर पर सीधे जनता से जुड़कर जानकारियां की गईं।

वर्तमान में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतया सुदृढ़ एवं व्यवस्थित है। आपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में तत्काल अपराध पंजीकृत करके अभियुक्तों के विरुद्ध तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है। जनसामान्य में निर्भीक रूप से अपराध पंजीकरण कराने का वातावरण विकसित किया गया है। अपराधों की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित है तथा शांति व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है।

माफिया एवं पेशेवर अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में प्रमुख अपराध शीर्षकों यथा डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृह भेदन, वाहन चोरी, फिरौती के लिए अपहरण, बलात्कार आदि में कमी आयी है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न तथा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी प्रमुख अपराध शीर्षकों में भी कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा गठित इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुत दरों के अनुसार वैट की निर्धारित दरें

*2-श्री मदन भैया-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगाये गये वैट की दरें दिल्ली एवं मध्य प्रदेश की अपेक्षा अधिक हैं जिससे प्रदेश की जनता पर कर का बोझ अधिक पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों में लगाये गये करों का तुलनात्मक अध्ययन कर जनहित में वैट की दरों को संशोधित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

वैट में कर की दरें भारत सरकार द्वारा गठित इम्पावर्ड कमेटी द्वारा संस्तुत दरों 0%, 1%, 4% व 12.5% के अनुरूप रखी गयी है। यहीं दरें दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में भी वैट के अन्तर्गत प्रचलित हैं, अतः प्रान्त में वैट की दरें दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं अन्य निकटवर्ती राज्यों की भांति ही इन्हीं चार श्रेणियों में रखी गयी हैं। कर की दरों का निर्धारण/संशोधन यथासमय नीतिगत निर्णय के तहत किया जाता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1-श्री दीप नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बैंकों द्वारा प्रदत्त कर्ज की वसूली में जोर-जबरदस्ती तथा बल प्रयोग करने पर रोक लगाने हेतु उठाये गये कदम

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि बैंक द्वारा प्रदत्त कर्ज की वसूली में जोर-जबरदस्ती तथा बल प्रयोग करने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद भी घटनायें रुक नहीं रही हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बैंक द्वारा बल पूर्वक ट्रैक्टर खिंचवा लिये जाने के

सन्दर्भ में जिला महोबा के अजनर थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव के झगडू किसान की दिनांक 11 अगस्त, 07 को मौत हो गई ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में बल प्रयोग पर रोक लगाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद महोबा में किसी भी कृषक का ऋण वसूली में उत्पीड़न नहीं किया रहा है। मृतक एक वर्ष से बीमार चल रहा था, दिनांक 12-8-07 को बीमारी के कारण उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गयी। जहां तक ट्रैक्टर खिचवाने का प्रश्न है, सूच्य है कि श्री झगडू पुत्र बल्दुवा, निवासी-टिकरिया-जैतपुर के विरुद्ध कोई प्रमाण-पत्र वसूली के लिए प्राप्त नहीं हुआ है और न ही राजस्व विभाग द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही की गयी है। बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर झगडू पुत्र बल्दुवा ने स्टेट बैंक शाखा, जैतपुर, जिला-महोबा से दिनांक 27-11-03 को रुपया 2,89,000/-का ऋण ट्रैक्टर खरीदने के लिये लिया था तथा दिनांक 01-12-03 को इसी शाखा से फसली ऋण रुपये 21,000/-लिया था, निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंक में किश्त जमा न होने पर बैंक ने अपने अधिकृत रिकवरी एजेन्ट मे0 मोदी एसोसिएट, झांसी के द्वारा ट्रैक्टर सीज करवाकर दिनांक 15-02-07 को रुपया 1,35,000/-में श्री बाबूलाल पुत्र कथूले निवासी बरहल, पो0 व थाना-कैलिया, जिला-जालौन के नाम (विक्रय) कर दिया था। किसी भी कृषक बकायेदार के विरुद्ध उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में सी0टी0 स्कैन व एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी मांग

*2-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य सरकारी मेडिकल कालेजों की भांति सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में भी सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

उक्त उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वेटलीज के आधार पर मै0 इन्द्रा डायग्नोस्टिक सेंटर एवं ब्लड बैंक लि0, इन्दिरा नगर, लखनऊ के साथ इकरारनामा कर लिया गया है तथा कार्यदायी संस्था को मेडिकल कालेज, आगरा के रेडियोडाग्नोसिस विभाग में स्थान उपलब्ध करा दिया गया है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद व जनपद मथुरा की तहसील महावन में सुरक्षित जलापूर्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था

*4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद व जनपद मथुरा की तहसील महावन के खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ग्रामों की कोई सूची शासन में उपलब्ध है ? क्या सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाकर इन ग्रामों की पेयजल समस्या का निदान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी हां।

जी हां।

अधिक अशुद्धि वाली बस्तियों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से एवं कम अशुद्धि वाले बस्तियों को गहरे हैण्डपम्प अथवा अन्य विकल्पों के माध्यम से सुरक्षित जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पटरी दुकानदारों को जीविकोपार्जन हेतु जारी नियमावली

*5-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पटरी दुकानदारों को रोजगार देने की कोई नीति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पटरी दुकानदारों की रोजगार देने की नीति विचाराधीन नहीं है। जनहित की दृष्टिगत रखते हुए स्ट्रीट फेरी वालों के जीविकोपार्जन के लिए उचित माहौल बनाने आदि के लिये अधिसूचना दिनांक 04 अगस्त, 2007 द्वारा उ0 प्र0 नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारबार (विनियमन तथा प्रबन्धन) नियमावली, 2007 जारी की गयी है। इसे नगर निगमों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा नगर पालिका परिषद् एवं पंचायतों में उपविधि बनाकर इसे लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार की मांग

*6-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार प्रारम्भ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में थाना स्तर पर अपराधों की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच के सम्बन्ध में (इन्वेस्टिगेटिव) अधिकारी का चिन्हांकन

*7-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में थाना स्तर पर अपराधों की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित करने हेतु थाने पर स्वतंत्र रूप से एक जांच अधिकारी (इन्वेस्टिगेटिव अफसर) की नियुक्ति पर विचार करेंगी जो थाना प्रभारी के नियंत्रण से मुक्त हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के निरीक्षक स्तर के थानों (कोतवाली) के लिए अपराधों की विवेचना के कार्य को कानून व्यवस्था के कार्य से पृथक किये जाने की व्यवस्था [illegible] किये जाने का निर्णय लिया गया है।

निरीक्षक स्तर के जिन थानों (कोतवाली) में उप निरीक्षक का स्वीकृत नियतन 12 से 27 है वहां चार, जिन थानों में उपनिरीक्षक का स्वीकृत नियतन 6 से 11 है वहां दो, तथा जिन थानों में उपनिरीक्षक का स्वीकृत नियतन 1 से 5 है वहां एक उपनिरीक्षक ऐसे चिन्हांकित कर लिये जायेंगे जिनका प्राथमिक कार्य सम्बन्धित थानों पर पंजीकृत अपराधों की विवेचना करना होगा। उनसे शांति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य नहीं लिया जायेगा। इस हेतु इन थानों पर अलग से कोई और पद सृजित नहीं किये जायेंगे। यह व्यवस्था उपलब्ध जनशक्ति की सीमा में ही लागू की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय के पदधारकों की भांति प्रदेश सचिवालय के पुस्कालय में कार्यरत "सूचीकार" व "बुक बाइन्डर" के वेतनमान की मांग

*8-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालय में कार्यरत "सूचीकार" एवं "बुक बाइण्डर" के पद का वेतनमान केन्द्रीय सचिवा[illegible] के पुस्तकालय के पदधारकों की भांति देते हुए उसे तकनीकी श्रेणी का पद घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

दिनांक 01-1-1996 से वेतन पुनरीक्षण आदि के उद्देश्य से गठित वेतन समिति द्वारा पुस्तकालय संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों को सामान्य श्रेणी के पद के रूप में वर्गीकृत करते हुए

वेतनमान पुनरीक्षण की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुतियों के अनुसार उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराये जा रहे हैं। वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों से अलग हटकर इन पदों के सम्बन्ध में विचार करने का औचित्य नहीं बनता है।

*9-डा0 अजय तोमर-

[7वें मंगलवार के तारां0प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*10-श्री राम विशुन आजाद-

[2रे मंगलवार के तारां0प्र0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11-डा0 धर्मपाल सिंह-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई योजना

*12-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम हेतु शासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 16-11-2007 जारी करके प्रदेश के 38 जनपदों में पूर्व से स्थापित 39 विशेष कोष्ठ इकाइयों को पुनर्संगठित कर उनके स्थान पर 17 विशेष कोष्ठ इकाइयां स्थापित की गयी हैं।

अभिसूचना विभाग की इकाइयों द्वारा आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी दृष्टि रखी जा रही है तथा आतंकवादियों की विध्वंसात्मक/राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की योजनाओं की आसूचना प्राप्त होने पर तत्काल सभी सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है। विशेष कोष्ठ के अतिरिक्त अभिसूचना संकलन हेतु 13 नैपाल बार्डर (एन0बी0) इकाई स्थापित हैं।

संवेदनशील जनपदों में आई0एस0आई0 गतिविधियों की रोकथाम हेतु मण्डल स्तर पर षट्मासिक गोष्ठी आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें मण्डलायुक्त/जोनल पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। जनपदीय स्तर की त्रैमासिक गोष्ठी में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आतंकवादियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों, संगठित अपराधिक गैंगों एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध स्पेशल टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा फोर्स द्वारा भी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 16-11-2007 के शासनादेश द्वारा एक आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन भी किया गया है, साथ ही पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रमशः वाराणसी तथा मेरठ में पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 की दो नई इकाइयां भी स्थापित की गयी हैं।

उत्तर प्रदेश में भारत-नैपाल सीमा की निगरानी हेतु सशस्त्र सीमा बल की नियुक्ति की गयी है। उक्त सीमा पर इसकी 111 चौकियां स्थापित हैं तथा यह भारत-नैपाल सीमा पर लीड इण्टेलीजेन्स एजेन्सी के रूप में कार्य करती हैं। सशस्त्र सीमा बल को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 15 कि0मी0 क्षेत्र के भीतर तलाशी, अभिग्रहण तथा गिरफ्तारी के अधिकार भी राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या नगर जनपद फैजाबाद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की मांग

*13-श्री लल्लू सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अयोध्या जनपद फैजाबाद आतंकवादियों के निशाने पर है ? यदि हां, तो क्या फैजाबाद में विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

श्री रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद विवादित परिसर स्थित होने के कारण अयोध्या नगर जनपद फैजाबाद संवेदनशील है। यहां पूर्व में आतंकवादी घटनाओं का दृष्टान्त है। वर्तमान में अयोध्या/फैजाबाद के बारे में कोई ठोस आसूचना नहीं है तथापि आन्तरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से फैजाबाद/अयोध्या की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।

जी हां। श्री राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद विवादित परिसर में सुरक्षा हेतु प्रभावी सुरक्षा योजना बनायी गयी है जिसे दक्ष एवं सुविज्ञ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अद्यावधिक किया जाता है। अपर पुलिस अधीक्षक/अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों को विशेष रूप से सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया गया है। इस सुरक्षा योजना के अन्तर्गत तीन जोन बनाये गये हैं, जिनमें रेड जोन में विवादित परिसर है, यलो जोन में अयोध्या नगर एवं ग्रीन जोन में सम्पूर्ण अयोध्या/फैजाबाद जनपद आच्छादित किया गया है। सूच्य है कि सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लगभग 15 कम्पनी पी0ए0सी0 एवं 06 कम्पनी सी0आर0पी0एफ0 सदैव अयोध्या/फैजाबाद में बनी रहती हैं एवं आवश्यकतानुसार इसे और भी सुदृढ़ किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की अन्य इकाइयों जैसे अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा, दूरसंचार, अग्निशमन आदि एवं प्रशासन की अनेक इकोईयां सम्मिलित रूप से सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करती है। सुरक्षा की समीक्षा हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा न केवल प्रति 03 माह में अयोध्या/फैजाबाद की आन्तरिक सुरक्षा की विशेष रूप से समीक्षा की जाती है बल्कि जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के नेतृत्व में प्रतिमाह समन्वय बैठक, मॉक ड्रिल एवं रिहर्सल भी कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत नैपाल सीमा पर माओवादी गतिविधियों को रोके जाने हेतु विशेष सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

*14-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में माओवादी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-169884/2007, दिनांक 21-9-07 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

भारत के सीमावर्ती राष्ट्र नैपाल में सीमा के नजदीक हत्या, मारपीट, आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल को सर्तक कर दिया गया था तथा सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया था। नैपाल राष्ट्र में माओवादी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए आज भी सीमावर्ती क्षेत्र के थाना-ढेबरूआ, शोहरतगढ़, चिल्हिया, कपिल वस्तु, मोहाना, लोटन में पुलिस को सतर्क एवं चुस्त किया गया है।

सिद्धार्थनगर के नैपाल राज्य से सटे सीमावर्ती थानों में लगातार चेकिंग कर असामाजिक एवं उत्पाती तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु बनायी गई योजना

*15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पीने के पानी की कम उपलब्धता की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाई गई ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश के नगरों में पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है :-

1-राज्य सेक्टर।

2-जिला योजना।

3-त्वरित नागर पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम।

4-जे0एन0एन0यू0आर0एम0।

5-यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0।

6-मा0 कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना।

7-आदर्श नगर योजना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्य नगरों में से कानपुर नगर की गंगा बैराज से तथा आगरा व मथुरा नगर के लिये गोकुल बैराज से सतही जल लेकर योजना क्रियान्वित की गयी है। इसके अतिरिक्त आगरा व मथुरा नगर के लिये गंगा नहर से जल लाने की बाह्य सहायतित योजना स्वीकृत हो चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के पुलिस बलों के जवानों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त 'पुलिस शौर्य पदक' धारकों को अतिरिक्त सुविधायें दिये जाने की मांग

*16-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ''पुलिस शौर्य पदक'' प्राप्त करने वाले अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों के जवानों को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के समतुल्य सुविधा मुहैया कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उत्तर प्रदेश के पुलिस बलों के जवानों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त 'पुलिस शौर्य पदक' प्राप्तकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी समस्त सुविधायें प्रदेश सरकार द्वारा यथावत् प्रदान की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त उक्त पदक धारकों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अतिरिक्त कर व अन्य कर को छोड़कर निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश के पुलिस बल के उक्त पदक धारकों के लिए अतिरिक्त सुविधायें दिये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में मोतीझील स्थित पशु वधशाला हो हटाये जाने की मांग

*17-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में मोतीझील स्थित पशु वधशाला को अन्यत्र हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

ग्राम सलेमपुर पतौरा में आधुनिक वधशाला का निर्माण होने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रदेश में स्थित तालाबों व कुओं को खुदवाने सम्बन्धी योजना

*18-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित तालाबों व कुओं को खुदवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भू-जल स्तर की दृष्टि से जल एकत्रीकरण, भू-जल संरक्षण एवं पुनर्भरण स्रोतों को सुदृढ़ व्यवस्था हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जलाशय (तालाब) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2006-07 से आदर्श जलाशय योजना आरम्भ की गई है।

आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब का निर्माण/जीर्णोद्धार अर्थात् कुल 52,002 तालाब/जलाशयों का निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब का निर्माण/जीर्णोद्धार अर्थात् कुल 52,002 तालाब/जलाशयों का निर्माण/जीर्णोद्धार का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर अनु0जाति के कोटे में जनजातियों की नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही

*13-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 के पत्रांक जी0ओ0-494/स्था0-2/ ग्रा0वि0अ0/07, दिनांक 14 दिसम्बर, 07 द्वारा बैकलाग श्रेणी के ग्राम्य विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति में केवल थारू एवं बुक्शा जाति को ही अनुसूचित जनजाति मानने का आदेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 2003 द्वारा प्रदेश में 10 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो उक्त दो जातियों को छोड़कर शेष जनजातियों को अनुसूचित जनजाति न मानने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त आदेश के आधार पर की गई नियुक्तियों की जांच कराकर फिर से साक्षात्कार कराकर चयन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये कि बैकलाग कोटे के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर अनुसूचित जनजाति कोटे के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिये अनुसूचित जनजातियों से इतर जनजातियों की नियुक्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है जिसके सम्बन्ध में समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश आयुक्त ग्राम्य विकास को पत्र दिनांक 13-12-2007 द्वारा जारी किये गये थे, जिसके क्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास के द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 07 निर्गत किया गया है।

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 10-7-86, 30-9-03 एवं दिनांक 03-1-2007 की प्रतियां आयुक्त, ग्राम्य विकास को शासनादेश दिनांक 20-2-2008 द्वारा उपलब्ध कराते हुये यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रदेश में किन-किन जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

शासनादेश दिनांक 03 जुलाई, 2003 को समाज कल्याण विभाग के द्वारा शासनादेश दिनांक 30-09-03 द्वारा निरस्त करते हुये भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08 जनवरी, 2008 में कतिपय जातियों को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्तानुसार स्पष्ट किया गया है कि समाज कल्याण विभाग के उक्त दो जातियों के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 10-7-1986, 30-09-03 एवं दिनांक 03-01-07 के अनुसार प्रदेश में जिन जातियों को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है वे सभी अनुसूचित जनजातियां मानी गयी हैं एवं तद्नुसार बैकलाग कोटे में अनुसूचित जनजाति कोटे के अन्तर्गत चयन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है।

इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी के बैकलाग कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, वे समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 10-7-1986, 30-09-03 एवं दिनांक 03-01-07 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, किन्तु फिर भी यदि प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से इतर जनजातियों के चयन होने की पुष्टि होती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*20-श्री मदन भैया-

[दिनांक 14-2-08 के तारां0 प्र0 14 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद इलाहाबाद के दारागंज में मुगलकालीन राजा टोडरमल के ऐतिहासिक किले को पर्यटक केन्द्र स्थल बनाये जाने की मांग

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद के दारागंज मुहल्ले में मुगलकालीन राजा टोडरमल का ऐतिहासिक किला है यदि हां, तो क्या सरकार उसको पर्यटक केन्द्र स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

तथाकथित किला किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति है।

जनपद महामाया नगर तहसील सिन्दराराऊ (हाथरस) में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना हेतु निर्गत शासनादेश

2-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ जनपद-महामायानगर (हाथरस) में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ में सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय की स्थापना हेतु दिनांक 28-01-2008 को शासनादेश निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0पी0एम0टी0 की त्रुटिपूर्ण परिणाम आने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा कथित रूप में आत्महत्या की जानकारी

3-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष सी0पी0एम0टी0 का त्रुटिपूर्ण परिणाम आने के कारण प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की है ? क्या सरकार उन बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार सी0पी0एम0टी0, 2007 के त्रुटिपूर्ण परिणाम के कारण किसी भी अभ्यर्थी ने आत्महत्या नहीं की है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के नगर पंचायत माधोगंज बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण/मरम्मत की मांग

4-डा0 कौशल किशोर-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के प्रथम सोमवार के अता0-99 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई नगर पंचायत माधौगंज स्थित बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक (सदर बाजार होते हुए) क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव इसी वित्तीय वर्ष में पारित कराकर निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त नगर स्थानीय स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। वे अपने कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए उनका निर्वहन राज्य सरकार के राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं अपने निजी स्रोतों एवं

संसाधनों से प्राप्त आय से करते हैं। नागर स्थानीय निकायों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण प्रश्नगत कार्य नहीं कराया जा सका।

जनपद बांदा के थाना पैलानी में मोहन पुत्र भूरा निवासी कुकुवासाज का बकरी चोरी का दर्ज मुकदमा

5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना पैलानी में मोहन पुत्र भूरा निवासी कुकुवासाज को 10-9-07 को समय लगभग 5.30 बजे बदमाशों द्वारा पेड़ में बांधकर 40-50 बकरी बकरे ले गये थे ? यदि हां, तो क्या मु0अ0सं0 211/07 धारा 379 आई0पी0सी0 थाना पैलानी में केवल चोरी का मुकदमा कायम किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद बांदा के थाना पैलानी में मोहन पुत्र भूरा निवासी कुकुवाखास दिनांक 10-9-2007 को ककनाने बाबा जंगल में बकरिया चराने गया था। बकरिया जंगल में चर रही थीं। मोहन लाल नाले के किनारे बैठा था। शाम 5.30 बजे वह बकरियों को घेरने के लिए जंगल गया तो बकरिया नहीं मिली। दिनांक 11-9-07 को जंगल में जाकर खोजबीन किया तो उसे 15 बकरिया मिल गयी थीं। यह कहना गलत है कि मोहन पुत्र भूरा उपरोक्त को बदमाशों द्वारा पेड़ में बांधकर 40-50 बकरी-बकरे ले गये थे।

दिनांक 11-9-07 को वादी उपरोक्त की दाखिल तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-211/07 धारा 379 आई0पी0सी0 थाना पैलानी में राम सहाय पुत्र बबुआ चौहान, राम बहादुर पुत्र राम सहाय, निवासीगण-पिपरहरी व सुरजा पुत्र नोखवा केवट निवासी कसियाडेरा के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी। विवेचनोपरान्त उपरोक्त के विरुद्ध साक्ष्य न पाये जाने पर विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या-117 दिनांक 27-10-07 को समाप्त की गयी है, दिनांक 14-11-07 को अंतिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर के अवशेष कार्य के निर्माण की मांग

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा पट्टी के शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर के शेष कार्य एवं स्थल विकास सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या क/233665 सहित मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ के पत्र दिनांक 1-9-07 जिला अर्थ एवं संख्या

अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-2 के पत्र दिनांक 9-7-07 के क्रम में जिला योजना 2007-08 में पट्टी विधान सभा प्रतापगढ़ के आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 1-9-07 जिला आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 1-9-07 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है तथा इस पत्र के क्रम में 2007-08 में पट्टी विधान सभा प्रतापगढ़ के होम्योपैथी अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु अर्थ एवं संख्या अधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 1-9-07 प्राप्त हुआ है।

पट्टी विधान सभा प्रतापगढ़ के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था कराने के निर्देश क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को दिये गये हैं तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करने हेतु जिला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। भूमि की उपलब्धता के पश्चात् ही भवन के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी पात्र लोगों को इन्दिरा आवास स्वीकृत किये जाने की मांग

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी ग्रामों के सभी पात्र लोगों को इन्दिरा आवास स्वीकृत किये जाने हेतु लक्ष्य एवं धन उपलब्ध कराने के निर्देश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

इन्दिरा आवास योजना 75 प्रतिशत केन्द्र पोषित 25 प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। इस योजना में विधानसभावार आवास स्वीकृति हेतु लक्ष्य एवं धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है।

योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1935/38-8-2007-654/2006 दिनांक 24-9-2007 द्वारा विकास खण्डों एवं ग्राम सभाओं को धनराशि के आवंटन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त निर्देश के अनुसार लक्ष्य/धन आवंटित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के परइया नदी, चमरौरा नदी के प्रदूषित पानी को प्रदूषण मुक्त करने की जांच

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत परइया नदी, चमरौरा नदी का पानी प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद प्रतापगढ़ स्थित चमरौरा नदी का सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली द्वारा दिनांक 27-1-08 को किया गया। चमरौरा पुल प्रतापगढ़ से अटेहा मार्ग तथा चमरौरा नदी बेलामाई से 1 कि0मी0 पहले नदी जल का नमूना एकत्र किया गया जिसमें घुलित आक्सीजन की मात्रा क्रमशः 8.7 मि0ग्रा0/ली0 एवं 8.5 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी है जो बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित परइया नदी के जल का नमूना दिनांक 27-10-2008 को निम्नलिखित स्थलों से एकत्रित किया गया:--

3-परइया नदी निकट गंगागंज पुल शीतलगंज बाजार से लगभग 3 कि0मी0 पर।

4-परइया नदी बेखरनाथधाम से एक कि0मी0 पहले।

उक्त स्थलों पर नमूना जांच करने पर घुलित आक्सीजन की मात्रा क्रमशः 8.3 मि0ग्रा0/ली0 व 8.2 मि0ग्रा/ली0 पायी गयी, जो कि बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

उक्त के अतिरिक्त सई नदी एट बेखरनाथधाम, प्रतापगढ़ में परइया नदी के मिलने के बाद लिये गये नमूनों में घुलित आक्सीजन की मात्रा 8.5 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी जो कि बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

अपेक्षित नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, नगर पंचायत पट्टी के सभी वार्डों में खराब हैण्ड पम्प की रिबोरिंग कराये जाने की व्यवस्था

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के सभी वार्डों में 31 अक्टूबर, 2007 तक कुल कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों की रिबोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पंचायत पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के सभी वार्डों में दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 तक कुल 17 नग हैण्डपम्प खराब थे।

जी हां।

वर्ष 2007-08 में जिला योजना नगर एवं नगर पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से 17 नग खराब हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु वांछित धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष दिनांक 30-01-2008 तक कुल 12 हैण्डपम्प रिबोर किये जा चुके हैं। शेष का कार्य प्रगति पर है, जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

11-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

[1ले शुक्र0 के अता0 प्र0 सं0-33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद लखीमपुर खीरी में गत वर्ष में हत्यायें, डकैती एवं लूट की घटनायें व अत्याचार सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमें

12-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 07 में कितनी हत्यायें, डकैती, लूट की घटनायें हुई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकदमें पंजीकृत हुए हैं तथा कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

कु0 मायावती-

माहवार स्थिति इस प्रकार है :-

अपराध	जुलाई 2007	अगस्त 2007	सितम्बर 2007	योग
हत्या	8	5	8	21
डकैती	-	-	-	-
लूट	-	1	1	02

अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई, 2007 से सितम्बर, 2007 तक कुल 59 मुकदमें पंजीकृत हुए हैं तथा 173 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

प्रभातपुरम् लखनऊ में नगर निगम द्वारा सड़क, सीवर, पानी आदि सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी मांग

13-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आलमनगर स्टेशन, लखनऊ के पास बसे प्रभातपुरम् को नगर निगम, लखनऊ ने किस तिथि से अपने अधिकार/कार्य क्षेत्र में लिया है तथा अब तक वहां पर नगर निगम ने क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई हैं ? क्या यह सही है कि प्रभातपुरम् में अभी तक

सड़क, सीवर, पानी आदि की मूलभूत सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो वहां सड़क, सीवर पानी आदि की मूलभूत सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्ष 1987 में 80 गांवों के साथ उक्त क्षेत्र को नगर निगम, लखनऊ की सीमा में सम्मिलित किया गया था। उक्त क्षेत्र अवैध कालोनी होने के कारण नगर निगम, लखनऊ द्वारा अभी तक कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

पेयजल हेतु प्रभातपुरम् में इण्डिया मार्का-II है0प0 अधिष्ठापित है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनूवल मिशन के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट फेज-4 में प्रभातपुरम् को लिया गया है। क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य कराया जा चुका है तथा योजना विरचित की जा रही है जो मार्च 2008 के अन्त तक भारत सरकार को प्रेषित कर दी जायेगी। भारत सरकार से योजना अनुमोदित तथा धनराशि प्राप्त होने पर सीवर का कार्य कराया जायेगा। प्रभातपुरम् में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत योजना जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की जानी है। जलकल एवं नलकूप हेतु भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त विस्तृत योजना के विरुद्ध धनावंटन होने के उपरान्त योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर ग्राम सभा खुर्द एवं जसपुरा में वित्तीय वर्ष 2007-2008 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत संतृप्त किये जाने की मांग

14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द एवं जसपुरा में वित्तीय वर्ष 2007-2008 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों का चयन किया गया है तथा अब तक 13 प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी ग्राम सभायें संतृप्त कर दी गई हैं व कितनी शेष हैं ? क्या वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक चयनित ग्रामों को संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)-

शासनादेश संख्या-1642/66-2007-49/05, दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के स्थान पर डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामसभाओं को विकास की इकाई माना गया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द में तिन्दवारा, चिल्ली, उजरेहटा, सेमरा तथा ब्लाक जसपुरा में सिन्धनकला ग्रामसभाओं का चयन किया गया है। उक्त ग्रामसभाओं को योजना के 13 प्रमुख कार्यक्रमों से मार्च, 2008 तक संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों के पद को राजपत्रित घोषित करनें की मांग

15-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान उच्चीकृत हो जाने के फलस्वरूप अन्य अधिकारियों की भांति समीक्षा अधिकारियों को भी समाचार-पत्र देने तथा समीक्षा अधिकारी के पद को राजपत्रित पद घोषित करने का आदेश देंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

'उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ' की ओर से इस आशय की मांग पूर्व में प्राप्त हुई थी जिसे शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अब पुनः मांग की गयी है जिस पर निर्णय लेने से पूर्व भारत सरकार एवं अन्य प्रदेशों में इस सम्बन्ध में दी जा रही सुविधा की जानकारी मांगी गयी है ताकि निर्णय लेते समय शासन के समक्ष पूरे तथ्य उपलब्ध रहें।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र में समीक्षा अधिकारी के पद को राजपत्रित घोषित किये जाने की मांग की गयी है। इस प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु आवंटित धनराशि एवं कार्यों का विवरण

16-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को संतृप्त करने हेतु क्या-क्या कार्य हैं ? उक्त योजना से विभागवार संतृप्तीकरण हेतु अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनराशि कितनी-कितनी आवंटित की है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

शासनादेश संख्या-1642/66-07-49/05, दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गयी है, जिसमें ग्रामसभाओं को विकास की इकाई माना गया है। चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामसभाओं को संतृप्त करने हेतु कराये जाने वाले कार्यों/कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है:--

क्र0सं0	कार्यक्रम
1	2
	ग्राम विकास कार्यक्रम-
1	सम्पर्क मार्ग
2	ग्रामीण विद्युतीकरण
3	नाली/खड़जा निर्माण

1	2
4	स्वच्छ शौचालय
5	इन्दिरा आवास
6	स्वच्छ पेयजल
7	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण
8	निःशुल्क बोरिंग
9	रोजगारपरक कार्यक्रम- i-स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना ii-रोजगार गारन्टी योजना iii-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
10	पट्टों का आवंटन- i-कृषि भूमि आवंटन ii-सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन iii-आवासीय पट्टे का आवंटन iv-मछली पालन हेतु पट्टे का आवंटन vi-कुम्हारीकला हेतु पट्टे का आवंटन
11	पेंशन योजनाएं- i-वृद्धावस्था पेंशन ii-पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को अनुदान iii-विकलांग पेंशन
12	स्वास्थ्य सुविधायें एवं परिवार कल्याण- i-स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण ii-नवजात शिशुओं का टीकाकरण iii-पोलियो उन्मूलन iv-ग्रामीण क्षेत्र में जन्म एवं मृत्युदर के पंजीकरण की स्थिति
13	छात्रवृत्ति योजनाएं- i-अनु0जा0/ज0जा0 छात्रवृत्ति ii-पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति iii-गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति iv-अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

विधान सभा

योजना के अन्तर्गत संतृप्तीकरण का कार्य सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय बजट से कराया जाता है। इस हेतु डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग द्वारा पृथक से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

जनपद बांदा में अम्बेडकर ग्रामों का चयन एवं संतृप्तीकरण

17-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2002-2003 से 2007-2008 तक कुल कितने अम्बेडकर ग्रामों का चयन हुआ है तथा कितने ग्रामों का संतृप्तीकरण कर दिया गया है तथा कितने ग्राम शेष हैं ? सरकार द्वारा शेष ग्रामों का संतृप्तीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जनपद बांदा में वर्ष 2002-03 में 105 डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन हुआ है। वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन नहीं हुआ है। वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 20 डा0 अम्बेडकर ग्रामसभाओं का चयन हुआ है। उक्त चयनित 105 ग्रामों में से 97 ग्रामों का संतृप्तीकरण किया जा चुका है तथा 8 ग्रामों में मात्र सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य ही अवशेष है, जो प्रगति पर है तथा 20 ग्रामसभाओं में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र योजनान्तर्गत संचालित 13 प्रमुख कार्यक्रमों को मार्च, 2008 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ, गोमती नगर के स्थानीय गांव डिगडिगा में अवैध कब्जों को हटाये जानें की मांग

18-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की गोमतीनगर योजना के विशाल खण्ड-1 में (शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के घर के बगल में) स्थानीय गांव डिगडिगा के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर जानवर पाल रखे हैं और उनका गोबर आदि ढेर करने से गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जों को कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

लखनऊ नगर निगम द्वारा पशुपालकों श्री सियाराम पुत्र चतुरी चार भैंस, श्री मंशाराम पुत्र पूर्वीदीन तीन भैंस, श्री राजाराम पुत्र भरोसे छः भैंस, श्री राम शंकर पुत्र स्व0 महावीर दो भैंस-दो गाय, श्री राहुल पाल पुत्र श्री अर्जुन पाल चार गाय, श्री कुल्लू पुत्र सियाराम छः भैंस, श्री दिनेश यादव पुत्र राम चन्दर यादव चार गाय, श्री महिपाल यादव पुत्र श्री पन्ना लाल यादव एक भैंस-चार गाय के विरुद्ध दिनांक 4-2-08 को चालान संख्या 712/93 से 712/100 तक कार्यवाही कर सी0जे0एम0 न्यायालय में आवश्यक दंड हेतु प्रेषित कर दिया गया है। कब्जा हटाने का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का

है फिर भी दिनांक 07-02-2008 को जोनल अधिकारी, जोन-4, नगर निगम, लखनऊ के नेतृत्व में वर्णित स्थल से 8 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में बन्द कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस में जल निगम के खण्ड कार्यालय को तहसील सादाबाद स्थित भवन में स्थानान्तरित किये जानें सम्बन्धी मांग

19-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में जल निगम का खण्ड कार्यालय किराये के भवन में संचालित हैं ? क्या यह सही है कि जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद मुख्यालय पर विभाग का भवन वर्तमान में अप्रयुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार किराये के भवन में संचालित कार्यालय को सादाबाद स्थित भवन में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत भवन में मरम्मत का कार्य संचालित होने के कारण सम्प्रति अप्रयुक्त है।

जी नहीं।

जनपद स्तरीय कार्यालयों को जनपद मुख्यालय पर ही स्थापित करने के निर्देश होने के कारण।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद में पेयजल समस्या के निदान हेतु प्रस्तावित योजना

20-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद में पेयजल समस्या के निदान हेतु दो ओवर हेड टैंक व असेवित क्षेत्रों में अन्डर ग्राउन्ड सप्लाई बिछाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मा0 कांशीराम शहरी समग्र विकास योजनान्तर्गत एक ओवरहेड टैंक व अण्डरग्राउण्ड सप्लाई की कार्य योजना प्रस्तावित है।

सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं प्राक्कलन विरचन का कार्य प्रगति पर है। धनावंटन के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद में ड्राई स्लाटर हाउस बनाने की मांग

21-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद में ड्राई स्लाटर हाउस बनाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद में सीवर लाइन डालने की योजना

22-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद में सीवर लाइन डालने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद हाथरस में मा0 कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत सादाबाद को चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर में सीवरेज व्यवस्था लागू करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त धनराशि की उपलब्धता के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में पेयजल की नियमित आपूर्ति

23-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में पेयजल समस्या के निदान हेतु नये ओवरहेड टैंक व असेवित क्षेत्रों में अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन बिछवाने का कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में पेयजल व्यवस्था हेतु पूर्व से पेयजल योजना निर्मित है। नगर पंचायत सहपऊ में दो पानी की टंकियों से नियमित प्रातः एवं सायं पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जिलाधिकारी, महामायानगर की सूचनानुसार नगर पंचायत में पेयजल समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ में अपर महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेन्ट एडवोकेट की नियुक्ति एवं उन्हें रिटेनर एवं भत्ते के भुगतान का विवरण

24-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ में क्रमशः अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी शासकीय अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी शासकीय अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट व सहायक गवर्नमेंट एडवोकेट वर्ष

2004-2005, वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 में नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें वर्ष 2004-2005, 2005-2006 एवं वर्ष 2006-2007 में कितना-कितना वेतन भत्ता एवं मानदेय दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन पदों पर नियुक्ति के मानक क्या हैं ?

मा0 उच्च न्यायालय की इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में मुख्य स्थायी शासकीय अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी शासकीय अधिवक्ता नाम के पद नहीं हैं। इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। शेष पदों में से सहायक गवर्नमेंट एडवोकेट्स के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अपर महाधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं जिन्हें वेतन एवं मानदेय के रूप में धनराशि भुगतान नहीं की जाती है। रिटेनर व भत्ते के रूप में भुगतान के विवरण निम्न प्रकार हैं:--

वर्ष	पद नाम	भुगतान की गयी भत्ते एवं रिटेनर की धनराशि
1	2	3

क-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2004-05	अपर महाधिवक्ता	1001161
	शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट	112250
2005-06	अपर महाधिवक्ता	972027
	शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट	110000
2006-07	अपर महाधिवक्ता	619355
	शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट	130000

ख-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ।

2004-05	अपर महाधिवक्ता	--
	शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट	--
2005-06	अपर महाधिवक्ता	54194
	शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट	--
2006-07	अपर महाधिवक्ता	--
	शासकीय अधिवक्ता एवं गवर्नमेंट एडवोकेट	715000

इन पदों पर नियुक्ति का मानक विधि परामर्शी निर्देशिका के प्राविधानों के अनुसार लोक अभियोजक (शासकीय अधिवक्ता, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता या सहायक शासकीय अधिवक्ता) की दशा में कम से कम सात वर्ष तथा दीवानी पक्ष के विधि अधिकारी (मुख्य स्थायी अधिवक्ता अथवा स्थायी अधिवक्ता) की दशा में दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का अनुभव होना है। सिविल प्रकरणों में "उत्कृष्ट योग्यता" रखने वाले मामलों में राज्यपाल

महोदय न्यूनतम अवधि से छूट दे सकते हैं। ऐसी नियुक्तियां करते समय शासन यथा आवश्यक महाधिवक्ता या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किन्हीं अन्य न्यायाधीशों के या तदर्थ संगठित किसी समिति का मत भी ले सकते हैं।

जनपद शाहजहांपुर कोतवाली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्व0 श्री अहसन उल्ला खां का जमा किया गया लाइसेन्सी रिवाल्वर का मुआवजा दिये जाने की मांग

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर कोतवाली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अहसन उल्ला खां के देहान्त होने पर उनका एक लाइसेन्स सं0-1324 रिवाल्वर सं0-34375 दिनांक 16-7-1956 को जमा किया गया था, जिसका इन्दराज कोतवाली में 16-7-1956 के रपट संख्या 49 पर दर्ज है ? यदि हां, तो क्या मृतक के वारिस को इसकी बाजारू कीमत में मुआवजा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

कु0 मायावती-

प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच से पाया गया कि श्री मलक शकील अहसन खां द्वारा बताया गया कि उसके पिता स्व0 मलक अहसन उल्ला खां निवासी मौजा पक्का तालाब, थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर की मृत्यु के उपरान्त उक्त रिवाल्वर दिनांक 16-7-56 को रपट नं0 49 पर थाना कोतवाली पर उसके बहनोई सब्बीर हसन खां द्वारा जमा किया गया था, परन्तु जांच में श्री मलक शकील अहसन खां द्वारा रिवाल्वर व लाइसेन्स थाना कोतवाली पर जमा करने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। कथित रिवाल्वर को दाखिल करने का वर्ष 1956 बताया गया जिसे लगभग 52 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। उस समय के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त रिवाल्वर व लाइसेन्स थाना कोतवाली पर जमा किया गया था अथवा नहीं। श्री मलक शकील अहसन खां द्वारा रिवाल्वर व लाइसेन्स थाना पर दाखिल करने सम्बन्धी कोई रसीद न दे पाने व अभिलेखों के उपलब्ध न हो पाने के कारण रिवाल्वर को थाना कोतवाली पर जमा किया जाना प्रमाणित नहीं हो सका है। इन परिस्थितियों में मृतक के वारिसान को रिवाल्वर की कीमत बतौर मुआवजा दिया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

स्व0 छात्र नेता श्री अभय प्रताप सिंह जी की हत्या के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

26-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं0-सी-10171373 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/ एम0/ 171373/2007 जो कि युवा छात्र नेता स्व0 अभय प्रताप सिंह की निर्मम हत्या की जांच के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव गृह एवं गोपन को दिनांक 17-10-2007 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच में सभी दोषी अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

संदर्भगत पत्र प्रमुख सचिव, गृह विभाग को 18-10-2007 को प्राप्त हुआ है।

अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त 1-दिनेश कुमार, 2-पंकज कुमार को दिनांक 29-8-07 को तथा लाहू को दिनांक 26-8-07 को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। दो अज्ञात अभियुक्तों में से स्थानीय पुलिस की विवेचना द्वारा नफीस प्रकाश में आया तथा दिनांक 20-11-07 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। एक अभियुक्त की तस्दीक करना शेष है। सम्प्रति मामले की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है।

प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन में यूनिट को-आर्डिनेटर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया

27-डा0 कौशल किशोर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग में राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत यूनिट को-आर्डिनेटर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का पद प्रतिनियुक्ति का है ? यदि हां, तो उक्त पद पर वार्षिक अनुबंध पर नियुक्ति किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार अनुबन्ध पर तैनात यूनिट को-आर्डिनेटर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का अनुबन्ध समाप्त कर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में यूनिट को-आर्डिनेटर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का पद प्रतिनियुक्ति का पद न मिलने पर अनुबन्ध से भरे जाने का प्राविधान है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में यूनिट को-आर्डिनेटर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर नियमानुसार तैनाती हेतु आदेश किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत जल निधि एवं स्वजल धारा के क्रियान्वयन के लिये सृजित पदों के वेतन भत्ता का भुगतान

28-डा0 कौशल किशोर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलनिधि एवं स्वजल धारा के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश सं0-2373/38-5-2003, दिनांक 21 अगस्त, 2003 के पैरा-8 में सृजित पदों के वेतन-भत्तों आदि के भुगतान की व्यवस्था सेक्टर रिफार्म पायलेट प्रोजेक्ट राजीव गांधी मिशन, भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्तमान में राज्य सरकार के आयोजनेत्तर मद से वेतन-भत्तों आदि का भुगतान किसके आदेश से किया जा रहा है ? क्या सरकार नियम विरुद्ध वेतन-भत्ते आदि का भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा

उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत भुगतान किये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

शासन स्तर पर लिये गये उच्च स्तरीय निर्णयानुसार वेतन भत्तों आदि का भुगतान आयोजनेत्तर मद से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय अपराधियों द्वारा गलत पता देकर बनाये गये शस्त्र लाइसेन्स की जांच एवं उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही

29-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-496262 दि0 26-6-07 जो गलत पता देकर अपराधियों द्वारा बनवाये गये शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण तथा मुकदमा पंजीकरण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

मा0 सदस्य का पत्र संख्या-496262, दिनांक 26-06-07 नहीं वरन दिनांक 26-09-07 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत पत्र के साथ संलग्न-पत्र में उल्लिखित श्री राम सागर सिंह, श्रीमती अणिमा सिंह, श्री कालूराम गोस्वामी तथा श्री लोकेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक स्तर से जांच करायी गयी। जांचोपरान्त श्री राम सागर सिंह को डी0बी0बी0एल0 गन लाइसेन्स संख्या-8471/थाना सैनी दिनांक 08-12-07 को निरस्त कर दिया गया है। श्रीमती अणिमा सिंह के रिवाल्वर के लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। श्री लोकेन्द्र सिंह के विरुद्ध आपराधिक इतिहास न होने के कारण उनके डी0बी0बी0एल0 गन के लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी द्वारा श्री राम सागर सिंह के रायफल के लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु लाइसेंसिंग अथारिटी जिला मजिस्ट्रेट पानागढ़, पश्चिमी बंगाल एवं श्री कालूराम के लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ को पत्र भेजा गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के कैराना में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे हटाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

30-श्री हुकुम सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के कैराना नगर में दबंगों द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि तालाब, कब्रिस्तान तथा शमशान की भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण

किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा 14-07-2007 को जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को पत्र के माध्यम से अतिक्रमण के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई थी परन्तु अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नकुल दुबे-

अनधिकृत अतिक्रमण/कब्जे के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा उप जिलाधिकारी, कैराना से जांच करायी गई। जांच से पाया गया कि कैराना नगर क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् कैराना का तालाब, कब्रिस्तान तथा शमशान नहीं है जो है वह खेवटदारों (जमींदारों) के हैं। जिन पर खेवटदारों (जमींदारों) का ही कब्जा है। कब्रिस्तान व शमशान की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

दिनांक 14-7-2007 को दिये गये शिकायती-पत्रों की जांच जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा उप जिलाधिकारी/तहसीलदार कैराना से कराई गई। श्री इदरीश, पूर्व उपाध्यक्ष, कैराना के शिकायती-पत्र में नगरपालिका परिषद् कैराना के ख0 नं0 856 व 858 तालाब के नम्बर पर अनाधिकार कब्जा होने की शिकायत की गई है। जांच से यह पाया गया कि ख0 नं0-856 नगर पालिका परिषद् कैराना की सीमा के अन्तर्गत नान जेड0ए0 क्षेत्र कैराना तालाब का नम्बर है जो महाल कासम के खेवटदार (जमींदार) के मालिकाना (स्वामित्व) का है। इसमें गांव सभा अथवा नगरपालिका की सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। ख0 नं0-858 रकबा 1.035 हे0 जमींदारी अविनाश (नान जेड0ए0) क्षेत्र कैराना नगरपालिका सीमा अन्तर्गत कब्रिस्तान की भूमि है। जिसमें मालिकान खेवट नम्बर 130 महाल कासम है, जिस पर मालिकान/खेवटदारों (जमींदारों) का कब्जा है। स्थल पर कब्रिस्तान है।

श्री नफीस अहमद, मुख्तार अहमद आदि के शिकायती-पत्र जिसमें नगरपालिका कैराना ख0 नं0-980 व 981 कब्रिस्तान के नम्बरान पर अनाधिकार कब्जे की शिकायत की गई है, की जांच से पाया गया कि ख0 नं0 980 कैराना नगर पालिका सीमा अन्तर्गत जमींदारी अविनाश (नान जेड0ए0) कब्रिस्तान का नम्बर है जिसमें महाल कासम खेवट नम्बर 155 के खेवटदारों (जमींदारों) का कब्जा है एवं ख0 नं0 981 कैराना नगरपालिका सीमा अन्तर्गत हल्का नं0-2 जमींदारी विनाश (जेड0ए0) क्षेत्र कैराना में संक्रमणीय भूमिधर का नम्बर है, जिस पर यासीन, यामीन, मोबीन का नाम अंकित है और उस पर आबादी है।

श्री तेजपाल बदरू बाबू आदि के शिकायती-पत्र जिसमें कश्यप समाज की शमशान भूमि पर अनाधिकार कब्जे की शिकायत की गई है, की जांच से पाया गया कि वर्तमान में कैराना नगरपालिका सीमा के बाहर का नम्बर हल्का नं0-3 चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। चकबन्दी के दौरान चक संख्या-4108 रकबा 0-4-19 बीघा भूमि शमशान हेतु सुरक्षित की गई है, जिसके विरुद्ध मूल खातेदार श्रीमती ब्रिहमों देवी पत्नी हुकुम चन्द निवासी कैराना ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत नगरपालिका परिषद्, कैराना में स्थित तालाब एवं कब्रिस्तान, खेवटदारों तथा संक्रमणीय भूमिधरों के नाम अंकित होने एंव शमशान की भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण सम्प्रति कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों का विवरण

31-श्री हुकुम सिंह-

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के 14 विकास खण्डों में केवल 4 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं जबकि जनपद सहारनपुर के 11 विकास खण्डों में 12 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं ? इस पक्षपात का क्या कारण है ? जनपद मुजफ्फरनगर के शेष विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर के 14 विकास खण्डों के सापेक्ष 03 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं एवं 01 खण्ड विकास अधिकारी का जनपद मुजफ्फरनगर में तैनात किये जाने के आदेश दिनांक 07-2-08 को जारी कर दिये गये हैं तथा 03 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी स्वतंत्र रूप से खण्ड विकास अधिकारी के पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं एवं जनपद सहारनपुर के 11 विकास खण्डों के सापेक्ष 11 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं।

विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण असमानता है। इसमें पक्षपात का विषय निहित नहीं है।

खण्ड विकास अधिकारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होने/संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नतियां होने पर जनपद के रिक्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद वाराणसी शहर के दक्षिणी क्षेत्र के पक्के महाल की गलियों में पानी की समुचित आपूर्ति हेतु नये नलकूप लगाने की मांग

32-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री के संज्ञान में है कि वाराणसी शहर के दक्षिणी के धनी आबादी वाले पक्के महाल की गलियों के अन्दर जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला पेयजल या तो पहुंचता नहीं है अथवा अत्यन्त कम दबाव पर और कम अवधि के लिये पहुंचता है ? क्या उक्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने हेतु प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित-पत्र कम्प्यूटर सं0-सी-10166493 तथा

पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/16649/2007 प्रमुख सचिव नगर विकास दिनांक 01-8-2007 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वाराणसी के पक्के महाल में मुख्यतः भेलूपुर मुख्य पम्पिंग स्टेशन तथा अन्य नलकूपों से जलापूर्ति की जाती है। यह क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है जिसके कारण इस क्षेत्र की जलापूर्ति सामान्य रूप से किये जाने हेतु मुहल्ला गोदौलिया एवं चौक में बूस्टर पम्प अधिष्ठापित है।

जी हां। नगर के सभी क्षेत्रों की जलापूर्ति में अपेक्षित सुधार हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत भारत सरकार द्वारा वाराणसी नगर के सिस वरुणा क्षेत्र की जलापूर्ति में सुधार हेतु रु0 111.02 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा की कार्यवाही की जा चुकी है। योजना को पूर्ण होने का लक्ष्य वर्ष 2010 निर्धारित है।

जिला योजना अनुसूचित जाति सब-प्लान 2008 स्वीकृत की जा चुकी है तथा इस योजना की धनराशि उ0 प्र0 जल निगम वाराणसी को अवमुक्त की जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित मिनी नलकूपों में मो0 नगवा बस्ती, चौक वार्ड में सी0के0 65/327 के पास तथा आदमपुर मालेन बस्ती में ए-16/1 दीप हाउस के पास मिनी नलकूप स्थापित होने हैं। उक्त तीन मिनी नलकूप दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त मा0 कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति विकास कार्यों के लिये वार्डों का चयन कर इसमें मलिन मोहल्लों को सम्मिलित किया गया है। चयन किये गये वार्डों में गढ़वासी टोला दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत है तथा कोनिया वार्ड का भी कुछ क्षेत्र दक्षिणी विधान सभा के अन्तर्गत आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया

33-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में चिकित्सा शिक्षकों के 56 पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम व पो0 पर्वतपुर जनपद सुल्तानपुर के परिवारजनों को फर्जी मुकदमें में फंसाने के लिए थानाध्यक्ष का प्रत्यार्पण एवं अर्थदण्ड

34-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी0आई0जी0 पुलिस फैजाबाद को सम्बोधित श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट पर्वतपुर, जनपद सुल्तानपुर का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-10-2007

जिसमें अपने पुत्र तथा एक अन्य पारिवारिक लड़के को थानाध्यक्ष कमरौली, सुल्तानपुर द्वारा फर्जी मोटर साइकिल चोरी दिखाकर फंसाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में ए0एस0पी0 पूर्वी सुल्तानपुर द्वारा की गयी जांच में थानाध्यक्ष को दोषी पाते हुए उन्हें एस0पी0 द्वारा हटाने की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं, बल्कि 13-8-07 का पत्र प्राप्त हुआ है।

जी हां। मामले की पुलिस अधीक्षक, पूर्वी से जांच कराये जाने पर मोटर साइकिल की फर्जी बरामदगी के सम्बन्ध में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री रुद्र नरायन गौड़ को थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया था और उन्हें 15 दिवस वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ महोत्सव के आयोजन पर वर्ष 2003 से 2007 तक वर्षवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण

35-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महोत्सव के आयोजन पर वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 तथा वर्ष 2006-2007 में कितना-कितना धन वर्षवार व्यय किया गया और किन-किन कलाकारों को 10 लाख रु0 प्रति कलाकार से अधिक का भुगतान किया गया ?

श्री विनोद सिंह-

लखनऊ महोत्सव के आयोजन पर वर्षवार निम्नानुसार धनराशि व्यय हुई :-

वर्ष	धनराशि (रु0 में)
1	2
2003-04	10220389.15
2004-05	22472943.65
2005-06	23547181.33
2006-07	23970228.13

कलाकार जिन्हें रु0 10 लाख से अधिक की धनराशि दी गयी :-

वर्ष	नाम व धनराशि
2003-04	कोई नहीं
2004-05	1-सुश्री अमीषा पटेल रु0 10.00 लाख 2-सुश्री शिल्पा शेट्टी रु0 15.00 लाख

1	2
2005-06	सुश्री जयाप्रदा ''आम्रपाली'' रु0 35.00 लाख
2006-07	शंकर अहसान-लाय रु0 12.67 लाख

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक आसपुर देवसरा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ [illegible] सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-3/2 177353 दिनांक 29-10-04 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक आसपुर देवसरा में वर्ष 2003-04 में कुल 18 निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किससे करायी गयी और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ? क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-58 (1)/38-4-05-106जांच/04, दिनांक 16-7-05 द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्ड आसपुर देवसरा में वर्ष 2003 में कराये गये कार्यों की टी0ए0सी0 जांच हेतु निर्देश दिये गये थे।

[illegible] के संदर्भ में आयुक्त, एपेक्स तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास उ0 प्र0 लखनऊ के [illegible] संख्या-868/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0-450/2000, दिनांक 26-7-05 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या में निम्नलिखित अधिकारी धनराशि के दुरुपयोग के लिए दोषी पाये गये, जिनसे निम्नवत् धनराशि की वसूली की जानी है :-

1-श्री भवनाथ राम, खण्ड विकास अधिकारी से रु0 2687.00

2-श्री आर0पी0 सिंह, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से रु0 2015.70

3-श्री अरुण सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रु0 903.30

4-श्री शम्भूनाथ राम, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रु0 1112.60

उपर्युक्त अधिकारियों में से श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता, श्री अरुण सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा श्री शम्भू नाथ राम, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से वसूली की जा चुकी है। श्री भवनाथ राम, खण्ड विकास अधिकारी से वसूली की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मोहल्ला हसनगंज रामाधीन सिंह रोड, संतोषी माता मन्दिर व गुरुद्वारा मार्ग तथा हरि मन्दिर हसनगंज मोहल्लों में सीवर लाइन डाले जाने की मांग

37-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मोहल्ला हसनगंज, रामाधीन सिंह रोड, संतोषी माता मन्दिर व गुरुद्वारा मार्ग तथा हरि मन्दिर हसनगंज मोहल्लों में सीवर लाइन न होने के कारण गन्दगी बनी रहती है ? यदि हां, तो उक्त मोहल्लों में कब तक सीवर लाइन डाल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। इस प्रकार का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत प्रश्नगत मोहल्ला-हसनगंज, रामाधीन सिंह रोड, संतोषी माता मंदिर व गुरुद्वारा मार्ग तथा हरि मन्दिर हसनगंज मोहल्लों में सीवरेज व्यवस्था हेतु विरचन कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये बनाये जा रहे सीवरेज के प्राक्कलन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट-1) में उक्त मोहल्लों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का लक्ष्य

38-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में 2003-04 से वर्ष 2007-2008 तक कुल कितने ग्रामों को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना व अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण से संतृप्त कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष ग्रामों का कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

प्रदेश में वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन नहीं हुआ है। वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के स्थान पर प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को विकास की इकाई माना गया है। जनपद बांदा में वर्ष 2007-08 में 20 डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाएं चयनित हुई हैं। उक्त चयनित ग्रामसभाओं में इस योजना के अन्तर्गत संचालित समस्त 13 कार्यक्रमों जिनमें विद्युतीकरण का कार्यक्रम भी सम्मिलित है, को मार्च, 2008 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

39-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

स्व0 श्री हरिशंकर श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मोहर्रिर जोन-5 नगर निगम कानपुर के आश्रितों को पेंशन आदि के आदेश

40-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरी शंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मोहर्रिर, जोन-5 नगर निगम, कानपुर की दिनांक 14 जून, 2007 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनकी पारिवारिक पेंशन उनकी पत्नी श्रीमती कैलाशी देवी को दिये जाने हेतु क्या नगर निगम, कानपुर द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

दिनांक 01-02-2008 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुंसिफ सिविल जज, अपर सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज के सृजित पद एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

41-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने मुंसिफ, सिविल जज, अपर सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज के कितने पद सृजित हैं, कितने पदों पर नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 592 पद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 525 एवं उच्चतर न्यायिक सेवा, जिसमें अपर जिला जजों एवं जिला जजों के पद भी सम्मिलित हैं, के 813 पद सृजित हैं। इसके अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 242 पद सृजित हैं।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 502 पदों, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 298 पदों तथा उच्चतर न्यायिक सेवा, जिसमें अपर जिला जज एवं जिला जज के पद सम्मिलित हैं, के 598 पदों पर नियुक्तियां हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु सृजित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 242 पदों पर नियुक्तियां हैं।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 90 पद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 227 पद तथा उच्चतर न्यायिक सेवा, जिसमें अपर जिला जज एवं जिला जज के पद सम्मिलित हैं, के 215 पद रिक्त हैं।

सिविल जज (जू0 डि0) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2006 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जा चुकी है, जिसका परिणाम शासन को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) व उच्चतर न्यायिक सेवा जिसमें अपर जिला जज एवं जिला जज के पद भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा की जाती है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उनके स्तर पर प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद स्थित सम्राट अकबर के किले व उसमें स्थित अक्षयवट को सेना के कब्जे से मुक्त करा कर जन सामान्य के लिये खोले जाने की मांग

42-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित सम्राट अकबर के किले व उसमें स्थित अक्षयवट को सेना के कब्जे से मुक्त कराकर जन सामान्य के लिये खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन संरक्षित स्मारक है।

इलाहाबाद (प्रयाग) में "पंचकोशी परिक्रमा" को चिन्हित कराने एवं उसको विकसित कराये जाने की मांग

43-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद (प्रयाग) में "पंचकोशी परिक्रमा" को चिन्हित कराने एवं उसको विकसित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को चिन्हित कराये जाने हेतु विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु की परियोजनाओं को पूर्ण कराने की मांग

44-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु की परियोजनाओं को पूर्ण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सी 10165047 पत्र संख्या-सीएम0/वि0को0/एम0/165047/2007 दिनांक 19-07-2007 को प्रमुख सचिव पर्यटन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र में कपिलवस्तु में जिन 7 योजनाओं का शिलान्यास किये जाने का उल्लेख है, वे पर्यटन विभाग की योजनायें नहीं हैं। इनका सम्बन्ध संस्कृति विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग से है और उनसे कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का विषय भी पर्यटन विभाग से सम्बन्धित नहीं है। कपिलवस्तु में पर्यटन विभाग का एक होटल शाक्य है, जो उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कन्टीजेन्सी मद में आवंटित धनराशि व व्यय

45-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कन्टीजेन्सी मद में कितने प्रतिशत धनराशि आवंटित होती है तथा उक्त धनराशि का उपयोग जिला, ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय करने का क्या प्राविधान है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कन्टीजेन्सी मद में कुल व्यय के सापेक्ष 4 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य है। उक्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-28012/3/05-06-एन0आर0ई0जी0ए0, दिनांक 30 मार्च, 2007 में प्राविधान है। 4 प्रतिशत धनराशि से निम्नलिखित मदों में धनराशि का व्यय अनुमन्य है :-

1-सूचना, शिक्षा एवं संचार।

2-प्रशिक्षण।

3-एम0आई0एस0 (कम्प्यूटराइजेशन)।

4-गुणवत्ता अनुश्रवण।

5-शिकायत निवारण।

6-व्यवसायिक संस्थाओं की सेवायें।

7-कार्यालय संचालन व्यय।

8-स्टेशनरी।

9-योजनान्तर्गत अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था।

योजनान्तर्गत प्रथम व्ययभार ग्राम रोजगार सेवकों के प्रशिक्षण एवं मानदेय पर व्यय किया जाना है। तत्पश्चात् योजनान्तर्गत अन्य तैनात कार्मिकों पर व्यय किया जाना है। इन मदों के पश्चात् अन्य मदों पर व्यय किया जा सकता है।

जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के लिये कोई निर्धारित मात्राकरण नहीं है।

जनपद इलाहाबाद ग्राम पहाड़ी विकास खण्ड जसरा में जल निगम द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था

46-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पहाड़ी विकास खण्ड जसरा जनपद इलाहाबाद में जल निगम द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु बिछायी गयी पाइप लाइन खराब हो गयी है ? क्या इसे ठीक कराने हेतु धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत ग्राम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु बिछाई गई पाइप लाइन खराब थी, जिसे वर्तमान वर्ष 2007-08 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पाइप जीर्णोद्धार मद से 1500 मीटर नई जी0आई0 पाइप लाइन बिछाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के ग्राम पुरवाखास छबिना, पनवरिया आदि में पेयजल की समस्या

47-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के ग्राम पुरवाखास, छबिना, पनवरिया आदि में पेयजल की समस्या है ? क्या सरकार पेयजल समस्या के समाधान हेतु ट्यूबवेल/ओवर हेड टैंक बनवाकर पेयजल समस्या का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं। प्रश्नगत ग्राम भारत सरकार के पेयजल के मानक 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्थात् 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के अनुसार संतृप्त है। प्रश्नगत ग्रामों में भारत सरकार के मानक के अनुसार आवश्यक 34 हैण्डपम्पों के सापेक्ष 147 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

48-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के 90 प्रतिशत ग्रामों में उपलब्ध पेयजल को परीक्षण के उपरान्त जन सामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधोमानक पाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-मंगरौरा के कुल 597 बस्तियों में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराई गई, जिसमें से 22 बस्तियों में पेयजल की गुणवत्ता अधोमानक पाई गई है।

जी हां। जिन 22 बस्तियों में पेयजल की गुणवत्ता अधोमानक पाई गई है उसमें से 20 बस्तियों में पेयजल योजनाओं का कार्य निर्माणाधीन है। शेष 2 बस्तियों हेतु पेयजल योजनायें वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों के कथित रूप से गनर एवं शैडो उपलब्ध कराये जाने की मांग

49-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों को भी गनर एवं शैडो उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? कितने व्यय भार पर उक्त सुरक्षा दी गयी है ? क्या सरकार शासनादेश के विपरीत दी गयी सुरक्षा व्यवस्था को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में एस0पी0आर0वाई0 योजना अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्यों की जांच की मांग

50-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ख-3/404972 दिनांक 12-6-07 जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में एस0पी0आर0वाई0 योजना में वर्ष 2000 से

2005 तक कराए गये निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता की जांच एवं सत्यापन हेतु उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में एकल ग्राम पेयजल योजना हेतु चयनित ग्रामों की सूची

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के किन-किन ग्रामों को एकल ग्राम पेयजल योजना के लिए 30-9-07 तक उपयुक्त पाया गया है ? अभी तक किन-किन ग्रामों के लिए योजना का विरचन कर स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्तुत किया गया है और उन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? क्या खराब पेयजल के लिये चिन्हित किये गये ग्रामों के लिए पेयजल सुविधा की दृष्टि से एकल ग्राम पेयजल समूह योजना का विरचन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-आसपुर देवसरा में दिनांक 20-9-07 तक ग्राम दाउदपुर, डुकवा, गधियावां, रसूलपुर हैदरपुर, विक्रम पट्टी एवं पूरेवंशीधर को एकल ग्राम पेयजल योजना के लिये उपयुक्त पाया गया है।

उक्त सभी 6 एकल ग्राम की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

ऐसे ग्राम जिनकी पेयजल गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है, को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एकल/ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना अथवा अन्य विकल्पों की योजना तैयार किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्रामों में रि-बोरिंग हेतु हैण्डपम्प सम्बन्धी जानकारी

52-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के किन-किन ग्रामों के हैण्डपम्प रि-बोर की श्रेणी में हैं, उन्हें कब तक रि-बोर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के निम्नलिखित 28 ग्रामों में 64 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य हैं :-

ग्राम अरथरा, हरदोई, शेखपुर अधारगंज, भिवनी, औरंगाबाद, याहूपुर, सराय शंकर, इटवा, मंगरौरा, मदाफरपुर, भदौना, देहरी दीगर, भावापुर, वासुपूर मलिमान, भौसिया, लाखीपुर, इसीपुर, पूरब

पट्टी, चन्द्र भानुपुर, पदुमपुर, मैदपुर, उतरारा, कहैनिया, महरौली, कोनी, परसण्डा (ढिहवा), बरहा, मन्सा पट्टी।

हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बावरी लालूखेड़ी में जिला सहकारी बैंक से 9 लाख रुपये की लूट पर की गई कार्यवाही का विवरण

53-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 06-9-2007 को लालूखेड़ी थाना बाबरी जनपद मुजफ्फरनगर स्थित जिला सहकारी बैंक से बदमाशों द्वारा लगभग 9 लाख रुपए की लूट की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त लूट को अंजाम देने वाले कितने बदमाशों को अभी तक पकड़ा गया है ? क्या उन लोगों से लूट की रकम की बरामदगी हुई है ? यदि नहीं, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से प्राप्त आख्या दिनांक 31-1-08 के अनुसार दिनांक 6-9-07 को भवंर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह शाखा प्रबन्धक को-आपरेटिव बैंक लालू खेड़ी थाना बाबरी ने थाना बाबरी पर 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचों की नोक पर बैंक से 8,64,773/-रुपये नगद, एक मोटर साइकिल, एक मोबाइल लूट लिये जाने की सूचना अंकित कराई गई। जिसके संबंध में मु0अ0सं0 299/07 धारा 394 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ।

विवेचना से 3 अभियुक्त 1-जाहिद उर्फ काला पुत्र हकीमुद्दीन निवासी आजाद नगर सरधना, 2-इकरार उर्फ रफीक पुत्र शफीक निवासी खालापार थाना कोतवाली मु0 नगर, 3-आबिद पुत्र यासीन निवासी धनेडा थाना सिखेड़ा मुजफ्फरनगर के नाम प्रकाश में आये। जाहिद उर्फ काला एवं रफीक को थाना नौचन्दी मेरठ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्त आबिद के विरुद्ध धारा 83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही दिनांक 28-1-08 को की गई है। अभियुक्त आबिद की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष बाबरी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

अभियुक्त इकरार उर्फ रफीक की पुलिस कस्टडी पर रिमाण्ड पर लेने पर लूटी गई धनराशि में से रुपया 15 हजार अभियुक्त की निशानदेही पर तथा लूटी गई मोटर साइकिल बरामद हुई है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में दोषी पुलिस कर्मियों का दायित्व निर्धारित करते हुए थानाध्यक्ष बाबरी श्री फूल सिंह भारती एवं उ0नि0 आशाराम को निलम्बित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अवैध रूप से हथियारों के निर्माण एवं असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु शासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश

54-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अवैध रूप से हथियारों के निर्माण एवं माफियाओं द्वारा ठेका हथियाने, सम्पत्ति पर कब्जा करने, अवैध धन उगाही आदि कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 17-9-07 द्वारा अवैध शस्त्र गोला बारूद वितरकों/फैक्ट्रियों तथा अवैध शस्त्र गोला बारूद एवं बम आदि धारण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही इनसे संबंधित विवेचना तथा इन अपराधों की मासिक समीक्षा किये जाने हेतु कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं जिनका अनुपालन जनपदीय पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 2-11-06 को निर्गत किये गये है, इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जनपदीय अधिकारियों द्वारा माफियाओं द्वारा ठेका हथियाने, सम्पत्ति पर कब्जा करने, अवैध धन उगाही आदि कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। शासनादेश दिनांक 12-12-07 में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रुपये 2,00,000/- की अधिक लागत के कार्यों में जिलाधिकारी का चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय।

इसके अतिरिक्त आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा अपने शासनादेश दिनांक 11-1-08 द्वारा पारदर्शी एवं स्वच्छ प्रशासन हेतु डी0जी0एस0एण्ड डी0 के ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 के पाइलेट परियोजना के रूप में प्रथम चरण में दिनांक 1-2-08 से 30-9-08 के मध्य ई-पोक्योरमेंट प्रणाली लागू की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[3रे मंगलवार के अता0प्र0सं0-30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ नगर निगम के निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच

56-श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ नगर निगम के निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितताओं एवं घोटाले के आरोप की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराये जाने विषयक यासीन पहलवान, सभासद का प्रार्थना पत्र दिनांक 1-3-2000 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई गई। जांचोपरान्त श्री ओ0पी0 तिवारी तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, नगर निगम मेरठ को भविष्य में सजगता बरतने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सहादतगंज बाजार में सीवर लाइन की सफाई कराये जाने की मांग

57-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के सहादतगंज बाजार में बड़े चौराहे पर विगत कई महीनों से सीवर का पानी सड़क पर बहने के कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है तथा संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सीवर लाइन की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उक्त सीवर लाइन की प्रतिदिन अस्थाई तौर पर सफाई कराई जा रही है उक्त क्षेत्र में संक्रामक बीमारी फैलने की कोई सूचना नहीं है।

उक्त सीवर लाइन की पूर्ण डिसिल्टिंग हेतु प्राक्कलन बनाकर टेण्डर की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जल संस्थान/जलकलों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी किये जाने की मांग

58-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जल संस्थान/जल कलों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची अन्तिम किये जाने हेतु निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 28-3-06 को अनन्तिम सूची जारी कर एक माह में आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो आपत्तियों का निराकरण कर अन्तिम सूची कब तक जारी कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 3-1-2008 को प्रख्यापित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित मार्ग

59-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2002 से मार्च 2007 तक लखीमपुर खीरी जनपद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत किन-किन मार्गों का चयन किया गया तथा उसमें किन-किन मार्गों का निर्माण कराया जा चुका है तथा कितने मार्गों का निर्माण कार्य शेष है ? शेष मार्गों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

माह मार्च, 2002 से मार्च, 2007 तक लखीमपुर खीरी जनपद में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुल 118 मार्गों का चयन किया गया।

कुल 41 मार्गों का निर्माण कराया जा चुका है।

कुल 77 मार्गों का निर्माण कार्य शेष है।

कुल 77 में से 22 मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। जनवरी, 2009 तक कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

शेष 55 मार्गों से सम्बन्धित मार्ग की निविदायें प्राप्त हो चुकी हैं, जिन पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त नियमानुसार शेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर निगम में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के स्वीकृत रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

60-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम में अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या उनके संज्ञान में है कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष अभियन्ता न होने से विकास सहित अन्य कार्यों की गति अत्यन्त शिथिल है ? क्या सरकार स्वीकृत रिक्त पदों पर तैनाती शीघ्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम, वाराणसी में 05 सहायक अभियन्ता तथा 16 अवर अभियन्ता (सिविल) (जिसमें एक पद ट्रैफिक का भी सम्मिलित है) स्वीकृत हैं। स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 05 पदों के सापेक्ष 01 सहायक अभियन्ता तथा 16 अवर अभियन्ताओं के पदों के सापेक्ष 09 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं तथा वर्तमान में इन्हीं अभियन्ताओं से प्रयास कर कार्य कराया जा रहा है।

अभियंत्रण संवर्ग में सहायक/अवर अभियन्ता के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने सम्बन्धी विवरण

61-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक छपरौली, बड़ौत, बागपत में किस-किस ब्लाक में कितने-कितने इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प दिसम्बर, 2007 तक स्थापित हो चुके हैं ? इनमें से किस ब्लाक के कितने हैण्डपम्प पूर्णतया बन्द हैं तथा कितने आंशिक रूप से खराब हैं ? क्या उक्त हैण्डपम्पों के रिबोर की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत विकास खण्ड-छपरौली में 1679 नग, विकास खण्ड-बड़ौत में 2025 नग एवं बागपत विकास खण्ड में 225 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प दिसम्बर, 2007 तक अधिष्ठापित हो चुके हैं।

विकास खण्ड छपरौली में 55 हैण्डपम्प तथा विकास खण्ड-बड़ौत में 41 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

विकास खण्ड-छपरौली में 15 हैण्डपम्प, विकास खण्ड बड़ौत में 09 हैण्डपम्प तथा विकास खण्ड-बागपत में 05 हैण्डपम्प कुल 29 हैण्डपम्प आंशिक रूप से खराब पाये गये, जिसमें से 18 हैण्डपम्प ठीक करा दिये गये हैं। शेष 13 हैण्डपम्पों को ग्राम पंचायतों द्वारा ठीक कराया जा रहा है।

स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम ढेबरुआ विकास खण्ड बढ़नी में खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर ठीक कराये जाने की मांग

62-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में ग्राम-देवरुआ, विकास खण्ड बढ़नी में कितने सरकारी हैण्डपम्प लगे हुए हैं तथा उनमें से कितने पम्प खराब पड़े हैं ? खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराकर सरकार कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम ढेबरुआ, विकास खण्ड बढ़नी में कुल 15 नग इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिसमें से 07 हैण्डपम्प खराब हैं। खराब हैण्डपम्पों में से 03 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य तथा 04 हैण्डपम्प सामान्य मरम्मत योग्य हैं।

रि-बोर योग्य 03 हैण्डपम्पों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में रि-बोर कराकर कार्यशील कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी शोहरतगढ़ जोगिया एवं नौगढ़ में खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने की मांग

63-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-बढ़नी, शोहरतगढ़ जोगिया एवं नौगढ़ में कितने-कितने हैण्डपम्प अभी तक लगाये गये हैं ? उक्त लगे हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प चालू हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराकर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर के गांव सफीपुर व बुआना के अन्तर्गत कोतवाली बुढाना के बीच कथित लूट में लिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग

64-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-11-2007 को जनपद मुजफ्फरनगर के गांव सफीपुर व बुआना के अन्तर्गत कोतवाली बुढ़ाना के बीच सशस्त्र बदमाशों ने कई राहगीरों को मारपीट करके लाखों रुपये की नकदी व जेवरात लूट लिये तथा कुछ राहगीरो को बंधक भी बना

लिया ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना में लिप्त कितने बदमाशों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 22-11-07 को ग्राम सफीपुर व बुढाना के बीच न तो राहगीरों से कोई लूटपाट की घटना घटित हुई और न ही किसी राहगीर को बंधक बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश पुत्र श्री आशा राम निवासी ग्राम गोगवान जलालपुर, थाना बावरी, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा कथित लूट के प्रकरण पर दर्ज मुकदमा

65-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-11-2007 की रात्रि को थाना भवन, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत तितारसी पुल के पास बदमाशों ने वीरेन्द्र नामक कृषक से 250 लाख रुपये की लूट तथा मारपीट की ? क्या यह सही है कि पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई तथा घटना के सम्बन्ध में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-11-07 को वीरेन्द्र नहीं बल्कि सुरेन्द्र पुत्र श्री आशाराम निवासी ग्राम गोगवान जलालपुर थाना बाबरी, मुजफ्फरनगर ने थाना भवन पर सूचना अंकित कराई कि उसने अपने लड़के को सहारनपुर बैंक से रुपया 2.50 लाख निकाल कर लेकर थाना भवन पर बुलाया था, रुपये लेकर जब वह बाइक से करीब 6 बजे लतीफगढ़ से आगे सरकारी ट्यूबवेल (निकट तितारसी पुल) के पास पहुंचा तभी 3-4 बदमाशों ने मोटर साइकिल रुकवाकर तमंचे के बल पर रुपया छीन लिया जिस पर थाना भवन पर मु0अ0सं0 800/2007 धारा 392 भादंवि अज्ञात पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई।

जी नहीं। सुरेन्द्र नामक व्यक्ति द्वारा सूचना दिये जाने के उपरान्त उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना में अभिलेखीय साक्ष्य एवं आस-पास पूंछ-तांछ करने पर घटना सही नहीं पाये जाने पर विवेचक द्वारा विवेचना समाप्त करते हुए अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

घटना का घटित होना नहीं पाया गया इसलिये किसी पुलिस कर्मी का दोष नहीं पाया गया। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। घटना के संबंध में प्रकाश में आये तथ्य का विवरण ऊपर वर्णित है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

66-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि एक खण्ड विकास अधिकारी को एक से अधिक ब्लाक का चार्ज दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के कुल 907 पद सृजित हैं, जिनमें से सीधी भर्ती के 453 पदों के सापेक्ष 432 तथा पदोन्नति के 464 पदों के सापेक्ष 74 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं। इस प्रकार सीधी भर्ती के 21 तथा पदोन्नति के 380 पद अर्थात् कुल 401 पद खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त हैं।

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होने/संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नतियां होने पर रिक्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा, तहसील एतमादपुर की खंदौली एवं रामनगर ग्राम सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

67-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील एतमादपुर, जनपद आगरा की खंदौली एवं रामनगर ग्राम सभा भौगोलिक रूप से एक इकाई बनकर लगभग 25 हजार आबादी के कस्बे का रूप ले चुकी है ? क्या उपरोक्त दोनों ग्राम सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा देने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। खन्दौली एवं रामनगर दोनों ग्राम सभाओं को मिलाकर आबादी वर्तमान में लगभग 21000 है।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के थाना बबेरू में सरकारी धन के गबन एवं फर्जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें

68-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में मु0अ0सं0 149/2005 धारा 409/420/467/468/ 471/170बी आई0पी0सी0 थाना बबेरू में सरकारी धन का गबन व फर्जी

नियुक्तियों के सम्बन्ध में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कितने अभियुक्त जेल भेजे गये तथा कितने शेष हैं ? क्या शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराकर न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां, प्रश्नगत अभियोग वादी श्री स्वराज सिंह, सी0एम0ओ0 बांदा द्वारा दिनांक 30-7-05 को थाना बबेरू, पर विरुद्ध अमरनाथ त्रिपाठी, प्रधान लिपिक, सी0एच0सी0 बबेरू व डा0 आर0के0 निरंजन चिकित्सा अधीक्षक बबेरू के पंजीकृत कराया गया है एवं उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान नामित अभियुक्त अमरनाथ त्रिपाठी, प्रधान लिपिक सी0एच0सी0 बबेरू व डा0 आर0के0 निरंजन चिकित्सा अधीक्षक बबेरू के अतिरिक्त अभियुक्त राधेश्याम वर्मा, स्टेनों पुत्र हरप्रसाद वर्मा, निवासी छौंक, थाना कालपी, जनपद जालौन, आलोक रंजन पुत्र अमरनाथ निवासी कंधारपुरा, थाना मधुबन, जिला मऊ व डा0 एम0पी0 सिंह तत्कालीन सी0एम0ओ0 बांदा प्रकाश में आये हैं।

विवेचक द्वारा दिनांक 11-7-07 को राधेश्याम वर्मा स्टेनों उपरोक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है एवं इसके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 106/07 दिनांक 11-7-07 को प्रेषित किया गया है। घटना में लिप्त पाये गये अभियुक्त अमरनाथ त्रिपाठी व आलोक रंजन उपरोक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये गये हैं तथा मा0 न्यायालय से दिनांक 22-12-07 को एन0बी0डब्लू व दिनांक 20-01-08 को 82 जा0फौ0 जारी कराकर तामील कराई गई है। उक्त दोनों अभियुक्त बादस्तूर फरार हैं। नामित अभियुक्त डा0 आर0के0 निरंजन व प्रकाश में आये डा0 एम0पी0 सिंह तत्कालीन सी0एम0ओ0 बांदा के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकी है। विवेचना प्रचलित है साक्ष्य एकत्रित होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा में कार्यरत सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को मुख्य सफाई एवं खाद निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति का मामला

69-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा में कार्यरत सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति का मामला पद रिक्त होते हुये भी दीर्घकाल से लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन शीघ्र प्रकरण का निस्तारण करके प्रोन्नति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय आदेश दिनांक 11-1-2008 द्वारा सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति प्रदान कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकारी हैं। अतः शासन स्तर से पदोन्नति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय एवं लखनऊ में स्टैण्डिंग कौंसिल व ए0जी0ए0 के नियुक्ति एवं पंजीकरण का विवरण

70-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद व लखनऊ खण्डपीठ में 1 जुलाई, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक कितने स्टैडिंग कांउसिंल व ए0जी0ए0 नियुक्त किये गये और उनके नाम तथा अधिवक्ता पंजीकरण क्या-क्या हैं ?

कु0 मायावती-

1 जुलाई, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 115 अपर शासकीय अधिवक्ता (ए0जी0ए0) एवं 74 स्थाई अधिवक्ता (स्टैण्डिंग काउन्सिल) व लखनऊ खण्डपीठ में 25 अपर शासकीय अधिवक्ता (ए0जी0ए0) एवं 02 स्थाई अधिवक्ता (स्टैण्डिंग काउंन्सिल) नियुक्त किये गये हैं। इनके नाम व पंजीकरण संख्या संलग्नक में अंकित है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ट 211-219 पर)

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में अमरगढ़ शिवाला के विकास हेतु किये गये कार्यों का विवरण

71-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04 में अमरगढ़ शिवाला के लिये 10 लाख रुपया पर्यटन विभाग द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु सी0 एण्ड डी0 एस0 यूनिट-10 को उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो कार्य कराने हेतु डी0पी0आर0 के अनुसार क्या-क्या कार्य कराये गये और उनकी गुणवत्ता की जांच किस स्तर से की गयी है और जांच आख्या क्या है ? क्या महानिदेशक पर्यटन एवं एम0डी0 जल निगम स्वयं स्थल निरीक्षण करने का कष्ट करेंगे जिससे गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या का सत्यापन हो सके ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों, ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

अमरगढ़ शिवाला के विकास हेतु निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं :-

बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, सी0सी0 रोड, मार्बल फ्लोरिंग का कार्य, कोटा स्टोन, मंदिर की सफाई एवं पेंन्टिंग। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता की जांच पर्यटन निगम में स्थापित तकनीकी सेल से कराई गई है। जांच रिपोर्ट में पाया कि स्वीकृत निर्माण कार्य मानक एवं प्राविधानों के अनुरूप तथा गुणवत्तायुक्त नहीं है।

चूंकि उपरोक्त स्थल की जांच तकनीकी सेल से कराई जा चुकी है। अतः स्थल का निरीक्षण निदेशक, पर्यटन एवं एम0डी0 जल निगम द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पर्यटन निगम के तकनीकी सेल से कराई गई जांच में दोषी पाये गये कार्यदायी संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निदेशक सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को दिनांक 9-7-2007 को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उटता।

जनपद प्रतागपढ़ के तहसील पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु कराये गये कार्यों का विवरण

72-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी स्थित हनुमान मंदिर पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु जिला योजना से वर्ष 2003-04 में उपलब्ध कराये गये रु0 9.63 लाख से क्या-क्या कार्य कराया जाना था और क्या-क्या कार्य कराये गये ? उक्त मंदिर को वर्ष 1996 से अब तक वर्षवार उपलब्ध करायी गयी राशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? क्या कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी किसी तकनीकी संस्था से करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या परिसर के सभी शेष कार्य जिसे जनहित में कराना आवश्यक है, को भी कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

स्वीकृत धनराशि रु0 9.63 लाख के विरुद्ध यात्री शेड, बाउण्ड्रीवाल, सी0सी0 रोड एवं पूर्व निर्मित शेड का मरम्मत कराया जाना था। उपरोक्त कार्य करा दिये गये हैं।

वर्ष 1996 से वर्ष 2006-07 तक उक्त मंदिर हेतु वर्षवार उपलब्ध कराई गई धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

1-वर्ष 2000-01 में 5.00 लाख की धनराशि सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट-10, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके विरुद्ध मन्दिर में मारबल का कार्य, मन्दिर के दोनों तरफ सीढ़ियों का निर्माण, रेलिंग एवं गेट का कार्य कराया गया है।

2-वर्ष 2003-04 में रु0 9.63 लाख की धनराशि सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट-10 उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके विरुद्ध यात्री शेड, बाउण्ड्रीवाल, सी0सी0 रोड एवं पूर्व निर्मित शेड का मरम्मत का कार्य कराया गया है।

जी हां।

कार्यदायी संस्था द्वारा गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कार्य पूर्ण न किये जाने के फलस्वरूप इन्हें दोषी ठहराया गया है तथा उनके मूल विभाग, निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को जांच रिपोर्ट भेजते हुए तत्काल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने एवं कार्यों को पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जो कार्य अनुमोदित किये जायेंगे, उनके सम्बन्ध में नियमानुसार स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित दुर्गा मन्दिर सर्वजीतपुर के सौन्दर्यीकरण का विवरण

73-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी स्थित दुर्गा मंदिर सर्वजीतपुर को जिला योजना वर्ष 2003-04 में सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 7.28 लाख सी0एन0डी0एस0 यूनिट-10 जल निगम को उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से क्या कार्य प्रस्तावित था और क्या-क्या कराया गया ? मंदिर का गुंबद एवं चहारदीवारी सहित अन्य कार्य क्यों नहीं कराया गया ? क्या वर्ष 2003-04 के पूर्व एवं पश्चात् भी वर्षवार स्वीकृत धनराशि एवं कराये गये कार्य का विवरण उपलब्ध करायेंगे ? क्या कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने एवं परिणाम तथा दोषी के विरुद्ध करायी गयी कार्यवाही से भी अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

मन्दिर का सम्पूर्ण जीर्णोद्धार तथा अन्दर एवं बाहर की दीवारों पर मार्बल एवं फर्श पर कोटा स्टोन लगाये जाने का कार्य स्वीकृत था, जिसे करा दिया गया है।

वर्ष 2003-04 के प्रस्ताव में मन्दिर के गुम्बद का कार्य प्रस्तावित नहीं था। चहारदीवारी का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में कराया जाना प्रस्तावित है परन्तु परिव्यय की सीमितता के कारण सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2003-04 के पूर्व एवं पश्चात स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

1-वर्ष 2002-03 में रु0 4.15 लाख की धनराशि सी0एण्ड0डी0एस0 विद्युत/यांत्रिक, नलकूप विंग उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद को उपलब्ध कराई गई थी, जिससे यात्री शेड का निर्माण कराया गया था।

2-वर्ष 2003-04 में रु0 7.28 लाख की धनराशि सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट-10 उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद को उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें मन्दिर का सम्पूर्ण जीर्णोद्धार तथा अन्दर एवं बाहर की दीवारों पर मार्बल एवं फर्श पर कोटा स्टोन लगाये जाने का कार्य कराया गया था।

कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच पर्यटन निगम में स्थापित तकनीकी सेल से कराई गई है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि स्वीकृत प्राविधानों के अनुरूप तथा गुणवत्तायुक्त न होने के कारण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। दोषी

अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के निदेशक से दिनांक 9-7-2007 को अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी शहीद स्थल रूट एवं भाऊपुर ब्लाक आसपुर देवसरा के सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत योजनायें

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के शहीद स्थल रूट एवं भाऊपुर ब्लाक आसपुर देवसरा के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु क्या-क्या कार्य प्रस्तावित था और वर्ष 1996 से अब तक जिला योजना एवं अन्य मद से वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और क्या-क्या कार्य कराया गया ? क्या कराये गये कार्य की गुणवत्ता की समयबद्ध जांच कराने एवं राष्ट्रीय महत्व के उक्त स्थलों के शेष कार्यों को कराने हेतु समयबद्ध आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के आसपुर देवसरा विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थित ग्राम रूरे एवं भाऊपुर में सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

वर्ष 1996 से अब तक जिला योजना एवं अन्य मद के अन्तर्गत उक्त दोनों स्थलों हेतु निम्न योजनायें स्वीकृत की गई हैं :-

1-वर्ष 1998-99 में ग्राम रूरे में बाबा राम चन्द्र की यादगार में रु0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसके अन्तर्गत सड़क का लेपन, मिट्टी भराई एवं समतलीकरण, आर0सी0सी0 बेंच, पुस्तकालय, मनोरंजन कक्ष का निर्माण, लैम्प पोस्ट एवं विद्युत कार्य एवं दीवार पर ग्रेनाइट स्मृतियां लगाने का कार्य, लोहे का गेट एवं स्तम्भ ग्रिल लगाने का कार्य, चहारदीवारी के रंगाई-पुताई का कार्य, प्लेटफार्म का निर्माण एवं कोटा स्टोन लगाने आदि का कार्य कराया गया है।

2-वर्ष 1998-99 में ग्राम भाऊपुर में शहीद स्थल के विकास हेतु रु0 10.00 लाख की राशि स्वीकृति की गई थी, जिसके अन्तर्गत आर0सी0सी0 फ्रेम, स्ट्रैक्चर हाल का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कुर्सी स्तर तक, समतलीकरण एवं मिट्टी भराई का कार्य अवशेष बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं दो नग गेट आदि का कार्य कराया गया है।

वर्ष 1996 से अब तक कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने हेतु पर्यटन निगम में स्थापित तकनीकी सेल द्वारा जांच पूर्ण कर ली गई है।

नये कार्यों पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वीकृति पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर में पेयजल व्यवस्था हेतु शिरोपरि जलाशयों से पेयजल की आपूर्ति

75-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में पेयजल व्यवस्था हेतु कितने शिरोपरि जलाशय पूर्ण निर्मित हैं तथा इनमें से कितने शिरोपरि जलाशयों से पेयजल आपूर्ति की जा रही हैं तथा कितने शिरोपरि जलाशय कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं ? सरकार द्वारा ऐसे जलाशयों को चालू कराने हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा नगर निगम की सीमान्तर्गत जल संस्थान आगरा के कार्य क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु 20 शिरोपरि जलाशय अधिष्ठापित हैं।

उक्त अधिष्ठापित शिरोपरि जलाशयों में से 16 जलाशयों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। 02 शिरोपरि जलाशय जीर्णशीर्ण होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। इन जीर्ण-शीर्ण शिरोपरि जलाशय के जीणोद्धार हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कार्य योजना प्रस्तावित है। शेष 02 शिरोपरि जलाशय में पानी भर कर चालू किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शामली में 6 लाख के कथित लूट का दर्ज मुकदमा अ0सं0 135/07 एवं कार्यवाही

76-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर की शामली कोतवाली के अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर के किनारे एस0 पी0 देहात के कार्यालय के निकट दिनांक 11-9-2007 को एक किसान से 6 लाख रुपये दिन दहाड़े लूट लिये गये ? यदि हां, तो उक्त घटना में लिप्त कितने बदमाशों को अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा क्या लूटे हुए धन की बरामदगी की गई ? यदि नहीं, तो दायित्व न निभाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

बल्कि दिनांक 11-9-07 को श्री सरदार पल्ला सिंह पुत्र बलकार सिंह निवासी काला मजरा थाना झिंझाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा शामली मुजफ्फरनगर पर यह सूचना अंकित कराई गई कि 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा कैराना-झिंझाना रोड के बीच नहर की पटरी पर उसकी मारुति कार व 6 लाख रुपये लूट लिये गये हैं जिसके सम्बन्ध में थाना शामली पर मु0अ0सं0 135/07 धारा 392 भादंवि पंजीकृत किया गया।

विवेचना से उक्त घटना का घटित होना नहीं पाया गया बल्कि वादी उपरोक्त व उसके भाइयों में बेची गई जमीन के रुपयों को लेकर आपसी लेन देन का विवाद होना पाया गया। विवेचना से घटना झूठी पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट मय रिपोर्ट जुर्म खारिजा समाप्त कर वादी उपरोक्त के विरुद्ध धारा 182 भादंवि के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

घटना झूठी पाये जाने पर किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शासन के सचिवों/प्रमुख सचिवों/अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई गनर/शैडो की व्यवस्था

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 31-12-2007 तक शासन के प्रमुख सचिवों/सचिवों सहित निगमों के प्रबन्ध निदेशकों, निदेशकों, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को शासन द्वारा गनरों/शैडो एवं हाउस गार्ड उपलब्ध कराये गये थे, का विवरण क्या है तथा उन्हें किन नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है ? और उनसे कितनी धनराशि प्रतिमाह वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक सुरक्षाकर्मी निःशुल्क प्रदत्त है। उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित किसी अन्य को सुरक्षा प्रदत्त नहीं है।

उक्त महानुभाव को शासनादेश संख्या 1773/6-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25-4-2001 के साथ सपठित शासनोदश संख्या 1174/6-पु-2-2007-700(1)/2001 दिनांक 3-7-2007 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप उच्च स्तरीय समिति द्वारा जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर शासकीय व्यय पर सुरक्षा व्यवस्था अनुमन्य की गई है। ऐसे अपराधियों को जिनका कार्य जन संवेदनशीलता से जुडा है एवं उनके द्वारा जनहित में लिये गये निर्णय से सुरक्षा का औचित्य पाया गया है, को सुरक्षा प्रदान की गई है। शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर ही सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। धनराशि वसूली नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक चाका, ग्राम डांडी में प्रस्तावित नलकूप में पानी की आपूर्ति

78-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डांडी पो0 डांडी ब्लाक चाका जनपद इलाहाबाद में विगत वर्ष में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विधायक निधि से एक नलकूप की स्थापना की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई थीं ? यदि हां, तो उक्त नलकूप से पानी की सप्लाई कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

उक्त नलकूप से पानी की सप्लाई चालू कर दी गई है।

मुख्य विकास अधिकारी इलाहाबाद को विकलांगों के आवास उपलब्ध कराने सम्बन्धी कथित पत्र

79-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-397531 दिनांक 28-10-07 जो विकलांगों को इन्दिरा आवास देने से सम्बन्धित है, मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग

80-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेंस का सीमा विस्तार उ0प्र0 से भारतवर्ष करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि सरकार के कर्मचारी जो लाइसेंसी शस्त्र धारक हैं उनके लिये (वर्तमान नियमों के अन्तर्गत) स्थानान्तरण होने पर अपने शस्त्र सीमा विस्तार कराने में भारी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी ऐसे मामलों में सम्बन्धित जिलाधिकारी को सीमा विस्तार के लिये अधिकृत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

जिला मजिस्ट्रट की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शस्त्र लाइसेंस के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा उसकी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाता है जिसमें सरकार कर्मचारी की कोई कठिनाई होना प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर के मध्य मो0 बहादुर गंज चमकनी में स्थित मैदान में पड़े कूड़े को उठवाने की मांग

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के बीचो-बीच मो0 बहादुरगंज चमकनी में इस्लामिया इंटर कालेज तथा पावर हाउस विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय कार्यालय के पूरब में घनी बस्ती/आबादी के बीचो-बीच चार बीघे का मैदान जो हरियाली तथा खुले रूप से

इस्तेमाल करने के लिये है उसमें कूड़ा डाल कर कूड़ा घर बनाया जा रहा है ? क्या मा0 मंत्री जी जनहित में आबादी तथा स्कूल व सरकारी कार्यालयों को देखते हुए इस खुले स्थान को कूड़ा घर बनाने से रोकेंगे तथा कूड़ा उठवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर के मध्य मो0 बहादुर गंज चमकनी में इस्लामिया इंटर कालेज तथा पावर हाउस स्थित विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय कार्यालय में पूरब में स्थित मैदान रेलवे विभाग की सम्पत्ति है। इस भूमि पर पालिका द्वारा कूड़ा नहीं डाला जा रहा है वहां स्थानीय जनता एवं सम्भवतः निकट की सब्जी मण्डी के सब्जी विक्रेताओं द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है, जिसे पालिका द्वारा सप्ताह में दो बार ट्रालियों से उठाने का कार्य किया जा रहा है।

उक्त कूड़ा सप्ताह में दो बार जे0सी0बी0 एवं लोडर द्वारा उठवाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के बड़ी एवं छोटी जियारत के सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग को आवश्यक निर्देश

82-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या पयर्टन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की बड़ी जियारत बड़े सरकार साहब व छोटी जियारत छोटे सरकार साहब पर पर्यटन विभाग द्वारा सौन्दर्यीकरण के कुछ कार्य (वर्ष 2006-2007 में) स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो उक्त कार्यों को करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री विनोद सिंह-

जनपद बदायूं की जिला योजना वर्ष 2006-07 में बड़ी जियारत में यात्री छादक के निर्माण हेतु रु0 13.35 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है।

छोटी जियारत बदायूं हेतु वर्ष 2006-07 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

जी नहीं।

स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को दिनांक 17-10-2007 को उपलब्ध कराई गई है। कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को निर्देश दिये गये हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के थरबरनगंज में बह रहे नालों को ढके जाने की मांग

83-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगरपालिका परि५२ लखीमपुर के मो0 थरबरनगंज में बहरहा नाला तीन से चार फुट चौड़ा तथा 16 फीट गहरा है जो कि पूरी तरह से खुला हुआ है जिससे मोहल्ले के बच्चों को नाले में डूबने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सराकर मो0 थरबरनगंज, लखीमपुर के नाले को सीमेन्टेड पत्थरों से ढकवायेगी ? यदि हां ,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखीमपुर शहर के मोहल्ला थरबरनगंज में 3-4 फिट चौड़ा एवं लगभग 8-13 फिट गहरा नाला है, जो खुला हुआ है। यह मोहल्ला बहादुर नगर, शमशेर नगर, नई बस्ती एवं थरबरनगंज आदि के जल निकासी का मुख्य नाला है। यदि इस नाले को ढक दिया जायेगा तो इसकी समुचित सफाई नहीं हो पायेगी और उपरोक्त मोहल्लों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

इस नाले पर अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

नाले को ढकने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तर-1 के अनुसार नाले को ढक दिये जाने से इसकी समुचित सफाई नहीं हो पायेगी और जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

जनपद बांदा के भागवत प्रजापति व कृष्णकान्त द्वारा फर्जी नाम पता पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने की शिकायत पर जांच

84-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-07 जो जनपद बांदा के भागवत प्रजापति व कृष्णकान्त द्वारा फर्जी नाम, पता देकर शस्त्र लाइसेंस बनवाने की जांच विषयक है, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में न आने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी, फैजाबाद न्यायालय परिसर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

85-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 नवम्बर, 2007 को वाराणसी एवं फैजाबाद न्यायालय परिसर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त क्या किसी असहाय आश्रित को सरकारी नौकरी तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को वाराणसी एवं फैजाबाद न्यायालय परिसर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रत्येक मृतकों के आश्रितों को रुपया

5.00 लाख आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये गये हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार की घटनाओं में किसी गैर सरकारी व्यक्ति के आश्रित को सरकारी नौकरी में लिये जाने का प्राविधान नहीं है और ना ही इनके पुनर्वासन की कोई शासकीय नीति है। इसलिये प्रश्नगत घटना से संबंधित मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है, और न ही किसी प्रकार की पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है।

आगरा महानगर की पुरानी कमलानगर कालोनी में नवीन थाना बनाने की मांग

86-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर की 30-35 वर्ष पुरानी कमला नगर कालोनी जिसका क्षेत्र विस्तार लगभग दो गुने से भी अधिक हो चुका है, में बढ़ रहे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कमला नगर क्षेत्र में नवीन थाना बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद आगरा के थाना न्यू आगरा के अन्तर्गत कमला नगर में थाना स्थापित किये जाने हेतु पूर्व में प्राप्त प्रस्ताव को भलीभांति परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र संख्या 4075पी/छः-पु-6-02-300 (86)/2000, दिनांक 14-11-2002 द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। सम्प्रति इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये गये हैण्डपम्पों पर जनप्रतिनिधि की नाम-पट्टिका लगाने का प्राविधान

87-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने के बाद उस पर जन-प्रतिनिधि की नाम वाली पट्टिका/पत्थर लगाये जाने का प्राविधान है ? क्या विधायक कोटे के अन्तर्गत हैण्डपम्प लगाये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां। जिस वित्तीय वर्ष में हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाते हैं, उसी वित्तीय वर्ष में हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित होता है।

प्रदेश में पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार नगर निगमों एवं नगर पंचायतों में सफाई कर्मचारियों के सृजित पद एवं नियुक्ति

88-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में पब्लिक हेल्थ मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नगर निगमों एवं नगर पंचायतों में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो

इलाहाबाद, लखनऊ एवं कानपुर नगर निगमों में इस समय कितने-कितने सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं तथा कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका वेतनमान क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

नगर निगम इलाहाबाद में कुल 2575 पद, लखनऊ में कुल 3464 पद तथा कानपुर में कुल 5856 पद सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध नगर निगम इलाहाबाद में 1830, लखनऊ में 3403 एवं कानपुर में 3200 नियमित सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में 470 संविदा कर्मी, लखनऊ में 6 दैनिक वेतन भोगी एवं 1353 संविदा कर्मी तथा कानपुर में 1961 संविदा सफाई कर्मी कार्यरत हैं। नियमित सफाई कर्मचारियों को रु0 2550-3200 का वेतनमान एवं संविदा सफाई कर्मचारियों को रु0 2130 का पारिश्रमिक प्रतिमाह दिया जा रहा है।

जनपद लखनऊ के मायानगर एवं सराय हसनगंज मोहल्ले में लगे हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग

89-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के मायानगर मोहल्ले के मायानगर महल वाली गली एवं सराय हसनगंज में कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बगिया मुंशीगंज मोहल्ले के मकान नं0 491/139 के सामने लगे विद्युत पोल (स्ट्रीट लाइट) पर लाइट न लगी होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोल पर ट्यूब लाइट/हाइड्रोजन लाइट लगवाने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मायानगर मोहल्ले के माया नगर महल वाली गली एवं सराय हसनगंज में कुल 15 हैण्डपम्प लगे हैं जिनमें से 04 हैण्डपम्प खराब हैं जो रिबोर होने हैं। खराब हैण्डपम्पों को रिबोर करने के लिये लखनऊ जल संस्थान द्वारा अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

बगिया मुंशीगंज मोहल्ले के मकान नं0 491/139 के सामने लगे विद्युत पोल पर ट्यूब फिटिंग लगा दी गई है जो वर्तमान समय में प्रकाशित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में खण्ड विकास अधिकारी की नियमित तैनाती की मांग

90-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में खण्ड विकास अधिकारी की नियमित तैनाती नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त ब्लाक में नियमित तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद में 17 विकास खण्ड के सापेक्ष 11 नियमित खण्ड विकास अधिकारी एवं 03 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी तैनात हैं। जनपद में 03 खण्ड विकास अधिकारियों की कमी के कारण विकास खण्ड पट्टी में नियमित खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती की गई है। विकास खण्ड पट्टी के निकटस्थ विकास खण्ड आसपुर देवसरा के खण्ड विकास अधिकारी को विकास खण्ड पट्टी का अतिरिक्त प्रभार सौंपकर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के कुल 907 पद सृजित हैं जिनमें से सीधी भर्ती के 453 पदों के सापेक्ष 432 तथा पदोन्नति के 454 पदों के सापेक्ष 74 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं। इस प्रकार सीधी भर्ती के 21 तथा पदोन्नति के 380 पद अर्थात कुल 401 पद खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त हैं।

खण्ड विकास अधिकारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होने/संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नतियां होने पर रिक्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस (महामायानगर) की तहसील सादाबाद के ग्राम बिसावर, कुरसंडा, नौगवां, मानिकपुर एवं मढ़ावा को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी कथित मांग

91-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) की तहसील सादाबाद के 15000 से अधिक आबादी के ग्राम बिसावर, कुरसंडा, नौगवां, मानिकपुर एवं मढ़ाका को नगर पंचायत का दर्जा देने पर शासन विचार करेगा ? यदि हां, तो प्रभावी कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद हाथरस की नगर पंचायत सादाबाद को उच्चीकृत कर नगरपालिका परिषद् बनाने का प्रस्ताव

92-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) की 50 हजार से अधिक आबादी की नगर पंचायत सादाबाद को उच्चीकृत कर नगरपालिका परिषद् का दर्जा देने पर शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या भौगोलिक रूप से सादाबाद नगर का हिस्सा

बन चुके ग्राम शेरपुर, कूपा कलां, कूपा खुर्द गढ़ी हुलासी, गढ़ी नील कंठ, नगला केसरी को भी नगर पंचायत में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो प्रभावी कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत सादाबाद की जनसंख्या 31,737 है। उक्त नगर पंचायत को उच्चीकृत कर नगरपालिका परिषद् का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2096/9-8-01-94ज/01, दिनांक 01-8-01 के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी महामायानगर को निर्देश दिये गये हैं।

ग्राम शेरपुर कूपा कलां, गढ़ी नीलकंठ के आंशिक भाग को सम्मिलित करने की कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

जिलाधिकारी महामायानगर से अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद स्थित नैनी केन्द्रीय कारागार में कैदियों/हवालातियों की मृत्यु तथा कारण

93-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित नैनी केन्द्रीय कारागार में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में 31 दिसम्बर, 2007 तक कौन-कौन से कैदियों/हवालातियों की मौत जेल में दाखिल रहते हुए हुई है और उनकी मौत के कारण क्या रहे हैं ?

कु0 मायावती-

केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 2005-06 में कुल 15 तथा वर्ष 2006-07 में (31 दिसम्बर, 2007 तक की स्थिति के अनुसार) कुल 19 कैदियों/हवालातियों की जेल में मृत्यु हुई उनकी मृत्यु के कारण सहित विवरण क्रमशः संलग्नक ''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 220-224 पर)

आगरा स्थित सेण्ट कामरेड स्कूल के गायब हुए कक्षा-3 के छात्र सूर्यान्श की बरामदगी हेतु किये गये प्रयास

94-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 04-07-07 को आगरा स्थित सेण्ट कानरेड स्कूल के कक्षा-3 के छात्र सूर्यान्श के गायब होने के बाद आज तक कोई सुराग नहीं लगा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा छात्र की बरामदगी के क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

श्री पंकज शर्मा ने थाना न्यू आगरा पर दिनांक 4-7-07 को लिखित सूचना दी कि उनका पुत्र सूर्यान्श उम्र करीब 08 वर्ष जो सेन्ट कानरेड स्कूल के कक्षा-3 का छात्र था स्कूल से वापस नहीं आया। काफी तलाश करने पर पता नहीं चला। वादी की तहरीर पर थाना न्यू आगरा पर मु0अ0सं0 525/07 धारा 364 भादंवि पंजीकृत होकर विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी को सुपुर्द की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए अभियोग की विवेचना वरिष्ठ उ0नि0 के सुपुर्द करते हुए अपहृत की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु विवेचक को दिशा निर्देश दिये गये। दिनांक 20-9-07 को क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृत सूर्यांश की बरामदगी हेतु हर संभावित स्थानों पर दबिशें दी गईं। अपहृत सूर्यान्श की सकुशल बरामदगी हेतु विगत 10 वर्षों में प्रकाश में आये अभियुक्तगणों से कड़ी पूंछतांछ करते हुए गश्ती तलाश कराकर पम्पलेट छपवाकर डी0आर0बी0 के माध्यम से रेन्ज एवं प्रदेश स्तर पर वितरण कराये गये। उ0नि0 श्री अमित कुमार के नेतृत्व में सर्विलान्स की टीम गठित कर उचित निर्देश के साथ सभी सम्भावित स्थानों पर दबिश एवं संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ी पूछतांछ की जा रही है तथा वादी द्वारा बताये गये व्यक्तियों पर सर्विलान्स के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है। अपहृत की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये एक्शन प्लान के लिये स्वीकृत धनराशि

95-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये यमुना एक्शन प्लान के प्रथम चरण में कुल कितनी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है तथा अब तक इसमें से कितनी धनराशि किन कार्यों पर व्यय की जा चुकी है ?

श्री नकुल दुबे-

यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये यमुना एक्शन प्लान के प्रथम चरण के अन्तर्गत 88 योजनाओं तथा एक्सटेन्डेड चरण के अन्तर्गत 57 योजनायें इस प्रकार कुल 145 योजनाओं हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा रु0 327.62 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष रु0 285.29 करोड़ की धनराशि व्यय करके 402.25 एम0एल0डी0 क्षमता के 16 नग सीवेज शोधन संयंत्र, 25 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 45.26 कि0मी0 सीवर लाइन, 30.41 कि0मी0 राईजिंग मेन, 246 स्वच्छ शौचालय तथा 71 शवदाह स्थल निर्मित किये गये हैं।

96-श्री अनुग्रह नारायण सिंह

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के मोहल्ला रघुराजनगर की सड़क के पक्का कराने का प्रस्ताव

97-श्री भगेलू राम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में मोहल्ला रघुराजनगर (पटेल नगर टेलीफोन एक्सचेंज के निकट) इन्दिरा नगर के मकान संख्या-19 से 25 तक के सामने कच्ची

सड़क होने से बरसात का पानी भर जाने के कारण मुहल्ले वासियों को आवागमन में असुविधा होती है ? क्या इस सम्बन्ध में नागरिकों द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 04 को विशेष सचिव, मुख्य मंत्री को लगभग 200 मीटर कंकरीट सड़क व नाली बनाने विषयक पत्र प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

शासनादेश के अनुसार सी0सी0 रोड पर प्रतिबन्ध लगने के कारण डामर सड़क एवं नाली का आगणन रु0 5.68 लाख का बनाया गया है जिसकी निविदा आमंत्रित की गई है। स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के सन् 1984 के दंगा दीड़ितों को मुआवजा दिये जाने की मांग

98-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के सन् 1984 के दंगापीड़ितों को कोई मुआवजा की धनराशि वितरित की गई है ? क्या सरकार दंगापीड़ितों को फिर से जांच कराने व उन्हें मुआवजा देने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां। राज्य के 1984 के दंगा पीड़ितों को पुनर्वासित किये जाने हेतु सम्प्रति आर्थिक सहायता रु0 11,92,29,192.00 की धनराशि आवंटित की गई है। जी नहीं, क्योंकि दंगा पीड़ितों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र का समुचित सत्यापन एवं परीक्षणोपरान्त आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही की जाती है।

सांसद/विधायक निधि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी बांदा को प्रेषित शिकायती-पत्र पर जांच

99-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को श्री राम गोपाल प्रजापति एडवोकेट बबेरू बांदा का पत्र दिनांक 17-12-07 जो सांसद निधि/विधायक निधि दुरुपयोग करने विषयक प्राप्त हुआ है ? जिसमें छः सूत्रीय मांग थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र दिनांक 17-12-07 में अंकित 06 सूत्रीय मांग के बिन्दुओं की विस्तृत जांच एक टीम गठित करते हुए कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, बांदा को दे दिये गये हैं।

जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों का निर्माण कार्य

100-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र मनकापुर में 1999-2000 एवं 2000-01, 2001-02, 2002-03 में कौन-कौन से अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये थे, क्या चयनित ग्रामों को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि पूर्ण रूप से संतृप्त करने का मानक क्या है ? क्या सरकार संतृप्त करने हेतु अलग से धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1999-2000 में 10, 2000-01 में शून्य, 2001-02 में 10 व 2002-03 में 33 कुल 53 ग्राम डा0 अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किये गये थे। चयनित ग्रामों की सूची संलग्न है।

उक्त चयनित ग्रामों में से 11 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों को योजना के सभी कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है। अवशेष 11 ग्रामों से सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजनान्तर्गत संचालित समस्त 11 कार्यक्रमों से संतृप्त होने पर ही ग्राम संतृप्त माना जायेगा।

संतृप्तीकरण का कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय बजट से कराया जाता है। इस हेतु डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग द्वारा पृथक से कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं कराई जाती है।

उपरोक्तानुसार।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 225-226 पर)

जनपद गोण्डा के वि0 सभा क्षेत्र मनकापुर के ग्राम पंचायत बक्सरा एवं सिसवा की पेयजल योजना

101-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि0स0 क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बक्सरा एवं सिसवा में पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो क्या टंकियां चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो उक्त टंकियां कब तक चालू करा दी जायेंगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ग्राम पंचायतों में स्थापित टंकियों के रख-रखाव पर कितना धन 2005-06, 2006-07, 2007-08 तक व्यय किया गया ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत बक्सरा तथा सिसवां में स्थापित टंकियों के रखरखाव पर 2005-06 से 2007- 08 में दिसम्बर, 2007 तक कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में अग्निशमन केन्द्र (भिटौरा) मनकापुर के कर्मियों हेतु आवास, शौचालय आदि की व्यवस्था की मांग

102-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में अग्निशमन केन्द्र (भिटौरा) मनकापुर के कर्मियों हेतु आवास, शौचालय आदि की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में अग्निशमन केन्द्र (भिटौरा) मनकापुर के कर्मियों हेतु आवास, शौचालय आदि की व्यवस्था करने हेतु वर्तमान में कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र मनकापुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य

103-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2002 से सितम्बर, 2007 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुईं तथा उन पर कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या सभी सड़कों का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप पूरा करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2002 से सितम्बर, 2007 तक निम्नलिखित मार्ग एवं धनराशि स्वीकृत हुई :-

सम्पर्क मार्ग का नाम	फेज संख्या	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3
1-मसकनवां बभनान मार्ग से सीतापुर	फेज-2	97.60
2-शीतलगंज वासुदेवपुरग्रन्ट से पूरे भरोटी		27.68
3-मसकनवां गौरा चौकी मार्ग से गोराही		26.88

सम्पर्क मार्ग का नाम	फेज संख्या	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3
4-पुरवा फहिमा मार्ग (खालेगांव)		25.14
5-मोकया महराजगंज मार्ग से तेलया		13.16
6-एम0एम0बी0 मार्ग से नारायनपुर		41.40
7-राजापुर सम्पर्क मार्ग		22.30
8-डी0एम0बी0 मार्ग से रतनपुर	फेज-3	62.39
9-वजीरगंज झिलाही मार्ग से उदयपुर ग्रण्ट		89.85
10-डी0एस0बी0 मार्ग से सिकहरा		20.77
11-सकदरपुर महराजगंज मार्ग से मकोइया		14.71
12-सकदरपुर महराजगंज मार्ग से कोटखास		36.41
13-एम0एम0बी0 मार्ग से टीकर		132.68
14-दुर्जनपुर सी0सी0 मार्ग से सुदामापुरवा (टिकरी)		46.56
15-रंजा टिकरी मार्ग से रसूलपुर	फेज-4	20.31
16-एम0एम0बी0 मार्ग पतिजिया		133.00
17-झिलाडी वजीरगंज मार्ग से मधवापुर		22.46
18-अधियारी जिगवा मार्ग से मुराबन पुरवां		30.26
19-किशुनदासपुर टिकरी जेड से मधवापुर		39.38
20-खारी बावली मार्ग से लिदेहना ग्रण्ट से दुर्जनपुर		58.22
21-मनकापुर मसकनवां मार्ग से आज्ञामाफी मार्ग	फेज-5	86.43
22-मनकापुर मसकनवां मार्ग से मेथ्युपुरवा मतयीपुरवा		62.29

क्रम संख्या-1 से 18 तक उल्लिखित सम्पर्क मार्गों का निर्माण मानक के अनुसार पूर्ण किया गया है।

क्रम संख्या-19 एवं 20 पर उल्लिखित सम्पर्क मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप न पाये जाने के कारण निरस्त किये गये हैं।

क्रम संख्या-21 एवं 22 पर उल्लिखित सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य मानक के अनुरूप प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में स्थित थानों के सामने चालान/सीज किये गये वाहनों को अन्य स्थान पर रखे जाने की मांग

104-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि वाराणसी नगर में स्थित सभी थानों के सामने वर्षों से सड़क घेर कर सीज किये हुए वाहनों का ढेर लगा हुआ है जिससे हमेशा जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद वाराणसी के नगर क्षेत्र के कुछ थानों पर जगह न होने के कारण चालान/सीज किये गये वाहनों को थाना के समीप इस तरह से खड़ा किया गया है कि यातायात की समस्या न उत्पन्न हो सके।

चालान/सीज किये गये वाहनों को किसी अन्य स्थान पर रखने के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, वाराणसी से नगर निगम की जमीन आवंटित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा उनसे पत्राचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक में चयनित अम्बेडकर ग्रामों का विकास कार्य

105- श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अम्बेडकर ग्रामों को वर्तमान वर्ष में कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या मा0 मुख्य मंत्री [illegible] शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक में वर्तमान में चयनित तथा पूर्व के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में मू[illegible] सुविधाओं से संतृप्त करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

प्रदेश के डा0 अम्बेडकर ग्रामों/ग्रामसभाओं में कराये जाने वाले विकास कार्यों को संबंधित कार्यदायी विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय बजट से पूर्ण कराया जाता है। इस हेतु डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास विभाग द्वारा कोई धन आवंटित नहीं किया गया है।

जी हां।

शासनादेश संख्या-1642/66-07-49/05, दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गई है। इस योजना के प्रारम्भ में वर्ष 1995-96, 1997-98 एवं 2002-03 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में जो विकास कार्य अपूर्ण/अधूरे एवं मरम्मत योग्य हों, उन्हें 31 दिसम्बर, 2007 तक एवं योजना के प्रथम चरण वर्ष 2007-08 हेतु चयनित ग्रामसभाओं में कराये जाने वाले विकास कार्यों को मार्च, 2008 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलखेड़ा में पूर्व चयनित डा0 [illegible]कर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग एवं विद्युतीकरण को छोड़कर अन्य अपूर्ण/अधूरे एवं मरम्मत योग्य कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है। सम्पर्क मार्ग एवं विद्युतीकरण के अपूर्ण/अधूरे एवं मरम्मत योग्य कराये जाने वाले अवशेष कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2007-08 हेतु चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामसभाओं के संतृप्तीकरण का कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में सुअरों के बढ़ते आतंक को रोकने के उपाय

106-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में सुअरों के आतंक व उनकी बढ़ती हुई संख्या को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ क्षेत्र में समय-समय पर पिग कैचिंग का कार्य कराया जाता है। उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त छुट्टा सुअरों को छोड़ने वाले सुअर पालकों के विरुद्ध आई0पी0सी0 298 व सी0आर0पी0सी0 133 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। नगर निगम लखनऊ द्वारा पिग कालोनी के निर्माण हेतु उ0प्र0 आवास विकास परिषद् व लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिनांक 7-1-08 को पत्र भी भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय मनकापुर पर मुन्सिफ न्यायालय खोलने की योजना

107-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय मनकापुर पर मुन्सिफ न्यायालय खोलने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक खोल दिया जायेगा ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरों के नालों तथा शाहजहांपुर नगर के कतिपय नालों की सफाई कराये जाने की मांग

108-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के नगरों के नालों की नियमित सफाई के लिये सरकार की क्या नीति है ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर नगर के मुल्लाखेल का नाला, हद्फ की चौकी वाला नाला, झण्डा कला वाला नाला, गांधी फैजाम कालेज के पश्चिम वाला नाला तथा मो0 भारतद्वाजी वाला नाले की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई ? यदि हां, तो उक्त नालों की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नाले/नालियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश संख्या 120सी0एम0/नौ-7-2000-34ज/98 दिनांक 27 जून, 2000 में यह निर्देश दिये गये हैं कि गर्मी एवं बरसात से पूर्व विशेष अभियान चलाकर नालियों एवं नालों की सफाई का उचित प्रबन्ध किया जाय।

जी नहीं।

शाहजहांपुर के मुल्ला खेल, हद्फ चौकी झण्डा कलां व भारतद्वाजी वाले नाले की सफाई समय-समय पर गन्दे पानी का प्राकृतिक बहाव बनाये रखने के लिये संविदा नियमित सफाई कर्मचारियों को सामूहिक रूप से लगाकर जे0सी0बी0 द्वारा पूर्ण रूप से कराई जा चुकी है। गांधी फैजाम कालेज के पश्चिम वाला नाला पालिका सीमा में नहीं आता है।

पालिका द्वारा संविदा पर कार्यरत एवं नियमित कर्मचारियों से जे0सी0बी0 द्वारा नालों की सफाई पूर्व में ही कराई जा चुकी है। प्रत्येक वर्ष में वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व समस्त नालों की सफाई कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पुलिस में गत सरकार के समय की गई भर्ती में गम्भीर अनियमितताओं की जांच

109-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस में गत सरकार के समय में की गयी भर्ती में जांचोपरान्त गम्भीर अनियमिततायें पाई गई हैं ? यदि हां, तो अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को सेवा से हटाये जाने के बाद क्या उपयुक्त अभ्यर्थियों को सेवा में रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 2005 तथा 2006 में आरक्षी ना0पु0/आरक्षी पीएसी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के कतिपय पदों पर की गई भर्तियों की श्री शैलजाकान्त मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा जांच कराई गई जिसमें से 42 भर्ती बोर्डों द्वारा की गई भर्तियों में बड़े व्यापक स्तर पर गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के कारण शासन द्वारा उक्त भर्ती बोर्डों द्वारा आरक्षी के पद पर किये गये सम्पूर्ण चयन को निरस्त कर दिया गया है।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में सीवर लाइन बनवाये जाने की कार्ययोजना

110-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में सीवर लाइन बनवाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कि जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद मोहल्ला सना विनोवानगर, कश्यपनगर के जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण की मांग

111-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सादाबाद के मुहल्ला सना विनोवानगर व कश्यपनगर के जल भराव की समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

सन्त विनोवा नगर में स्थित सलेमपुर रोड जलेसर रोड पर नाला निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। कश्यपनगर जलेसर रोड पर सड़क एवं नाले का निर्माण कार्य प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत सहपऊ के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की मांग

112-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत सहपऊ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के छः विकास खण्डों में लगे हैण्डपम्पों का विवरण

113-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में सभी छः ब्लाकों में पेयजल हेतु कितने-2 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प 31-12-2007 तक लगे हैं ? जल स्तर नीचे चले जाने से कितने आंशिक रूप से व कितने पूर्ण से बन्द हो गये हैं ? इस क्षेत्र में कितने फुट बोरिंग किए जाने का प्राविधान है ? क्या गिरते जल स्तर के कारण बोरिंग के प्राविधान में संशोधन करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत के सभी छः विकास खण्डों में 31-12-07 तक विकास खण्ड बागपत में 1926, बड़ौत में 2536, खेकड़ा में 1520, पिलाना में 1605, बिनौली में 2720 एवं छपरौली में 1678 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

जनपद बागपत में कुल 1140 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं जिसमें जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पूर्ण रूप से बन्द हैण्डपम्प भी सम्मिलित हैं।

07 हैण्डपम्प अस्थाई/आंशिक रूप से खराब हैं।

जनपद बागपत में 150 फीट बोरिंग किये जाने का प्राविधान है। विकास खण्ड-बिनौली एवं विकास खण्ड बड़ौत के आंशिक क्षेत्र में 200 फीट बोरिंग किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प अधिष्ठापन के मानक में सिलिण्डर के ऊपर न्यूनतम 10 मी0 (32.8 फीट) वाटर कालम रखे जाने का प्राविधान है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण बोरिंग की गहराई उक्त प्राविधान के कारण स्वतः अधिक हो जाती है।

जनपद बागपत के पूर्व में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश

114-डा0 अजय तोमर-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के वर्ष 2007-2008 में पूर्व से चयनित अम्बेडकर ग्रामों में बिजली के खम्बे, तार, ट्रांसफार्मर लगाने अथवा जर्जर तार, खम्बे बदलने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो पूरे अम्बेडकर गांवों में कब तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जी हां।

वर्ष 1995-96, 1997-98 एवं 2002-03 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में जो विकास कार्य अपूर्ण/अधूरे एवं मरम्मत योग्य थे, उन्हें 31 दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

उक्त ग्रामों के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में विद्युत विभाग के मानकों के अनुसार दिनांक 31-12-2007 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद विभाग में विशेष भर्ती के तहत फार्मासिस्ट की भर्ती हेतु आवेदन-पत्र

115-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद विभाग में वर्ष 2002-2003 में विशेष भर्ती के तहत फार्मासिस्ट की भर्ती हुई थी ? यदि हां, तो उक्त भर्ती हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए थे इनमें से कितने डिप्लोमा धारक तथा कितने अनुभव प्रमाण-पत्र धारक थे ? इनमें से कितने अनुभव प्रमाण-पत्र पर तथा कितने डिप्लोमा/डिग्री प्रमाण-पत्र पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गयी ?

कु0 मायावती-

जी हां।

कुल 158 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। सभी आवेदक भैषजिक डिप्लोमा धारक थे।

147 भैषजिक डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति फार्मासिस्ट के पदों पर की गई है।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या राम जन्मभूमि के समस्त कुण्डों के निर्माण की कथित मांग

116-श्री लल्लू सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जनपद फैजाबाद के अयोध्या रामजन्मभूमि के समस्त कुण्डों का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा कुण्डों का निर्माण नहीं कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बेलसर में सम्पूर्ण रोजगार योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच

117-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुर्जनपुर में वर्ष 2002-2003 में सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच वर्ष 2004-2005 में आर्थिक अपराध अनुसंधान कानपुर को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो आर्थिक अपराध अनुसंधान कानपुर द्वारा जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा जनपद गोण्डा में वर्ष 2001 से 2005 तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का सही वितरण न कराकर ग्रामीण तक पहुंचने के बजाय खाद्यान्न को जिला मुख्यालय पर ही बेंच दिये जाने की जांच अभिदिष्ट की गई थी जिसमें प्रश्नगत प्रकरण की जांच भी सम्मिलित रही है।

नहीं, क्योंकि जनपद गोण्डा 16 विकास खण्ड एवं 1054 ग्राम पंचायतों में विभाजित है और जनपद की तीनों कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवधि में लगभग 13,570 कार्ययोजनाओं पर कार्य कराया गया है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा रैण्डम सेम्पलिंग के आधार पर उक्त तीनों कार्यदाई संस्थाओं के विरुद्ध जांचोपरान्त 63 अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं। सभी ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच नहीं की गई है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच किया जाना शेष है। वर्तमान में यह जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में प्रचलित है।

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में स्वीकृत इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

118-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने की स्वीकृति वर्ष 2006 में ग्राम्य विकास अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन लखनऊ द्वारा दी गयी थी ? यदि हां तो क्या उक्त हैण्डपम्प लगा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां, जनपद सीतापुर में 500 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की स्वीकृति वर्ष 2006 में ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-सी0एम0-59/38-5-06-5-सम/2006, दिनांक 31 जनवरी, 2006 द्वारा दी गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

119-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये की स्वीकृति पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2006 में दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त पर्यटन स्थल पर अब तक कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या उक्त कार्य कराये जायेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में नाला निर्माण कराये जाने की योजना

120-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत क्षेत्र सहपऊ में जल भराव की समस्या के निदान हेतु पुलिस थाना से होली गेट होकर पोखर तक नाला निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत सहपऊ हाथरस में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु रिवाल्विंग फण्ड से धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव, परीक्षणोपरान्त धन आवंटन हेतु उपर्युक्त नहीं पाया गया।

वाराणसी जल संस्थान के उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफ करने के निर्देश

121-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री के संज्ञान में है कि वाराणसी जल संस्थान के उपभोक्ताओं पर लगभग 73 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है, जिसमें लगभग 27 करोड़ रुपये की धनराशि सिर्फ सरचार्ज की है ? यदि हां, तो क्या इलाहाबाद तथा कानपुर जल संस्थान की भांति वाराणसी जल संस्थान में भी निश्चित समयावधि के लिए एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत सरचार्ज माफ करने की योजना लागू की जाएगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 24 एवं 25 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जल संस्थान पूर्णतयः सक्षम है। अतः तद्नुसार शासनादेश संख्या-262/9-2-08-11डब्लू/07, दिनांक 31-1-2008 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु महाप्रबन्धक जल संस्थान, वाराणसी को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में पुलिस विभाग के स्वीकृत पदों का विवरण

122-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में पुलिस क्षेत्राधिकारी, पुलिस निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, दीवान और आरक्षी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने तैनात हैं ? क्या सरकार बलिया जनपद में बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद बलिया में पुलिस क्षेत्राधिकारी, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के पदों का स्वीकृत नियतन एवं उनकी उपलब्धता निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता
क्षेत्राधिकारी	6	6
निरीक्षक	6	6
उ0नि0ना0पु0	107	75
हेड कान्स0 ना0पु0	103	81
कान्स0 ना0पु0	867	1005

रैंकर उप निरीक्षक ना0पु0 की भर्ती एवं हेड कान्स0 ना0पु0 के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरण प्रचलित है। भर्ती/पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जनपद बलिया में पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। जनपद बलिया में आरक्षी ना0पु0 के 867 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1005 आरक्षी ना0पु0 तैनात हैं। इस प्रकार स्वीकृत नियतन से कुल 138 आरक्षी अधिक तैनात

हैं। जनपद बलिया में स्वीकृत नियतन से अधिक पुलिस बल की आवश्यकता का औचित्य पाये जाने पर ही पुलिस बल बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सी0डी0एस0 के गठन की प्रक्रिया

123-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री कृपया बतायेंगें कि प्रदेश के नगरी क्षेत्रों में सूडा/डूडा की कमेटियों का गठन कितने वर्षों के बाद (नियुक्ति/निर्वाचन) होने का प्राविधान है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि विगत कई वर्षों से इन कमेटियों (सी0डी0एस0) का नये तरीके से गठन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी सूडा/डूडा को गतिशील बनाने के लिए सी0डी0एस0 चयन कमेटियों के गठन (निर्वाचन) की प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

कमेटियों (सी0डी0एस0) का गठन सभी जनपदों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देश के क्रम में किया गया है तथा इनकी प्रबन्ध कारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

प्रदेश के 36 जनपदों में सामुदायिक विकास समितियों (सी0डी0एस0) के कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। शेष जनपदों में जिन समितियों के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके गठन/निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शेष जनपदों में जिन समितियों के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके गठन/निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 45 दिन के अन्दर प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं।

कासमपुर बस्ती में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कराये जाने की मांग

124-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र मेरठ कैन्ट की कासमपुर बस्ती में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण विषयक-पत्र दिनांक 6-7-07 कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0-164105/2007 विशेष सचिव, राज्य नगर विकास अभिकरण को भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

जी हां।

जनपद मेरठ की चिन्हित 102 मलिन बस्तियों की सूची में कासमपुर नहीं आता है। अतः कासमपुर बस्ती में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण जिला नगरीय विकास अभिकरण मेरठ द्वारा किया जाना सम्भव नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की मीनाक्षीपुरम कालोनी में पेयजल योजना की स्वीकृति

125-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0-163953/2007, दिनांक 5-7-07 जो प्रमुख सचिव, नगर विकास को सम्बोधित है, तथा जो मेरठ की मीनाक्षीपुरम् कालोनी में पेयजल हेतु पाइप लाइन डाले जाने से सम्बन्धित है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार को मेरठ नगर की वर्ष 2040 तक की पेयजल मांग आधारित मेरठ पेयजल योजना स्वीकृति हेतु भेजी गई थी। भारत सरकार द्वारा मेरठ पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

मीनाक्षीपुरम् कालोनी प्राइवेट कालोनाईजर द्वारा संचालित है और वर्तमान में कालोनी की जलापूर्ति व्यवस्था नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

126-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

127-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दिनांक 20-2-08 के अता0प्र0सं0-99 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर में गुण्डा एक्ट/गैंगस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत किये गये चालानों का विवरण

128-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में 1 जून, 07 से 31 दिसम्बर, 2007 तक किन-किन लोगों का चालान गुण्डा ऐक्ट एवं गैंगस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत किया गया ? क्या इनमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके विरुद्ध चालान के समय किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं था ? यदि हां, तो क्या निर्दोष लोगों को फंसाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद मुजफ्फरनगर में 1 जून, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक 357 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट तथा 336 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत चालान किया गया है।

गैंगेस्टर/गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत जिन अभियुक्तों का चालान किया गया है उनके विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले हैं, जिनमें से कुछ मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं।

किसी निर्दोष व्यक्ति का गैंगेस्टर/गुण्डा ऐक्ट में चालान नहीं किया गया है। इसलिये किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में हत्या, लूट, बलात्कार एवं अपहरण की घटनायें एवं रोकथाम हेतु कार्य योजना

129-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में मई, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक हत्या, लूट, बलात्कार एवं अपहरण की कुल कितनी घटनायें हुईं तथा उनमें से विवेचना के उपरान्त कितने अपराधियों को जेल भेजा गया ? जनपद में बढ़ते अपराधों के रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद मुजफ्फरनगर में मई, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक हत्या, लूट, बलात्कार एवं अपहरण की क्रमशः 139, 38, 22 तथा 99 घटनायें घटित हुयी। जिनमें हत्या के 310, लूट के 91 बलात्कार के 25 तथा अपहरण के 274 अपराधियों को जेल भेजा गया।

जनपद में हत्या, लूट, बलात्कार एवं अपहरण की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में लूट एवं रोड होल्डअप की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी की जा चुकी है तथा हत्या जैसे अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु शासन के निर्देशों के अनुपालन में रंजिश/विवाद का चिन्हीकरण कर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही कर भारी धनराशि से मुचलकों से प्रतिबन्धित कराया जा रहा है तथा बीट सूचनायें अंकित कराकर उन पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा भी अपने स्तर से विस्तृत निर्देश दिये गये हैं जिनके अनुपालन में सभी थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारियों को पेट्रोलिंग गश्त तथा संदिग्ध क्षेत्रों को चिन्हित कर काम्बिंग कराये जाने के साथ-साथ छोटे/गैर आदतन अपराधियों के सुधार हेतु थानों पर एक रजिस्टर तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत ऐसे अपराधियों के सुधार के लिये उसके परिजन एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों के आश्वासन पर सुधरने का मौका दिये जाने के साथ-साथ उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में 21 अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0 तथा 357 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

स्थानीय निकायों द्वारा गृह कर या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कर निर्धारित करने का मानक

130-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा गृह कर या व्यवसायिक प्रतिष्टानों पर कर निर्धारित करने का कोई मानक निर्धारित है ? कोई भी स्थानीय निकाय पिछले वर्ष के सापेक्ष कितने प्रतिशत तक कर घटाने या बढ़ाने के लिये प्राधिकृत है ?

श्री नकुल दुबे-

स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर या व्यवसायिक प्रतिष्टानों पर कर निर्धारित करने का मानक/प्रक्रिया नगर निगमों में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 एवं

नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय-5 में उल्लिखित है।

कर की दरों में परिवर्तन सम्बन्धित स्थानीय निकाय के उपविधि के अनुसार किया जा सकता है।

प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत समीक्षाधिकारियों की भांति अन्य संवर्गों का भी उच्चीकृत किये जाने की मांग

131-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान का उच्चीकरण होने के उपरान्त क्या सरकार रु0 4500-7000 के वेतनमान में सचिवालय में कार्यरत अन्य संवर्गों का वेतनमान भी उच्चीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उत्तर प्रदेश सचिवालय के टंकक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ की मांग पर सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग के वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने के प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

परीक्षण में समय सीमा निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में मीराबाई मार्ग पर स्थित वाणिज्य कर भवन के बाहर सड़क अवैध किनारे पार्किंग स्टैण्ड का संचालन

132-श्री इमरान मसूद-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में मीराबाई मार्ग पर स्थित वाणिज्य कर भवन (पूर्व में व्यापार कर भवन) के बाहर सड़क किनारे व्यापार कर भवन के कर्मचारियों के संरक्षण में अवैध पार्किंग स्टैण्ड का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे पार्किंग स्टैण्ड के संचालकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अधिष्ठाता की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

फतेहपुर में किसानों पर हुये लाठी चार्ज विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को पहले सुने जाने की मांग (क्रमागत)

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नियम-311 में हमारी एक नोटिस है जिसमें किसानों पर गोली चली है। 150 घायल हैं, 2 लापता हैं। एक महिला और एक पुरुष लापता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको पहले सुन लें। इसको प्राथमिकता पर लेकर इसको पहले शुरू कर दें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचनाओं को लेने में 2-3 मिनट का समय लगता है। आज नियम-300 नहीं लेंगे। आपका नियम-56 इसके बाद ले लेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नियम-311 को भी नियम-56 में सुन लें। उसके बाद नियम-300 और नियम-301 ले लीजिये। कम से कम हमने जो प्रश्न उठाया है उसका महत्व तो बना रहेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपके चैम्बर में नेताओं की बैठक में जो तय हो गया उसी के अनुसार करें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 नहीं लेंगे, सीधे नियम-56 ले लेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 नहीं लेंगे, सीधे नियम-56 ले लेंगे। आज दिनांक 25 फरवरी, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के उर्दू अनुवादकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति एवं सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की झांसी नगर निगम में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह की जनपद गोरखपुर अन्तर्गत खड़कपुर-शाहपुर सुपाई बांध के उन्नीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु स्वीकृति देने एवं धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में है, चौथी, सूचना श्री काशी राम जी की है। लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं, पांचवीं सूचना श्री सुन्दरलाल लोधी की उन्नाव के ग्राम मैसई कोयल में सस्ते गल्ले की दुकान का चयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डा0 अजय तोमर की बागपत के रमाला टाण्डा वाया किरठल क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद के दर्शननगर में प्रस्तावित 500 शैया के अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर मानक के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की प्रदेश के शहीदों के परिजनों को दिये गये आश्वासन के क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसी देने के सम्बन्ध में है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं इस सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ लें।

प्रदेश के शहीदों के परिजनों को दिये गये आश्वासन के क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश सिंह-

महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जांबाजों के परिजन लगातार सरकार की बेरुखी सह रहे हैं। पहले तो शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया जाता है परन्तु जब उन पर अमल करने की बारी आती है तब सरकारी मशीनरी पीछे हट जाती है। कारगिल शहीदों के सम्मान में उनके अनेक परिजनों को सहायता देने की घोषणायें की गई थीं किन्तु इनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है।

12 अगस्त, 2004 को नोएडा के नायक चरण सिंह राजपूत राइफल सेकेण्ड बटालियन को उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पम्प देने का वायदा किया था लेकिन पम्प व जमीन नहीं मिली। 11 अगस्त, 2004 को कारगिल में शहीद हुए लखनऊ के नायक चरण सिंह की विधवा ने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। 25 जुलाई, 2004 को कारगिल युद्ध में शहीद हुए गाजियाबाद के ग्राम सुराना निवासी सुरेन्द्र पाल यादव के परिजनों को पेट्रोल पम्प नहीं मिला। इसी प्रकार 25 जुलाई, 2004 को ही शहीद हुए गाजियाबाद के कैप्टन गुरजिन्दर सिंह सूरी के परिजनों को सरकार की ओर से पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी देने की घोषणा की गई लेकिन कोई सहायता अभी तक नहीं मिली।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से शहीदों के परिजनों को दिये गये आश्वासन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

नवीं सूचना श्री कृपा शंकर सिंह की जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2006-2007 में लगभग 32 कि0मी0 लम्बे खड़न्जा की ईट उखड़कर दबंगों द्वारा निजी प्रयोग में लाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी की लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत जेल चौकी के बगल से देवी खेड़ा होते हुए रायबरेली रोड को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, ग्यारवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह जी की आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत शमशाबाद-इनायतपुर मार्ग एवं शमशाबाद से पावसर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है (मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं) बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों हेतु सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन आदि सुविधायें देने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री संजय कपूर जी की जनपद रामपुर तहसील मिलकपुर के मिलक-बिलासपुर क्षतिग्रस्त मार्ग का हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में हैं, चौदहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह 'झीन बाबू' की सीतापुर के ग्राम पंचायत तरसेउरा में ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित पूर्व में आरक्षित स्थान पर ही जूनियर विद्यालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। यह सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उनकी जगह जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं, उनको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

नियमानुसार उनको भी ले लेंगे।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की सूचनाएं ली गयीं।)

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रदेश के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के उर्दू अनुवादकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति एवं सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि पूरे उ0 प्र0 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में सभी जनपदों के कार्यालयों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति की गयी थी किन्तु वर्ष 1994-95 से अब इन लोगों की स्थानान्तरण नीति नहीं बनायी गयी है, न ही इनका जी0पी0एफ0 काटा जा रहा है। जिससे इन उर्दू अनुवादकों एवं इनके सैकड़ों परिवार वालों में आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस औचित्य के प्रश्न पर सरकार से इन कर्मचारियों की सेवा नियमावली एवं स्थानान्तरण नीति बनाये जाने के विषय पर उत्तर देने की मांग करता हूं।]

झांसी नगर निगम में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[मैं इस सदन के माध्यम से जनपद झांसी के नगर निगम में स्टाफ की कमी सम्बन्धी समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद झांसी के नगर निगम में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का सृजन नहीं है, जिसके कारण नगर निगम में जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन,

---

नोट :-[ ] सह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टैक्स निरीक्षक, सफाई कर्मचारी आदि की भारी मात्रा में कमी है। नगर निगम में स्टाफ की कमी होने के कारण क्षेत्र के समस्त विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। विकास का कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरा राजकीय कार्य प्रभावित है। जनहित का कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। स्टाफ की कमी के कारण कोई भी कार्य सम्पादित नहीं हो रहा है। जनहित के कार्य समय से सम्पादित न होने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जब वहां पर पूरा स्टाफ ही नहीं है तो वहां के लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। स्टाफ की कमी के कारण क्षेत्र में न तो नाली का निर्माण कार्य हो रहा है और न ही खड़न्जा बिछाये जाने का कार्य। सफाई कर्मचारी न होने के कारण पूरे क्षेत्र में गन्दगी फैली हुयी है, सीवर लाइन की सफाई नहीं हो रही है, जिससे जनता में तरह-तरह की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। यदि नगर निगम में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्टाफ की तैनाती हो जाय तो काफी हद तक समस्याओं का निराकरण हो सकता है। क्षेत्र के विकास अवरुद्ध होने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर अन्तर्गत खड़गपुर-शाहपुर सुपाई बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु स्वीकृति देने एवं धनराशि जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद गोरखपुर अन्तर्गत घाघरा नदी के बायें तट एवं कुवांनों नदी के दायें तट पर स्थित खड़गपुर शाहपुर सुपाई बांध लम्बाई 26.300 कि0मी0 से उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना पर मुख्य अभियन्ता गण्डक का प्रतिवेदन शासन को धनराशि स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है प[illegible] धनराशि आगणन के हिसाब से न तो स्वीकृत की गयी है और न ही मौके पर कोई कार्य स्वीकृत [illegible] बाढ़ के समय यह बांध बार-बार क्षतिग्रस्त होता है। समय रहते यदि इसकी मरम्मत या निर्माण कार्य करा दिया जाता है तो हजारों एकड़ जमीन किसानों की बर्बाद होने से बच जाती है। यह एक बहुत ही गम्भीर एवं लोक महत्व का विषय है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त कार्य की स्वीकृति देने एवं धनराशि जारी करने की मांग करता हूं।]

उन्नाव के ग्राम भैसई कोयल में सस्ते गल्ले की दुकान का चयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी-

[महोदय, नियमानुसार प्रत्येक राजस्व ग्राम में राशन की दुकान होनी चाहिए, परन्तु जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम भैसई कोयल में ग्रामीणों को 4 किमी0 दूर ग्राम पहाड़पुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राशन लेने जाना पड़ता है और जनपद उन्नाव का जिला प्रशासन मूक है। जनता परेशानियों के कारण अनेकों बार जनपदीय अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये परन्तु कोई कार्यवाही न होने से जनता में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

बागपत के रमाला टाण्डा वाया किरठल क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाट मिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 अजय तोमर-

[मान्यवर, जनपद बागपत के मुख्य मार्ग रमाला टाण्डा वाया किरठल मार्ग बहुत ही जर्जर है मार्ग में बड़े-बड़े गढ्ढे हैं मार्ग के दोनों ओर खड़ंजा व मिट्टी पूर्णतयः टूट चुकी है। मार्ग की खराब स्थित के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं इस मार्ग का यातायात का घनत्व बहुत अधिक है इस मार्ग पर चीनी मिल मलकपुर, किनौनी, बागपत दौराला को गन्ने से भरे ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली, भैसा बुग्गी के साथ दैनिक के वाहनों के रूप में सैकड़ों स्कूल की बसें/कार, निजी वाहन यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के कारण इस मार्ग पर जाम की स्थित बनी रहती है। इस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुये हाटमिक्स प्लांट से निर्माण कराना अति आवश्यक है। यह मार्ग जनपद बागपत के मुख्य उपनगर बडौत को मण्डल मुख्यालय मेरठ से जोड़ता है तथा इसी मार्ग के द्वारा बडौत होते हुए जिला मुख्यालय जाने का एक मात्र मार्ग है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद बागपत के रमाला टाण्डा वाया किरठल मार्ग के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं।]

फैजाबाद के दर्शन नगर में प्रस्तावित 500 शैय्या के अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर मानक के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद फैजाबाद के दर्शन नगर में प्रस्तावित 500 शैया का अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद फैजाबाद के दर्शन नगर में 500 शैया का अस्पताल बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है। इस अस्पताल की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है। परन्तु अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण जनहित प्रभावित हो रहा है। इस अस्पताल के खोले जाने से जहां जनता में आशा किरण जगी थी वहीं अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर चालू न किये जाने से अब जनता में मायूसी छा गयी है। सरकार द्वारा जनहित में इस अस्पताल को खोले जाने का निर्णय लिया गया था। जनहित में इस अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर स्टाफ की नियुक्ति करके जनता की भावनाओं के अनुरूप अविलम्ब चालू किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर एवं मानक के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति करके जनहित में चालू कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2006-2007 में लगभग 32 मि0मी0 लम्बे खड़ंजा मार्गों का खड़ंजा ईंट उखाड़कर दबंगों द्वारा निजी प्रयोग में जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कृपा शंकर सिंह-

[वित्तीय वर्ष 2006-07 में 14 सड़कों के लगभग 32 कि0मी0 लम्बे खड़ंजा मार्गों का खड़ंजा ईंट तत्कालीन ठेकेदारों एवं माफियाओं द्वारा बल पूर्वक उखड़वाकर ईंटा उठवा लिया गया था और उस ईंट से निजी विद्यालय, बाउण्ड्री और भवन बनवा लिए गये। दबंगों के भय से किसी भी भले व्यक्ति ने मुंह खोलने का साहस नहीं किया और सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जिससे उक्त 14 सड़कों का लगभग 32 कि0मी0 का खड़ंजा ईंट जो सरकारी विभागों द्वारा सरकारी धन से लगाया गया था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दिनांक 26-04-2007 को इस आशय का एक शिकायती-पत्र मुख्य विकास अधिकारी को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया गया था जिसकी प्रति जिलाधिकारी, उन्नाव को दी गयी थी। कोई कार्यवाही न होने पर एक प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया था किन्तु आज तक मेरे इन पत्रों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया जिसके कारण उक्त सरकारी करोड़ों रुपये का ईंटा माफियाओं के निजी उपयोग में आ गया। मेरे शिकायती-पत्र पर जांच न कराया जाना और उस पर कोई कार्यवाही न किया जाना अधिकारियों की इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता इंगित करता है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उक्त महत्वपूर्ण विषय को सम्मानित सदन में उठाने की अनुज्ञा देने की कृपा करें।]

लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत जेल चौकी के बगल से देवी खेड़ा होते हुये रायबरेली रोड को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लखनऊ कैण्ट, लखनऊ में काशीराम स्थल के सामने जेल चौकी के बगल से देवी खेड़ा होते हुए रायबरेली रोड को जोड़ने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। आवागमन में बहुत ही कठिनाई आती रहती है। इस मार्ग पर अम्बेडकर मैदान (काशीराम स्थल) में जब कार्यक्रम होता है तो यहां बसे लगायी जाती हैं। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों हेतु सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन आदि सुविधायें देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् की सेवा नियमावली पृष्ठ 35 पर धारा 21 में यह व्यवस्था दी गई थी 'परिषद् के कर्मचारियों पर प्राविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के मामले में वही नियम लागू होंगे जो उ0 प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं'। वर्तमान के बजट में यह आशा थी कि इस मद को शामिल किया जायेगा परन्तु शामिल ना होने से बड़ी निराशा हुई।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के 500 से अधिक कर्मचारी है, 100 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं परन्तु इनकी पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि सेवा नियमावली में यह स्पष्ट है कि इनको राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति सभी सुविधायें प्राप्त होंगी, जो अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं उनके सामने भुखमरी का संकट है, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनके इलाज की व्यवस्था भी नहीं है। इनको राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशन आदि की सुविधा मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों को सेवा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति पेंशन आदि सभी सुविधायें दी जायें।]

जनपद रामपुर तहसील मिलकपुर के मिलक-बिलासपुर क्षतिग्रस्त मार्ग का हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मैं सदन के माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र जनपद रामपुर की तहसील मिलक-बिलासपुर मार्ग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, मिलक-बिलासपुर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 33.125 कि0मी0 है, यह मार्ग नेशनल हाइवे 87 व नेशनल हाइवे 24 को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है तथा यह उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य को जोड़ने का अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग बहुत ज्यादा खस्ता हालत में है तथा बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिस कारण आये दिन इस मार्ग पर कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इस मार्ग का हाट मिक्स से बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है तथा इसका ऐस्टीमेट भी शासन में काफी समय से लम्बित है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीतापुर के ग्राम पंचायत तरसेउरा में ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित पूर्व में आरक्षित स्थान पर ही जूनियर विद्यालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ 'झीन बाबू'-

[जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां विकास खण्ड रेउसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तरसेउरा में जू0वि0 के निर्माण हेतु शिक्षा समिति के द्वारा चयनित किया गया था। शिक्षा समिति का मैं भी सदस्य हूं ग्राम पंचायत में पूर्व से ही विद्यालय हेतु पर्याप्त स्थान निर्धारित है तथा खसरा खतौनी में भी दर्ज है भूमि प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्य द्वारा प्रस्ताव दिये जाने के बावजूद दूसरी जगह जहां पर पर्याप्त स्थान भी नहीं है तथा खेलकूद का मैदान भी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है।

अतः जनभावना एवं ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य की भावनाओं को देखते हुए ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित पूर्व से आरक्षित स्थान पर ही जू0वि0 का निर्माण कराये जाने की शासन से मांग करता हूं।]

दिनांक 9-10-2006 को हरदोई शहर के तीन अल्पसंख्यकों की दुकानों में लगी आग के फलस्वरूप अभी तक शासकीय सहायता उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

[दिनांक 09-10-2006 को शहर हरदोई के तीन अल्पसंख्यकों मो0 नदीम, मो0 अनीस एवं मो0 वसीम निवासी कोतवाली हरदोई की दुकानों में आग लग गयी तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति जल गयी। शासन ने इसके सम्बन्ध में 01-11-2006 को हरदोई से सहायता देने हेतु रिपोर्ट मांगी थी। हरदोई जिला प्रशासन ने फरवरी, 2007 व अक्टूबर, 2007 को रिपोर्ट फाइल संख्या-2280, 81, 82 द्वारा शासन को भेज दी जो आज तक शासन में लम्बित है।

गरीब परिवार होने के कारण वह लोग भुखमरी के कगार पर है, यदि शासन ने सहायता न दी तो वे आत्महत्या की बात कर रहे हैं।

कृपया इस पर तुरन्त कार्यवाही करवाने की कृपा करें।]

दिनांक 31-3-2007 को ऐशबाग लखनऊ स्थित पूर्वांचल टेण्ट हाउस पर श्री शत्रुघन सिंह व श्री जितेन्द्र की हत्या की जांच एस0टी0एफ0 से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत दिनांक 31 मार्च, 2007 को शत्रुघन सिंह उर्फ छोटू पुत्र नारदमुनि सिंह एवं उसके नौकर जितेन्द्र की रात्रि 9 बजे के आस-पास ऐशबाग लखनऊ स्थित ईदगाह के सामने बने हुए हनुमान मन्दिर के बगल में स्थित पूर्वांचल टेन्ट हाउस पर पल्सर मोटर साइकिल पर सवाल तीन व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और हत्यारे बेखौफ भागे। आश्चर्य का विषय है कि पहली अप्रैल, 2007 को घटना के दूसरे दिन बकरीद त्योहार था और जिसकी व्यवस्था में तमाम पुलिस ड्यूटी पर लगे हुए थे और घटना स्थल से क्षेत्राधिकारी बाजार खाला का दफ्तर मात्र 100-150 मीटर दूर है, इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अभी तक इस विषय की जानकारी पूर्व मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 सरकार, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को देने के बाद भी इस दोहरे हत्या काण्ड के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और पुलिस हत्यारों का पता लगाने में असमर्थ रही है। इसलिए आवश्यक है कि इस हत्याकाण्ड की जांच एस0टी0एफ0 से कराई जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस हत्याकाण्ड की जांच एस0टी0एफ0 से कराकर हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी उनके नाम निम्न प्रकार हैं :- 1-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 2-श्री अब्दुल वारिस खां।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25 फरवरी, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 6 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना-श्री नरेश अग्रवाल, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री उदयराज यादव, श्री इरफान सोलंकी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री राधेश्याम गुप्ता, श्री सतीश महाना, श्री प्रेमलता कटियार, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद-फतेहपुर में किसानों के धरना-प्रदर्शन के समय पुलिस द्वारा बर्बतापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के भूगर्भ जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है।

तीसरी सूचना-श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, डा0 पी0 के0 राय, श्री विश्वनाथ तथा श्री दीनानाथ कुशवाहा की जनपद-देवरिया के ग्राम-हेतिमपुर में बस एवं टेम्पो से हुई भीषण दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है।

चौथी सूचना-श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद-सिद्धार्थनगर स्थित बढ़नी कस्बे में 23-02-2008 को हुए बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, है।

पांचवी सूचना-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा-वृन्दावन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम के अन्तर्गत 25.00 करोड़ रुपये विद्युत व्यवस्था हेतु स्वीकृत किये जाने के उपरान्त भी कार्य शुरू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद-बलिया के थाना-बैरिया के ग्राम बैरिया निवासी श्रीमती शोभा किरन दुबे के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना एवं कृषि दुर्घटना बीमा योजना का धन न उपलब्ध कराये जाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद-बागपत में निजी व राजकीय नलकूपों पर लगे खराब ट्रांसफार्मरों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्रीमती अमीता सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अशोक सिंह, श्री शिव गणेश लोधी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री पंकज मलिक, श्री माधो पासवान।

2-श्री उदयराज यादव,

3-श्री श्यामदेव राय चौधरी,

4-श्री मिथिलेश कुमार,

5-श्री अब्दुल वारिस खां, डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

6-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

7-श्री प्रदीप जैन आदित्य,

8-श्री दीनानाथ कुशवाहा,

9-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

10-श्री लल्लू सिंह,

11-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अब्दुल वारिस खां, चौ0 सत्यपाल सिंह,

12-श्री जोखूलाल यादव,

13-श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं पहली सूचना ले रहा हूं।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, जिनकी सूचना पहले आयी है उसके अनुसार आप चलेंगे। आप समय देख लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो व्यवस्था आपने दे दी, शलाका के आधार पर है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। मेरा निवेदन यह है कि यह फतेहपुर की घटना है और वहां के विधायक राधेश्याम गुप्ता जी का नाम इसमें है। पहले आप उनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सब लोग किसानों के बारे में ही तो बोलेंगे, पहला वाला भी कोई दूसरी बात नहीं कहेगा और अन्तिम वाला भी कोई दूसरी बात नहीं कहेगा, एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें, किसानों का मसला है, इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी न पैदा करें जैसा मैंने क्रमवाइज पढ़ दिया, इसी के आधार पर चलने दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सरकार बनी हुई है, तब से ऐसा लगता है कि प्रदेश के किसानों की दुर्दशा और बढ़ रही है। श्रीमन् अभी एक दिन पहले बुन्देलखण्ड का मुद्दा उठा था, बुन्देलखण्ड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अकेले महोबा जिले में एक सौ से ऊपर किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। सरकार फर्जी घोषणायें कर रही है। फतेहपुर की जिस घटना को आज हम लाये हैं श्रीमन् 19 तारीख को यमुना पार की पट्टी के किसान जहां पर सूखाग्रस्त इलाका है जहां पर बुवाई नहीं हो पाई। वह किसान एस0डी0एम0 से परमीशन लेकर अपना शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, श्रीमन् अपनी बात को कह रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि हमारे ज्ञापन को ले लिया जाये, लेकिन जिलाधिकारी ने आने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने उस धरने को अनिश्चितकालीन कर दिया। 20 तारीख को बिना किसी कारण के 3.00 बजे के करीब जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज शुरू कर दिया। यह करीब दो घण्टे ताण्डव हुआ और डेढ़ सौ से ऊपर किसान घायल हुए तमाम वकील आ गये, वकीलों ने बीच में हस्तक्षेप किया, उनके हस्तक्षेप के बाद दो घण्टे के बाद प्रशासन लौट गया। उसमें कुछ वकीलों को भी चोट आ गई, लेकिन आठ बजे रात फिर से प्रशासन ने जिस तरीके से वहां गोली चलाई, किसानों को मारा, बल्कि उनका सब सामान भी लूट लिया, 30 लोगों को जेल में भी भेज दिया और तमाम घायल लोगों को तितर-बितर कर दिया श्रीमन् दो महिलायें गायब हैं, किसान अपने परिवार के साथ आये थे। वह तो न्याय की मांग कर रहे थे। मैं तो सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर किसानों का दोष क्या था ? जब परमीशन थी किसानों को। सारे वकील भी मानते हैं इस बात को, वकीलों के ऊपर भी मुकदमा कायम कर दिया गया। श्रीमन् जांच दल हमारी पार्टी का गया, जांच दल ने जो रिपोर्ट दी है

श्रीमन् इस पर सभी वहां पर लोगों ने कहा कि शायद इतनी बर्बरता तो अंग्रेजों के द्वारा नहीं की गयी। किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, किसानों को मारा गया, जेल भेज दिया गया, फर्जी मुकदमें लगा दिये गये और आज भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया, एक भी प्रतिनिधि नहीं गया, श्रीमन् कोई इस बात की घोषणा भी नहीं की, यह नहीं था कि निर्दोष किसानों को छोड़ने की बात कर दी जाती, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच होती, उसकी जुडिशियल जांच होती, जो प्रशासनिक अधिकारी दोषी थे जो लोग इसके लिये दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात होती, बिल्कुल शासन मूक बना हुआ है। ऐसा लगता है कि शासन की सहमति से ही सब हो रहा है। श्रीमन् पूरे प्रदेश में आज असन्तोष है। ऐसा नहीं है कि खाली फतेहपुर के किसानों की ही बात है, पूरे प्रदेश में एक तिहाई जमीन पर आज किसान बुवाई नहीं कर पाया, उसको खाद नहीं मिली, बीज नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, किसान गन्ने का अलग हम लोगों ने तो गन्ने का भी मुद्दा उठाया था पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और मध्यान्चल में, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है किसान इससे उत्तेजित हैं, डी0ए0पी0 खाद के लिए लाठी खानी पड़ी किसानों को। तो एक तरीके से जिस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था किसानों पर आधारित हो, उस प्रदेश में यदि किसानों के साथ यह व्यवहार होगा तो आखिर कौन ुप बैठेगा, कौन बात नहीं उठायेगा, प्रजातंत्र में कब यह अधिकार दे दिया गया और श्रीमन् सत्ता में नद होने के बाद अगर सत्ता में मद होकर आदमी यह भूल जाये कि हमको दोबारा भी उनके बीच जाना है, क्योंकि आज 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है। बजट में आप कहते हैं कि हम गांवों के विकास के लिए 70 प्रतिशत से ऊपर खर्च कर रहे हैं। अर्थ व्यवस्था आप किसान पर आधारित बना रहे हैं, लेकिन किसानों पर ही इतना अत्याचार हो रहा है, इसलिए श्रीमन् इसको सदन में उठाया है, सरकार से यह कहने के लिए कि चेतना शून्य मत रहिये, बहुत घमण्ड में मत आइये, प्रदेश की जनता ठीक है, मूक बनी हुई है, लेकिन नीचे जो स्थिति पैदा हो रही है, आज समाज का सारा वर्ग उत्तेजित है, कम से कम इसको तो गम्भीरता से लीजिए और लोकमहत्व का अविलम्बनीय है श्रीमन् और घटना ऐसी है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, इस मारे इस घटना के माध्यम से आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो किसान इसमें बन्द हुए हैं उनको छोड़ दिया जाये और जिन्होंने इसे किया है उन पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी कहती हैं कि हमने केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से कितना पैकेज दे रही है यह तो बतायें। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी बतायें कि केन्द्र सरकार से प्रदेश को कितना पैकेज मिला है ? मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों आज किसानों की उपेक्षा कर रही है। श्रीमन् इसको स्वीकार करके इस पर चर्चा करा दें और चर्चा के बाद सरकार से इस पर गम्भीरतापूर्वक जवाब दिलवा दें जिससे उन किसानों के साथ न्याय हो सके।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमारे दल की तरफ से दो लोग वहां पर गये थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी आप लोग बैठ जायें। अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। नोटिस की ग्राह्यता पर सुना जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो भूखा है, जो सूखे की मार से त्रस्त हैं, उसकी उत्तेजना को उसकी पीड़ा को समझा जा सकता है और इसके बावजूद भी उन्होंने धैर्य धारण कर रखा। उन्होंने एस0डी0एम0 से परमिशन लेकर वहां पर धरना दिया। मान्यवर, जो पीड़ित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो दुखी हैं जिसका सारा कुछ नष्ट हो गया है उसको प्रशासन कुछ न भी दे तो क्या उसको अपनी आवाज उठाने का अवसर भी नहीं दिया जायेगा ? आज लोकतंत्र में सबसे चिन्तनीय स्थिति यही है। एक दुखी और सूखे से पीड़ित किसान को अपनी आवाज के रूप में अपना दर्द व्यक्त करने का भी क्या अवसर नहीं दिया जायेगा ? मान्यवर, यह प्रशासन की तानाशाही है। मान्यवर, वहां पर लाठी भी चली है। लाउडस्पीकर बंद करने को कहा गया उसको तुरन्त धीमा कर दिया गया और उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। फायरिंग भी की गयी थी। उन्होंने अपना सारा तोड़ा और आरोप इन पर लगा दिया। [illegible], 80-85 साल के लोग, बिल्कुल ही वृद्ध लोग हैं, आज जेलों में बन्द हैं, महिलायें बन्द हैं। [illegible] के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इसमें सरकार का कोई वर्जन नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल दल वहां पर गया था। राधेश्याम जी गये थे, धुन्नी सिंह जी गये थे। हमारी मांग यह है कि एक तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो किसान बन्द हैं उन पर से सारे मुकदमों को वापस लेकर के उनको तत्काल रिहा किया जाये। अगर सरकार यह करती है तो हम मानेंगे कि यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और वहां हुए अमानुषिक व्यवहार को गम्भीरता से ले रही है। अगर रिहाई और मुकदमों की वापसी की कार्यवाही प्रशासन ने नहीं की तो यह माना जायेगा कि उसके साथ यह शासन भी यहां पर बैठा हुआ है। मान्यवर, निश्चित रूप से इस पर चर्चा करायी जाये।

* श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, जो विषय सदन में उपस्थित हुआ है, वह अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, वह सूखे और भूख की समस्या आज केवल बुन्देलखण्ड की सीमा के अन्तर्गत ही नहीं रह गयी है अपितु बुन्देलखण्ड के निकट के जनपद फतेहपुर और कानपुर देहात भी उससे जुड़ गये हैं। वहां जमीन परती पड़ी हुई है इसलिए वहां पर आने वाला समय कठिन है। उससे बुवाई नहीं [illegible] सकेगी। मान्यवर, चिन्तनीय बात यह है कि सरकार को किसी त्वरित समाधान की चिन्ता नहीं है। मान्यवर, अपनी इस चिन्ता को लेकर जो किसान सरकार को अपनी बात सुनाने के लिये शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, अपनी बात कह रहे थे, वहां के प्रशासन से अनुमति लेकर वहां पर बैठे हुए थे। उनके खिलाफ जो बर्बर कार्यवाही हुई है। मैं बिना किसी विस्तार के, बिना किसी भूमिका के, मैं आग्रह करना चाहती हूं कि इस अनुमति के बाद की कार्यवाही में वह टेन्ट हाउस का मालिक भी जेल में है जिसका टेन्ट लगा था वह लाउडिसपीकर का मालिक भी जेल में है जिसका लाउडस्पीकर लगा था। इतनी गम्भीर धाराएं हैं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे कोई क्रिमिनल, कोई डकैत आ गये हों। इस तरह की स्थिति और फायरिंग और लाठीचार्ज के बाद वह स्थान जहां वह बैठे हुए थे वहां पर वह स्थिति थी कि जैसे ब्रिटिश पीरिएड में नो मेन्स लैण्ड जैसी स्थिति खड़ी हो गयी थी। दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने उत्पीड़न किया है और जो हालात है वह इतने कठिन हैं कि तुरन्त अगर किसान को ऋण मुक्त न किया गया, तुरन्त अगर किसान को पेट भरने की व्यवस्था गम्भीरता से न की गयी और तुरन्त अगर जो जेल में बन्द हैं उनके खिलाफ मुकदमें वापस लेकर उनकी रिहाई न की गयी तो और भी स्थानों पर धरने चल रहे हैं, घाटमपुर के किसान धरने पर बैठे हैं उनके हालात बिगड़ रहे हैं, स्थितियां बिगड़ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अन्नदाता की चिन्ता करवा दीजिय, सरकार चिन्ता कर ले, सरकार व्यवस्था कर ले, अति हो गयी है। खाद मिलने के समय लाठी, किसान जब खाद मांग रहा था तब लाठी, जब पानी मांग रहा था तब लाठी, जब पेट भरने को मांग रहा था तब लाठी, कैसे चलेगा, माननीय अध्यक्ष जी चिन्ता कर लीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर की स्थिति बहुत भयावह है, आर्थिक स्थिति भी वहां की खराब है और कानून व्यवस्था एकदम समाप्त हो गयी है। फतेहपुर में यमुना नदी के उत्तर 16 कि0मी0 वर्गक्षेत्र को बुन्देलखण्ड की सुविधाएं शासनादेश के अनुसार मिलना है। बुन्देलखण्ड में हम लोगों ने तमाम पैकेज की घोषणा की कि 1500 करोड़, 2000 करोड़ हम दे रहे हैं। फतेहपुर के क्षेत्र के उस क्षेत्र के लोग जो इस सुविधा को पाने के हकदार हैं, वह भी इस बात को लेकर और अपनी 13 मांगें और जैसे रोजगार गारन्टी योजना आदि हैं इन सब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे 19 फरवरी को धरना दिया, 19 फरवरी को उनकी बात नहीं सुनी गयी तो उसको सत्याग्रह में बदल दिया। वह वहां बैठकर राम धुन गा रहे थे उनके पास कोई हथियार नहीं था, लाठी नहीं थी 20 तारीख को 11-12 बजे उनके नेता नरसिंह पटेल जो छात्र नेता भी रहे हैं और किसानों के बीच में ईमानदारी से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जबरदस्ती वहां से उठा लिया गया और उनको जेल में ठूंस दिया गया 12.00 बजे। उसके बाद भी वह लोग वहां धरने पर बैठे रहें। वहां के वकीलों को यह बुरा लगा। वह लोग बाहर आये उन लोगों ने इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया, 6-7 बजे रात्रि हजारों लोगों के बीच में उन पर लाठी चलाई गयी, उन पर गोली चलाई गयी, वाटर कैनन चलाया गया आखिर क्यों। वह तो रामधुन गा रहे थे। रामधुन गाते हुए ही गांधी जी को गोली मार दी गयी और रामधुन गाते हुए इन निरीह किसानों के ऊपर लाठी और गोली चलाई जा रही है। मान्यवर, आज पूरा फतेहपुर आक्रोशित है, वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, वहां की कोर्ट कचेहरी बन्द है, तहसीलों की अदालतें बन्द हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय बाधित है। इन परिस्थितियों में जब किसान अपनी बात कहे, अपनी गरीबी, भुखमरी की बात करें और उसे लाठी गोली मिले यह स्थिति ठीक नहीं है। इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही नही की गयी नहीं तो यह सोनभद्र, चन्दौली, पलामू जैसा क्षेत्र बन जायेगा कहीं यहां के लिए भी आपको अलग से व्यवस्था न करनी पड़े, जो किसान निहत्थे होकर लाठी गोली खा रहे हैं कल यह दूसरे रास्ते को अपनाने को न इन्हें मजबूर होना पड़े। इसलिए मान्यवर, इस महत्वपूर्ण मसले पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जाये। वहां पर जो 30 लोग बन्द हैं उसमें से करीब 70 प्रतिशत लोग 60 वर्ष के ऊपर के हैं 2 विकलांग हैं और 5

दृष्टिहीन थे पता नहीं कैसे उनको रहम करके छोड़ दिया गया लेकिन अभी जैसा कि प्रेमलता जी ने बताया कि जिसने पंडाल लगाया था उसका पंडाल उखाड़ ले गये जला दिया, लाउडस्पीकर वाले का लाउडस्पीकर तोड़कर उसको भी बन्द कर दिया और जो सबसे बड़ी बात है जो सबसे घिनौनी चीज है कि उनके ऊपर झूटे आरोप लगाये जा रहे हैं, झूटी धाराएं लगायी जा रही हैं। यह दिखाने के लिये कि वह हिंसक थे, वहां के विकास भवन की बाउन्ड्री डोजर से गिरा दी गयी, सब लोग देख रहे थे और डोजर ने इसी बीच में एक पेड़ में धक्का मारा, उस धक्के से एक बड़ा मोटा पेड़ था, वह भी गिर गया और कहते हैं कि यह सब उन किसानों ने गिरा दिया। मान्यवर, बड़ी भयावह स्थिति है मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे और सरकार को इस पर बहुत ही सकारात्मक पहलू अपनाना चाहिये। अगर अधिकारी गलत कर रहे हैं या किसी से गलती हुयी है, उस गलती को समझ करके उन निर्दोष लोगों को छोड़ा जाय और उन किसानों को बुन्देलखण्ड की सुविधायें दी जायं।

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं इस विषय की ग्राह्यता पर ही बोलूंगा, यह इतना गम्भीर विषय है कि अगर इसकी ग्राह्यता पर ही बोला जाय तो यही अपने आप में बहुत विस्तृत हो जायेगा। वह किसान, जैसे कहा गया कि वह अन्नदाता हैं। वह किसान, जिसके लिये हम सब लोग सदन के अन्दर बैठकर कहते हैं कि जिसके ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुयी है। वह किसान, जिसके लिये हम कहते हैं कि किसान समृद्ध होगा, तो देश समृद्ध होगा। मान्यवर, यही समृद्धशाली प्रदेश की कल्पना है क्या कि किसान को खाद नहीं है, किसान को बिजली नहीं है, किसान को पानी नहीं है, किसान सूखाग्रस्त है, आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहा है, आज किसान के पास खाने को नहीं है। मान्यवर, उसके ऊपर जो कर्जा था, उसकी वसूली के लिये जिस प्रकार से उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है, वह हम सब लोगों के सामने है। अपनी बात कहने के लिये अनुमति लेकर अगर वह शान्तिपूर्ण तरीके से जिला मुख्यालय पर बैठता है तो मान्यवर, उसकी भी सुनने वाला कोई नहीं है। 19 तारीख को उसको कहा गया कि हम आपका ज्ञापन ले लेंगे, आपकी बात सुनेंगे लेकिन 19 तारीख को उनकी बात सुनी नहीं गयी और 20 तारीख को मान्यवर, जिस प्रकार की घटना हुयी है, अखबारों के अन्तर्गत उन बुजुर्ग लोगों की तस्वीरें छपी हैं, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके ऊपर मान्यवर, यह आरोप लगा दिया गया कि यह बड़े-बड़े पेड़ तोड़ देंगे। मान्यवर, इस तरह की घटना अत्यन्त निन्दनीय है और शर्मनाक है। मान्यवर, उस किसान की बात सुनना हम सबकी जिम्मेवारी है, हम यहां पर अपनी बात कहने के बाद चुप हो जायें तो केवल यहीं तक हमको अपने आपको सीमित नहीं रखना चाहिये। मान्यवर, पाप लगेगा अगर उस किसान की बात हम लोगों ने नहीं सुनी। पाप लगेगा, मान्यवर, अगर वह किसान भूखा होगा अगर उसके पेट में आग जलेगी तो यह प्रदेश भी मान्यवर, कहीं से अछूता नहीं रहेगा, पूरा प्रदेश आग में होगा। मान्यवर, उन अधिकारियों ने जिनको पहली तारीख को तनख्वाह मिल जानी है, उन अधिकारियों ने उनके ऊपर अत्याचार किया और ज्यादती की। मान्यवर, इस बात की तो आप जांच करा लेंगे। यहां पर सब बात आम सहमति से लोगों ने कही है कि जो लोग बन्द

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उनको बिना शर्त रिहा किया जाय। उनके बिना शर्त सारे मुकदमें वापस ले लिये जायें। यह तो सरकार को करना ही चाहिये और हमें विश्वास है कि यह सरकार यदि थोड़ा भी संवेदनशील होगी यदि उसके मन में किसान के प्रति थोड़ा भी पीड़ा होगी तो तत्काल आप यहीं पर इसी समय उन मुकदमों को वापस लेने के लिये कहेंगे, लेकिन इसके साथ में, मैं एक बात अन्त में और जोड़ना चाहता हूं कि उन किसानों के ऊपर जिन लोगों ने लाठी चलाई है, जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने उनको बन्द कर दिया है, इस विधान सभा की एक संयुक्त समिति, जिसमें सभी दल के लोग शामिल हों, वह समिति वहां पर जाकर यह जांच करे कि वहां इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं। इस समिति को माननीय संसदीय कार्य मंत्री तय कर दें, चाहें मान्यवर, आप तय कर दें, आप हम लोगों के संरक्षक हैं। वह कमेटी फतेहपुर जाकर उन पापी अधिकारियों के खिलाफ जांच करे और उनको भी सजा मिलना चाहिये, जब तक उन अधिकारियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस प्रदेश का किसान उत्पीड़ित होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कीजिये, आप तो पूरी चर्चा कर दिये हैं।

श्री सतीश महाना-

इसलिये मेरी मांग है कि उन लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाय और इस सदन की एक संयुक्त समिति आपके निर्देशानुसार वहां जाकर घटना की जांच करे और जो लोग भी इसके लिये दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करे।

* श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, बड़ी दुखद घटना है फतेहपुर की और जिस प्रकार का तांडव किसानों के साथ हुआ है जबकि वह अन्नदाता है और उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है दण्डित किया गया है। जबकि वह बैठकर के धरना दे रहे थे और अपनी मांग मांग रहे थे कि हमारा यह क्षेत्र जो बुन्देलखण्ड से लगा हुआ है। बुन्देलखण्ड की सुविधाएं मिलें और जो सूखा हो रहा है जिससे वहां का किसान वहां कुछ नहीं बो पाया है और उसके खाने के लिये भी कुछ नहीं है। किसान जो आज भुखमरी की कगार पर है, अपनी बात कहने के लिये जिला मुख्यालय पर आये थे और उसमें महिलाओं की भी भारी संख्या थी, पुरुष भी थे, किसान भी थे और साथ-साथ मजदूर भी थे और इस प्रकार से उसमें निर्बल वर्ग के लोग ही थे, जो अपनी मांगें लिख करके बिल्कुल साधारण तरीके से शासन का ध्यान, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते थे। लेकिन उनकी सुनी नहीं गई 19 तारीख को जैसा कि फतेहपुर के एस0डी0एम0 ने धरना देने की अनुमति दी और उसके बाद न उनका ज्ञापन लिया और न ही उनकी बात सुनी। उसके बाद आक्रामकता से उन्होंने लाउडस्पीकर बन्द करने के लिये कहा तो उन्होंने उसे बन्द भी कर दिया। मान्यवर, जिस प्रकार से पहले नरसिंह पटेल को बन्द किया गया और फिर उसके बाद में 50 किसानों के खिलाफ नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अज्ञात में भी लोगों को लिखा गया है। हम लोग और हमारा प्रतिनिधिमण्डल जेल में भी उन लोगों से मिलने गया था।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, ठीक है, समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, मेरे विधान सभा का प्रकरण है, मान्यवर, गम्भीरता से लें, नियम-56 में मैंने नोटिस दिया है। मैं नाम तक बता रहा हूं कि कितनी उम्र के कितने-कितने लोग जेल के अन्दर बन्द हैं और वह बुजुर्ग जब हम जेल में गये तो वह रो रहे थे और कह रहे थे कि विधायक जी, हम लोग यहां अपनी समस्या, अपनी भुखमरी, अपनी गरीबी, अपनी व्यवस्था के लिए शासन से कहने आये थे और हमको जेल में भेज दिया गया। मान्यवर, इतना ही नहीं उनको इतनी धाराओं में भेजा गया है, क्रिमिनल ऐक्ट और 307, 147, 148, 149, 504, 506, 427, 353, 332 यानि कि इतनी धाराएं उन पर लगायी गयी हैं कि मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अत्याचार ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ था। मान्यवर, उनकी भुखमरी को देख करके, उनकी पीड़ा को समाप्त किया जाये और जो जेल में बन्द हैं उनको रिहा किया जाये और उनके सभी मुकदमें वापस लिये जायें तथा उनकी सुरक्षा करने के लिये मैं आपके माध्यम से शासन से चाहता हूं कि उन गरीब किसानों का कल्याण किया जाये, उनको सुविधाएं दी जायें तथा साथ-साथ उनके मुकदमें वापस किये जायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 विशम्भर जी, थोड़ा कम शब्दों में ही ग्राह्यता पर बोल लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मा0 धुन्नी सिंह जी को भी सुन लें, वह भी वहां के विधायक हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जो सवाल मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी, ने उठाया है, उस पर मैं ग्राह्यता पर बोलूंगा। मान्यवर, मा0 मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी की एक टीम को वहां पर भेजा था। मान्यवर, जिस प्रकार से वहां पर बर्बरतापूर्ण काम हुआ है, वह दुःखद है। वहां पर किसान 19 तारीख से धरने पर बैठे थे, 20 तारीख को दो बजे से यह घटना प्रारम्भ होती है। मान्यवर, महिलाओं को, बूढ़ों को पहले पैरों से कुचला गया उसके बाद पानी की बौछारें छोड़ी गईं, उसके बाद आंसू गैस छोड़ी गई, उसके बाद गोलियां चलायी गईं। मान्यवर, उन गोलियों के चलने से कलेक्ट्रेट की बाउन्ड्रीवाल पर गोलियों के निशान बन गये और रात आठ बजे चारों ओर प्रशासन को लगा दिया गया, यहां तक कि मीडिया को भी जाने नहीं दिया गया। पूरी बाउन्ड्रीवाल को पहले पी0ए0सी0 के ट्रक से गिराया गया और जब वह नहीं गिरी तो नगरपालिका के बुल्डोजर से गिराया गया। उनकी मांग यह थी कि यमुना नदी के किनारे जो किसान हैं वह भी सूखे से पीड़ित हैं। उनको भी कर्जा माफी दी जाये, उस क्षेत्र को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाये। मान्यवर, वैसे भी बुन्देलखण्ड में कुछ हो नहीं रहा है, अभी तक सरकार ने कोई शासनादेश ब्याजमाफी का भी नहीं जारी किया है, न कोई राहत दी है। लेकिन यहां

पर मान्यवर, बिल्कुल जलियावाले काण्ड की तरह कार्यवाही की गई, पूरी कचहरी खून से लहूलुहान हो गई थी, पूरी कचहरी को पानी से धोना पड़ा। इस तरह से बर्बरतापूर्ण काम तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ था। फतेहपुर का किसान मजबूर है, आन्दोलित है और वहां से पलायन कर रहा है। पुलिस सभी के घरों में छापे मार रही है, यह कहां का लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम बताना चाहते हैं कि तहसील दिवसों में किसान की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, फर्जी खाना-पूर्ति हो रही है। सरकार को पता है कि तहसील दिवसं में किसान जाते हैं तो वहां कोई अधिकारी नहीं मिलता है, किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं होता है और मजबूर होकर किसान वापस लौट आता है। किसान जब धरना-प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का प्रयास करता है तो उसका ज्ञापन भी नहीं लिया जाता है। मान्यवर, इतनी असंवेदनशील कोई सरकार हो नहीं सकती। वहां पर वृद्ध किसानों पर लाठीचार्ज करने के बाद उनको अनेकों धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेलों में बन्द कर दिया गया। जब किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा था तो वीरेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में वकीलों के समुदाय ने बचाने का प्रयास किया तो उन पर भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके बाद उनके घरों पर छापा मारने का काम किया। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करा ली जाए और किसानों की जितनी भी मांगें हैं उसको स्वीकार की जाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह कृषि प्रधान देश व प्रदेश है और उस पर इस विधान सभा में बात हो रही है। आप देख लीजिये कि यह कितनी संवेदनशील सरकार और इसके अधिकारी हैं कि एक भी बड़ा अधिकारी लॉबी में बैठा नहीं है जो किसानों की पीड़ा को सुन सके।

(श्री अध्यक्ष द्वारा जोखू लाल यादव का नाम पुकारे जाने व उनके खड़े होने पर)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जोखू लाल यादव का नाम नोटिस में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इनका नाम नहीं है लेकिन दो मिनट में इन्हें भी सुन लेते हैं।

* श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर के किसानों पर जिस दर्दनाक ढंग से लाठीचार्ज किया गया और वहां के वकीलों की पिटाई हुई यह एक बड़ा दुःखद प्रकरण है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गंगा के किनारे के वे किसान जो बुन्देलखण्ड की सीमा से लगे हुए हैं, वहां के किसान ट्रैक्टरों से जिला कचेहरी पर सदर एस0डी0एम0, फतेहपुर से अनुमति लेकर पहुंचे थे और अपनी बात कहने आये थे। 19 तारीख को किसानों का झुण्ड जिला कचेहरी में अपनी बात रखते हुए धरना दे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा था और लाठीचार्ज जिन परिस्थितियों में हुआ उसके विषय में आपसे कहना चाहता हूं कि जब किसान धरने पर बैठे थे कलेक्टर ने कहलवाया कि जिनके नेतृत्व में किसान आये हैं उनके नेता को बुलाओ और किसानों को भगाओ, किसानों के नेता से बातचीत करवाओ। अधिकारी लोग गये, किसानों के नेता नरसिंह पटेल भीड़ के साथ थे, उन्होंने कहा कि किसानों की जो बात होगी, किसानों के सामने होगी। लेकिन जबरन वहां से उनको उठा लिया गया और उठाने के बाद जब किसान आक्रोशित हो गये तो नेता के बचाव में किसान आगे आये तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और काफी बूढ़े लोगों को चोटें आयी हैं, 80-80 साल के लोगों को चोटें आयी और 30-32 किसान जेल में बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है, नोटिस में आपका हस्ताक्षर भी नहीं है, फिर भी आपको सुन लिया गया, अब आप बैठिये।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, पहले किसानों की माइक बन्द करवाई, माइक बन्द कर दिया, उसके बाद जहां पर किसान बैठ करके धरना दे रहे थे उस टेण्ट को जला दिया गया। मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि यह बेरहम सरकार, किसानों की मांग को न मानने वाली सरकार ने लाठीचार्ज कराया, यह निन्दनीय है। हम आपसे मांग करते हैं कि इस पर चर्चा करायी जाये।

* श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह-

मान्यवर, 19 तारीख को फतेहपुर में श्री नृसिंह पटेल के नेतृत्व में 156 ट्रैक्टर लेकर किसान आये हुए थे। 20 तारीख को 12.00 बजे डी0एम0 ने नृसिंह पटेल को वार्ता के लिए बुलाया, जैसे ही वह वार्ता के लिए पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहां के किसानों ने अपने नेता के बचाव का पक्ष लिया तो उस समय लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में सारे किसान पलायन कर गये और आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया और उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। जब उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया तो पुनः सारे किसान फिर वहां आकर बैठ गए और यह चलता रहा। रात के 9 बजे वहां पर पुनः पुलिस आई और चारों तरफ से घेरने के बाद पहले उन्हें पानी से मारा गया फिर उसके बाद जब किसान नहीं भागे तो उनके ऊपर गोली चलाई गई, लाठी चलाई गई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अपनी बात हम किस ढंग से कहें हमें पानी नहीं दिया जाता है। हमें बिजली नहीं दी जाती है। आज दो घण्टे बिजली दी जाती है। आज भी नहरों में पानी नहीं दिया जाता है सारे के सारे खेत सूखे पड़े हैं। किस ढंग से अपनी बात कहें, कैसे कहें कोई व्यवस्था आप ही कर दें जिससे किसानों के ऊपर पुनः लाठीचार्ज और गोली चार्ज न हो यह जो मामले दर्ज किये गये हैं जो मुकदमा दर्ज किया गया है मैं चाहता हूं कि इसे वापस लिया जाय और दुबारा किसानों के साथ ऐसी बात न हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 6 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं अब इस दल से दो सदस्यों को बुला लेते हैं।

* श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अवसर दिया पक्ष रखने का किसानों का। मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसी घटना जनपद फतेहपुर जैसी जगह पर हो सकती है। दोष क्या है ? बुन्देलखण्ड की समस्या पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है। पिछले चार वर्षों से लगातार मानसून वहां पर नहीं आ रहा है वारिस नहीं हो रही है। बुन्देलखण्ड से लोग पलायन कर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं आत्महत्याएं हो रही हैं जिस जगह की चर्चा हो रही है वह बुन्देलखण्ड की सीमा से लगा हुआ है। जब बादल बरसते हैं तो जिलाधिकारी की अनुमति से नहीं बरसते हैं, किसी जिले की सीमा को देखकर नहीं बरसते हैं। जो स्थिति बुन्देलखण्ड की है वहीं स्थिति बुन्देलखण्ड की सीमा से लगे हुए गांवों की है यहां जो गांव हैं वह आप देखें यह 65 गांव ऐसे हैं जो बुन्देलखण्ड की सीमा से सटे हुये हैं यह फतेहपुर में है, उनकी समस्याएं, उनकी गुर्बत, उनके दुख और तकलीफ बुन्देलखण्ड जैसी हैं बुन्देलखण्ड को सरकार जो सुविधा मुहैया करा रही है वह इनको भी दे यही वह मांग क' रहे थे यह मांग लोकमहत्व की है और यह किसानों की जायज मांग है। यह हो सकता है कि वहां पर जो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे थे एस0डी0एम0 को उसकी सीमा अधिक लगी हो। मेरा कहना यह है कि जो बुन्देलखण्ड को पैकेज दिया जा रहा है वही पैकेज बुन्देलखण्ड की सीमा से लगे हुए जनपद फतेहपुर, कानपुर देहात या और जो क्षेत्र है वहां भी दिया जाय। दूसरे मेरा कहना यह है कि उनका दोष क्या है। इलाहाबाद के जो गंगा पार के इलाके मेजा, बारा, करछना है उस इलाके की यह 20 फरवरी की घटना है आज 5 दिन हो गये हैं आपकी पीठ से घोषणा होनी चाहिए मैं समझता हूं कि इस सरकार को सहृदयता दिखानी चाहिए एक काम यह होना चाहिए कि वहां शांति व्यवस्था भंग हो रही थी इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया आप छोटे नहीं हो जायेंगे, सरकार का अपना जलाल कम नहीं हो जाएगा आज सरकार यह घोषणा कर दे कि जो लोग पांच दिन से गिरफ्तार हैं उनको सीधे रिहा किया जाता है। तीसरे जो मुकदमें लगाये गये हैं जब कोई कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने जाता है वह सीधे अपनी बात कहने के लिये जाता है लेकिन उन पर जो दफाएं लगाई हैं वह शातिर अपराधियों पर लगाई जाती है धरने पर बैठा किसान शातिर अपराधी नहीं हो सकता है इसलिए उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाय और तत्काल उनकी रिहाई की जाय व बुन्देलखण्ड की सुविधायें उनको दी जायें। इसके साथ-साथ जो ट्रैक्टर वगैरह लाये थे उनको तोड़ दिया गया है और उसका अनाज लूट लिया गया है जो भी धरना प्रदर्शन के लिये लाये थे कि वह वहां पर धरना प्रदर्शन के दिन में बनाकर खायेंगे वह भी लूट लिया गया। कुछ पैसा भी था वह भी लूट लिया गया। इसलिये मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उसकी क्षतिपूर्ति उनको करा दी जाय। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अब तक तो इनके पास रिपोर्ट भी आ गयी होगी। मान्यवर, किसानों के आन्दोलन से निपटने के लिये दो रास्ते होते हैं। एक तो अंग्रेजों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का, मैं समझता हूं कि अंग्रेज तो आप हैं नहीं, ब्रिटानिया हुकूमत का, दूसरा रास्ता है सहृदयता का। अगर आप सहृदयता का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो आप उन किसानों को बुला लें वार्ता कर लें। बात चीत कर लें और बातचीत से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। किसानों को वाजिब हक मिलना चाहिए। मान्यवर, यह विषय अविलम्बनीय है क्योंकि चार वर्ष से वह क्षेत्र सूखाग्रस्त है और किसान जेल में बन्द हैं। लोक महत्व का इसलिये है, क्योंकि यह किसानों से जुड़ा विषय है। इस तरह से मान्यवर, यह नियम-56 की दोनों शर्तें पूरी करता है। कार्य-स्थगन का इससे बेहतर विषय और कोई नहीं हो सकता है इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर तथा श्री उदय राज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या है। सारी बात आ गई है। कोई दूसरी बात कहनी है तो कहें। उसी को दोहराने से क्या फायदा।

* श्री उदय राज-

मान्यवर, एक मिनट में। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है लगातार किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले खाद के विषय पर खाद की कमी को लेकर किसानों ने जगह-जगह आन्दोलन किया तो उन पर लाठी और गोलियां चलाई गई। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और इसी के तहत फतेहपुर के किसान अपनी बात को लेकर 19 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बारे में उन्होंने एस0डी0एम0 से परमीशन ले ली थी कि उस दिन वे धरना देंगे और उसी के तहत उन्होंने धरना देने का काम किया। उनकी मांग केवल यह थी कि जिलाधिकारी आयें और उनका ज्ञापन लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर दें। इनकी मांग थी कि सूखा राहत के अन्तर्गत इनको भी मुआवजा मिल जाय। मान्यवर, 20 तारीख को भी इनका आन्दोलन जारी था। न तो वहां पर जिलाधिकारी आये और न ही कोई और अधिकारी वहां पर आकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। जब उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था तो 20 तारीख को 3 बजे उन पर लाठियां, गोली प्रशासन ने चलवाई और 30 लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत करने का काम किया गया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जितने भी लोगों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये हैं वे वापस लिये जायं। दूसरा यह कि जो उन लोगों की मांग थी कि जिस तरह से बुन्देलखण्ड के किसानों के कर्ज माफ किये जाने की बात है उसी तरह से उस बुन्देलखण्ड से सटे क्षेत्र, जहां पैदावार बिल्कुल नहीं हो रही है, उनके कर्जे माफ होने चाहिए और सूखा राहत के अन्तर्गत उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार में लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जहां देखिये पुलिस लाठी, गोली चलवा देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारियों ने उन किसानों के ऊपर लाठी, गोली चलाई है उनके विरुद्ध मुकदमें पंजीकृत करने का काम किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक सरकार का सवाल है। मान्यवर, यह सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के हितों का संरक्षण करने वाली है। यह इस बात से साबित भी होता है कि वे किसान मांग कर रहे थे कि जिस तरह से बुन्देलखण्ड में किसानों को सुविधा दी जा रही है हमको भी दी जाय यानि बुन्देलखण्ड के किसानों के हितों के लिये, जो सूखे से पीड़ित किसान हैं उनके हितों को संरक्षित करने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाने का काम किया है। जहां तक सूखाग्रस्त घोषित करने का काम है, हम लोगों ने भी उधर रहकर इस बात को उठाने का काम किया और चौधरी साहब तो अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि वे राजस्व मंत्री रहे हैं। सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का एक नियम है कि जहां 50 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट होती है और इस तरह की रिपोर्ट जब आती है तो उसके अनुसार सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। इस तरह की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है इसलिये फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

धरना प्रदर्शन की इजाजत है उस पर कोई रोक नहीं है उसमें किसी को रोका नहीं जाता है। लेकिन मान्यवर, यह भी कदाचित उचित नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को कानून को अपने हाथों में लेने की इजाजत दी जाय। मान्यवर, धरना प्रदर्शन जो वहां पर चल रहा था उसके विरोध में मान्यवर, जिला मण्डल वार एसोसियेशन फतेहपुर द्वारा इस बारे में जनपद न्यायाधीश को पत्र लिखा गया कि यहां पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत वहां पर आल्हा को गाया जा रहा है। नारे लगाये जा रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। बिना अनुमति के, इसी के साथ ही साथ मान्यवर, वार काउन्सिल आफ उ0 प्र0 के सचिव द्वारा वहां पर पत्र जिला जज/जिलाधिकारी को लिखा गया 20 तारीख को। जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि जनपद फतेहपुर न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा यह सूचित किया गया है कि न्यायालय परिसर कलेक्ट्रेट में आयोजित धरना प्रदर्शन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग से न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा सामान्य कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे आपसे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के व्यवधान तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर जो कि माननीय न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है पर उचित प्रतिबन्ध लगाते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे कि न्यायालय का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो जाए। यह सचिव के द्वारा वार काउन्सिल आफ उ0 प्र0 के द्वारा लिखा गया। मान्यवर, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो सूचना हमें प्राप्त हुई है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके अनुसार 19-2-08 को सायं लगभग 4.30 बजे जनपद फतेहपुर को बुन्देलखण्ड की तरह सुविधायें दिये जाने किसानों की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कचहरी परिसर फतेहपुर में श्री नरसिंह पटेल सदस्य जिला पंचायत निवासी ग्राम दौलतपुर जनपद फतेहपुर के नेतृत्व में लगभग 1500-2000 लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सायं से रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भाषण नारेबाजी एवं आल्हा के माध्यम से परिसर एवं आसपास के क्षेत्र की शान्ति भंग की गई। हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट बोर्ड एवं डिग्री कालेज की आगामी परीक्षा के कारण, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा जनाक्रोश परिलक्षित हुआ दिनांक 20-2-08 को भी प्रातः से

लगातार जारी रहा। फलस्वरूप कचहरी परिसर एवं आस-पास कालेजों की शान्ति भंग हुई। जिससे क्षुब्ध होकर अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। मान्यवर, इस धरना प्रदर्शन के और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरोध में न्यायिक कार्य का अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया गया। श्री नरसिंह पटेल को कई बार ध्वनि विस्तारक यंत्र को बन्द करने के लिये कहा गया। वार्ता के लिए बुलाया भी गया किन्तु वह इस पर सहमत नहीं हुए। मान्यवर, उस घटना को, कदाचित यह न होती लेकिन मान्यवर, कुछ ऐसे लोग, जिस राजनीतिक पार्टी को पूरे तरह से फतेहपुर ने नकार दिया, ऐसे लोगों में से कुछ लोगों ने निकलकर उसको उग्र रूप देने के लिए उसमें उकसाने का काम किए और पुलिस बल पर पथराव करना शुरू कर दिया जिससे पुलिस कर्मियों को चोटें आई और बाउन्ड्री वाल को उस कैम्पस के तोड़ दिया गया। जिसके कारण आपने देखा होगा जब आन्दोलन इस तरह का उग्र होने की स्थिति होती है तो प्रशासन को भी अपनी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्य करना पड़ता है और इसी उद्देश्य को लेकर माननीय सदस्यों ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि पहले पानी की बाछौर किया गया, मान्यवर, इससे सिद्ध होता है कि वहां पर प्रशासन की चाहत थी कि वहां पर किसी भी तरह से शान्ति व्यवस्था को बनाये रखा जाय और इसके कारण ही मान्यवर, पानी का बाछौर किया गया और नियंत्रण न होने के कारण अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। मान्यवर, जो पुलिस से प्राप्त सूचना है, जिलाधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई उसके अनुसार न तो कहीं पर लाठीचार्ज किया गया है और न ही फायरिंग की गई है।

मान्यवर, उपद्रवियों की इस तरह की कार्यवाही से, मान्यवर, उपद्रवियों द्वारा कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, उसके कारण मान्यवर, जिन लोगों ने पथराव किया, बाउन्ड्रीवाल तोड़ा, उनके खिलाफ थाना-कोतवाली, फतेहपुर में मुकदमा अपराध संख्या-69/08, धारा-147, 148, 149, 308, 336, 353, 332, 427/504/506 और भारतीय दण्ड विधान व 7-क्रिमिनल लॉ अमेडमेंट ऐक्ट पंजीकृत किया गया। अब तक 18 लोगों को जेल में भेजने का काम किया गया है। मान्यवर, इस तरह से प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, जो हमारे पास सूचना है, उसके अनुसार हम बता रहे हैं। मान्यवर, हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हितों का संरक्षण करने वाली यह सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली यह सरकार है, मान्यवर, हमें लोकतंत्र में पूरी आस्था है और जनभावनाओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नियम और कानून के आधार पर आन्दोलन-प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन इसका कदापि यह मतलब नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि वहां के वकीलों के माध्यम से अधिवक्तागण द्वारा आम लोगों के द्वारा इस बात की बार-बार जिला प्रशासन से शिकायत की गई, जिसका मैंने उल्लेख किया है, मान्यवर, उसका पत्र भी हमारे पास है, जो बार ने भी भेजा है, उसके अनुसार कार्यवाही की गयी है। फिर भी मान्यवर, मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सक्षम स्तर से इसको पुनः दिखवाने का काम करेंगे और अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने का काम किया गया होगा तो निश्चित रूप से उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

टीक है, अब श्री हुकुम सिंह।

(कई सदस्यों के बोलने पर थोड़ा व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मैं अपनी बात कह लूं। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आपका नाम लिया गया है, लेकिन मैंने हुकुम सिंह जी को बुला लिया है, उनके बाद आप अपनी बात कह लीजिए, स्पष्टीकरण कर लीजिएगा।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा, मैं भाषण नहीं देना चाहता लेकिन जो मंत्री जी ने कहा है, उसके बारे में सिर्फ जानकारी चाहता हूं, मान्यवर, अधिवेशन हो रहा था, मांग ले करके आए ज्ञापन देना चाहते थे, जिलाधिकारी जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह कलेक्ट्रेट में बैठता है, न्यायालय में बैठता है, जनता वहां जायेगी या जनता को वहां जाने का भी अधिकार नहीं है ? जनता गई, कलेक्ट्रेट में गई, सुबह से शाम तक बैठी रही, आपने कहा कि वे भाषण भी देते रहे, क्या जिलाधिकारी का यह दायित्व नहीं बनता था कि आ करके कि गरीब लोग वहां पर आए हैं, किसान लोग आये हैं, वहां जिलाधिकारी चले जाते, उनका ज्ञापन ले लेते, ए0डी0एम0 चला जाता, एस0डी0एम0 चला जाता, आप बार काउन्सिल का इन्तजार करते रहे और न जाने आपने कितनी बातें कह दी कि मजबूरी में आकर के बौछार करनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा। मान्यवर, लोकतंत्र में जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए जिलाधिकारी में इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए थी, लेकिन वहां तो अहंकार, इगो था कि क्यों धरने पर बैठे हैं, क्यों अपनी मांग मनवाना चाहते हैं ? मान्यवर, बगैर उनकी बात सुने, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, गोली चलायी जाए, फोटो उनके पास है, जिसमें दिखाया गया है, पुलिस वाले गोली चलाते रहे।

श्री अध्यक्ष-

आप फोटो मत दिखाइये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप इन्कार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता इस सरकार में हो तो अहंकार का प्रदर्शन यहां न करें, जबर्दस्ती की बात यहां न करें, आप कहिये, केवल छोटी सी मांग है, यह पहले भी हुआ है, आज भी हो जाए, जब इतने गरीब किसानों पर लाठी चार्ज बर्बरता हुई, मान्यवर, इस सदन की एक समिति बनाकर वहां भेज दें।

श्री लालजी वर्मा-

कब हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह-

हुआ है, मैं बता दूंगा, आपको। मान्यवर, क्या इसमें किसी कानून का उल्लंघन हो जायेगा, परम्पराओं, मर्यादाओं का उल्लंघन हो जायेगा ? हम एक मांग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके पास तो जिलाधिकारी हैं। जिलाधिकारी वहां पर बर्बरता कर चुके हैं तो कौन सी एजेन्सी है जिससे आप निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं। मेरी मांग है कि इस मामले की आप न्यायिक जांच करवा लें। मान्यवर, मेरी मांग है कि आप इस सदन की एक समिति बनाकर उससे जांच करवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है।

श्री अध्यक्ष-

जितना स्पष्टीकरण था, श्री हुकुम सिंह जी ने पूछ लिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में जिक्र किया कि सूखाग्रस्त करने का एक नियम है और उसमें उन्होंने मेरे नाम का भी उल्लेख किया। मान्यवर, सूखाग्रस्त घोषित करने के लिये एक नियम है और उस नियम की जानकारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अवश्य है लेकिन उन्होंने इसको घुमाने का प्रयास किया है। मान्यवर, सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के लिये 50 फीसदी फसल का नुकसान होना जरूरी है लेकिन पहले इसमें यह व्यवस्था थी कि पूरे जिले में 50 फीसदी फसल का नुकसान हो तो पूरा जिला सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का नियम था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने प्रदेश में जब यह स्थिति देखी कि पूरे जिले में 50 फीसदी फसल का तो नुकसान नहीं होता लेकिन कहीं-कहीं गांव में या एक इलाके में 50 फीसदी नहीं बल्कि 100 प्रतिशत तक काश्तकार की फसल सूखें के कारण नष्ट हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखकर सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की जो इकाई थी उसको जिले से घटाकर उसकी छोटी यूनिट तक कर दी थी। तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जो प्रावधान लागू किया था, दोबारा आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि वह प्रावधान आप निकलवा लें। अगर एक रेवेन्यू क्षेत्र में 50 फीसदी से ज्यादा फसल प्रभावित हो गई तो उतने हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का प्रावधान है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हर बात में सिर हिला देते हैं, इससे नहीं चलेगा। मान्यवर, आप भी इनको सिर हिलाने से रोकिये। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जेलों में बंद 30 लोगों से मिलकर आये हैं। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इनके पास जो रिपोर्ट आयी है इसमें यह नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी मन से इस बात को स्वीकार करें। इनकी सारी जानकारी इनको भेजी गई रिपोर्ट से संबंधित है और वह रिपोर्ट कतई विश्वसनीय नहीं है। जब इस सदन के माननीय सदस्य स्वयं वहां गये और उन्होंने स्थिति देखी तो हर हालत में इस सदन की समिति को वहां जाकर तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि सदन की एक समिति तत्काल गठित करके वहां मौके पर भेजी जाये और उन सभी किसानों को रिहा किया जाये, उनके मुकदमें वापस किये जायें और चोटिल किसानों को मुआवजा दिया जाये और सूखा पीड़ित किसान जिन मांगों को लेकर आन्दोलित थे उन मांगों को मानने की घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जी अभी करें। मान्यवर, अगर गन्ना किसान गन्ना मूल्य की मांग करता है तो वहां

पर यह गोलियां चलवा देते हैं। या तो आप यह तय कर दों कि अब धरना नहीं चलेगा, लोकतंत्र की मांग के रास्ते बन्द किये जाते हैं तो वह कानून बना दें। मान्यवर, मेरी मांग है कि आप पीठ से निर्देश करें, मान्यवर, विधान सभा की एक समिति तय कर दें। मान्यवर, चाहें तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में समिति बना दें। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसमें उन्होंने केवल अधिकारियों की रिपोर्ट को पढ़ा है। पूरे विपक्ष ने अधिकारियों की शिकायत की लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस रिपोर्ट को पढ़कर सुना दिया है। यह न तो जांच की मांग को स्वीकार कर रहे हैं, न किसानों की मांगों को स्वीकार कर रहे हैं, न जो किसानों के ऊपर मुकदमें लगे हैं उनको वापस करने की बात कही गई है और यह भी नहीं कहा गया कि कब उन किसानों को रिहा करेंगे। इन्होंने जो अधिकारियों ने अत्याचार किया है, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। यहां तक तक जो प्रतिनिधिमण्डल यहां से गया था उसकी बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं है अर्थात् जो तानाशाही अधिकारियों ने की है उस पर इन्होंने मुहर लगा दी है। यह अत्याचारी सरकार है, किसानों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, उन्हें जेल में बन्द किया जा रहा है हम और हमारा दल इसका विरोध करते हैं और सदन का त्याग करते हैं।

(भाजपा के सदस्यगण नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन लोगों ने जो बहिष्कार किया है, रामकोला में किसानों के ऊपर गोली चलाई तब इनको किसानों का ध्यान नहीं आया। हमारे पास स्पष्ट सूचना है उसके अनुसार न तो किसी के ऊपर गोली चलाई गई और न ही लाठीचार्ज किया गया। जो सामान्य रूप से किया जाता है पानी की बौछार या आंसू गोले छोड़ना, वह किया गया है। मान्यवर, जलिया वाला बाग की तरह रामपुर तिराहे पर काण्ड करने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने ही गेस्ट हाउस में बहन मायावती जी की हत्या कराने का प्रयास किया था। मान्यवर, हमने यह कहा था कि हम सक्षम स्तर से इसकी जांच करायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

किससे आप जांच करायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम मंडलायुक्त से इसकी जांच करायेंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने कह दिया है कि मंडलायुक्त से इसकी जांच करा लेंगे फिर क्या बात है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सरकार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहती है, यह लोकतंत्र में किसानों के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। यह सरकार किसानों के प्रति कोई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहती है और संसदीय कार्य मंत्री जी प्रलाप कर रहे हैं कि कब क्या हुआ ? आज फतेहपुर का किसान चाहता है कि आप मुकदमा वापस लेंगे कि नहीं ।

श्री लालजी वर्मा-

हमने कहा है कि जांच करायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

किससे करायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

कमिश्नर, इलाहाबाद से इसकी जांच करायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सरकार किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, उन पर लाठी चार्ज करा रही है और किसानों के हितों के बारे में सुनना नहीं चाहती है इसलिये इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यगण सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री अम्बिका चौधरी, श्री प्रमोद तिवारी आदि सदस्यों को तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, यह सरकार किसानों का हित नहीं चाह रही है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री अनिल चौधरी अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कमिश्नर से जांच कराने को कहा गया है मैं सहमत हूं लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य से जो लगभग इसी स्तर के अधिकारी हैं, इसकी जांच करा देते तो ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, इन्होंने यह नहीं बताया है कि जो 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं वह तब तक जेल में बने रहेंगे जब तक जांच नहीं हो जाती। यह सरकार किसानों के ऊपर जो मुकदमें लगाये हैं उसे भी वापस नहीं लेना चाहती है। सरकार किसानों के पक्ष में मुकदमा वापस ले सकती है, अदालत तो फैसला तब करेगी, जब सरकार मुकदमा चलायेगी, अगर सरकार चाहे तो मुकदमा वापस ले ले।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, सूचना अग्राह्य हो गई है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर सरकार मुकदमा वापस लेने को नहीं तैयार है, उसकी न्यायिक जांच के लिये नहीं तैयार है, किसानों के हित में काम करने के लिये नहीं तैयार है, तो इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण सदन का बहिर्गमन करके चले गये)

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रत्यक्ष जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। महोदय, किसी भी सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने समस्त नागरिकों को समुचित मात्रा में और समुचित गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के जो आंकड़े हम लोगों को मिले हैं, सरकार इस बात को कहती है कि हमने 80 नागरिकों के ऊपर एक हैण्ड पाईप की व्यवस्था कर दी है। इस समस्या का सम्बन्ध उन हैण्ड पाईपों की व्यवस्था से भी है, इसलिये मैं कह रहा हूं। समुचित गुणवत्ता का अर्थ होता है कि पानी ऐसा हो जो पूरी तरह प्रदूषण रहित हो, जीवाणु, विषाणु, वैक्टीरिया, वायरस जिनके नाते ढेर सारी बीमारियां होती हैं वह न होने पाये और जो विभिन्न कैमिकल पाल्यूयेण्ट्स होते हैं जैसे ब्लीचिंग है, डिटर्जेन्ट्स है नाइट्रेस आक्साइड है, सल्फर है, यह जो ढेर सारी रासायनिक तत्व होते हैं, अमोनिया है, इनका प्रदूषण न होने पाये, यह सरकार का अपना एक दायित्व होता है, सरकार ने इसके लिये ढेर सारे जल संस्थान बनाये हैं, बहुत सारी योजनायें स्वजल से लेकर स्वधारा तक चलाई हुई हैं, लेकिन जो खबरें हम लोगों के पास इधर आई हैं जैसा विभिन्न समाचार-पत्रों में भी आया है, एक साल के अन्दर उन जिलों की संख्या जिसमें एक नये प्रकार का प्रदूषण पाया जा रहा है बहुत तेजी से बढ़ गया है। 2005 में यह बताया गया कि 14 जिलों में यह प्रदूषण है, 2008 में बताया गया कि 51 जिलों में यह प्रदूषण है। यह प्रदूषण अत्यन्त खतरनाक तत्व का है, इसलिये खतरनाक है क्योंकि अगर केवल कोई चमड़ी की बीमारी होती, चमड़ी मोटी हो जाती, राजनेताओं की होती है, नागरिकों की होने लगे यह तो एक बहुत हल्का लक्षण हुआ, मुख्य चीज है इस प्रदूषण तत्व के कारण कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। एक स्तर पाया गया पूरी दुनिया में देखा गया कि जिंक का प्रदूषण होता है, आयरन का प्रदूषण होता है, कैडमियम का होता है, क्रोमियम का होता है, अपने देश में एक नया प्रदूषण हुआ है जो सम्भवतः बंगाल के दुर्गापुर इत्यादि क्षेत्रों को छोड़ करके इससे पूर्व नहीं होता था, लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से गोरखपुर है, बहराइच है, गाजीपुर है, बरेली है, इन सारे जिलों में खतरनाक स्तर तक इसकी मात्रा पहुंच रही है। इसके अतिरिक्त जो ढेर सारे अन्य जिले हैं आस-पास के बलिया है, बस्ती है, सन्त कबीर नगर है, रविदास नगर है, मुरादाबाद है, वाराणसी, इलाहाबाद है, बिजनौर है, अत्यन्त बड़ी मात्रा में जितनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिक्वायर इनकी परमीशिबुल लिमिट होती है 0.1 पार्ट पर लीटर की उससे कहीं बहुत अधिक मात्रा में इसकी पहुंच हो गई है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या क्या है ? कि हम जो नागरिकों को जल देते हैं हैण्ड पाईप का, नागरिक उस जल को निकालते हैं उसे पीते हैं और इस प्रकार से भूगर्भ जल की सारी बीमारियां चाहें वह बालोजिकल पोल्यूशन हो या कैमिकल पोल्यूशन हो, वह सीधे अपने शरीर में ले जाते हैं। अगर सरकार अपने नागरिकों को पाईप पेयजल के माध्यम से पीने के पानी को पाइप के द्वारा नगरों में पहुंचा करके और जल को शोधित करके उन्हें जल दे रही होती तो भले ही जल भूगर्भ प्रदूषण आर्सेनिक का हुआ होता लेकिन वह आर्सेनिक नागरिकों के पेट में पानी के माध्यम से नहीं पहुंचा होता। सरकार का यह दायित्व था कि सभी गांवों में और सभी शहरों में पेय पाईप जल की व्यवस्था करे। लेकिन हम सब गांवों की बात तो छोड़ दीजिये शहरों में बड़ी संख्या में ऐसी बस्तियां हैं जिनमें हम लोग अभी तक कोई पेय पाईप जल की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं मैं इसलिये सदन में ऐसी बीमारियों की चर्चा लेकर आया था जहां डायरिया, गैस्ट्रो, कालरा के प्रकोप के नाते बच्चे मरे हैं। जिस प्रकार से हम नगरीय क्षेत्रों में जल का शोधन करते हैं, वह कोई छिपी बात नहीं है पीने वाले पानी में खुलेआम सिर्फ गन्दगी आती है ऐसा नहीं है, कीटाणु, विषाणु आते हैं ऐसा नहीं है, कभी-कभी तो कीड़े तक आते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सीधे प्रत्यक्ष नागरिकों के जीवन से जुड़ा है। मान्यवर, सरकार का यह दायित्व था कि उन्हें शुद्ध जल उपलब्ध कराती। सरकार शुद्ध जल उपलब्ध कराने में असफल रही है। मैं आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाये। मान्यवर, पहले यह बात होती थी कि बंगलादेश से नागरिक यहां आते हैं और चाय बेचते हैं फिर यह बात भी आयी कि उससे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं अब यह बात भी आ रही है कि बंगलादेश की जमीन से किस तरह से आर्सेनिक आ रहा है। मान्यवर, सरकार के अधीनस्थ जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी एक बैठक हुई थी उसमें माननीय मंत्री जी भी गये थे। उसमें जल संस्थान की, एन0जी0ओ0 की पूरी रिपोर्ट इस बारे में रखी गई। जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक हैं उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन रिपोर्टों को रखे जाने की बात स्वीकार की है। मान्यवर, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक साल में 37 जिलों में आर्सेनिक बढ़ गया है। इसके बावजूद सरकार इसको छुपाने का काम कर रही है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो आंकड़े डा0 साहब ने यहां पर रखे हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। उससे होने वाला जो असर है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, यह बताया गया कि इस आर्सेनिक की मात्रा जिस तरह से गंगा के जल में बढ़ रही है, यह भी बताया गया कि फिर यह यहां से नियंत्रित नहीं हो सकता है क्योंकि इस आ रही समस्या का जो मार्ग है वह बंगलादेश से होते हुए, पश्चिम बंगाल और वहां से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में प्रवेश कर रहा है। मान्यवर, गंगा के दोनों किनारों पर बसे हुए जो स्थान हैं, बलिया है, वाराणसी है, गाजीपुर है, इधर प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, इसका असर सीधे-सीधे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, यह बताया गया कि यह जो आर्सेनिक आता है यह गंगा की बेल्ट में बैठ जाता है और जमीन के आस-पास के इलाकों में प्रवेश कर रहा है। मान्यवर, उससे आगे बढ़कर भी यह है। मान्यवर, गंगा के बेसिन पर जो हैण्डपम्प

लग रहे हैं जो डीप बोरिंग के लग रहे हैं, जिनमें ऊपर की सतह पर पानी उपलब्ध हो जाता है वहां भी इसका असर अब हो गया है। मान्यवर, सीधे सीधे आने वाली नस्ल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, इसके प्रभाव से जो पूरा का पूरा वर्ग है जो गंगा के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, इस आर्सेनिक की समस्या से ग्रस्त होने वाला है। जो उसका प्रभाव है वह अभी डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने बताया है। कुछ प्रभाव हमें मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। मान्यवर, कोई रिसर्च के बगैर बात नहीं की जा रही है। वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें मंत्री जी भी गये थे उनकी उपस्थिति में यह सब आंकड़े रखे गये हैं। इसलिये यह गम्भीर और चिन्ता का विषय है। मान्यवर, इसके पहले कि यह समस्या एक गंभीर रूप धारण करे, यह संक्रमण का रूप धारण करे, गंगा के किनारों के स्थानों को अपने आगोश में ले ले, इस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। मान्यवर, उस कांफ्रेंस में जहां इसके कुप्रभाव को बताया गया है वहीं पर इसे रोकने के कुछ सुझाव भी आये हैं। मान्यवर, इस तथ्य को उठाने का एक मकसद यह भी है कि सरकार पहली बात तो यह कि यह स्वीकार करे कि क्या यह सही है और इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो इससे बचाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम 56 का जो नियम है वह आपने स्वयं देखा होगा। आज ही इसी विभाग का ग्राम्य विकास विभाग का बजट है जिसमें माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके ऊपर मंत्री जी द्वारा पूरा जवाब दिया जायेगा। इसलिये यह नियम 56 में नहीं आता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे अस्वीकार करने का कष्ट करें। मान्यवर, अन्य पहलू जो हैं उसके बारे में बताया गया आज ही ग्राम्य विकास विभाग का बजट है इस पर चर्चा करने का सबको अवसर मिलेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को एक विद्वतापूर्वक सलाह है कि यह जल से संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज ग्राम्य विकास विभाग का बजट है माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी आपसे मित्रवत् सलाह है। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग से इसका कोई मतलब नहीं है। पेयजल पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का यह मामला है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक मामला है। उसका ग्राम्य से मान्यवर, इस तरह से खिलवाड़ न करें।

मेरी एक बात सुन लें। इस पर ग्राम्य विकास की बात नहीं है इस पर सरकार एक वक्तव्य दे दे। मैं इस पर सहमत हूं। बजट को छोड़ दे सरकार अपनी सुविधानुसार कल परसों, नरसों जब चाहे एक वक्तव्य दे दे लेकिन इस तरह से बजट पर न छोड़े। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसका कोई प्रभाव है। सरकार एक अध्ययन कर ले एक दिन बाद अगले सप्ताह इससे अवगत करा दें इसमें कौन सी दिक्कत है। एक वक्तव्य आ जाय सरकार की तरफ से, मंत्री का वक्तव्य आ जाये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के ऊपर किसी सदस्य ने शासन के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, सीधा दोनों सदस्यों ने कहा कि यह बंगलादेश से चल करके पश्चिम बंगाल, तो यह तो सबके चिन्ता का विषय है और सभी को किस तरह से रोका जाय इसका प्रयास करने का है। कोई शासन के ऊपर आरोप लगाये होते तब विभाग के बजट पर छोड़े होते, वह भी उस विभाग से संबंधित नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार इसका संज्ञान लेकर आगे सदन को आश्वस्त करने के लिये कुछ बात कहे, बस इतना ही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसीलिये मैंने उसकी गम्भीरता को समझते हुए कुछ कहना उचित नहीं समझा। मैंने यह भी कहा, निवेदन भी किया कि इससे जो भी संबंधित है क्योंकि बजट अनुदान मांगे आज से ली जा रही हैं। मैं उसकी गम्भीरता को मैं महसूस कर रहा हूं इसलिये मैंने उसकी मेरिट डी मेरिट के बारे में कुछ कहा ही नहीं। चूंकि जिस नियम में आपने उठाया है उस नियम के अन्तर्गत वह नहीं आता है मैंने केवल इतना ही कहा है और जहां तक सवाल है उस पर चर्चा करने का, बात कहने का वह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है और आज ही प्राप्त हो रहा है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट है और ग्राम्य विकास विभाग का भी बजट है। तो अगर उस समय कहेंगे तो उस समय जो भी कार्यवाही हो सकती है वह होगी। जहां तक अगर माननीय सदस्य वक्तव्य की बात करते हैं।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा-

अगर माननीय मंत्री जी इस पर संतोषजनक उत्तर नहीं देंगे तो क्या फिर से यह प्रश्न उठेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना को सुना। यह गम्भीर विषय है जनजीवन से जुड़ा हुआ है। मैं सरकार को निर्देश देता हूं कि इस पर एक वक्तव्य दे दे। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने एक जनहित का विषय दिया था 311 में दिया था। सम्भवतः मेरी वह सूचना दबकर रह गई है। वह पूरे प्रदेश से संबंधित है, जनहित का है। आज आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश से यह शिकायत आ रही है कि न जाने कितनी गाड़ियां जो निर्धारित कम्पनी का मानक है उसको छोड़ करके एल0पी0जी0 लगाकर चलाई जा रही है। खासतौर से स्कूलों में।

श्री अध्यक्ष-

कल आप लगा दे, ले लेंगे। आज वह सूचना नहीं ली गई, सही है आपकी सूचना कल ले लूंगा।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद देवरिया का हेतिनपुर ग्राम राजस्व ग्राम है और मेरे विधान सभा क्षेत्र का है जिसका कुशीनगर जनपद ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करता है। 8 जनवरी, को एक बस और टैम्पो में दुर्घटना हुई जिसमें 2 छात्राओं की तत्काल उनकी मौत हो गई और 6 गम्भीर रूप से घायल हो गई। तत्काल उनको मेडिकल कालेज भेजा गया। मुकामी पुलिस एवं जिले के सभी आला अधिकारियों को सूचना दी गई कोई मौके पर डेढ़ घंटे तक नहीं पहुंचा तो भीड़ काफी कुछ आक्रोशित हो गई थी। उसका आक्रोश फूटा और नेशनल हाइवे को जाम कर दिया। अभी चर्चा हो रही थी फतेहपुर के मामले में, अंग्रेजी हुकूमत की। डेढ़ घण्टे, बाद अंग्रेजों के जमाने के कोतवाल लाठियां भांजते हुए वहां पहुंचे और जहां पर मौत हो गई हो लोग चिल्ला रहे हैं, वहां सहानुभूति प्रकट करने के बजाय संवेदना प्रकट करने के बजाय लाठी चलाने, गोली चलाने का काम किया जिसमें दो लोग घायल हो गये, एक कमलेश गिरि और दूसरा लड़का परवेज इन दो को गोली लगी, चार घण्टे तक जिले का कोई आला अफसर वहां नहीं आया तो स्थानीय लोगों ने गोरखपुर जोन के आई0जी0 और डी0आई0जी0 को सूचना दी आई0जी0 जोन मौके पर पहुंचे और स्थिति को सामान्य बनाने और कार्यवाही करने का आश्वासन देकर दोनों घायलों को कोतवाली हाटा ले गये वहां पर इन लोगों ने अपने प्रभाव में उनकी मेडिकल जांच में केवल खरोंच दिखा दिया, चलिये यह तो पटाक्षेप हो गया। लेकिन जो आपके प्रभारी कोतवाल हैं, उन्होंने एक फर्जी मुकदमा 13 लोग नामजद और एक हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज कर दिया। उसमें आज स्थिति यह है कि एक महीना तक पुलिस चुप रही, कुछ नहीं किया, सब सामान्य हो गया। हम लोग भी वहां गये थे और वहां जाकर मृतक परिवार को और जो घायल थे, उनको आर्थिक सहायता भी दिया गया, संवेदना भी प्रकट किया गया और इस प्रकार इसका पटाक्षेप हो गया कि यह एक दुर्घटना थी इसमें प्रशासन से मांग भी हुई थी कि मृतक और घायलों को आर्थिक मदद दिया जाय। लेकिन न सरकार ने और न जिला प्रशासन ने कोई मदद किया। चलिये बात खत्म। लेकिन आज एक महीने के बाद ऐसी स्थिति बन गई है कि राम मनोहर विश्वकर्मा उसी फर्जी केस में पकड़े गये। उनकी बड़ी-बड़ी मूछों को पुलिस ने उखाड़ दिया, और इतनी बुरी तरह से पिटाई किया जैसे किसी अपराधी की वह मौत से जूझने लगे और उसके बाद पेशाब करके उनको पिलाया गया। यह स्थिति कुशीनगर पुलिस की है, वहां पूरा आतंक और भय व्याप्त है। एक हजार अज्ञात लोगों के घरों पर दविश दी जा रही है हेतीपुर और उसके दोनों पुरवों के लोग घर छोड़कर भाग गये हैं ऐसी स्थिति कभी अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं देखी गई थी। मैं तो कह रहा हूं कि उस कोतवाल साहब को आप सदन में बुला लीजिये उनको ईनाम दे दीजिये, उनको एस0पी0 बना दीजिये। लोकतंत्र में अपनी बात कहने पर लोगों के साथ संवेदना प्रकट करने के बजाय लाठी और गोली चलाई जाय आतंक पैदा किया जाय महीने भर बाद जिस तरह की कार्यवाही की जाये जिससे वहां के लोग त्रस्त हो गये हैं। आतंक और भय व्याप्त है। लोग घरों से पलायन कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण कम ही देखा जाता है। माननीय

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि मृतक परिवार और घायलों के प्रति यदि उन्हें संवेदना है तो उनको आर्थिक मदद कर दिया जाय और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाय। तथा जिन निर्दोष लोगों को फंसाया गया है उनके मुकदमों को वापस लिया जाय और जो ब्रिटिशकाल के दरोगा हैं, कोतवाल हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाय। मैं इस बात पर विशेष बल दूंगा कि जिन निर्दोष लोगों को फंसाकर पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाया गया है, उस पर विराम लगाकर इस मामले की अविलम्ब जांच कराके ऐसे दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें।

(डा0 पी0के0 राय जी का नाम पुकारे जाने पर)

डा0 पी0के0 राय-

माननीय विश्वनाथ जी को सुन लीजिये।

श्री विश्वनाथ-

नियम-56 के अन्तर्गत माननीय ब्रह्माशंकर जी ने जो सूचना आपको दी है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं क्योंकि उस नेशनल हाईवे से मैं भी आता जाता हूं और कसया हमारा पड़ोसी क्षेत्र है, मैं भी आग की लपट से वंचित नहीं हूं बल्कि उसकी गरमी हमारे यहां तक पहुंच रही है उसी का उल्लेख करने के लिये आपसे मौका चाहा है, आपने मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, जो सरकारी पुलिस है जो अमला है, मान्यवर, लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को नौकर कहा गया है तथा हम और आप जनप्रतिनिधि हैं। सरकार उनको नियंत्रित और संचालित करने के लिये है। दो बेटियां मर गई, छः बेटियां घायल हो गई, अन्य लोग भी घायल हुए। मान्यवर, एक्सीडेंट था, संयोग था, उसमें सरकार का कसूर कहां है इसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन चूंकि प्रस्ताव पर बल देना है, आपसे राहत और जांच की मांग करनी है और वक्तव्य के लिये अनुरोध करना है, इसलिये मैं कहना चाह रहा हूं कि मरने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद क्या कोई मंत्री वहां पर पहुंचा ? सरकार इतनी निरंकुश और संवेदनहीन है कि इतनी मौतें होने के बाद यह खबर आग की तरह फैल गई, लोग आ गये और मान्यवर, उस कोतवाल की क्या हिम्मत है, मान्यवर, कोई भी संवेदनहीन व्यक्ति भी यदि उन मरे हुए और घायलों को देखता तो पिघल गया होता लेकिन उसने लोगों पर लाठियां चलवाई। डी0आई0जी0 संवेदनशील था, उस व्यक्ति ने संवेदना प्रकट की और उस मामले का पटाक्षेप कराया। रास्ता खाली हो गया, लोगों को लाशें दे दी गई और लोगों ने मेडिकल कालेज तथा दूसरे अस्पतालों में सम्पर्क किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पुलिस निरंकुश हो गई है और आये दिन रोज घटनायें आपको सुनने को मिल रही हैं। मेरा कहना है कि इस घटना की जांच करा ली जाये और जो लोग दोषी हों उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। मान्यवर, हजार लोगों को केवल सुबहे में ही, उनकी कोई पहचान भी नहीं है एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई। पुलिस घूम-घूम करके लोगों को गांव छोड़ने के लिये मजबूर कर रही है, पैसा लिया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है आखिर लोग कैसे अपने घरों में रहें। हजारों अनाम/अज्ञात लोगों पर इस तरह से एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई तो मान्यवर, इस पर अंकुश

लगवाइये और इस तरह की कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध शासन से कार्रवाई करवाइये, यह हमारी मांग है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जिन लोगों की मौत हुई है तथा जो घायल हुए हैं उनको सरकार सहायता भी प्रदान करे। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव को आप स्वीकार करें क्योंकि जहां पर हजारों-हजार लोग प्रताड़ित किये जा रहे हों और गांव छोड़ने के लिये मजबूर हों तो इससे गम्भीर लोकमहत्व और तात्कालिक प्रकरण दूसरा नहीं हो सकता।

(मा0 सदस्य श्री दीनानाथ कुशवाहा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आगे अनुदान मांगों पर चर्चायें हैं, जिसमें सभी सदस्य चर्चा में हिस्सा लेंगे, एक निर्णय हुआ था तो मैंने मा0 विश्वनाथ जी को बुलवा लिया अब जवाब सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 08-01-2008 को हेतिंगपुर देवरिया मोड़ पर एक अनुबन्ध बस तथा एक टैम्पों में टक्कर होने से छः छात्राओं, एक महिला और एक व्यक्ति को गम्भीर चोटें आई थीं, जिसमें से दो कुमारी किरन तथा मंजू की मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। जिसके आधार पर थाना कोतवाली हाता में मुकदमा अपराध सं0 5/08 धारा 279/337/338/304 (ए) भारतीय दण्ड पंजीकृत किया गया। मान्यवर, इसी के साथ-साथ इस घटना के बाद काफी लोग इकट्ठा हो गये और मान्यवर, यह एक चिन्ता का विषय है पूरे प्रदेश में। कहीं भी जब एक्सीडेन्ट होता है तो यह देखने में आता है कि उसके बाद भीड़ इकट्ठा होती है, मृतकों को स्वयं सहायता तो नहीं करते लेकिन जो बस है या दूसरी सवारियां आती हैं, विशेष रूप से रोडवेज की बसों को जलाना शुरू कर देते हैं मान्यवर, यहां पर भी यही हुआ। उत्तेजित भीड़ द्वारा आग लगाई गई और चारों तरफ से टैम्पों और बस जल रहे थे। पुलिस पहुंची तो उत्तेजित भीड़ ने उनके ऊपर भी पथराव करना शुरू कर दिया। किसी तरह से कुछ सम्भ्रान्त लोगों के सहयोग से और अपर पुलिस अधीक्षक के सहयोग से मामला शान्त किया गया लेकिन जो बस और टैम्पो जल रहे थे और पथराव किया गया उसके आधार पर एक दूसरा मुकदमा उत्तेजित लोगों के खिलाफ दायर किया गया, मुकदमा अपराध संख्या 6/8 । दोनों मुकदमों में 5 लोग गिरफ्तार किये गये हैं और दोनों मामलों की जांच क्षेत्राधिकारी के द्वारा की जा रही है और विवेचना में जो तथ्य आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, एक निश्चित इलाके की क्षेत्रीय घटना है, यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः आग्रह है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और विश्वनाथ जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये अग्राह्य करता हूं।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि कम से कम मृतक परिवार और जो घायल हैं उस परिवार को कुछ सहायता करवा दें और इसकी घोषणा सदन में कर दें।

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, इस सूचना को मैं अग्राह्य कर चुका हूं, अब आप बैठिये। अब सरकार को निर्णय लेना है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, अपरिहार्य परिस्थितियों में मैंने नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दी है। मेरा जनपद सिद्धार्थनगर है और यह नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। जब कभी कोई बात आती है चाहे भारत सरकार की तरफ से हो या प्रदेश सरकार की तरफ से हो फौरन कह दिया जाता है कि यह जिला संवेदनशील है और तमाम तरह की बातें उस सन्दर्भ में उठती रहती हैं। वहां पर 23 जनवरी, को एक व्यापारी के दरवाजे पर जो भारत और नैपाल सीमा से मुश्किल से 25 मीटर दूर है, एक बड़े भारी बम का बिस्फोट हुआ, कोई बाहर नहीं था इसलिये सब बच गये। चारों तरफ से लोग दौड़ करके आये, उसकी जांच ही कर रहे थे कि एक बम और गिरा वह फूटा नहीं जिससे लोगों की जाने बच गई। इसके पहले भी बढ़नी कस्बे में 6 फरवरी को सरदार हरचरन सिंह के घर में साढ़े चार-पांच लाख की लूट हुई अपराधियों का रिवाल्वर भी छूट गया है। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे जिले में जहां-जहां देखेंगे बैंक में लूट हुई, राहजनी की गई, डकैती की गई। मोटर साइकिलों की बहुत चोरी होती है, मोटर साइकिल चोरी कर उस पार नेपाल में पहुंचा देते हैं। पुलिस अधीक्षक से भी कहा कि यह संवेदनशील जिला है, पूरा कस्बा और बार्डर भयभीत है। पूरे नेपाल में अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि मद्वेशियों का आन्दोलन चल रहा है और वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है। कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि फौज वाले भी जान बचाने के लिये इधर भाग आते हैं। अभी दो सिपाही 4 एस0एल0आर0 ले करके भागे हैं और बार्डर में छिपे हैं। मेरा आग्रह है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति गिर रही है, पुलिस को जितनी सक्रिय होने की जरूरत है उतना नहीं होती है। पुलिस की सक्रियता तब बढ़ती है जब पुलिस अधीक्षक की पत्नी जो गोरखपुर में सब इंस्पेक्टर है, समान खरीदने के लिये बार्डर पर आती है तब वह चुस्त-दुरुस्त रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो घटनायें हो रही हैं, सीमा खुला है। कोई इधर से बम डाल दे तो पूरा कस्बा उड़ जायेगा, हमारा गांव उड़ जायेगा। जितनी देर में लखनऊ पहुंच सकते हैं उतनी ही देर में काठमाण्डू पहुंच जायेंगे। इधर तमाम घटनायें हुई हैं। जोगिया थाना में, मोहाना में, त्रिलोकपुर थाने में बैंक लूटा गया। ऐसा नहीं है कि मुकदमा नहीं लिखा गया लेकिन 2-2 महीने हो गये, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लोगों में भय व्याप्त है। बम विस्फोट हो रहा है हमारा बार्डर एरिया है यह अशांत हो रहा है इस पर गम्भीरता से कार्यवाही नहीं हुई अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई0सी0एल0 के लोगों, माओवादियों की सेना और मधेसियों की जो सेना बन रही है इनमें टकराहट है वहां से लोग भागकर, असलहे लेकर यहां आ जाते हैं जिससे किसी भी समय जनपद में गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिये मेरा आग्रह है कि यह 23 फरवरी की घटना है अविलम्बनीय है तथा देश और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ी हुई यह घटनायें हैं इसलिये मैं आपसे आग्रह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करूंगा कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करा दें। मैं यह जोर नहीं दे रहा कि नियम 56 के अन्तर्गत काम रोककर इस पर चर्चा करा दें इसके लिये मैं दबाव नहीं डालूंगा क्योंकि अभी इससे भी महत्वपूर्ण कार्य बजट पर चर्चा का है मैं इतना जरूर चाहूंगा कि कार्य-मंत्रणा समिति में बात करके इस पूरे जनपद के बारे में हमारे जनपद महराजगंज जो बार्डर का जनपद है वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर ली जाय। संसदीय कार्य मंत्री जी से कहेंगे कि आप बस्ती गये थे आपने समीक्षा किया लेकिन बेहतर होता कि सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर बैठते आप वहां महराजगंज बैठते तो आपको बहुत सी जानकारियां मिलतीं अगर इसको रोक नहीं पाये तो आने वाले दिनों में बड़ी भयावह स्थिति सीमा पर हो सकती है इसलिये अनुरोध है कि इस पर एक घण्टे की चर्चा किसी दिन नियत कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

यह सरकार संवेदनशील है और अपराधों पर नियंत्रण के लिये विशेषकर यह जो सीमावर्ती जिले हैं उस पर पूरी सजगता के साथ कार्यवाही की जा रही है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई घटनायें न होने पायें। इसके लिये जो आवश्यक कदम हैं वह उठाये गये हैं व इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती इसलिये इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री माता प्रसाद पाण्डेय व संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह नियम 56 में नहीं आती है इसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

किसी दिन एक घण्टे की चर्चा करवा लें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ जब बैठेंगे उस समय दिखवा लेंगे।

(श्री प्रदीप माथुर का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह घटना बलिया जनपद की 9 फरवरी की है। सरकार के कामकाज की लापरवाही का इससे जीता जागता उदाहरण और क्या हो सकता है। जिसमें एक बहुत हृदय विदारक घटना घटित हुई। मान्यवर, यह बैरिया थाना बलिया का संजय दुबे नामक व्यक्ति जिसकी गाजियाबाद में रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस परिवार का कोई व्यक्ति कामने वाला नहीं है। यही व्यक्ति कमाने वाला था। उसकी पत्नी और तीन बच्चे हैं जिनका भरण पोषण इसी की आमदनी से होता था। इसके मर जाने के बाद परिवार में शून्यता आ गई। आठ महीने तक इसकी पत्नी दर-दर की ठोकरें खाती रही कि किसी प्रकार से पारिवारिक लाभ योजना, कृषि दुर्घटना योजना के अन्तर्गत कुछ पैसा मिल जाय ताकि कुछ दिनों तक परिवार का भरण पोषण उसी के सहारे हो जाय। आठ महीने बाद जब उसे लगा कि अब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है कोई सहारा सामने नहीं आया तो उसने अपने बच्चों को जहर दे दिया जब उसके सारे विकल्प समाप्त हो गये उस वक्त उसने यह काम किया क्योंकि कोई मां अपने बच्चों को जहर ऐसे नहीं देती है। 9 तारीख को उस मां ने अपने तीन बच्चों दो बेटियों एक बेटा सोनी, मोनी व बेटा शान जिनकी उम्र 12 वर्ष, 10 वर्ष व 7 वर्ष थी को जहर खिला दिया उसके बाद उसने खुद जहर खा लिया। इस सदन में कई बार हो चुका है कि भूख से गरीबी से लोग आत्म हत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उसका किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया। इसमें जहर खाने का परिणाम यह हुआ कि पत्नी शोभा किरन दुबे व बेटी सोनी ने दम तोड़ दिया व दो बच्चे बेटा शान व मोनी बहुत खराब हालत में बेहोशी की हालत में बच गये हैं। अभी भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाये हैं उस परिवार के पास जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है। अगर समय से उनको पारिवारिक लाभ योजना और कृषि दुर्घटना बीमा योजना का पैसा मिल गया होता तो शायद यह घटना न होती । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से दो बातों का आग्रह सरकार से करना चाहता हूं कि इनके परिवार के भरण-पोषण के लिये कुछ आर्थिक सहायता देने के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसी सदन में घोषणा कर दें तो कम से कम दो बच्चे जो बचे हैं जिनकी जान बच गई है उनका कुछ सहारा हो सके और जिन लोगों की लापरवाही से इनको पारिवारिक लाभ योजना और कृषि दुर्घटना बीमा योजना का पैसा 8 महीने के अन्तराल में भी नहीं मिल पाया है उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, दो-दो जाने गई हैं और दो बच्चे जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। मान्यवर, यह बड़ी हृदय विदारक घटना है, रोगटे खड़े करने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति न हो इसलिये आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसमें उनको सहायता दी जाय। आपने मुझे कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं।

*लोक निर्माण एवं सिंचाई आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आप कुछ कहना चाहते हैं ? कुछ निर्देश देने हों तो दे दें।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और कृषि दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 8 महीने बीतने के बाद भी नहीं मिला। एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गई। इसको दिखवा लें कि पत्रावली की सभी औपचारिकतायें पूरी थीं तो समय के अन्दर लाभ क्यों नहीं दिया गया ? अन्यथा हताश होकर इस तरह की घटना न होती।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ठीक है, मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी को और संसदीय कार्य मंत्री को मैंने सुना। यह नियम 56 में नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इतनी हृदय विदारक घटना है। उनके पास एक रोटी भी नहीं है। उनको कुछ आर्थिक सहायता आपके माध्यम से मान्यवर, हो जाती। मान्यवर, कभी तो कहीं कुछ संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिये। आर्थिक सहायता के बिना यह परिवार नहीं चल सकता है।

श्री अध्यक्ष-

सूचना अग्राह्य हो चुकी है। आप अलग से बात कर लीजियेगा। डा0 अजय तोमर जी, कम समय में अपनी बात कहियेगा। आगे बजट भी प्रस्तुत होना है।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 पर बोलने का अवसर दिया, इसलिये आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज एक तरफ सूखे की स्थिति है, गन्ने की फसल, आलू की फसल, गेहूं की फसल बर्बादी की कगार पर हैं। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आज ट्रान्सफार्मर चाहे वह निजी नलकूप के हों या राजकीय नलकूप के हों, जिनसे किसान के खेतों में पानी मिलता है, फूंकने के बाद दो तीन महीने के बाद नहीं मिल रहे हैं। किसान को स्वयं ट्रान्सफार्मर बिजलीघर तक पहुंचाने पड़ते हैं। बिजली घर में जे0ई0 और एस0डी0ओ0 भी समय पर नहीं मिलते हैं। ट्रान्सफार्मर किसी तरह से बिजलीघर पहुंच जाता है तो जो वेटिंग लिस्ट होती है उसमें 63 वां 100वां नम्बर रहता है। 25वें को भी 100वां नम्बर ही मिलता है। बागपत के प्रत्येक ट्रान्सफार्मर की स्थिति भयानक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर ट्रान्सफार्मर की उपलब्धता समय से सुनिश्चित करायें। आपके अनुसार यदि 72 घण्टे में नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक सप्ताह के अन्दर तो अवश्य उपलब्ध हो जायेंगे तो वहां के किसान आपके एहसानमंद होंगे। नहरों में पानी नहीं, बिजली नहीं। दो तीन घण्टे बिजली मुश्किल से मिलती है। वहां के सभी बिजलीघर अतिभारित हैं। वहां पर बिजली की व्यवस्था डबल ग्रुप से करने के लिये व्यवस्था करने का कष्ट करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राजकीय नलकूप में जितने भी ट्रान्सफार्मर खराब हैं उनको समय से बदलने की कार्यवाही की जायेगी। इसमें जो भी अधिकारी और कर्मचारी विलम्ब करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

डा0 अजय तोमर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैंने सुना यह नियम 56 में नहीं आता है इसको अग्राह्य किया जाता है।

(डा0 अजय तोमर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था दे दी है तुरन्त तो हो नहीं जायेगा बैठें।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-13
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,40,89,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के वर्ष 2008-09 के बजट को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं विशेष रूप से आभारी हूं। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री, बहन कुमारी मायावती जी का जिन्होंने मुझ अकिंचन को एक मजदूर के बेटे को इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ग्राम्य विकास विभाग का महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी ग्राम्य विकास विभाग गांव से जुड़ा हुआ, गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें इस सरकार का बजट में 1952 करोड़ 90 लाख रुपया प्लान में नियोजित किया गया है तथा 401 करोड़ 43 लाख रुपया नान प्लान में रखा गया है। हमने गरीब से, मजदूर से गांव के जो गरीब हैं उनको गांव में रोजगार मिले, श्रम परक रोजगार मिले इसके लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत राज्यांश की मद को बढ़ा कर जो सौ करोड़ था उसको तीन सौ करोड़ करने का प्रावधान किया गया है।

(मेजें थपथपाई गई)

साथ ही प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत जो अवस्थापना का मद है आर0आर0डी0ए0 में जो कार्य संचालन के लिये, दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का प्राविधान कर रहे हैं। गांव में इस सरकार का मानना है कि जो गरीबी है वह अपने आप में डिसीज (बीमारी) नहीं है। बल्कि बेरोजगारी से पैदा हुई बीमारी है। अगर गांव में स्वरोजगार के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने में अगर हम सफल होते हैं तो गरीबी अपने आप समाप्त हो जायेगी। गरीबी तो एक लक्षण है बेरोजगारी का, जो बेरोजगारी की बीमारी है, यह लक्षण है। गरीबी में लक्षण का इलाज करते हैं तो बीमारी समाप्त नहीं हो सकती है। अगर बीमारी को जड़ में जाते हैं तो बीमारी समाप्त होती है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी का मानना है कि बेरोजगारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने है उसमें बड़े पैमाने पर प्लान वे में गांव की जनता को स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। इसलिये स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की मद में उत्तर प्रदेश के 96 करोड़ 26 लाख से बढ़ाकर 124 करोड़ 45 लाख रुपये का प्राविधान कर दिया गया है। इन्दिरा आवास योजना में भी राज्यांश जो है, उसमें हम 40 करोड़ रुपये की वृद्धि कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सभी मा0 सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 42 लाख लगभग, आवास विहीन, बी0पी0एल0 सूची परिलक्षित है, एक बहुत बड़ी सूची है। लगभग 42 लाख आवास विहीन,

बी0पी0एल0 ग्रामीण आज गांवों में निवास करते हैं, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना भी वर्ष 2007-08 से ही संचालित करने का काम किया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, मा0 बहन जी ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। महामाया आवास रोजगार योजना में गांवों के लोगों को स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्र सरकार के अतिरिक्त एक नई योजना अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना भी उत्तर प्रदेश की सरकार संचालित कर रही है जिसमें 22 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांव में आज बड़ी समस्या जो बेरोजगारी का है, तो वित्तीय वर्ष 2007-08 में हमारी सरकार ने लगभग 255 करोड़ रुपये खर्च किया है और 2,28,334 स्वरोजगारियों को लाभान्वित करने का काम किया है और स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना को उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ, पारदर्शिता के साथ और इसमें जो विगत वर्षों से फैला हुआ भ्रष्टाचार था, उसमें पूरी कार्यवाही करके, सख्ती करके, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करके और गांव के ग्रामीणों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने का काम किया है। मान्यवर, मैंने स्वयं कई गांव में जा करके अनेकों जिलों में जा करके हमने सीधे एम0जी0एस0वाई0 के कई लाभार्थियों से बात की है और उनको प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। मान्यवर, हमारा ऐसा मानना है कि जो कच्चा माल गांव में है, वह शहर में आता है और यहां से उससे निर्माण हो करके पुनः गांव में ही वापस जाता है इसलिये उससे जो रोजगार मिलता है वह नगरीय क्षेत्र के लोगों को ही ज्यादा मिलता है और गांव का आदमी बेरोजगार हो जाता है। इसके कारण बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं।

(इस समय 2 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधामोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए)

इसलिये गांव में ही कच्चे माल से चीजों का निर्माण किया जाये इसके लिये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का काम और ग्रामीण बाजार विकसित करने का काम जो हाट बाजार है एम0जी0एस0वाई0 की स्थापना मद से यह सरकार विकसित करने जा रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी का ऐसा मानना है कि केवल बेरोजगारी भत्ता देने से गरीबी समाप्त होने वाली नहीं है, बल्कि लोगों को स्वरोजगार दिया जाए और एक प्लान वे में लोगों को स्वरोजगार दिया जाये। इसलिये मा0 बहन जी का मानना है कि स्वरोजगार अपनाओ, गरीबी हटाओ। लोग जब स्वरोजगार की तरफ आकर्षित होंगे, तभी गरीबी को हटाया जा सकता है। गांवों में कुशल कारीगर लोगों को ट्रेन्ड किया जाए, इसके लिये ग्राम्य विकास विभाग के तहत जो राज्य प्रशिक्षण संस्थान हैं, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं और जिला प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनका पूरी तरीके से उपयोग करके और एम0जी0एस0वाई0 के जो ग्रुप हैं, उनको ट्रेंड करने का, उनको कारोबार की तरफ, धन्धा के प्रति, व्यापार के तरफ आकर्षित करने का, उनको प्रेरित करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत भी 52 हजार लोगों को इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें 15 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को भी इस सरकार ने पूरी गम्भीरता के साथ लिया है। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बहन जी ने जब देखा कि राष्ट्रीय रोजगार ग़ारण्टी योजना को अगर पूरी तत्परता से लागू करना है तो इसके लिये

उन्होंने 58 रुपये मजदूरी जो कि वर्षों से उत्तर प्रदेश में चल रही थी उसको संशोधित नहीं किया गया था इसलिये सरकार बनते ही न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित करते हुए 58 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का काम किया है। मान्यवर, देश के दूसरे प्रान्तों में कहीं पर भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा न्यूनतम मजदूरी नहीं है। केवल एक राज्य केरल को छोड़कर, बाकी सारे राज्यों में ज्यादा न्यूनतम मजदूरी की दरें उत्तर प्रदेश की है। आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मजदूरी की मेहनत देने का काम न कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है और न भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में तो कुल 65 रुपये न्यूनतम मजदूरी की दर है। बहन जी की अगुवाई में केवल उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित है और इसको हमने पूरी सख्ती करके लागू करने का भी काम किया है और इसलिये खुद हमने जगह-जगह जाकर अधिकारियों को सख्ती करने का काम किया है और अब तक प्रदेश में 71 लाख परिवारों को 39 जिलों में जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू है, जॉब कार्ड निर्मित करने का काम किया और 31 जनवरी, 2008 तक 38 लाख परिवारों को रोजगार देने का काम किया गया है। 1 लाख 36 हजार मजदूरों को 100 कार्यदिवस का कार्य देने का उल्लेखनीय काम किया गया है और जनवरी, 2008 तक 911.15 लाख मानवदिवस सृजित करने का काम इस योजना के अन्तर्गत किया गया है और 1331 करोड़ रुपये मजदूरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वितरित करने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया है। मान्यवर, नरेगा योजना में आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर नम्बर 2 पर आ चुका है। मध्य प्रदेश में जहां मजदूरी की दरें बहुत कम हैं उससे उत्तर प्रदेश थोड़ा ही पीछे है। दूसरे प्रदेश जहां पर कई सालों से नरेगा योजना चालू की गयी थी, आन्ध्र प्रदेश से भी आगे निकलकर आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर आ चुका है और हमें ऐसी उम्मीद है कि मार्च की समाप्ति होने तक लगभग 16 सौ करोड़ रुपये खर्च करके उत्तर प्रदेश में इस स्कीम को बड़े पैमाने पर गांवों के ग्रामीणों को, गांवों के मजदूरों को लाभान्वित करने का काम किया जायेगा। तो इस तरह से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह गांव से जुड़ा हुआ और गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें हमने कई महत्वपूर्ण काम किये हैं। इन्दिरा आवास योजना में, जब हमारी सरकार सत्ता में आयी, तो इससे पहले की जो सरकार थी उसमें बड़ा भ्रष्टाचार था, उसको समाप्त करने के लिये जो इन्दिरा आवास योजना में पचास प्रतिशत धनराशि पहले लाभार्थी को दी जाती थी और आधी रोक ली जाती थी, वह बाद में दी जाती थी, इस प्राविधान को समाप्त करने के लिये जुलाई के महीने में आदेश जारी कर दिये गये हैं कि पचहत्तर प्रतिशत धनराशि एक मुश्त पहले ही दे दी जायेगी और पच्चीस प्रतिशत धनराशि रोककर देखेंगे कि उसने निर्माण कराया कि नहीं। पहले लोग लापरवाही बरतते थे और निर्माण नहीं कराते थे, जब देखेंगे कि उसने निर्माण कराया है तो तत्काल बाद पच्चीस प्रतिशत धनराशि भी दी जायेगी। मान्यवर, बहन कु0 मायावती जी एक पारदर्शिता अपनाना चाहती हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रेस के द्वारा जो सूचना आयी उसमें यह था जो बीपीएल की सूची है, उसमें पिछली सरकार के कार्यकाल में गड़बड़ी रही। जो गरीब आदमी था उसको बीपीएल कार्ड नहीं मिला और जो पात्र नहीं थे उनको दे दिया गया। इसलिये नवम्बर के महीने में हमारी सरकार ने एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए बीपीएल

सूची का पुनः सर्वे कराकर संशोधित करने का काम किया है। क्योंकि इस विभाग की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वह बीपीएल सूची से संचालित होती हैं, इसलिये यह बहुत जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में पारदिर्शता के साथ इन योजनाओं को लागू कराना है और बीपीएल सूची में पारदर्शिता हो इसके लिये ज्वाइंट सर्वे कराने का काम किया है, इसमें राजस्व विभाग, खाद्य विभाग के अधिकारी मिल करके, परदर्शिता के साथ संशोधित करके एक निष्पक्ष बीपीएल सूची, जिसमें कोई आपत्ति न हो और अगर आपत्ति हो तो उनको आमंत्रित करके उनका निस्तारण करके मार्च के अन्त तक सूची परिवर्तित होगी। मैं माननीय सदस्यों से इसमें अनुरोध करूंगा कि जिन क्षेत्रों में बीपीएल सूची को परिवर्तित करने का काम चल रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, वह दे सकते हैं एसडीएम और जिलाधिकारी को। इसमें उनको नोडल नामित किया गया है। महामाया आवास योजना के अन्तर्गत यह किया गया है कि गांव में जो बीपीएल की सूची है उसमें निर्धनतम व्यक्ति को पहले दिया जाय। पंचायत सचिव को यह लिखकर प्रमाण-पत्र लगाना होगा कि यह निर्धनतम है और इस प्रमाण-पत्र को खण्ड विकास अधिकारी प्रमाणित करके देगा। तो इस तरह से पक्का प्रबन्ध किया गया है कि इन्दिरा आवास योजना, महामाया योजना को पूरी तरह से लागू किया जाय कि इस साल हमने 902 करोड़ रुपया पी0एम0जी0एस0वाई0 में खर्च करके 1331 बस्तियों को जोड़ने का काम किया गया है और माननीय विधायकों के सुझाव भी इस पर आमंत्रित किये जाते हैं और हमारा लक्ष्य है कि 2012 तक हम प्रत्येक बस्ती को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण पेय्जल योजना में माननीय विधायकों की संस्तुति पर 225-225 हैण्ड पम्प लगाने का काम एक लाख हैण्ड पम्प पूरे प्रदेश में लगाये जा चुके हैं। साथ ही साथ लगभग साठ हजार हैण्ड पम्प को रिबोर करने का काम भी इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी हमारे माननीय अग्रवाल जी एक महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये उठाये, कि फ्लोराईड, आर्सेनिक, नाईट्रेट तमाम ऐसी रासायनिक अशुद्धियां बड़े पैमाने पर नदी के किनारे के गांव में और दूसरे अन्य जगहों पर फैल रही हैं, शासन इस पर बहुत ही चिन्तित है और मैं इस बारे में यह भी सरकार का ख्याल है कि अगर नये हैण्ड पम्प लगाने पर ही जोर देते रहेंगे तो चूंकि उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ ग्रामीण आबादी है, जिसमें 17 लाख के लगभग हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं, इसलिये हैण्ड पम्प आप कितने लगायेंगे। इसके बावजूद भी बड़ी विसंगति है जनपदों में और बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने की जो स्थिति है और हैण्ड पम्प पिछले अनेक वर्षों से माननीय विधायकों की संस्तुति पर लगाये जा रहे हैं। जिनकी पहुंच है, जो जागरूक लोग हैं, चेतनाशील लोग हैं, वह लोग माननीय विधायकों से हम सब से पहुंच कर के अपनी बस्तियों में हैण्ड पम्प लगवा लेते हैं, परन्तु जिनमें चेतना नहीं है, गरीब हैं, निरीह हैं, पिछड़े लोग हैं, अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, उनकी बस्तियों में आज भी हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं, अनेक बस्तियां चिन्हित की गई हैं जहां हैण्ड पम्प नहीं लग पा रहा है अर्थात् वह नानकवर्ड, असंतृप्त बस्तियां हैं, उन असंतृप्त बस्तियों में भी हैण्ड पम्प लगाये जा सकें इस पर भी सदन की एक चिन्ता होनी चाहिए और जो प्रदूषित भूगर्भ जल प्रभावित बस्तियां हैं, जहां रासायनिक अशुद्धियां हैं और उन रासायनिक अशुद्धियों के कारण हैण्ड पम्प का पानी जहां पर पीने के लिए उपयोगी नहीं है वहां पर पाईप पेयजल

योजना प्रस्तावित की जा सके तो मैं माननीय सभी सदस्यों का और मैं ही नहीं, सरकार यह भी खयाल रखती है कि माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सभी दलीय नेताओं की एक बैठक हो जाये, चूंकि हैण्ड पम्प जितने हम लगवा रहे हैं, उतने खराब भी होते जा रहे हैं तो इसलिए नये हैण्ड पम्प लगाने पर ही जोर न हो, बल्कि बिगड़े हुए हैण्ड पम्पों को, पुराने हैण्ड पम्पों को रिबोर करने का, चूंकि हमने इन्जीनियरों से पूछा कि हैण्ड पम्प की लाईफ क्या होती है ? तो इन्जीरियर्स कहते हैं, उनका मानना है कि एक हैण्ड पम्प की लाईफ 10 वर्ष होती है। 12 साल और 15 साल भी चल सकता है। पर 10 वर्ष लाईफ मानी गयी है। मान्यवर, इसमें काफी बड़ी विसंगति है, विडम्बना है। मान्यवर, माननीय विधायकों की संस्तुति पर 225-225 हैण्ड पम्प लगाने की जो बात है तो अगले वर्ष के लिये भी सरकार योजना जारी रखना चाहती है। परन्तु यह भी चाहती है कि इसमें से कुछ हैण्ड पम्प के बारे में रिबोरिंग कराने के प्रस्ताव भी आयें। अगर आप रजामंद होंगे तो मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा। मान्यवर, भारत सरकार की जो गाईडलाइन्स है उसमें डेढ़ सौ व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प हैं आप 100 का लक्ष्य तो पूरा कर चुके हैं और अनेक जिलों में तो स्थिति यह भी है कि बिजनौर जैसे जिले में 123 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प लगा हुआ है। मैनपुरी जिले में 45 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प लगा हुआ है। तो यह एक बड़ी भारी विसंगति है। इस तरह से पूरे प्रदेश के 70 जिलों के आंकड़े हैं। तो इसलिए यह सरकार चाहती है कि माननीय विधायकगण हैण्डपम्प में अपने कोटे में कुछ नये के प्रस्ताव दें और कुछ रिबोरिंग कराने के प्रस्ताव भी दें। माननीय अध्यक्ष जी का इस सम्बन्ध में जो आदेश होगा उसको यह सरकार लागू करेगी। सरकार का माननीय सदस्यों के सामने यह एक प्रपोजल है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, रिबोरिंग के लिए अलग व्यवस्था रहे।

श्री दद्दू प्रसाद-

अगर आप इसे नहीं मानेंगे और नये हैण्डपम्प के लिये आग्रह करेंगे तो हैण्डपम्प लगेंगे। सरकार का यह मानना है कि केवल नये हैण्ड पम्प लगें तो यह बहुत औचित्यपूर्ण नहीं होगा। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण बातें बाकी माननीय सदस्य कहेंगे, जो उनके सुझाव आयेंगे उनके सम्बन्ध में मैं अपनी बात बाद में रखूंगा।

मान्यवर, विधायक निधि के बारे में कहना चाहता हूं, पहले हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहता हूं कि हालांकि हम माननीय सदस्यों को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं और न उनको बाध्य करने का हमारा कोई आग्रह है, लेकिन आपको पता है कि जो भारत सरकार की गाईडलाइन्स हैं, हैण्डपम्प तभी पाते हैं जब 10 प्रतिशत धनराशि उपभोक्ता समूह दे दे। या लाभार्थी समूह दे दे या ग्राम पंचायत दे दे या माननीय विधायक अपनी विधायक निधि से दे दें। मान्यवर, जनपदों से इस सम्बन्ध में शिकायतें मिल रही हैं उस धनराशि के जमा होने के बारे में। मान्यवर, माननीय विधायकगण जब हमसे सम्पर्क करते हैं तो हम सम्बन्धित सीडीओ और जल निगम के अधिकारियों से सीधे टेलीफोन पर बात करते हैं। माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर हैण्डपम्प तत्परतापूर्वक लगें इस सम्बन्ध में मैं खुद ही प्रयासरत रहता हूं। परन्तु जन सहभागिता धनराशि भी

इसमें जमा हो जाये यह भी आपकी चिन्ता होनी चाहिए। मान्यवर, लैपटॉप के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि विधायक निधि से आप उसे कैसे ले सकते हैं। जो माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं वह सीडीओ को लिखकर के प्रस्ताव दे दें। नये लैपटॉप/कम्पयूटर, जिसमें सारी सुविधा एसेसरीज हैं, वह सब आपको मिल जायेगा। जो हमारे माननीय सदस्य दुबारा चुनकर आये हैं यह बात आयी थी और माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने यह आदेश दिया था कि पुराने लैपटॉप/कम्प्यूटर खराब हो चुके हैं, काम के लायक नहीं रह गये हैं उनको भी नये लैपटॉप दिये जाने पर विचार किया जाये। मान्यवर, इस पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और यह प्रस्तावित हो रहा है कि जो उसकी न्यूनतम धनराशि है उसको जमा कराके नये लैपटॉप दे दिये जायें। इसमें लगभग 7-8 हजार रुपये की धनराशि बनती है तो वह जमा कराके नये लैपटॉप पुराने माननीय सदस्यों को जो दूसरी बार चुनकर आये हैं, उनको दे दिये जायें। इस प्रस्ताव पर शासन गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है आशा है कि इस पर सरकार का निर्णय आपके सामने बहुत जल्दी आ जायेगा।

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। जो विभाग की महत्वपूर्ण बातें थीं वह मैंने यहां पर रख दी हैं। कुछ बातें और जो सुझाव के तौर पर आयेंगी उनको मैं अपने उत्तर भाषण में रखने का काम करूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

आज 4 विभागों के बजट पर हम लोगों को चर्चा करनी है इसलिये यह तय हुआ है कि जो सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे उन्हें 15-15 मिनट का अवसर दिया जायेगा। इन कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सदस्य अपने विचार देंगे उन्हें 5-5 मिनट का समय दिया जायेगा मेरा आपसे आग्रह है कि जो सदस्य विभिन्न विभागों पर अपनी बात रखना चाहते हैं वह अपना नाम स्वयं या दलों के माध्यम से भिजवा दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 'सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।'

मान्यवर, यह मैंने विपक्ष का दायित्व निभाया है जो मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है और इसका उद्देश्य बताया कि विभागीय बजट है इसकी आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, ग्राम्य विकास और वास्तव में जो मौजूदा आंकड़े हैं अगर हम यह भी मान लें कि 70 फीसदी जनता गांवों में रहती है तो मेरा तो मानना यह था कि बजट का हिस्सा 70 फीसदी गांवों के लिये होना चाहिए था लेकिन है नहीं। फिर भी जो है और जो हमारी सोच गांवों के विकास की है, मैं किसी सरकार या किसी मंत्री की आलोचना करने में विश्वास नहीं करता लेकिन कहीं न कहीं हमारे सबके चिन्तन में कमी रही है, सोच में कमी रही है। गांव के बारे में विभिन्न योजनाएं लगभग डेढ़ दर्जन योजनाओं की गिनती आपने लगायी जो पहले से चल भी रही है और हर बार जो नई सरकार आती है किसी न किसी महापुरुष के नाम से एक योजना और खड़ी कर देती है। कभी चिन्ता यह

नहीं करती है कि पहली योजनाओं का क्या हुआ, उन योजनाओं के माध्यम से गांवों के विकास में कितना योगदान हमारा हो पाया। लगता यह है कि हम अपने सम्बन्धित महापुरुषों को अमर करने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं और गांवों के विकास को गौण करते जा रहे हैं। अगर यह न रहा होता तो मल्टीप्लीसिटी क्यों होती है ? बहुतायत में यह क्यों हो रहा है एक के बाद एक योजना, एक के बाद एक योजना। चिन्ता यह हो कि योजना जो चल रही थी उनका आखिर हुआ क्या ? उनके माध्यम से गांव हमारे कहां तक पहुंच पाये। मान्यवर, एक समग्र विकास का विचार हमारा होना चाहिए। कब यह सोच हमारी पैदा होगी यह मैं नहीं कह सकता। समग्र विकास से मेरा मतलब यह है कि हमें हर गांव के बारे में चिन्तन करना चाहिए था कि उस गांव के किस प्रकार के विकास से हम यहां के जनजीवन को और आनन्दित कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, या वहां के रहने वाले नागरिकों की आवश्यकता को देखते हुए वहां की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए क्या-क्या वहां पर क्या-क्या कार्यक्रम चलने चाहिए। हमने एक योजना यहां पर बैठ करके बना दी या दिल्ली में बैठकरके बना दी कि इतना पैसा है यह फलां योजना में जायेगा इतना पैसा इस योजना में जायेगा। राज्य का इतना हिस्सा होगा, केन्द्र का इतना हिस्सा होगा और अपने दायित्व की हमने इतिश्री कर ली। और आज उसके परिणाम घातक हो गये हैं। परिणाम क्या हुए गांव के बारे में एक सोच यह थी कि गांव में रहने वाले लोग पहले की अपेक्षा अपने आपको ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे ज्यादा शिक्षित होंगे और उनको वहां रहने में आनन्द आयेगा। अगर ऐसा रहा होता तो शतत वहां से लोगों का जाना न रहता। कभी जनसंख्या का अनुपात था 15 और 85, 85 गांव में थे और 15 शहर में और आज लगभग 68 गांव में रह गये और 32 शहर में चले गये। आखिर गांव को छोड़कर लोग गये क्यों और गांव का विकास चल रहा है, बराबर चल रहा है जो सरकार आती है वह गांवों के विकास पर ही बल देती है। यह एक विषय ऐसा है जिस पर हमको अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि गांव के विकास की जो कल्पना है वह कैसे पूरी हो। जो बापू ने कभी गांव के विकास के बारे में सोचा था, वह सपना कब पूरा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गांव के विकास के बारे में जो सोचा था, वह सपना हमारा कब पूरा हो या हमारे और भी महपुरुष जो हुये हैं उनका चिन्तन सदैव यह रहा कि गांव का विकास कैसे हो ? हमारा गांव के विकास का जो कंसेप्ट है, वह वास्तव में पुराना है। उसमें दर्शन नहीं है, केवल आकार है और परिणाम हमारे सामने है। अभी आप मंत्री जी बहुत आंकड़े दे रहे थे, अच्छा लगा। चूंकि काफी दिन से जो वेशभूषा आपने ग्रहण की है वह बहुत आकर्षित करने वाली हैं किसी भी बजट का अच्छा या बुरा होना या गुण दोष और खासतौर से जो विभाग विकास से सम्बन्धित है, इस बात पर आधारित है कि आपका पूंजीगत परिव्यय क्या है, राजस्व क्या है, कैपिटल आउटले क्या है और रेवन्यू आउटले क्या है। अब आप तुलना कर लें जरा दो साल की। मैं आपके सामने रख रहा हूं। पूरा जो आपका बजट है हालांकि अभी तो आपने लेखानुदान से घटाकर कहा। पूरा बजट मान्यवर आपका 20 अरब 79 करोड़ 71 लाख 9 हजार यह आउटले पूरे साल का है और उसमें राजस्व है 14 अरब 31 करोड़ 80 लाख 4 हजार का, कैपिटल है 6 अरब 67 करोड़ 79 लाख 6 हजार का। मान्यवर, इसमें विधायक निधि 6 अरब 30 करोड़ का है। अब अगर 6 अरब 67 करोड़ में से 6 अरब 30 करोड़ घटा दिया जाय तो बचा क्या आपके पास में ? अगर पूंजीगत परिव्यय आपके पास यही है तो विधायक निधि निकाल दीजिये तो आपके पास बचा क्या। आप क्या आकड़े दे

रहे हैं, कभी देख लिया कीजिये, अध्ययन करके, तुलना करके। मैं, जो आपका लिट्रेचर है, उसी में से कह रहा हूं। मेरे पास कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। मान्यवर, आप देखें कि 2006-2007 में पूंजीगत परिव्यय क्या था 8 अरब 14 करोड़ 20 लाख 85 हजार। यह था कैपिटल आउटले। इसी प्रकार 2007-2008 में 7 अरब 29 करोड़ 48 लाख 40 हजार। अब रह गया 6 अरब 67 करोड़ यानि सीधे-सीधे 200 करोड़ से नीचे आप ले आये यानि बहुजन समाज की कल्पना करने वाली सरकार ने कितना अच्छा ग्राम्य विकास का बजट दिया है, यह सर्वजन हिताय में यह आया है कि कैपिटल आउटले आपका घटकर 200 करोड़ कम हो गया है और आप कल्पना कर रहे हैं गांव के विकास की। आपका राजस्व खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है और कैपिटल आउटले घटता जा रहा है तो यह खुद में एक कंट्राडिक्टरी बात होगी। लगता है शायद इस बारे में आपने कभी विचार नहीं किया। लेकिन करना चाहिये अभी नहीं तो फिर कर लीजिए विचार बैठकर के, और पूछिये कि कहां-कहां कमी की ? यह जो पूंजीगत परिव्यय है, यहां से आप स्थाई शक्तियों का सृजन करते हैं, परिसम्पत्तियों का सृजन करते हैं और हमारी धारणा यही है कि हमारी स्थाई परिसम्पत्ति कितनी बनी। उतनी नहीं बन पायेगी तो कहीं न कहीं हमारे काम में चूक रही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अधिकांश योजनायें आपकी ऐसी हैं जिसमें मुख्य धनराशि केन्द्र सरकार की है और राज्य सरकार का अंश कहीं 25 प्रतिशत है और अब तो घटकर कर 10 प्रतिशत रह गया। जो रोजगार गारन्टी योजना आपकी आई है इसमें घटकर 10 प्रतिशत रह गया। प्रयास हमारा होना चाहिए कि जो पैसा जिन योजनाओं के ऊपर हमें केन्द्र सरकार से मिल रहा है, उसका हम ज्यादा सदुपयोग कर सकें। हालांकि मैं अपनी बात पर कायम हूं। जब से यह रोजगार योजना विभिन्न नामों से चली, पहले जवाहर रोजगार योजना आई, विभिन्न नामों से यह चलती रही, फिर स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के नाम से चली, केन्द्र सरकार ने इस पर जो अधिनियम भी बना दिया 2005 में और कानून बनाकर यह कर दिया कि प्रति व्यक्ति कम से कम 100 दिन का रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देने के बाद में जो उसका आकार बनकर आया, क्या उस आकार के आधार पर हम उस गांव वालों को इतना रोजगार दे पायेंगे जिससे उसके मन में आत्मविश्वास हो अगर हम वह आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पाते तो वह वहां की नौकरी छोड़कर यहां पर रिक्शा चलायेगा, यहां कोई पल्लेदारी करेगा, पल्लेदारी करना बुरी बात नहीं है लेकिन मान्यवर, मजबूर हो करके वह आ रहा है और रात में जा करके चारबाग के प्लेटफार्म पर लेट करके रात बिताने के लिये उसे मजबूर होना पड़ रहा है। हम आवास योजना चला रहे हैं गांव के लिये लेकिन यदि उस आवास योजना में कुछ सार्थकता रही होती तो गांव का आदमी गांव छोड़ करके यहां नहीं आता। शाम को आप किसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर चले जायें, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। गरीब आदमी अपनी पत्नी को ले करके अपनी बेटियों को ले करके, अपने बच्चों को ले करके किस तरीके से प्लेटफार्म पर पड़ा है, यह देख करके शर्म आती है। हम लोग विकसित देश करने का सपना ले करके आये थे, कहां खड़े हैं हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यवर, हम 127वें नम्बर पर हैं। जीडीपी हमारी 9.5, 8.5 है और 10 की हम कल्पना कर रहे हैं लेकिन जहां मानव विकास की बात आती है तो हम विश्व में 127वें नम्बर पर हैं, हमसे पाकिस्तान भी आगे है और बंग्लादेश भी आगे है। वहां पर भी इतने लोग प्लेटफार्म पर पड़े नहीं मिलते। आइये, इन्दिरा आवास की बात करते हैं, इन्दिरा आवास में क्या हुआ ? आपने दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया इन्दिरा आवास के लिये और

इसमें मान्यवर, 2007-2008 में मान्यवर, 636.87 करोड़ रुपये का प्रावधान था, व्यय कितना कर पाये आप 457 करोड़ रुपये। जो प्रावधान था, पैसा केन्द्र सरकार से आया, उस पैसे को भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं आखिर किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार का सिस्टम है ? कोशिश यह होनी चाहिए थी मंत्री जी कि किसी रोज बैठ करके इस बात की मानीटरिंग की जाती । मैं उस कार्यकाल की बात कर रहा हूं जो कार्यकाल आपकी सरकार का हैं क्यों नहीं इस बात की मानीटरिंग की कि केन्द्र सरकार का पैसा क्यों लैप्स हो करके जा रहा है ? उत्तर प्रदेश को कहां कटघरे में खड़ा किया जाता है कि पैसा हमने दे दिया और पैसा लैप्स हो करके वापस हो रहा है, आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं इसलिये पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। आपका 686.87 करोड़ रुपये का आउट-ले और खर्च 457 करोड़ रुपये और इस बार आप दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करके श्रेय लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बहुत पैसा बढ़ा दिया, 40 करोड़ रुपये ही तो बैठ रहा है 25 प्रतिशत के हिसाब से। मान्यवर, इस बात को आप सोचें और दूसरा मान्यवर, 25 हजार रुपये ही तो दे रहे हैं आप इन्दिरा आवास पर या बढ़ाई है धनराशि। मान्यवर, यह धनराशि कब से चली आ रही है, यह धनराशि तब से चल रही है जब से यह योजना शुरू हुई है। उस समय हमने गरीब को मकान बनवाने का सपना दिखाया और तब से अब तक ईंट के दाम बढ़ गये, सीमेंट के दाम बढ़ गये, लकड़ी के दाम बढ़ गये, उसमें गरीब क्या कर सकता है अपनी मजदूरी ही तो दे सकता है वह लोहा कहां से लायेगा 25 हजार रुपये में। मकान तो बन ही नहीं रहा है, वह क्या बन रहा है वह भी मैं आपको बताऊंगा।

(किसी मा0 सदस्य के बीच में बात करने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, व्यवहारिक कठिनाई है इनकी, फोन पर काम चल रहा है। मेरी पूर्ण सहानुभूति इनके साथ है। मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं और मंत्री जी आपका ध्यान भी चाह रहा हूं कि जब यह इन्दिरा आवास योजना चली थी तब भी सहायता धनराशि 25 हजार रुपये ही थी और आज जब बहुत जोर से इस कार्यक्रम को रख रहे थे और अपेक्षा कर रहे थे कि हम आपकी घोषणा पर तालियां बजायें, मन भी करता था लेकिन बजाता कैसे ? जब मेरे मन में यह आया कि 25 हजार रुपये में होगा क्या, और मान्यवर, कभी आपने यह भी सोचा कि इस 25 हजार रुपये को लेने में उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? सोचिये इस बात को और मन में महसूस कीजिए, हमारे मन में यह होना चाहिए कि हमने सद्भावना के साथ 25 हजार रुपये का प्रावधान किया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 हुकुम सिंह जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा। 15 मिनट का समय है कटौती रखने वाले सदस्य के लिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप कहें तो मैं समाप्त कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे ही आप इशारा कर देंगे, मैं बैठ जाऊंगा और अगर मेरी बेकार की बात लग रही हो तो मैं कहूंगा भी नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की है अध्ययन करने की और समस्याओं को समझने की। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं एक लाइट जलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं कि जो सबसे आधुनिक कार्यक्रम की केन्द्र सरकार ने घोषणा की और उसके ऊपर राष्ट्रीय चैनल से ले करके अन्तर्राष्ट्रीय चैनल सी0एन0एन0 और बी0बी0सी0 पर भी मैंने प्रचार सुना, ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना'' उसमें बताते है कि बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है, शहर क्यों जा रहे हो, रुक जाओ, प्रधान जी के यहां जाकर फार्म भर दो, पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा, यह प्रचार हो रहा है लेकिन हो क्या रहा है इस योजना के अन्तर्गत इसमें 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का है और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का है अंशदान है। वर्ष 2006-2007 में 22 जिले थे उसे वर्ष 2008 में बढ़ाकर 31 जिले और हो गये हैं। इसमें पहले 792 करोड़ रुपये का प्राविधान था फिर 2007-2008 में 1741 करोड़ रुपये का प्राविधान हो गया और उसमें से खर्च कितना कर पाये, 1741 में से 1267 करोड़ खर्च कर पाये, लगभग 500 करोड़ वहीं बच गया। जो केन्द्र सरकार का पैसा है आपके कार्यकाल में आया लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाये, क्या हमारा नाम रोशन हो रहा है केन्द्र में ? केन्द्र सरकार का दिया हुआ पैसा क्यों नहीं खर्च कर पाये ? इसमें जो अड़चनें हैं, जो-जो औपचारिकतायें बरतनी हैं, बैठ करके कभी प्रदेश स्तर पर विचार नहीं हुआ ? अधिकारियों पर छोड़ दी गयी, अधिकारी उलझे हुए हैं कि फार्म कहां से जायेंगे, कहां से भरे जायेंगे, इससे बचते हैं। इसलिये कोशिश यह होनी चाहिए कि जिन जिलों में यह योजना लागू की गयी थी वहां गुणदोष के आधार पर परीक्षण हो जाना चाहिए। मान्यवर, ऐसी सभी योजनाओं के आंकड़े मेरे पास में हैं, लेकिन आपका इशारा देखकर मैं अपने आपको रोक रहा हूं। मोटे तौर पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पेयजल की योजना है, हैण्डपम्प भी लगा दिये, कहीं 150 फीट का, मैनपुरी का उदाहरण दिया, वहां पर कम पर बोर हो गया, बिजनौर की आपने बात कहीं कि वहां ज्यादा गहरे बोर करना पड़ेगा। लेकिन हैण्डपम्प में अगर प्रदूषित पानी आयेगा तो हमारा प्रयास बेकार हो जायेगा। आज उस सवाल को उठाया भी गया, आपने भी अच्छी तरह से उस प्रश्न को रखा, उसकी तो चिन्ता होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा, एक प्रश्न के माध्यम से यहां पर आपने कुछ आश्वासन दिया था इस हाउस में, मैंने सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यहां पर दिखाया था कि जो सरकारी हैण्ड पम्प हैं उनमें जहर आ रहा है। खुद मेडिकल आफीसर की रिपोर्ट थी, आपने यहां घोषणा की थी कि पानी की टंकी लग जायेगी, पानी की टंकी लगते-लगते 5-6 साल लगेंगे, तब तक तो 10-20, 50-100 आदमी और मर जायेंगे, कैंसर चल रहा है। खुद इस विधान सभा में सवाल उठ चुका है कि उन हैण्डपम्पों का होगा क्या ? पेयजल योजना की बात आपने कही, पेयजल का मतलब है कि शुद्ध पानी मिले, शुद्ध पानी तब मिल पायेगा जब उसके अनुरूप हम अपने कार्यक्रम को आगे चला पायेंगे। मान्यवर, इसलिये मैं कहता हूं कि कार्यक्रम तो अनेक हैं लेकिन कार्यक्रमों का कोआर्डिनेशन नहीं है। ये ग्राम्य विकास विभाग का जो कंसेप्ट है, ग्राम्य विकास विभाग को एक कोआर्डिनेटर डिपार्टमेण्ट की तरह काम करना चाहिए जो यह देखे कि शिक्षा का काम कैसे चल रहा है, हेल्थ का काम कैसे चल रहा है, हमारे यहां मार्गों का निर्माण कैसे हो रहा है ? इसको एक वाटर टाइट कम्पार्टमेण्ट की तरह से, एक डिब्बे की तरह बनाकर छोड़ दिया गया है। इसके कारण से जो ग्राम्य विकास की हमारी परिकल्पना थी वह पूरी नहीं हो पा रही है और पूरी हो भी नहीं पायेगी। यह विभाग नहीं है, अनेकों विभाग को जोड़ने वाला कार्यक्रम होना चाहिए, तभी कोई ग्राम्य विकास की बात सोच पायेंगे। आज हम सीमित हो गये, मंत्री जी खड़ंजा करवा दीजिए, सी0सी0 बनवा दीजिए, बाद में सी0सी0 बन गयी।

लेकिन उस एक गांव के लिये आउट-ले होता, प्लानिंग होती , समग्र विकास की प्लानिंग होती, 10 साल की या 15 साल की, जो है नहीं। आज हम विकसित देशों की होड़ में लगे हुए हैं लेकिन विकसित देशों में क्या है उस गांव के इतिहास का एक म्यूजियम हर जगह मिलेगा, उस गांव को आगे बढ़ाने में किस बुजुर्ग का कितना योगदान रहा यह भी मिलेगा, वहां पर एक पुस्तकालय भी मिलेगा, कॉमन हाल भी मिलेगा, वहां पर एक छोटा-मोटा बाजार भी मिलेगा। हमारे यहां बात हो ही नहीं सकती है। आज अर्थव्यवस्था के जिस चरम पर हम लोग पहुंचे हुए हैं उसका सदुपयोग हो जाय। पैसा जहां आप खर्च कर रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग हो जाए। आज विधायक निधि की बात करते हैं दुर्भाग्य से विधायक निधि आज ऐसी स्थिति में आ गई है कि आपके जो विकास कार्यालय जनपदों में बने हुए हैं वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वह हठधर्मिता की स्थिति में विधायक निधि में भी कोई योजना पास नहीं होने देते जब तक उनका हिस्सा नहीं पहुंच जाता है जब तक तीन प्रतिशत कमीशन नहीं पहुंच रहा है कोई भी आपका प्रोजक्ट पास नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति मेरे जैसे सदस्य के लिए जो 25-30 साल से इस एसेम्बली में बैठ रहा है उसे दुख होगा कि नहीं। कहां जायं अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि उनको किसी की चिन्ता नहीं है वह कहते हैं कि मेरा सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस कनेक्शन को खत्म होना चाहिए। गांवों के विकास की बात जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर करनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि कमीशन की बीमारी पहले नहीं थी कभी यह कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है। चूंकि आपने इशारा किया कि जल्दी समाप्त करें। मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने सुझाव के रूप में अपनी बातें रखी हैं उन पर चिन्तन होगा और इसमें कुछ और स्पष्टीकरण और सुझाव आयेंगे जिस पर अन्त में मुझे बोलने का अवसर मिलेगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

अधिष्ठाता जी आपने ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर प्रस्तुत बजट में जो माननीय हुकुम सिंह द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर बल देने के लिए अवसर दिया उसके लिए आपके प्रति आभारी हूं। मैं भी देहात की कान्सक्सी से आता हूं। कहने के लिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव के विकास से ही देश का विकास होना है। मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं। आंकड़े मंत्री जी ने रखे हैं और कटौती प्रस्ताव रखते हुए हुकुम सिंह साहब ने आंकड़े रखा है। मैं जो व्यवहारिक बातें हैं उसकी तरफ आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कृपया उसके ऊपर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गम्भीरता से विचार करेंगे तभी तो गांव के विकास की जैसी आपकी परिकल्पना है वह सम्भव है वरना यह आंकड़े बेमानी होंगे। बी0पी0एल0 की संख्या को आधा करने का संकल्प वर्तमान सरकार का है और बी0पी0एल0 का सर्वे भी चल रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं मुझे निश्चित जानकारी है कम से कम अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कह सकता हूं। बी0पी0एल0 सर्वे का कार्य गांव में जाकर नहीं किया जा रहा है। इसको भी बार-बार कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलेगा यह हिदायत नेता सदन द्वारा दी जाती है। मैं अरसे से अपने यहां बता रहा हूं कि एक बी0डी0ओ0 साहबान दो-दो जगह बी0डी0ओ0 का चार्ज लिए हुए हैं और दोनों विकास खण्डों में कहीं भी उनका निवास नहीं है वह तीसरी जगह से आकर अपना कार्य सम्पादित करते हैं मैं हर स्तर पर यह बात कहता रहा हूं। ब्लाक

सेवरही और ब्लाक दुदही का चार्ज लिए हैं कसया में रहते हैं। वहां से आकर दोनों ब्लाक का काम देखते हैं इस तरह से जब निरंकुश होकर अधिकारी काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो योजनाएं हैं, जिन लोगों के लिये वह बनी हैं, उसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पायेगा। इन्दिरा आवास के लिये वर्तमान सरकार ने 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है और महामाया आवास के लिये भी 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हकीकत है कि इन्दिरा आवास का पैसा इन्दिरा आवास के लिये नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 25 हजार रुपये में मकान बन भी नहीं पायेगा। आप सर्वे करा लीजिये, देख लीजिये यह इन्दिरा आवास उन लोगों को मिल रहे हैं जो इन्हें प्राप्त करने के लिये सुविधा शुल्क दे रहे हैं, जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हीं लोगों को यह आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। मान्यवर, मेरा इस सम्बन्ध में आपके समक्ष एक सुझाव है कि हर गांव में इन्दिरा आवास की जो स्थाई पात्रता सूची बनी है वह वहां के ग्राम पंचायत कार्यालय, विद्यालय आदि जगहों पर लिखवाने का काम करें जिससे उस गांव में रहने वाला व्यक्ति जो कि उस पात्रता सूची में है वह जान सके कि उसका सूची में कौन सा स्थान है और किस नम्बर तक के लोगों को आवास मिल चुके हैं और उसको कब तक मिल जायेगा। वह समझ सकेगा कि इस नम्बर तक के लोगों को आवास मिल चुके हैं जबकि मेरे बारे में विचार हो सकता है। मान्यवर, होता क्या है ? यदि उस व्यक्ति का नाम है तो बिचौलिये, दलाल उससे पैसे की मांग करते हैं। वह बेचारा गरीब अपने खेत को रेहन रखकर, अपने गहने बेचकर उसको पैसा इस आशय से दे देता है कि यदि वह 5 हजार रुपये दे देगा तो उसको 25 हजार रुपये इन्दिरा आवास के लिये मिल जायेंगे। (लालबत्ती का संकेत होने पर) मान्यवर, क्या मेरा समय खत्म हो गया ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों को पांच-पांच मिनट का समय दिया गया है।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, दो मिनट हुए हैं। आप दो मिनट का समय और दे दें, मैं खत्म कर दूंगा। मान्यवर, पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क में कहा गया था कि विधायकों के सुझाव से ली जायेंगी। मेरी निश्चित जानकारी है कि अब से लेकर विगत दो तीन वर्षों में कभी भी हम लोगों से सुझाव नहीं मांगे गये हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जो सड़कें बन रही हैं उनकी हालत यह है कि रोड़ा डालने के बाद भी एक डेढ़ साल से उसी तरीके से पड़ा हुआ है। उस पर पिच का काम नहीं कराया जा रहा है। अन्त में जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है रोजगार गारन्टी की, बी0पी0एल0 की सूची में कमी लाने की, गरीबों को रोजगार देने की है पहले भी कहा गया था। मैं कहना चाहता हूं कि आप कुशीनगर जनपद का पता लगा लें वहां धन उन ब्लाकों को आवंटित किया गया है जिन्होंने सुविधा शुल्क देने का काम किया है। आवंटन में ब्लाकों में कोई एकरूपता और समानता नहीं है। ब्लाक मुख्यालय पर अधिकार दिये गये हैं जिसमें कि 7-8 परसेन्ट कमीशन लेने के बाद चेक निर्गत किये गये हैं। मान्यवर, जिनके लिये यह योजनाएं हैं, उसमें कोई व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से जॉब कार्ड इकट्ठे करके केवल भरे जा रहे हैं। उन लोगों को जो रोजगार देने की बात है वह

केवल कागजों पर हैं। इसलिये मेरा कहना है कि जो योजनाएं आपने जिन लोगों के लिये बनाई हैं, जब तक वह उन लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे तो इस तरह का बजट बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। डी0आर0डी0ए0 में भी कमीशन लेकर पैसा दिया जा रहा है। 60-40 का जो मानक है उसका अनुपालन ग्राम सभा की इकाई में नहीं हो रहा है। पारदर्शिता की बात की जाती है। भ्रष्टाचारमुक्त समाज की बात कही जाती है। भ्रष्टाचारमुक्त समाज तब ही होगा जब आप पारदर्शिता में जवाबदेही निर्धारित करने का काम करें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने जो एक मिनट का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सनातन पाण्डेय-

अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद, आपने मुझे माननीय हुकुम सिंह जी के संशोधन प्रस्ताव पर "सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय," पर बोलने का मौका दिया, परम आदरणीय माननीय हुकुम सिंह जी ने बातों को सुझाव के रूप में सत्तापक्ष के सामने रखने का काम किया और डा0 साहब ने भी अपने सुझाव देने का काम किया। यह बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है कि हम आंकड़े बनाते रहें बैठे-बैठे और आंकड़ों का जाल बिछाते रहे। निश्चित रूप से आपने जिसे किसी भी योजना का नाम लिया है चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हो, चाहे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो चाहे हैण्ड पम्प में सुझाव मांगने का सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के लोगों से काम किया हो आवास बनाने के जो आपने अनुपात रखे हैं। उसमें आपका क्या है यह सारा धन केन्द्र सरकार का है।

(माइक ठीक न होने के कारण ठीक प्रकार सुनाई नहीं दे रहा था)

आपने आवास देते समय जो प्रत्येक गांव को विभाजित करने का काम किया है यह बी0पी0एल0 सूची में 60 और 40 का ही रेशियो रखा जायेगा सारी की सारी बातें एक तरफ रखी जा रही हैं। आप पूरे सदन को विश्वास में लेकर इसको करते। आप कोई भी काम करने के लिये कोई भाव ही उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। आप विपक्ष में बैठे लोगों की बातों को गम्भीरता से लें उसको आगे बढ़ाने का काम करें ऐसा नहीं हो रहा है। डा0 साहब ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात कही। माननीय हुकुम सिंह जी ने बताने का काम किया और राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के बारे में भी बताने का काम किया कि केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत धन और आपका दस प्रतिशत धन, वह भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तब यह स्थिति आती है सड़कें बनाई नहीं जा रही हैं। सिर्फ नीचे से ऊपर, ओम प्रकाश जी ने कहा था इसी सदन में, हर जगह जो देने की बात शुरू हुई है, लेखपाल भी कहता है देना है इस देने की बात पर काम हो रहा है। सड़क बनाने का काम आपके यहां नहीं हो रहा है आप पता कर लीजिये। कहने में संकोच नहीं है अधिष्ठाता महोदय जी, मैं बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं किसी के दबाव में नहीं कह रहा हूं। मैंने कई पत्र लिखने का काम किया है किसी का जवाब नहीं आया। मैंने उच्च अधिकारियों से मिलने का काम किया, प्रमुख सचिव से मिलकर बताने का काम किया गया। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम पर कम से कम हमारे जनपद में करोड़ों रुपयों के वृक्षों ईंटों को उखाड़ कर बेचने का काम किया है। मैंने लिखा है सारी सड़कें जो हैं प्रधान मंत्री

सड़क योजना की उसमें जो पैसा स्वीकृत करने का काम किया गया उसे किसी न किसी विभाग को सौंपने का काम किया गया था। उसमें सड़कों को उच्चीकृत करने के नाम पर पूरी सड़कों की ईंटों को उखाड़ने का काम किया है। अगर एक किलोमीटर में एक लाख अस्सी हजार ईंटें लगती हैं उसको ग्राम सभा को बेच दिये होते तो इतना इसका दुरुपयोग न होता या उस ईंटों को उस सड़क की पटरी बनाने के काम किये होते। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जनपद बलिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ और गैर जिम्मेदाराना जवाब देने का काम किया है। निगरानी समिति की बैटक चल रही थी आपके अधिकारियों ने कहने का काम किया कि उनके पास निगरानी के लिये चौकीदार नहीं हैं इनके गांव के लोग उठा ले जाते हैं। आप कार्यवाही मंगाकर देख लीजिऐगा। मुख्य विकास अधिकारी बलिया से, ऐसा हुआ है या नहीं। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना शुरू की है उससे पहले यह सुनिश्चित रोजगार योजना के रूप में उत्तर प्रदेश में लागू थी उस समय सुनिश्चित रोजगार योजना का जो पैसा था उसका कारण आचार संहिता लगने के बाद इन लोगों के शपथ 13 मई तक काम नहीं कराया गया 13 तारीख को सदन में हम सबने सहमति देने का काम किया। आज वह भी अधूरी है और मनमाने तरीके से सी0 डी0 ओ0 बलिया द्वारा 14 तारीख को सुनिश्चित रोजगार योजना का पैसा पूरा का पूरा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में परिवर्तित करने का काम किया। आप बताइये आपने योजना को स्वीकृत करने का काम किया। विकास खण्डों के माध्यम से जो ईंटें खरीदी गयी हैं, या जो काम अधूरा है उनको लगवाने के लिये व्यवस्था करेंगे। योजना कहां जायेगी या तो ईंटा लिया ही नहीं सिर्फ भुगतान कर लिये। इसमें करोड़ों-करोड़ों रुपये का घपला विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और आप केवल आंकड़े बताने का काम कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, समाज कल्याण विभाग में, मान्यवर, हमारे जनपद में प्रत्येक मा0 विधायक को 25-25 परिवारों को अनुदान के लिये सूची मांगी गयी थी। माननीय अधिष्ठाता जी, 25 में से 14 की लिस्ट हमारे पास आई, उन लोगों की, जिन्होंने पैसा देने से इन्कार कर दिया और 11 लोगों को सीधे-सीधे पैसे उपलब्ध करा दिये गये जिन्होंने सीधे-सीधे अधिकारियों को पैसा देने का काम किया। अभी रविवार के ही दिन मैंने उन 14 लोगों को चेक दिलाने का काम किया है। जब यह तय हो चुका था कि 25-25 परिवारों को यह अनुदान की धनराशि दी जायेगी तो 11 लोगों को क्यों नहीं दिया गया, इसमें सीधे-सीधे बिचौलियों की भूमिका है मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बजट ग्रामीण विकास का जो प्रस्तुत किया गया है, यह प्रदेश की 80 परसेण्ट आबादी को प्रभावित करता है। आज सबसे बड़ी समस्या यह हो गयी है कि जो बजट में प्राविधान किये गये हैं, जो योजनायें लागू की गयी हैं, वह गरीब तक कैसे पहुंचे, बीच में जो अवरोध हैं, उनको कैसे दूर किया जाय यदि उन अवरोधों को दूर करेंगे तो कुछ गांवों के गरीबों का भला हो सकता है, वरना जैसा अभी मा0 सदस्य ने कहा है कि इन्दिरा आवास कैसे मिलता है, यह सबको जानकारी है। सभी अपने-अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं, मंत्री जी भी जानते हैं कि आवास कैसे प्राप्त होते हैं, वैसे भी अभी 2 साल के अन्दर-अन्दर मकान बनाने की चीजों में, जो चीजें मकान

बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उनके 40 परसेण्ट दाम बढ़े हैं। इन्दिरा आवास का 25 हजार रुपया मिलता है और 40 परसेण्ट उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन, उनके बनाने की लागत बढ़ गयी। जब से इन्दिरा आवास शुरू हुये हैं, तब से उनके निर्माण में उनकी दुगुनी कीमत हो गयी है लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। हम ढोल के ढोल पीटते हैं। आज कोई मकान 25 हजार में नहीं बन सकता, इस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये कि 25 हजार में कौन सा मकान बनेगा ? वह इतने में नहीं बन सकता है और 25 हजार में भी उस गरीब को कितना मिलता है, यह सबको जानकारी है। उसको मुश्किल से 15 हजार रुपये मिलते हैं। 10 हजार बीच में गायब हो जाते हैं। मान्यवर, पेयजल के बारे में बहुत बढ़-चढ़कर बात की जाती है। 225 हैण्डपम्प मा0 विधायकों को दिये गये है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अबकी बार हैण्डपम्प विधायकों के कहने से नहीं लगे, किसी प्रकार अधिकारी वर्ग ने सूची बनायी, वहां का सीडीओ विधायक के पास सूची भेजता है कि इतने नल, इतने गांवों में लगाने पड़ेगे, आपको। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 112 गांव हैं, हमको सूची थमा दी गयी कि 52 गांव ऐसे हैं, जहां नल लगा सकते हैं और कहां लगा सकते हैं, यह भी वही बतायेगा, अधिकारी, मैंने पहले भी कहा था लेकिन नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे जनपद के मंत्री जी हैं, स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, नल विधायक कोटे से लगाये जा रहे हैं, विधायक सूची भेजते हैं, स्वीकृत जल निगम का अधिकारी करता है, एक्सियन करता है, अखबारों में सूची आती है कि मा0 मंत्री जी ने नलों की सूची लगाने के लिये दी, मंत्री जी के क्षेत्र के लिये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 3 नल स्वीकृत कर दिये। हमने 125 दिये कि 86 नल स्वीकृत हो गये हैं। नल वह स्वीकृत करेगा, कहलायेंगे विधायक निधि के नल। मान्यवर, कहने को तो बहुत कुछ है। लेकिन लालबत्ती हो गयी है इसलिये हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। माननीय मंत्री जी जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो धन आवंटन किया जा रहा है वह गरीब के हाथ नहीं पहुंच रहा है। बीच के सारे लोग पैसों को खा जाते हैं। तो गरीब की चिन्ता करियेगा। अगर गरीब की चिन्ता नहीं होगी तो गरीब की हाय हम सबको खा जायेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान बजट पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में प्रदेश की महान जनता में पूर्ण बहुमत के साथ सौंपी है तब से उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर है। लेकिन सामने बैठे हुये हमारे साथी जब भी बहन कुमारी मायावती जी का नाम सुनते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है ? मान्यवर, मैं इस पर दो शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के दिनांक 26 नवम्बर, 1949 को दिये गये वक्तव्य का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने 26 नवम्बर, 1949 में भारतीय संविधान की भूमिका पर हस्ताक्षर करते हुये कहा था कि आज हम ऐसे भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर हम राजनीतिक तौर पर बराबर होंगे, समान होंगे और उसका महत्व बराबर होगा लेकिन हम आर्थिक और सामाजिक धरातल पर असमान होंगे। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन होगी, किसी के पास 10-20 एकड़ का मकान होगा तो कोई एक-एक एकड़ के लिये तरसेगा। या तो हम ऐसे सामाजिक और आर्थिक

असमानता को दूर कर लेंगे अन्यथा इस देश नें इस देश की रक्षा करने वाली लोकतांत्रिक इकाई जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं वह विद्रोह कर देगा। मान्यवर, जब भी सदन में यह बात उठती है कि हमारी योजना फलीभूत नहीं होती है तो उसका कारण यह नहीं है कि सरकार या सरकार की योजना में कोई कमी है। बल्कि उसका कारण यह है कि चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम नेता हैं, अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, जिस सामाजिक परिवेश में हमारा जीवन पला-बढ़ा है हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसके अनुसार ही हम आचरण करते हैं। यदि हमारा समाज, हमारा सामाजिक परिवेश लोकतंत्र पर आधारित है, सामाजिक तौर पर आधारित है, मानवता और इंसानियत पर आधारित है तो हम चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों या जनप्रतिनिधि हों या नेता हों उसके अनुरूप हम काम करते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जो जिस काम को करने का दायित्व प्राप्त कर लेता है मूलतः वह उस दायित्व को कर्तव्यपूर्वक निभाने की कोशिश नहीं करता है। यही कारण है कि किसी भी सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं होती है क्योंकि काम करने वाले का मन काम करने में नहीं बल्कि उसकी प्राथमिकता उसकी जेब होती है। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़े बहुत गहरी हो चुकी हैं। इसलिये आज इस सदन को गम्भीर होने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अज्म भी चाहिये और अम्लभी सबां सिर्फ बातों से किस्मत बदलती नहीं। सिर्फ बातों से किस्मत नहीं बदलती है। आज काम करने का मौका आया है इसलिए आज इस सदन में जो माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बजट रखा है, बहन कु0 मायावती जी के हाथों में 17 वर्षों के बाद इस प्रदेश की जनता ने कुछ विश्वास के साथ सत्ता सौपी, यह सामने बैठे हुए लोग डर रहे है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यह बार-बार कह रहे हैं कि सामने बैठे हुए लोग डर रहे हैं।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं। यह कहना चाहता हूं कि जो बजट ग्राम्य विकास मंत्री जी ने रखा है यह गांव गरीब का बजट है। जैसे अम्बेडकर गांव विकास योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड पी0सी0 ड्रेन में वर्ष 2008-09 में एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत दो हजार दो सौ छियालीस करोड़ रुपये के माध्यम से दो हजार तीन सौ छियत्तर बासठ गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम यह सरकार करेगी, 1 हजार अस्सी करोड़ रुपये के माध्यम से लगभग पैंतीस सौ किलोमीटर सड़कों का सम्पर्क मार्ग जोड़ करके एक हजार गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का काम करेगी, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत एक हजार दो सौ छः रुपये के माध्यम से लगभग चार हजार किलोमीटर सड़क को जोड़ करके अस्सी सौ गांव सभाओं को जोड़ने का काम करेगी, इस तरह टोटल देखा जाय तो छः हजार सात करोड़ रुपया का काम हो रहा है।

श्री अधिष्टाता-

माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी आप अपनी बाते शुरू करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट रखा गया है, यह गरीब का बजट है और मैं इस पर बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं पर यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय हुकुम सिंह जी और माननीय सदस्यों ने एक-एक बात रखी है चाहे वह रोजगारी गारन्टी योजना हो, इन्दिरा आवास योजना हो, सबमें भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री जी हमारे बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और मजदूरों की वकालत करते हैं लेकिन वहां का नब्बे प्रतिशत मजदूर आज पलायन कर गया है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लिए। रोजगार गारन्टी योजना इनकी एनआरपी बाबू, बीडीओ, जेई और जो इनकी ग्राम पंचायत का सचिव है उसकी योजना हो गयी है। जितने भी राशनकार्ड हैं, वह पहले कोटेदार राशनकार्ड रख लेता था जो अपात्र लोग हैं, जो काम नहीं करना चाहता है, उनको जॉब कार्ड दिया जाता है और उन्हीं की मजदूरी चढ़ा-चढ़ाकर पैसे का गबन किया जा रहा है तो मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मान्यवर, जो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं वह खराब पड़े हैं। पूरा बुंदेलखण्ड आज पानी से जूझ रहा है। माननीय मंत्री पाठा क्षेत्र के हैं, वहां पर भी समस्या है। हमारे विधान सभा क्षेत्र गोयरामुंगली में लोगों को पीने के पानी की समस्या है। मंत्री जी भी वहीं के रहने वाले हैं। बहुत खुशी हुई जब यह मंत्री बने थे। लेकिन जब हमारे मंत्री जी बांदा गये थे तो गांव वालों ने कहा कि हम लोगों ने दस प्रतिशत अंशदान हैण्ड पम्प लगाने हेतु जमा कर रखा है और चार छः महीने हो गये हैं लेकिन हैण्ड पम्प नहीं लगे है। वहां पर मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा है। 15 लोगों ने, वैसे तो दो सौ लोगों नें पैसा जमा कर रखा है तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र में स्पेशल कोटे के अन्तर्गत जो पैसा जमा है लेकिन हैण्ड पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। जब माननीय मंत्री अपने गांव को पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे प्रदेश की जनता को पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे। स्पेशल कोटे के हैण्ड पम्पों को शीघ्र लगाया जाय यह मेरी मांग है अंशदान भी जमा है और हमने शिकायत भी की थी कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में इतनी धांधली हुई है, इतना गड़बड़ बनाया गया है कि बनते ही चार-छः महीने में उखड़ गई है। मान्यवर, लेकिन जांच अधिकारियों ने खानापूर्ति करके मान्यवर, माननीय मंत्री जी के गांव की सड़क नहीं बना पाये, प्रधान मंत्री सड़क योजना में आज भी गड्ढे-गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो प्रदेश भर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्दर कैसे सड़कें बनेंगीं। मान्यवर, यह बड़ा दुःख का विषय है। हम तो माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि जैसे 225-225 हैण्ड पम्प माननीय मंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों को दिया है अब अधिकारियों ने स्थल चयन कर दिया कि फलां जगह लगेंगे, हम माननीय सदस्यों को ज्यादा जानकारी है कि कहां ज्यादा आवश्यकता है, वहां उसे लगवा दें, अब अधिकारियों ने जहां हैण्ड पम्प पहले से

लगे हैं या स्वजल पेय जल योजना के अन्तर्गत वह गांव रहा है वहां 25 हैण्ड पम्प लगाने के लिए दे दिया और जहां हैण्ड पम्प लगाने की ज्यादा आवश्यकता है वहां एक भी हैण्ड पम्प नहीं है मान्यवर, तो जो सूची हम लोग दे रहे हैं उसमें एक भी हैण्ड पम्प अधिकारी नहीं लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से आदेश हैं कि जब तक कि सूची में जो चिन्हित गांव हैं वहीं हैण्ड पम्प लगायेंगे। इस तरह से मान्यवर, हम बताना चाहते हैं कि हैण्ड पम्प लगाने में किस तरह से घपला किया जा रहा है। हैण्ड पम्प लगाने के लिए जे0ई0, ठेकेदार को भेजते हैं, ठेकेदार गांव जाता है और वहां पर मान्यवर, यह सरकार कह रही है कि हम मजदूरों को मजदूरी देने का काम कर रहे हैं, जिसके यहां हैण्ड पम्प लग रहा है मान्यवर, उसी से मजदूरी कराने का काम कराते हैं, उसी से पानी भरवाने का काम करते हैं, उसी से पूरा काम करवाते हैं, उनकी मजदूरी नहीं दी जाती है। मान्यवर, हमारे बुन्देलखण्ड में हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ऐसी स्थिति है हम लोगों की जानकारी में है और हम लोगों ने इसकी पच्चीसों शिकायतें की, मान्यवर, ठेकेदार एक भी पैसा नहीं देता है और सारा गबन करते हैं चाहे प्लेट फार्म बनाने का हो, चाहे हैण्ड पम्प लगाने का हो, सारा का सारा पैसा हैण्ड पम्प ठेकेदार, जे0ई0 मिलकर के उसके विभाग के लोग गबन करने का काम करते हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। गत वर्षों में जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं कई साल से हैण्ड पम्प लगे पड़े हैं लेकिन प्लेट फार्म नहीं बने हैं, नई योजना बनाई गई पशुओं के लिए जो चरही योजना बनाई गई उसमें भी मान्यवर, सही ढंग से गुणवत्ता के आधार पर योजना नहीं बनाई जा रही है। इसके अलावा मान्यवर, हम बताना चाहते हैं वैसे तो माननीय मंत्री जी यह तो हम बता ही चुके हैं कि पाठा क्षेत्र में जितनी पानी की समस्या है, बुन्देलखण्ड में जितनी पानी की समस्या है, तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध भी है कि जब आप स्वयं जानते हैं तो आंकड़े बाजी में न आ करके, आपको तो बुन्देलखण्ड में जहां-जहां आवश्यकता है, सभी जन प्रतिनिधि जहां-जहां प्रस्ताव देते हैं वहां-वहां हैण्ड पम्प लगवा देने चाहिए क्योंकि कास्ट भी बढ़ गई है पहले जिन लोगों ने मान्यवर, पैसा जमा किया था 2600 रुपया जो हाथ से लगता है और 3700 रुपया जो मशीन से लगता है, अब मान्यवर, मशीन वाले में 4800 रुपया हो गया है और हाथ वाले में 3720 रुपया हो गया है, तो मान्यवर, यह विषमता पैदा हो गई है जो हमारे विधान सभा क्षेत्र के 200 लोग भटक रहे हैं, माननीय मंत्री जी के गांव के लोग भटक रहे हैं, महिलायें माननीय मंत्री जी को घेर लेती हैं जब वह डाक बंगले पर जाते हैं, बाल्टी लेकर के, घड़े ले कर के घेरती हैं कि हमको पानी दीजिए मंत्री जी। मंत्री जी अपने पूरे गांव में पानी नहीं दे सकते, अपने सारे क्षेत्र में पानी नहीं दे सकते तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अनुरोध हैं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें, हमारे यहां जहां-जहां हैण्ड पम्प की आवश्यकता है वहां-वहां पर हैण्ड पम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करा दें, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आर0ए0उस्मानी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय हुकुम सिंह जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और कटौती प्रस्ताव के ऊपर माननीय श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी अपने विचार रख रहे थे, सारी कुछ बातें आ गई हैं लेकिन फिर भी कुछ रह गया है, उसको मैं बता रहा हूं कि जो इन्दिरा आवास योजना है इनकी इसमें उन लोगों का चयन किया जाता है जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में है और बी0पी0एल0 सूची जो बनी है उसमें बड़े पैमाने पर घपला किया गया है। उसमें ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके नाम दो-दो, तीन-तीन एकड़, चार-चार एकड़ जमीनें हैं, ट्रैक्टर है, बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं उसकी जब शिकायत की जाती है तो यह कहा जाता है कि अगली बार जो सूची बनेगी वह सही बनेगी लेकिन फिर वही सूची, वही कोटेदार, वही लेखपाल, वही प्रधान मिल करके, और पूरी तरीके से इसमें भ्रष्टाचार है। पहले इन्दिरा आवास के लिए 20 हजार रुपया था बहुत पहले, पिछली हमारी सरकार ने इसमें पांच हजार रुपया बढ़ा कर इसको 25 हजार रुपया कर दिया, लेकिन अब यह जो सरकार है इसने वैट लागू कर दिया है तो साढ़े बारह परसेण्ट की और मंहगाई बढ़ गई तो इसलिए इसमें साढ़े बारह परसेण्ट की और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और जो चयन हो वह बिल्कुल [illegible] लोगों का होना चाहिए। इसमें भी ग्राम के सेक्रेटरी वगैरह खाते खुलवा करके और अपने पैसा निकालते हैं और कहते हैं कि हम सामग्री देंगे। यह हमारे जनपद लखीमपुर में नकहा, फूलबेहड़ ब्लाक है और बिजुआ और बांकेगंज में यही पूरी स्थिति हो रही है। इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प जो 225-225 लगाने के लिए दिये गये थे क्षेत्र में, उसमें भी 50 परसेण्ट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कर दिया गया कि 50 परसेण्ट अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में लगाये जायेंगे। मान्यवर, और पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती में लगाये जायेंगे। अधिकारियों ने एक योजना बना दी है कि यह वहां पर लगेंगे। मान्यवर, रिबोरिंग की जो बात है उसमें ज्यादातर हैण्ड पम्प हमारे यहां खराब पड़े हुए हैं, उसमें हमारे जनपद में पैसा नहीं है दूसरा वहां लगा नहीं सकते हैं। तो यह एक विसंगति है। मैं मांग करना चाहता हूं कि रिबोरिंग के मामले में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी अलग से 200-200 नलों की स्वीकृति माननीय विधायकों के लिये दें। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो यह विधायक निधि की धनराशि है वह बहुत ही कम है। मंहगाई काफी बढ़ गई है। जो विकास कार्य होते हैं उसमें 12-15 प्रतिशत के लगभग मंहगाई बढ़ गई है। इसलिए इस विधायक निधि की धनराशि को 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत जिला ग्राम्य [illegible] अभिकरण काम कर रहे हैं उसमें 1994-95 में उर्दू अनुवादकों की नियुक्तिया हुई थीं, उनकी स्थानान्तरण की नीति अभी तक नहीं बनी है उनका जी0पी0एफ0 नहीं काटा जा रहा है। इससे पता नहीं चलता है कि वह सरकारी नौकर हैं या प्राइवेट नौकर हैं। तमाम कर्मचारी और उनके परिवार के लोग हमसे मिले हैं और परेशान हैं। उनकी परेशानी की ओर यह सरकार ध्यान दें। मान्यवर, इसी तरह से जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसमें भी मिट्टी का काम कराया जाता है। इन कामों में केवल कमीशनबाजी और ब्लाकों में बंदरबाट करने का काम हो रहा है। मान्यवर, पूरे गांव के लोग जो सच्चे श्रमिक हैं उनको कार्ड नहीं दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में इसकी बहुत दुर्दशा है। मान्यवर, वहां

पर एक मीटिंग हो रही थी उसमें जिले के लोग थे और एक एनजीओ साथी फाउंडेशन हैं उसके लोग आये थे, वह एनजीओ गरीबों पर काम कर रहे हैं, उनको बुरी तरह से बेइज्जत करके उस मीटिंग से निकाल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीबों के लिये काम कर रहे हैं उनके लिये भी काम करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वहां केवल बंदरबाट का काम हो रहा है।

मान्यवर, जो नलों के रिबोर कराने की बात है उसमें 20 हजार रु0 खर्चे की बात आती है। किसी नल में कम खराबी भी होती है लेकिन ठेकेदार और जल निगम के अधिकारी उसे ठीक कराने के लिये 20 हजार रु0 की मांग करते हैं चाहे खराबी कितनी ही कम क्यों न हों। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें ब्लाक स्तर पर एक टेक्निकल कमेटी बनायी जानी चाहिए जिसमें मिस्त्री और इंजीनियर आदि लोग रहें वह लोग इसका परीक्षण करें क्योंकि बहुत से नल 500 रु0 और 1000 रु0 में ही ठीक हो सकते हैं। इसी तरह से इंदिरा आवास योजना है उसमें 60 और 40 का अनुपात निर्धारित है कि 60 प्रतिशत आवास सामान्य वर्ग को जायेंगे और 40 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति वर्ग को जायेंगे। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने जो अम्बेदकर ग्राम अभी बनाये हैं, वहां पर जितने सामान्य जाति के लिए निर्धारित आवास थे, वहां पर बड़े पैमाने पर सामान्य जाति के लोग पात्र पाये गये, लेकिन सारे के सारे आवास अम्बेदकर ग्राम में चले गये, शेष आवास अनुसूचित जाति के लोगों को चले गये। मान्यवर, जो सामान्य जाति के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग जो उसमें पात्र पाये गये उन लोगों को आवास नहीं मिला। मान्यवर, इस तरह से यह जो एक घोर असमानता व्याप्त हो रही है उसको दूर किया जाये। लोगों में इसको लेकर जनाक्रोश है। मान्यवर, चूंकि आप बैठने के लिए बराबर कह रहे हैं, बातें इस विभाग के सम्बन्ध में मुझे बहुत सी कहनी थीं, इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि केवल आलोचना करना मेरे बोलने का मकसद नहीं है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरी बात पर थोड़ा गौर करेंगे। मान्यवर, इस सूबे के अंदर डार्क घोषित ब्लाक है उनसे सम्बन्धित सारी सुविधायें समाप्त कर दी गयी हैं। मान्यवर, वह भी इस सूबे के अंग हैं उनको भी विकास का पूरा का पूरा अधिकार मिला हुआ है। मान्यवर, उन डार्क विकास खण्डों में सिंचाई की जो बात है या पेयजल की जो बात है, उस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य योजना किसी भी सामान्य बजट या ग्राम्य विकास विभाग के बजट में परिलक्षित नहीं होती है। मान्यवर, मेरा मानना यह हैं कि अभी इस बजट के अन्दर, गुणवत्ता प्रभावित जो गांव या बस्तियां है या डार्क घोषित जितने ब्लाक्स हैं, उनका सर्वे कराने की बात कही जाये। मान्यवर, अगर ठीक प्रकार से उनका सर्वे करा लिया जाये तो आपको पता चलेगा कि वहां की एक बस्ती ऐसी नहीं होगी जिसमें पानी मानक के अनुसार हो। उसमें फ्लोराइड होने की बात आती है, अब तो नाइट्रेट की बात भी आती है। मान्यवर, जमुना नदी या अन्य नदियों के किनारे के जो गांव है वह सब खारे पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। मैं सदन में दो तीन बार इस बात को उठा भी चुका हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दोनों विकास खण्ड डार्क घोषित हैं। लगभग 60 गांवों में पानी खारा है। सादाबाद के दो गांवों के

नाम इसमें घोषित हैं। उसमें लिखा है कि वह फ्लोराइड युक्त पानी इन गांवों में है। मैं यह भी जानना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो फ्लोराइड युक्त गांव है वहां पर डीप बोरिंग कर देने से फ्लोराइड समाप्त होने वाला नहीं है। जब हम बोरिंग को गहरा करते हैं 220 फुट तक करते हैं तो उसमें जाली कटती है जिसमें हर श्रोत का पानी आता है। डीप बोर की आपने घोषणा कर दी और वहां पर डीप बोर वाले हैण्डपम्प स्वीकृत कर दिये तो फ्लोराइड की समस्या समाप्त होने नहीं जा रही है। इसके लिए आपको करना यह होगा कि सारे गांवों का सर्वेक्षण करे उसके बाद उस गांव की जगह जहां पर शुद्ध पेयजल मिल सकता है सैम्पलिंग करें उसका सर्वेक्षण करें और जहां पर पानी सही हो वहां पर आप पम्पिंग सेट लगाकर एक छोटी पेयजल योजना से उस गांव को पानी की आपूर्ति करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 30-30 साल पुरानी टंकी बनी है। मेरे क्षेत्र के अन्दर 20 पेयजल समूह योजनाएं हैं अगर इसी अनुपात में पूरे प्रदेश में देखा जाय तो उन पेयजल योजना का कोई रख-रखाव नहीं होता। अगर वहां का पम्पिंग सेट खराब हो गया तो वह ठीक नहीं होता है, पाइप लाइन टूट गयी तो वह नहीं ठीक होने वाली है। मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर बस्तियों को आपको शुद्ध पेयजल पिलाना है तो केवल हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य लेकर आप इस काम को नहीं कर सकते। इस सूबे की जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है और इसी के लिए यह सारा कार्य जो बजट का आप कर रहे हैं यह किया जाता है। मान्यवर, इसी तरह से डार्क ब्लाक के अन्दर यह जो त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का आपका आया है इसमें चेकडैम बनाने की योजना है। मेरा मानना है कि भूगर्भ जल स्तर भयानक रूप से नीचे जा रहा है और जो डार्क घोषित ब्लाक है उनके अन्दर तो यह खतरनाक ढंग से नीचे चला गया है तो चेक डैम बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और इसके लिए विशेष तौर से चेक डैम बनाने का प्राविधान ग्राम्य विकास विभाग के बजट में होना चाहिए था। लेकिन खेद का विषय है कि इस संदर्भ में यह बजट बिल्कुल मौन है। मेरा एक और आग्रह है कि आदर्श जलाशय योजना में आप बनाये चले जा रहे हैं लेकिन आदर्श जलाशय योजना में सेटेलाइट से सर्वे कराकर और जहां पानी आ सकता हो वहां पर तालाब खोदने का काम करें। हाथरस जनपद में 7 बी0डी0ओ0 के सापेक्ष केवल दो बी0डी0ओ0 हैं मैं मांग करता हूं कि जब आप अधिकारी पूरे नहीं लगायेंगे तो विकास कैसे होगा।

श्री काली चरन राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीया सुश्री बहन कु0 मायावती जी के कुशल नेतृत्व में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री श्री ददू प्रसाद जी द्वारा प्रस्तावित ऐतिहासिक बजट 2008-2009 के पक्ष में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य विकास विभाग के लिए सत्रह अरब, चालीस करोड़ नवासी लाख, बत्तीस हजार रुपये का बजट प्रस्ताव रखा गया है जिसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। मान्यवर, प्रदेश की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है अतएव इस बजट में ग्रामों के समग्र विकास हेतु प्रमुखता प्रदान की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत इस बजट में तीन सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो बहुत ही अच्छा और संतोषजनक बजट है। मान्यवर,

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों को आवास बनाने के लिए दो सौ करोड़ रुपये खर्च करके तीन लाख बीस हजार आवास निर्माण कराने की व्यवस्था की गयी है। महामाया योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति आवास विहीन परिवारों के आवास हेतु इस बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शुद्ध पेयजल के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामुदायिक हाल बनवाने के लिए बीस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के लिए दो हजार दो सौ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में तालाब/जलाशय बनाने के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसलिये मान्यवर, इस बजट का सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी पुरजोर समर्थन हो रहा है। यह बजट लोक हित में, जनहित में, ग्राम्य हित में व प्रदेश हित में है। मैं इस बजट का पुनः पुरजोर समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आप का बहुत-बहुत आभारी हूं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आदरणीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह जो ग्राम्य विकास का बजट रखा गया है यह अधिकारियों के आंकड़ों का जाल है। अधिकारियों ने जिस तरीके से आंकड़े बना दिये उसी आधार पर यह बजट प्रस्तुत किया गया है लेकिन सच्चाई और तथ्य से यह बहुत दूर है। स्थिति यह है कि आज जो गांव में बी0पी0एल0 सूची बनाई गयी है और जो बन रही है उसको प्रधान अपने खेमे के हिसाब से बना लेता है जो प्रधान जिस गांव में निर्वाचित हो गया, वह चाहे इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो, वह अपने हिसाब से सूची बना लेता है और उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है। उस बी0पी0एल0 सूची की जांच करा ली जाये। मेरा यह सुझाव है कि बी0पी0एल0 सूची में जिन नामों को सम्मिलित किया गया है, उसमें अगर किसी के पास एक बिस्वा भी खेत है, एक भी मकान है तो बी0पी0एल0 सूची से उसका नाम काटा जाय। बी0पी0एल0 सूची में बहुत से ऐसे कार्डधारक हैं, बहुत से आपको ऐसे नाम मिल जायेंगे जिनके पास जमीन भी है, मकान भी है और मोटरसाइकिल भी है और उसका लाभ ले रहे हैं। मान्यवर, जहां तक इन्दिरा आवास की बात है, इन्दिरा आवास के बारे में 2005-2006, 2006-2007 से 25 हजार रुपये दिये जा रहे हैं और 2007-2008 और 2008-2009 में भी 25 हजार रुपये ही रखा गया है। मान्यवर, मंहगाई इतनी बढ़ गयी है और ईंट का दाम बढ़ गया, सीमेन्ट सवा दो सौ रुपये बोरी हो गयी तो 25 हजार रुपये में कितना काम हो पायेगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इसलिये मेरा सुझाव है और मांग भी है कि इस धनराशि को बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया जाय ताकि इन्दिरा आवास योजना जिन लाभार्थियों को मिले वह पूर तरह से संतुष्ट हो जायें। जहां तक प्रधान मंत्री सड़क ग्राम योजना की बात है, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना जिस विधान सभा, जिस गांव, जिस जिले में बनती है वहां के विधायकों से उसमें प्रस्ताव मांगा जाता है। स्थिति यह है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में जो प्रधान मंत्री सड़क

योजना बनाई गयी है उसमें मुझसे प्रस्ताव मांगने की बात तो बहुत दूर वहां के क्षेत्रीय सांसद महोदय ने सड़क बनने के बाद उसमें अपना बोर्ड लगा दिया और हमसे किसी अधिकारी ने बात तक नहीं की, यह है इसकी पारदर्शिता। जहां तक हैण्डपम्पों की बात है, हैण्डपम्प के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा जो वाराणसी जनपद में है, हमारी विधान सभा लगभग 6 ब्लाकों में आती है। आराजी लाइन, हरौवां, काशी विद्यापीठ और पिंडरा लेकर करीब 6 ब्लाकों में आती है। सम्पूर्ण भाग हमारा आराजी लाइन और हरौवां है। आराजी लाइन की स्थिति यह है कि वहां भूगर्भ जल स्तर 80 फीट के नीचे चला गया है और वहां यदि डीप बोरिंग की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से नहीं की गयी तो आने वाले समय में पीने का पानी नहीं रह जायेगा। मान्यवर, 225 हैण्ड पम्प ग्राम विकास की तरफ से मिला है और उसमें मैं बताना चाहता हूं। उसी के आधार पर हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं। हमारे यहां की स्थिति यह है कि जल निगम जो हैण्डपम्प लगाता है, उसको आराजी लाइन ब्लाक एलाटेड नहीं है लेकिन जल निगम का एक और अभियन्ता फूलन्दर सिंह जे0ई0 है, उसके घर अगर आज आप छापा मरवा लें तो एक हजार हैण्डपम्पों का सामान आपको मिलेगा और 10 हजार रुपये ले करके आराजी लाइन ब्लाक जल निगम को आवंटित नहीं है वहां पर फूलन्दर सिंह जे0ई0 10-10 हजार रुपये ले करके हैण्डपम्प लगवा रहा है और अभी हमारी विधान सभा गंगापुर के आराजी लाइन ब्लाक में मरुई गांव है वहां पर चार हैण्डपम्प 40 हजार रुपये ले करके उसने लगवाये हैं। इसे मंत्री जी दिखवा लें, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास का जो बजट है और इस पर जो मा0 हुकुम सिंह जी का कटौती का प्रस्ताव है, उस पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने जनपद सिद्धार्थनगर में नरेगा के विषय में कहना चाहता हूं। हमारे यहां नरेगा का संचालन मुख्य विकास अधिकारी के अकेले हाथ में है। उन्होंनें किन्हीं ग्राम पंचायतों में 11 लाख रुपये दिये और किन्हीं ग्राम पंचायत में 50 हजार रुपये भी नहीं दिया। उन्होंने अपने आप मानक तय कर दिये जितना चाहिए, उतना कर दीजिये। आज मैंने एक अतारांकित प्रश्न लगाया था कि कंटीजेंसी का कितने प्रतिशत खर्च होता है ? उन्होंने पूरे जनपद के हर ग्राम पंचायतों में एक-एक आलमारी सप्लाई कर दी, जो अगर उंगली से दबा दी जाये तो आलमारी टूट जायेगी। वह आलमारी सप्लाई करके ग्राम पंचायतों से जबर्दस्ती सारा पैसा वसूल लिया और सीधे फर्म को ठेका करके सब ले लिया। सारे विकास खण्डों में उन्होंने कम्प्यूटर सप्लाई करा दिया और कम्प्यूटर पौने दो-दो लाख रुपये के खरीदे जबकि इससे काफी सस्ते कम्प्यूटर होते हैं। उसका कोई टेण्डर ही नहीं काल किया गया। अगर यह योजनायें सरकारी आदमी अपनी मर्जी से चलायेगा तो इस बजट का क्या होगा ? मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ग्रामों में या जिला पंचायतों में जो नरेगा का पैसा पहले बजट के रुपये में 16 करोड़ रुपये और दूसरा 17 करोड़ रुपये, कुल 33 करोड़ रुपये नरेगा में दो किश्तों में दिया गया है। लेकिन दोनों किश्तों का पैसा या तो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में दे दिया गया है, ग्राम पंचायतें अभी वैसे ही पड़ी हुई हैं। एक-एक बी0डी0ओ0 के पास तीन-तीन, चार-चार ब्लाकों का कार्य है और कार्य प्रभारी बने होने के

नाते कोई काम नहीं हो पाता है। मजदूरों से 12 से 15 परसेन्ट कमीशन हमारे यहां लिया जा रहा है सारे कार्य उनके पास हैं, पंचायत सहित को बुलाते हैं और शाम को चेक काट करके उसे जारी कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि जो मास्टर सूची के जरिये इन्दिरा आवास बनाने की बात हो रही है, चार साल पहले वह मास्टर सूची बनी, उसमें तमाम अपात्रों का नाम पड़ा हुआ है, जिनको वास्तव में घर मिलना चाहिए उनका नाम उस सूची में नहीं है। मैं अपने जनपद की बात बता रहा हूं मैं गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, लेकिन उनका नाम उस सूची में नहीं दर्ज है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि इन कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये जिले स्तर पर कोई ऐसी निगरानी समिति बनाये जो इन कार्यक्रमों का हर तीन महीने में पर्यवेक्षण करके रिपोर्ट आपको दे कि वास्तव में कार्यक्रम सुचारु रूप से चल रहा है और एक बात और कहना चाहता हूं कि इस मंहगाई के युग में विधायकों के पास तमाम सारे लोग आते हैं कि यह काम कर दीजिये ? तो मेरा निवेदन है कि विधायकों को जो सवा करोड़ रुपये मिलता है उसे बढ़ा करके डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया जाय ताकि हम लोग अधिक से अधिक जनता से जुड़ सकें।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने ग्राम्य विकास के बजट पर मा0 हुकुम सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, तीन मिनट में बात समाप्त नहीं होती है मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह हमारे जनपद में गये थे और समीक्षा बैठक भी किया था। वास्तव में यह फाइल-वाइल पटककर चले आये थे लेकिन उसके परिणामस्वरूप अभी तक ग्राम्य विकास में सुधार नहीं हो पा रहा है।

कुछ सूक्ष्म बातें मैं बताना चाहता हूं। अभी जो मा0 मंत्री जी ने कहा कि हैण्डपम्पों के रि-बोर के प्रस्ताव दें। हम लोग 20-20 प्रस्ताव दे चुके हैं लेकिन वे रि-बोर नहीं हो रहे हैं। मेरी विधान सभा में 127 ग्राम सभायें और 500 ग्राम आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से एक हजार से डेढ़ हजार की आबादी के गांवों के मार्गों का निर्माण होना चाहिए वह अभी तक निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। बार-बार सूची देने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। जैसाकि अभी आपने बताया कि ये-ये हमारी योजनायें ग्रामों के विकास की हैं। मैं यही चाहता हूं कि एक तो नियोजन और प्रबन्धन व्यवस्थित रूप से हो तो जो ग्राम्य विकास के जो कार्यक्रम है वह गांवों तक जायेगा और विकास दिखायी देगा और सरकार के कार्यों की सराहना होगी। खाली भाषण देने से कि 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' से सराहना होने वाली नहीं है। मैंने जो बताया कि नियोजन और प्रबन्धन व्यवस्थित रूप से किया जाय तो गांवों का विकास होगा, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि विधायक निधि का दिया है, 10 लाख रुपया पुराना लागू है, उससे ज्यादा का प्रस्ताव हम नहीं दे सकते। अगर 1 कि0मी0 सड़क ही बनाना हो तो अब मंहगाई बढ़ गयी है, 18 लाख रुपये में बनती है। अगर विधायक 1 कि0मी0 सड़क बनवाने के लिये 10 लाख रुपया विधायक निधि से देगा तो आधा कि0मी0 सड़क बन पाती है साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि एक नलकूप गांव में अगर सिंचाई के लिए लगाना हो तो उसमें भी 18 लाख रुपये एक

नलकूप में लगते हैं जबकि विधायक निधि से अधिकतम 10 लाख रुपया देने का प्राविधान है एक बार में देने का तो मान्यवर, कार्य पूरा नहीं होता इसलिए इसको बढ़ाने पर विचार कर लें। जैसाकि अभी बताया आपने इतना टैक्स लगा दिया है ईट के ऊपर कि कहां से बन पायेंगे इन्दिरा आवास ? पूरे प्रदेश में सारे भट्ठे वाले बहुत प्रभावित हैं। एक तो समाधान योजना लागू करनी चाहिए। जो पूर्व की सरकारों ने किया है। वह करेंगे तो पैसा भी आयेगा उनको ठीक से रेट भी मिलेगा। तो मैंने यह दो-चार बातें आपके सामने रखीं। दूसरे जो रि-बोर की बात कही है जब सूची जाती है तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है, धन उपलब्ध करा दें। जो सेवित ग्राम्य है वाटर लेबिल बहुत नीचे चला गया है, कुएं सूख गये हैं तो रि-बोर कराने के लिये धन उपलब्ध करायेंगे तो उनको पानी पीने को मिलेगा। हैण्डपम्प देना चाहते हैं तो आपको बहुत-बहुत बधाई। हैण्डपम्प और दीजिये जिससे ग्राम की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था ठीक हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जावेद अंसारी-

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर श्री हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, गांवों के समग्र विकास की बात बजट में कही गयी है। जो बुनियादी आवश्यकतायें होती हैं-बिजली, पानी और सड़कें, इस तरफ जो बजट का प्राविधान किया गया है वह निराशाजनक है। गांवों में सम्पर्क मार्गों की बात कही गयी है लेकिन सम्पर्क मार्ग जिस तरह से बनवाये जा रहे हैं, उसकी खुली लूट हो रही है। मैं समझता हूं कि बजट में जिस तरह की बात कही गयी है उस तरह से काम हुआ होता तो माननीय विधायकों को अपनी निधियों से सम्पर्क मार्गों को बनवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होती। बहुत सारा निधियों का पैसा सम्पर्क मार्गों के काम में विधायकों द्वारा खर्च कर दिया जाता है जिससे विकास के अन्य कार्य बाधित होते हैं। इसी प्रकार से जो हैण्डपम्पों की बात कही गयी है उसमें एक बुनियादी समस्या पैदा हुई। 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान जमा करने की जो व्यवस्था की गयी थी, उसमें माननीय विधायकों के अलावा ग्राम्य सभाओं को भी कहा गया था कि वे अपने यहां प्रस्ताव पारित करके अंशदान जमा कर सकते हैं लेकिन मेरे जनपद में ऐसा नहीं होने दिया गया। अधिकारियों ने साफ तौर पर ग्राम प्रधानों को मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि स्पष्ट तौर पर इस तरह के निर्देश जनपद में जाना चाहिए ताकि गरीब नागरिकों को जहां ग्राम सभायें राहत पहुंचाना चाहती हैं वहां ऐसे लोगों/समूहों को उसका लाभ मिल सके।

वर्ष 2006-2007 में जो माननीय विधायकों को हैण्डपम्प दिये गये गये थे आचार संहिता लग जाने के कारण नहीं लगाये जा सके थे। बहुत से जनपद ऐसे होंगे मेरे विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में भी इस प्रकार की समस्या है जौनपुर की वहां पर पूर्व माननीय जनप्रतिनिधि महोदय ने न तो अंशदान इसमें किया था न सूची दी थी वह हैण्डपम्प इस प्रकार से रखे हुए हैं मेरे बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद कि इनका अधिष्ठापन मेरी सूची से करा दें आज तक आदेश जारी नहीं हो सका है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश जिलों में जाना चाहिए ताकि भीषण पेयजल समस्या से लोगों को शीघ्र राहत दिलाई जा सके। इन्दिरा आवास और महामाया आवास की [illegible] की

गई जो 25 हजार रुपये निर्धारित किये गये हैं मंहगाई को देखते हुए इसकी सीमा को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ जो ग्राम शौचालय के लिए 1500 की कीमत निर्धारित की गई है वह बहुत कम है 1500 रुपये में शौचालय कदापि नहीं बनवाये जा सकते हैं। उनकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। जिलों में ग्राम प्रधानों को बराबर चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि वह निर्धारित समय सीमा में शौचालय नहीं बनायेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा जो गाइडलाइन विधायक निधि को खर्च करने के लिये बनाई गई है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए इसमें स्पष्ट रूप से इस तरह के दिशा निर्देश जाने चाहिए ताकि आवश्यक विकास कार्य अवरुद्ध न हो इसमें कहीं न कहीं विधायकों को अड़चन होती है। वह विकास के कार्य कराना चाहते हैं लेकिन अधिकारियों की ओर से यह कहा जाता है कि आप यह कार्य नहीं करा सकते हैं जबकि यह जनहित का कार्य है इसको किया जाना जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

अधिष्ठाता जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने श्री हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मंत्री जी ग्राम्य विकास विभाग का बजट प्रस्तुत कर अपना लम्बा चौड़ा भाषण पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता जो 80 प्रतिशत गांव में रहती है उसका कैसे समग्र विकास किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 907 ब्लाक हैं इन ब्लाकों में 401 खण्ड विकास अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं आप कल्पना कीजिए कि 907 ब्लाकों में से 401 में बी0डी0ओ0 नहीं है तो ग्राम्य का विकास कैसे होगा। यह बड़ा ही गम्भीर विषय है मंत्री जी शायद इसको भूल गये। जब इतने पद रिक्त हैं तो ग्राम का विकास कैसे होगा ब्लाक का विकास कैसे होगा और जिले का विकास कैसे होगा। मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वह सिर्फ किताबी हैं वह अधिकारियों के बनाये हुए आंकड़े हैं। यहां पर मंहगाई की बात आई, इन्दिरा आवास की बात आई बी0पी0एल0 सूची सही नहीं बन रही है गरीबों को आवास की बात आई जब इतनी मंहगाई बढ़ गई है तो 10 साल पहले इन्दिरा आवास के लिए 25 हजार रुपये की व्यवस्था की गई थी तो इतने में इन्दिरा आवास कैसे बना दिया जायेगा। 25 हजार में कौन सा आवास बना दिया जायेगा। नलों की बात, पेयजल की बात जितनी आपकी बातें हैं आंकड़ों में होती हैं लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चाई पर पर्दा डालने और वाहवाही लूटने व मेजें थपथपाने के लिए यह आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं। डा0 अम्बेडकर के नाम पर यह सरकार अपने को गांव गरीब किसान और मजदूरों की सरकार कहती है किन्तु विकास नहीं हो रहा है फिर आंकड़े बाजी कैसी। आज हर चीज में कमीशन खोरी, गांव में कमीशन खोरी, ब्लाक में कमीशन खोरी, हर जगह कमीशन खोरी है जो अधिकारी लिखकर दे देते हैं वही यहां पर मंत्री जी पढ़ देते हैं और यहां पर मेजें थपथपा दी जाती हैं यह अच्छी बात नहीं है। सरकार काम करे, गांव गरीब किसान की बात करें। सबको इन्साफ एवं आवास, बिजली पानी स्वास्थ्य दवाई पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क तत्परता से उपलब्ध कराये जिससे गांव का रहने वाला वह मजलूम, वह किसान, वह गरीब यह महसूस करे कि वाकई प्रदेश की सरकार ने मेरे साथ इंसाफ किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं अब अपनी बात समाप्त करिये। तीन विभाग का बजट और प्रस्तुत होना है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिये यह सारी योजनायें लागू की जायं। बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं और माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करते हुए उस पर बल देती हूं। मान्यवर, बहुत लम्बे अरसे बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी दल को स्पष्ट बहुमत दिया है और उसके पीछे मैं समझती हूं कि उसकी यह सोच रही होगी कि सरकार सबके हित में अच्छा कार्य करेगी। मान्यवर, अभी जब ग्राम्य विकास का बजट प्रस्तुत हो रहा था, मैं सुन रही थी और सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि जिस प्रदेश की जनता ने आपको स्पष्ट बहुमत दिया है उस प्रदेश की जनता के साथ आपने कितना बड़ा विश्वासघात किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यहां पर एक उदाहरण देना चाहती हूं। मान्यवर, अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब जनता से पानी पीने के लिये पैसा लिया गया हो। आपने स्पष्ट किया है, एक शासनादेश जारी किया है कि विधायकों को जो 225 हैण्डपम्प दिये जायेंगे जिसमें से 50 परसेन्ट अनुसूचित जाति के होंगे और उसके साथ ही साथ 10 प्रतिशत अंशदान जमा कराकर तब उनके हैण्डपम्प की स्थापना होगी। मान्यवर, कितना विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार की मंशा है कि 100 व्यक्ति के ऊपर एक हैण्डपम्प लगे और अगर कोई व्यक्ति अपना 10 प्रतिशत का अंशदान जमा करेगा तो कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि वह (इस समय 4 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) हैण्डपम्प 100 व्यक्तियों के मध्य में लगेगा। निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो 10 प्रतिशत अंशदान देगा वह यही चाहेगा कि मेरे दरवाजे पर ही हैण्डपम्प लगे। आपकी यह योजना पूरी नहीं हो सकती है। मान्यवर, मैं इसलिये कह रही हूं कि जितने भी जन प्रतिनिधि हमारे इस सदन में बैठे हैं मैं समझती हूं सब ग्रामीण परिवेश से आये हैं। मैं भी वही से आई हूं। 1996 में भी मैं विधायक थी। पेयजल की समस्या इतनी कभी नहीं देखी थी जितनी आज दिखाई दे रही है। मान्यवर, कुएं सूख गये हैं, गांवों में पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है। हम तो यह सुन रहे थे कि अभी आप यह घोषणा करेंगे कि एक विधायक को पांच सौ

हैण्डपम्प दिये जायेंगे लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब आपने एक प्रस्ताव रखा कि जो 225 हैण्डपम्प विधायकों को दिये गये हैं उसमें से भी आप विचार करके कुछ रिबोर के काम कराइये। मान्यवर, यह अपराध होगा, यह अन्याय होगा। मान्यवर, मेरी आपसे यह गुजारिश होगी कि आप इस पर विचार कर लें और स्पष्ट निर्देश करें कि सारे विधायकों के प्रस्ताव पर इस बात को समाप्त किया जाय कि वहां पर 50 परसेन्ट का कोई कोटा होगा। मान्यवर, पानी की कोई जाति नहीं होती है। सबको पानी की आवश्यकता पड़ती है यह बहुत गलत है। दूसरा मान्यवर, आपने कहा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज तक जिले के किसी अधिकारी ने यह प्रयास नहीं किया कि आपके भी सुझाव आ जायें आपके किस क्षेत्र में सड़क बननी है। मान्यवर, मेरा भी प्रयास है और अधिकारियों का भी यही प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे तो फिर जब दोनों के रास्ते एक हैं तो उनको हमसे सुझाव लेने में क्या आपत्ति है। इस बारें में भी आपके स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। मान्यवर, इसी तरह से मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रदेश में बी0डी0ओ0 की इतनी कमी है कि एक-एक बी0डी0ओ0 को 3/4 ब्लाकों का जिम्मा दिया गया है। कैसे हम सोच सकते हैं कि एक बी0डी0ओ0 3/4 ब्लाकों का काम कर सकता है। मान्यवर, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। मैंने 05-12-07 को एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें उल्लेख किया था कि सुजानगंज ब्लाक में जो काम मजदूरों से कराया जाना चाहिए जिनका कराया जाना अनिवार्य है उनसे न कराकर उसको ठेकेदारी प्रथा पर कराया जा रहा है। मैंने कहा था कि आप इसकी जांच करा लीजिये। आपने 5-12-07 को ग्राम विकास आयुक्त को निर्देश दिये थे कि इसकी जांच कराकर एक महीने में उपलब्ध करा दी जायेगी। लेकिन मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में भी विचार कर लिया जाय। मान्यवर, आपने अभी एक प्रस्ताव रखा है कि कितना सौ करोड़ रुपया आप आवास को देंगे। आवास गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए अगणों को भी चाहिए, पिछड़े को भी चाहिए जो निर्धनता की श्रेणी में होगा उसको भी आवास चाहिए। हमको बड़ा दुख होता है जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं किसी को देखते हैं उसके पास घर नहीं है, रहने के लिये छप्पर है हम सोचते हैं कि इसको आवास दिला दें तो आपका ब्लाक अधिकारी कर्मचारी कहता है कि सिर्फ अम्बेडकर गांव में ही आवास बनेंगे। यह कितनी बड़ी विरोधाभास की स्थिति है कि एक तरफ किसी व्यक्ति को आवास नहीं है, जब हम आवास की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि सिर्फ अम्बेडकर गांव में ही आवास बन सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सब जनप्रतिनिधियों को भी अधिकार मिलना चाहिए।

सारे जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिलने चाहिए। अगर वह अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ देखते हैं, आवासविहीन व्यक्ति को देखते हैं तो जनप्रतिनिधि की संस्तुति पर आवास मिलने चाहिए। मैं आपकी अनुमति से आखिरी बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूं मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं माननीय जावेद जी ने एक बात कही, वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाए, मैं स्पष्ट कर रही हूं। वर्ष 2006-07 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने कुछ विधायकों को दो-दो सौ हैण्डपम्प स्वीकृत किये थे और तत्कालीन विधायक जी जो हमारे थे उन्होंने अपने प्रस्ताव दे दिये थे। दस प्रतिशत अंशदान भी जमा कर दिया था लेकिन जब आपकी सरकार बनी आप मंत्री बने तो शासन से एक ऐसा आदेश जारी हो

गया कि 2006-07 के हैण्डपम्प जो मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के तहत स्वीकृत हुए हैं उनको रोक दिया जाए। मान्यवर, जिन लोगों ने अपने प्रस्ताव दे दिये हैं, जिन लोगों के नाम चले गये हैं, जिन लोगों ने अंशदान जमा कर दिया है उनके नाम वापस आने में बहुत दिक्कत है मैं आपसे अनुरोध करूंगी यह पता करके 200 हैण्डपम्प हमारे क्षेत्र में स्वीकृत करें। मैं समझती हूं कि बहुत से विधायक के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर किसी को कुछ मिल गया है अगर आप अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप उसको भी लेने का प्रयास न करिये यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री त्रिभुवन दत्त-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ग्राम्य विकास बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं साथ ही मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय सदस्यगण यह कह रहे थे कि देश और प्रदेश की 85% जनसंख्या गांव में रहती है और आज 15 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है यह पहले की स्थिति आदरणीय हमारे वरिष्ठ सदस्य हुकुम सिंह जी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इस प्रदेश और देश की 85 प्रतिशत संख्या शहर में रहती है अब 15 प्रतिशत मात्र गांव में रह गई है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं-

(यह किसने कहा, की आवाजें)

आप सुनिये तो मैं कह रहा हूं हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि पहले 85 प्रतिशत संख्या गांव में रहती थी और 15 प्रतिशत संख्या शहरों में रहती थी लेकिन आज स्थिति यह है कि 85 प्रतिशत शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं 15 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है मैं पूछना चाहता हूं अगर आज यह स्थिति पैदा हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदार इस देश और प्रदेश में ज्यादा दिनों तक हुकूमत करने वाली पूर्व की सरकारें रही हैं जिन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियां बनाने का काम किया जिसकी वजह से गरीब तो गरीब होता गया और अमीर और अमीर होता गया। नतीजा यह हुआ कि गांव में रहने वाले अपनी रोजी-रोटी के लिए अपने घर द्वार और बीबी बच्चों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करने लगे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी मा0 नेता सदन बहन कुमारी मायावती जी को जब-जब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला तो देश की आजादी के बाद पहली बार बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसी नीतियां बनाई जिसका लाभ गांव में रहने वाले 85 प्रतिशत लोगों को मिलने का काम हुआ।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, आप विदित हैं चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश हो चाहे राष्ट्र हो उसके विकास की कुछ मूलभूत आवश्यकतायें होती हैं। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, तमाम सुविधाऐं होने के बावजूद ही गांव समाज और राष्ट्र तरक्की कर सकता है।

लेकिन मान्यवर, इस देश में, इस प्रदेश में हुकूमत करने वाले लोगों ने गांवों की तरफ ध्यान न देकर के मात्र शहरों की तरफ ही ध्यान दिया लेकिन धन्य है, बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार सन् 1995 में उन्हें हुकूमत करने का मौका मिला तो पहली बार उस गांव में रहने वाले जो सुई

से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम करते हैं, खेत से खलिहान तक खून-पसीना बहा करके पूरे मुल्क के लोगों को रोटी खिलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के विकास के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चला करके उनको बिजली, पानी, सड़क, आवास जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने का काम किया। (मेजें थपथपाई गईं) और मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद, इस 60 साल की आजादी के बाद जिस गांव में बिजली नहीं दिखाई पड़ती थी, जिस गांव में झोपड़ी के अलावा पक्के मकान नहीं दिखायी पड़ते थे, जिन गांवों में कच्ची रोड के अलावा पक्की रोड नहीं दिखायी पड़ती थी, आज डा0 अम्बेडकर गांव योजना के तहत बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से उन गांवों का समग्र विकास किया है, मेरे साथियों, बहुजन समाज को छोड़िये, आज सर्वजन समाज भी यह कहता है कि हमारे गांव को डा0 अम्बेडकर गांव योजना के तहत चयनित कराने का कष्ट किया जाए। लेकिन साथियों जब आज यह विकास की किरणें गांव के विकास की ओर चल रही हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे साथियों को उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है, उल्टा आंकड़ा पेश करते हुए नजर आते हैं, इनको भ्रष्टाचार दिखायी पड़ता है। अभी हमारे साथी हाशमी साहब कह रहे थे कि इन्दिरा आवास में कमीशनखोरी ली जाती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, अभी विपक्ष के ही मा0 सदस्य ने कहा है कि यह जो बी0पी0एल0 कार्ड की सूची बनी है, यह चार वर्ष पहले बनी है, मेरे साथी अभी कह रहे थे कि बी0पी0एल0 कार्ड उनको बना दिया गया है जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास 10 बीघा खेत हैं। मान्यवर, यह सूची 4 साल पहले बनी है, इसका जिम्मेदार कौन है ? मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार है। मैं बधाई देना चाहता हूं, ग्राम्य विकास मंत्री जी को जिन्होंने सरकार बनते ही इस बात का एलान किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो गलत बी0पी0एल0 कार्ड बने हुए हैं, उनका सर्वेक्षण करके नये सिरे से गरीबों का कार्ड बनाया जाए और ऐसे लोगों को आवास उपलब्ध कराकर और सरकारी योजना का लाभ उन्हें पहुंचाने का कार्य किया जाए। मान्यवर, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने महामाया आवास योजना बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बना करके जब उन गरीब समाज को आवास देने की योजना चलाई तो हमारे विपक्ष के लोगों को जिन्होंने पहले की सरकारों में बन्दरबांट किया है, तो उनको आज अच्छा नहीं लग रहा है। तरह-तरह के अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं, झूंठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, क्या इसके पहले कि सरकारों से कभी इस पर चिन्तन-मनन किया है कि क्यों लोग गांवों से पलायन करते हैं ? मान्यवर, हर लोगों को सत्ता में आने का मौका बारी-बारी से मिला है, 58 रुपये मजदूरी पता नहीं कितने वर्षों से चली आ रही है, लेकिन साथियों अपना वेतन बढ़ाने की बात तो सब करते हैं, अपनी विकास निधि को बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन जो लोहा ढोने वाला साथी है, जो फावड़ा चलाने वाला साथी है, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद हुक्मरानों ने उनकी तरफ देखने का काम नहीं किया, अगर ध्यान देने का किसी ने काम किया तो बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने यह काम किया है, और उन्होंने 58 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये मजदूरी करने का काम किया। इसलिए मान्यवर, ज्यादा कुछ न कहते

हुए, निश्चित तौर से मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जो बजट पेश किया है, उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं एक शेर पढ़ रहा था, आधा पढ़ा आधा इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मैं उसे पूरा कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

आधा रोकने से नुकसान होगा।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 'गुल मुतमइन नहीं है, परतीदे गुलिस्ता से और कलियों चटक के कह दो, बेदर्द बागवां से।''

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आगे 3 महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर सबकी रुचि भी है। अब तक 16 लोगों के विचार आ चुके हैं इसलिए थोड़े समय में अपने विचार रख दें। आगे भी महत्वपूर्ण विभाग हैं।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, इस सदन के लम्बे समय तक सदस्य रहे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसान की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बजट में जहां कैपिटल आउटलेट घटौती की तरफ होता जा रहा है तो उस परिस्थिति में हम कैसे ग्राम्य विकास की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा होता कि वह प्रदेश के गांवों में रहने वाले गरीब, मजदूर किसानों के उत्थान के लिए इस बजट में कोई ऐसी सकारात्मक घोषणा करते जिससे यह लगता कि गांव के लिए इस सरकार की कोई अच्छी सोच है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के डार्क ब्लाक जिनमें आज पानी, बिजली की समस्या है तो ऐसी स्थिति में गांव का विकास नहीं होगा। मान्यवर, इंदिरा आवास योजना के 25 हजार रुपये में भी ऊपर से लेकर नीचे तक अनेकों जगह पर सुविधा शुल्क और 12.5 प्रतिशत अन्य शुल्क लिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इंदिरा आवास के निर्माण की राशि को कम से 50 हजार रुपये कर दिया जाये। चाहें तो आप इनकी संख्या आधी कर दें या कुछ कम कर दें लेकिन जो भी मकान बनें वह ऐसे हों कि उनमें उन मकानों को बनवाने वाला रह सके। मान्यवर, नरेगा योजना के बारे में कहना है कि नरेगा योजना जो कि अनेक जिलों में चल रही है उसमें 100 दिन के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देने की बात कही गयी है लेकिन अधिकतर जिलों में 24 से 40 दिन का ही रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है। इसलिए इसको सुनिश्चित किया जाये कि जो भी जॉब कार्ड बने उसमें कम से कम 100 दिन का रोजगार अवश्य मिले। मान्यवर, जॉब कार्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि

जॉब कार्ड प्रधानों के द्वारा संस्तुति करके बनते हैं और मान्यवर, ग्राम प्रधान गांव में 20-40 प्रतिशत लोगों का नजदीकी होता है। अधिकतर लोग उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। इसलिए वह केवल अपने मतदाताओं के ही जॉब कार्ड बनाने में ही इंटरेस्ट लेता है। इसलिए ग्राम प्रधान के साथ गांव की एक समिति बना दें उसमें पूर्व प्रधान या अन्य लोगों को शामिल कर लिया जाये ताकि कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाये। मान्यवर, इसके साथ-साथ स्वजल धारा के बारे में कहना है कि जनपद हाथरस और बागपत में पिछले 2 साल से बजट स्वीकृत हो चुका है, गांवों का चयन हो चुका है, गांव के लोगों ने अंशदान भी जमा कर दिया है लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। मान्यवर, आपने मुझे इस कटौती पर बोलने का अवसर दिया, मैं कटौती पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें भी सुझाव देने का मौका दे दें।

माननीय अध्यक्ष जी ग्राम्य विकास विभाग का बजट रखा गया है उस पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव हैं उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। विधायक से जो निधि मिलती है विकास योजनाओं के लिए, उसमें विद्युत विभाग के लिए धन देना होता है। मेरा पिछली योजनाओं का जो धन दिया गया है, ट्रांसफारमर आदि के लिए, वह काम पूरा नहीं हो पाया है, न डी0आर0डी0ए0 के पास ऐसे अधिकारी हैं जो उसका निरीक्षण कर सकें, उसका इस्टीमेट देख सकें और काम होने के बाद भी नहीं पता चलता कि कौन सी निधि का कितना हिस्सा उन्होंने लगाया कितना नहीं लगाया। तो मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसी योजनाएं तैयार कर लें ताकि उन पर निरीक्षण किया जा सके। दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि पश्चिम की तरफ नवम्बर, दिसम्बर के दौरान मा0 मुख्य मंत्री जी के दौरों के प्रभाव से और दौरों के डर से पीएमजीएसवाई के माध्यम से, जो गांवों को जोड़ने की योजना चल रही थी, तो उसमें कई सड़कें मानक न होने की वजह से, टेम्प्रेचर नीचा होने की वजह से उन सड़कों का निर्माण प्रेशर की वजह से, डीएम के प्रेशर की वजह से, कराया गया। वह जैसे बनती गयीं टूटती गयी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में बक्सर से ढाना मार्ग जो लगभग दस बारह किलोमीटर दूर है, एनएच 24 मार्ग जो बीस किलोमीटर का मार्ग है, वह आज टूटने के कगार पर है और कागजों में वह पीएमजीएसवाई के द्वारा स्वीकृत हो चुका है। तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान जाय। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी, यह ग्राम्य विकास विभाग का बजट चाहे बढ़े या घटे लेकिन जो विभाग का ठेकेदार और अधिकारी है उनका जेब भरने का काम है। उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा एक सुझाव है जब तक विधायकों की साइनिंग अथारिटी उसमें इन्वाल्व नहीं होगी तब तक उस पर अंकुश लगाना सम्भव नहीं हो पायेगा। अभी पीने के पानी की बात हुई है। पेयजल के अन्तर्गत चाहे हैण्डपम्प लगाने का मामला हो, विधायकों को बंदिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक सौ पचास की जनसंख्या पर हैण्ड पम्प की बंदिश से जहां जरूरी हैं वहां पर वह अनभिज्ञ हैं वह कालोनियां। उसी के तहत जो योजना हमारी पाइपों के द्वारा स्वीकृत हुई हैं, मेरे क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में उपेड़ा गांव है, वहां पर पूरा प्रोजेक्ट लग चुका है, कई साल से लगा हुआ है, लेकिन वहां पर एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है, टंकी लग चुकी है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा

है। तो इस ओर मंत्री जी ध्यान दें। उसकी जांच करा लें तो पारदर्शिता आयेगी। बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत मैं किसी गांव में पहुंचा था तो वहां के बुजुर्ग कह रहे थे कि यह बी0पी0एल0 क्या होता है। हमें तो पता नहीं। उनको पता नहीं है यह क्या है। कहां जाना है, कौन इसका सेक्रेटी आयेगा कहां इसका प्रदर्शन होगा, कहां इसका निरीक्षण होगा फार्म भरा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त।

श्री श्रीभगवान पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे इस बजट के पक्ष में बोलने का समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बजट निश्चित रूप से जो गांव के विकास के लिए बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सराहनीय बजट है। जिस तरह से धीरे-धीरे सामाजिक समरसता कायम करने का काम हमारी नेता जी ने किया है, गांव के विकास के लिए ढाई लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना वर्तमान बजट में प्रस्तावित है। विधायक निधि को बढ़ाकर के हमारी नेता ने एक करोड़ से सवा करोड़ कर दिया है। यह भी प्रस्ताव में है, निश्चितरूप से हर गांव धीरे-धीरे जो बड़े गांव हैं, कुछ बड़े गांव, कुछ छोटे गांवों को लेकर के जो योजना हमारी नेता ने बनाई है, उन गांवों को हम अम्बेडकर गांवों के रूप में विकसित करेंगे, उसमें खड़ंजा, नाली सारी चीजें जो आज तक गांवों में खड़न्जा बनता था उसमें सी0सी0 रोड बनाने का काम इस सरकार ने किया है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी सरकार बनने के बाद की पिछले दिनों तीन बार सदन की नेता रही हैं अल्प समय के लिए लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं एक लाईन में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस धरती पर बहुत महान ऋषि और महर्षि पैदा हुए, जिन लोगों ने समाज को जोड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुजन समाज में भी अनेक सारे ऋषि, महर्षि पैदा हुए, सन्त पैदा हुए, लेकिन जो काम बहन कुमारी मायावती जी ने कर के दिखाया इस उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हिन्दुस्तान में नहीं दुनिया के अन्दर मिसाल कायम करने का काम बहन जी ने किया हैं मैं इस सरकार को निश्चित रूप से कहूंगा कि यह न राष्ट्रवादी है न समाजवादी है बल्कि जो अब तक की सरकारें इस उत्तर प्रदेश में रही हैं उसमें यह असली सरकार है जो समरसतावादी सरकार है, बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में निश्चित रूप से 50 प्रतिशत की कमी इस बजट में करने का प्राविधान किया गया है। रोजगार के नये सृजन, बेहतर स्वास्थ्य सेवायें, बिजली, पानी, सड़क सारी व्यवस्थायें की गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 212 नई योजनायें प्रस्तावित की गई हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि है। विधवा और विकलांग पेंशन में भी 28 लाख लाभार्थियों को मिलने जा रहा है जो काफी अधिक है। निश्चित रूप से यह सरकार गांव गरीब, किसान, दलित, शोषित और पिछड़ों के उत्थान की चिन्ता कर रही है, इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के अपनी-अपनी बात कहने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

गुप्ता जी बैठ जाइये, आगे महत्वपूर्ण विभाग हैं उस पर कहियेगा, दो घण्टे हो गये, अब कुछ नहीं।

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, मैं उस पर पूरी कार्यवाही करा लूंगा।

* श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, गिरिराज महाराज का मामला रह जायेगा, गोवर्धन का मामला है मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप तो कई बार यह मामला उठा चुके हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

नहीं मान्यवर, यह मामला अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

आप गलत बोल रहे हैं, आप कई बार गिरिराज महाराज की जय करके बोले हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, बस दो मिनट का समय दे दें, बहुत ज्वलनशील समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

बताइये क्या ज्वलनशील समस्या है ?

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जनपद मथुरा में हमारा गोवर्धन क्षेत्र पड़ता है। वहां पर इन्दिरा आवास के चयन में भारी अनियमिततायें हैं और रोजगार गारन्टी योजना में पूरा कार्य मशीनों से हो रहा है। मान्यवर, हमारे मथुरा-गोवर्धन क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, आपके ग्रामीण विकास के मंत्री जी ने बजट रखा है, उसमें हमारे मथुरा गोवर्धन क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कहीं भी कोई भी हवाला नहीं दे रखा है। पूरे के पूरे क्षेत्र का पानी खारी है, पेयजल की इतनी भीषण समस्या है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी जितनी भी बहने हैं चार बजे से ही लाईन में लग जाती हैं।

मान्यवर, जनपद मथुरा में खासतौर से गोवर्धन क्षेत्र में पूरा जमीन के अन्दर खारा पानी है। हालात यह है कि सुबह सुबह हमारी बहन बेटियों की लाईन लगी होती है कुओं पर जाकर पानी लाने के लिये। उनको चार बजे उठकर लाईन लगानी पड़ती है क्योंकि दो घण्टे बाद पानी नीचे बैठ जाता है। यह स्थिति इसलिये है क्योंकि वहां का पानी खारा है। मान्यवर, गोवर्धन क्षेत्र में फीडर जिसके 22

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजरे हैं, नैनी पटरी, जतीपुरा, आचोर, मगोरा, भदेरुआ, पैठा, बछगांव, सौख, नीमगांव, कुरकन्दा में जो जल निगम की टंकी बनी हुई है 20-20 वर्ष हो गये हैं वह सब सफेद हाथी बनी हुई है। इनसे सात-सात, आठ-आठ ग्राम कागजों पर जोड़कर पेयजल सृजित कराकर दिखा रखा है जबकि स्थिति यह है कि जहां टंकी बनी है वहां पर भी आपूर्ति नहीं है। 80 प्रतिशत टंकी बन्द है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं मोटर फुंकी हुई है, कहीं आपरेटर नहीं है, कहीं पाइप ही नहीं है। कहीं चल रही हैं तो वहां का पानी ही बदल गया है।

मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे गोवर्धन क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है, खासतौर से गोवर्धन-मथुरा में जो यह पेयजल की समस्या है उसका समाधान आप इस ग्राम्य विकास विभाग के बजट में करा दें। धन्यवाद।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर एक सुझाव के रूप में बात कहना चाहता हूं कि नरेगा की योजना में कई ऐसी ग्राम सभायें हैं जिन्होंने अभी तक अपनी कोई कार्य योजना नहीं बनाई है। नरेगा के अन्तर्गत एक भी किश्त नहीं ली है। जबकि उनको कई बार कहा गया है कि वहां पर काम दीजिये। उदाहरण के तौर पर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां का सरसई, ब्लाक मिश्रिख (सीतापुर) है यहां पर एक भी किश्त नहीं दी गयी है। गांव वालों को कोई भी काम नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई है। मान्यवर, जो आपकी पानी वाली टंकियां (ओवर हैड टैंक) बन रही है, वहां पर आपके एन0जी0ओ0 पैसा लेकर भाग गये हैं। इसमें मैं आठ, औरंगाबाद और मछरेहटा की बात कह रहा हूं, इन स्थानों पर तीन टंकियां बन रही हैं। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। मान्यवर, इसको दिखवाया जाये। मान्यवर, हमारे यहां प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य हर वर्ष की तरह सबसे पीछे चल रहा है। कोई काम ठीक से नहीं किया जा रहा है जो रोड चार साल पहले बन जानी चाहिए थी वह अभी तक नहीं बन पायी है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कार्यवाही करें। मान्यवर, मैं इस बजट पर कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अब श्री हुकुम सिंह जी को बुला लिया है, आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय सदस्यगण का विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यगण का, सत्ता सपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यगण का, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के माध्यम से इस बजट की चर्चा में भाग लिया। मान्यवर, जहां विपक्ष के माननीय विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख किया वहीं मेरे कटौती के प्रस्तावों का भरपूर समर्थन भी किया। सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों की बातें जो थीं, उनके तर्क में, उनके चिन्तन में, उनके समर्थन में स्तुति का भाव ज्यादा था। मान्यवर, मुझे 70 के दशक में और 80 के दशक में सत्ता पक्ष में बैठने का अवसर मिला था। हम लोग बजट की मांगों का समर्थन करते थे साथ ही साथ क्षेत्र की समस्याओं का खुलकर उल्लेख भी करते थे।

आज उसका अभाव हमें यहां पर देखने को मिला है न जाने क्या बात थी। मान्यवर, जो माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं मेरा अनुरोध है कि उनका आप ध्यान रखेंगे। सुझावों को सुझाव ही मानेंगे कोई आलोचना नहीं मानेंगे। लोकतंत्र में चर्चा का यही भाव होता है। अभी मान्यवर रोजगार गारन्टी की बात चल रही थी। इससे पहले जो क्षेत्रीय स्तर पर फाइनेन्शियल मेटर के निपटान की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। जो चेक पर हस्ताक्षर का अधिकार था या जो अन्य वित्तीय मामले थे, उसे सम्बन्धित वहां के ग्राम्य विकास अधिकारी और वहां के प्रमुख संयुक्त रूप से आपरेट करते थे। इस रोजगार गारन्टी योजना से उसमें प्रमुख की भूमिका को उसमें से हटा दिया गया है। खाली बी0डी0ओ0 को रखा गया है जबकि स्थिति यह है कि आपके उस संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के लगभग 50-55 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। आपने बताया है कि करीब आपके 900 पद बी0डी0ओ0 के हैं। विकास खण्ड पर केवल बी0डी0ओ0 ही मान्यवर आपका राजपत्रित अधिकारी होता है। यदि पद रिक्त हैं और कोई कार्यवाहक बी0डी0ओ0 बनाये गये हैं जो कार्य देख रहे हैं तो वह अराजपत्रित है और वह अराजपत्रित कर्मचारीगण इस तरह से पूरे के पूरे फाइनेन्शियल मेटर्स को डील कर रहे हैं, उसे आपरेट करने का अधिकार आपने उन्हें दे दिया है और प्रमुख को उसमें से हटा दिया है। मान्यवर, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ जन प्रतिनिधि है उसका यह अपमान नहीं है तो और क्या है। इससे सिद्ध होता है कि आपका लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मर्यादाओं और परम्पराओं में विश्वास है नहीं। नौकरशाही के बूते पर आप अपना काम चलाना चाहते है। फिर नौकरशाही तो वह हो जो उसके लिये उपयुक्त हो।

ऐसे अराजपत्रित अधिकारी कम से कम आधे ब्लाक में है। आज ही का प्रश्न था प्रश्न संख्या 21 है मेरा पूछा हुआ है। मैने कहा है कि मेरे यहां 14 विकास खण्ड हैं और खण्ड विकास अधिकारी केवल 3 हैं और 11 खाली। 11 में कोई न कोई काम कर रहा होगा, आफिसियेट कर रहा होगा, आपने उत्तर दिया है जो प्रभारी वहां का होगा राजपत्रित भी नहीं होगा, प्रमुख को आपने अलग कर दिया यह कौन सी न्याय की बात है तो सोचना चाहिए दिल बड़ा रखना चाहिए वह चुना हुआ है किस दल से सम्बन्धित है किस दल से नहीं सम्बन्धित है। वह अलग बात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रति सम्मान हो तो सम्मान दूसरे का भी करना पड़ेगा। आप सोचे कि कल को कोई सीट खाली हो जाये विधायक की तो हम कहें कि विधायक नहीं तो कोई बात नहीं है वहां का नगरपालिका का मेम्बर काम कर देगा यह तो नहीं होने का। इसलिये उस सम्बन्ध में भी आपको विचार करना चाहिए दुबारा पुनर्विचार करना चाहिए। जो अभी तक अधिकार मिले थे प्रमुख को वह अधिकार बहाल होना चाहिए।

कुछ बातें माननीय सदस्यगण ने पेयजल योजना के बारे में कहीं और यह भी कहा कि जो नल लगे हैं उनकी भी एक सीमा होती है और आपने भी माना कि सीमा होती है, अवधि होती है और अवधि के बाद उनकी मरम्मत होनी चाहिए। ऐसे अनेकों जगह के मामले हैं जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है। यह भी सोचना चाहिए कि गांवों के लिए जो बजट मिलता है क्योंकि क्षेत्रीय समिति केवल माध्यम मात्र हैं पैसा जिले से आता है। आता गांव के लिए है माध्यम वहां के लिए है तो माध्यम कही उसमें कटौती तो नहीं कर रहा है, कुछ जगह की शिकायत है और निश्चित रूप से शिकायत है

कि ज़ो उनकी चहेती 4-5-7 पंचायत हो गयी उनको पैसा दे दिया और बाकी का नहीं दिया और खास तौर से जो आपकी योजना चल रही है इन्दिरा आवास योजना में विशेष रूप से इस बात की शिकायत है कि पात्र लोग रह रहे हैं जो गांव उनके समर्थक नहीं है वह रह रहे हैं बाकी जगह मिल रहा है। राजनीतिक आधार नहीं है। आधार तो वही है जिसका उल्लेख है। खास तौर से सभी सदस्यों ने जैसा कहा तो इस पर विचार करना चाहिए और कभी-कभी समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि क्या समान रूप से सहायता दी जा रही है या समान रूप से क्रियान्वयन इन योजनाओं का हो रहा है इसीलिये इसके मानीटरिंग की आवश्यकता है। एक कमी सबसे बड़ी इस व्यवस्था में आई है इसको अन्यथा न लें और न ही गुस्सा करने की बात है। मान्यवर, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है सामूहिक उत्तरदायित्व यह है कि सभी मिलकर काम करे। जिम्मेदारी सभी निभायें। एक समय होता था कि सभी मंत्री जिलों में जाकर के बैठकर के समीक्षा करते थे, हम करते थे विकास कार्यों की भी करते थे, कानून व्यवस्था की भी करते थे अब वह काम नहीं हो पा रहा है तीव्र गति के साथ। आवश्यकता है इस बात की कि जब आप चुनकर आये हैं तो निश्चित रूप से आपको उन जिम्मेदारियों का ज्ञान होगा और आप अपनी जिम्मेदारी समझकर करेंगे भी। माननीय मुख्य मंत्री जी करती हैं समीक्षा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी, किसी में कितनी क्षमता हो, व्यक्ति व्यक्ति होता है पूरा जिम्मेदारी निभाने में दिक्कत आती है। आज मुझे जानकारी मिली रैली थी दिल्ली में और अधिकारी भाग रहे थे मुरादाबाद में, किसी ने कह दिया कि मुख्य मंत्री जी आने वाली हैं तो फ्लीट लेकर रात भर भागते रहे, भागते रहे। क्यों सो गया मुरादाबाद ? अगर यह व्यवस्था चले कि सभी जिम्मेदार जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, राज्य मंत्री हैं, मंत्री हैं वह भी जिलों में जाकर के सब विभागों की समीक्षा कर सकें विकास की समीक्षा कर सके तो निश्चित रूप से जो कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों में कमी आयेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आभार व्यक्त करते हुए और मंत्री जी को भी कहते हुए कि हमारा मन बड़ा होना चाहिए, हमारा चिन्तन बड़ा होना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश होनी चाहिए और जो समस्या का उल्लेख किया है उसको अन्यथा न लेकर उसके समाधान का प्रयास होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट चर्चा में 21 माननीय सदस्यों ने भाग लिया मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति जो उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, आभार व्यक्त करता हूं यह गांव के विकास के लिये गरीब के कल्याण का बजट है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह इसको पास करवाने में अपना सहयोग दें। कुछ बातें जो कही गयी हैं जैसे इन्दिरा आवास की लागत बढ़ाने के बारे में। निश्चित रूप से इस बात को हमने महसूस किया था और भारत सरकार ही चूंकि इन्दिरा आवास की लागत निर्धारित करती है। हमारा महामाया आवास में बढ़ाने का विचार था लेकिन हम केवल महामाया आवास में लागत बढ़ा देंगे और इन्दिरा आवास की लागत नहीं बढ़ती है। हमारा लिखित प्रस्ताव भारत सरकार को गया है और उधर से कोई जवाब नहीं आया है तो हम पुनः अपने माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा आवास में जो हमारा मानना है कि उसमें कम से कम 40 हजार तो होना ही चाहिये। प्रस्ताव भी हमारा यही गया था और जहां तक इन्दिरा आवास में भ्रष्टाचार

की बात है हमने पूरी सख्ती की है और कई कार्यवाहियां भी की हैं उसका मैं विवरण सदन में रखना चाहता था लेकिन चूंकि समयाभाव है इसलिये दिक्कत है। हमें आपका बहुत ही सहयोग होगा कि आप लोग कोई स्पेसिफिक सूचना देते हैं तो निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। इन्दिरा आवास गरीब को ही मिले इसलिये लिखित में शासनादेश जारी किया है कि जो बी0पी0एल0 सूची है उसमें निर्धनतम को यह प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी को जारी करना होगा कि इस गांव में निर्धन व्यक्ति जैसे 100 की प्रतीक्षा सूची है और उसमें से 20 निर्धन लोगों को ही इन्दिरा आवास आवंटित किया है ऐसी व्यवस्था हमने की है। नरेगा में जहां तक बात आई, नरेगा सोशल आडिट के प्राविधान को इस साल से हम लागू करने जा रहे हैं। सोशल आडिट का जो कंसेप्ट है उसको लागू करने जा रहे हैं। साथ ही मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी बैक एकाउन्ट से हो, यह भी प्राविधान हमने तय कर लिया है और मैं समझता हूं कि जो बहन जी की सरकार कर सकती है वह हम हरसम्भव कोशिश कर रहे हैं जो न्यूनतम मजदूरी थी हमने उसको बढ़ाया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी की जो दरें उत्तर प्रदेश में 100 रुपया है, दूसरे अन्य सभी प्रान्तों में कम है जैसे आन्ध्र प्रदेश में 80 रुपया, आसाम में 66 रुपया, अरुणांचल प्रदेश में 65 रुपया, बिहार में 77 रुपया, गुजरात में 60 रुपया, हरियाणा में 99 रुपया, हिमांचल प्रदेश में 75 रुपया, जम्मू कशमीर में 70 रुपया, झारखण्ड में 86 रुपया, कर्नाटक में 74 रुपया, छत्तीसगढ़ में 67 रुपया, मध्य प्रदेश में 67 रुपया, महाराष्ट्र में 72 रुपया, मणिपुर में 81 रुपया, मेघालय में 70 रुपया, उड़ीसा में 70 रुपया, पंजाब में 95 रुपया और राजस्थान में 73 रुपया, सिक्किम में 85 रुपया और केवल केरल में 125 रुपया मजदूर की मजदूरी की दरें है। जहां पर लेफ्ट की सरकार है, ऐसे पश्चिम बंगाल में भी 70 रुपया मजदूरी की दर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को इस सरकार ने पूरी गम्भीरता से लेते हुये 100 रुपये मजदूरी की दर निर्धारित करने का महत्वपूर्ण काम किया है और हम बैंक से मजदूरी का भुगतान दिये जाने का प्राविधान लागू करने जा रहे हैं यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साथ ही साथ पाइप पेयजल योजना, उसमें काफी माननीय सदस्यों का कहना है, उसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 6 हजार 377 बस्तियां, जो गुणता प्रभावित चिन्हित की गयी हैं इन गुणता प्रभावित बस्तियों के पाइप पेयजल योजना जहां पर कि रासायनिक अशुद्धियां हैं, तो उसके लिये भारत सरकार ने योजना चला रखी हैं और भारत सरकार ने यह जिम्मेवारी ले रखी है। इस तरह के करीब बारह सौ प्रस्ताव भारत सरकार में लम्बित हैं, इसी वर्ष के हैं, उसको भी हम शीघ्र पूरा कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां हैं, उनमें वक्तव्य के लिए भी आपके निर्देश है, हम इसी सत्र में पूरा विचार-विमर्श करके वक्तव्य देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो विधायक निधि में मा0 हुकुम सिंह जी ने भ्रष्टाचार की बात कही है, हम मुजफ्फरनगर के पी0डी0 और सी0डी0ओ0 से जांच कराकर कार्यवाही अवश्य करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, केवल मुजफ्फरनगर की बात नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की शिकायतें हैं, इसलिये सभी जगह की जांच करा लें।

श्री दद्दू प्रसाद-

पूरे प्रदेश में नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता है कि आप लिख करके दे दें, हम कार्यवाही करेंगे। यह बजट गांव के गरीब लोगों के विकास के लिये है। मैं मा0 हुकुम सिंह जी से जो कि बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं अनुरोध करूंगा कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करके एक इतिहास बनायें। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने शुरू में कहा था कि ग्राम्य विकास विभाग का बजट पूरे बजट का 70 प्रतिशत होना चाहिए, वह आपने किया नहीं, क्योंकि मैं तो ग्राम्य विकास विभाग को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं और सभी विभागों को इस विभाग के साथ को-आपरेट करना चाहिए। यह आप करेंगे नहीं तो मैं कटौती का प्रस्ताव कैसे वापस ले सकता हूं मैं तो चाहता हूं कि इनको एक रुपया भी न मिले।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,40,89,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,78,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, साइन्स एण्ड टेक्नॉलाजी विभाग में लगभग अब तक 75 शोध परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, लगभग 25 नई शोध परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। साइन्स एण्ड टेक्नॉलोजी विभाग बुन्देलखण्ड में 9 जिले और 2 जिले और हैं, उसमें हमारे विभाग ने शोध का काम किया है जिसमें उन्होंने झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर व सोनभद्र में क्रमशः 67, 35, 19, 62, 14, 40, 25, 35 और 39 स्थलों सहित कुल 350 स्थलों का सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर उसकी रिपोर्ट तैयार करके सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी

है। उसमें लगभग झांसी में 58, ललितपुर में 21, जालौन में 19, महोबा में 57, बांदा में 40, हमीरपुर में 14, चित्रकूट में 35, मिर्जापुर में 37 और सोनभद्र में 28 स्थलों सहित कुल 309 स्थलों पर ट्यूबवेल और हैण्डपम्प ड्रिलिंग हेतु उपयुक्त जगहें चयनित की हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग में पहले 33 क्लब थे अब 27 क्लब और आ गये हैं। अगले वर्ष में हम उत्तर प्रदेश के सभी 70 जिलों में क्लब बना देंगे जिससे आपके पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक साइन्स और टेक्नालोजी को पहुंचाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, कह रहे हैं कि इस पर कटौती मत रखिये।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इस पर कटौती आवश्यक है।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

जनसंख्या घनत्व के साथ गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व ऊर्जा निरन्तर चिन्ता का विषय है। यह विज्ञान का युग है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जो विश्व के बहुत से देशों से बड़ा है लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सरकार के लिए पूरी तरह से उपेक्षित है। भारत में शोध पर 4 डालर प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है, जबकि जापान के अन्दर 976 डालर प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। अगर बजट पर ध्यान दें तो सरकार की तरफ से पूरी तरह से यह उपेक्षित विभाग की श्रेणी में आ रहा है। वर्ष 2007-2008 के बजट का आयोजनागत पक्ष देखें तो 2735.00 लाख स्वीकृत बजट जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद् को 2007-2008 के लिये दिया गया उसमें से अभी तक सिर्फ 516 लाख रुपये ही खर्च हुये हैं अब जबकि एक डेढ़ महीना ही बचा है उसको खर्च करने के लिये छोड़ दिया गया है। वह धनराशि घटकर 2008-2009 में यह राशि सिर्फ 1050 लाख रुपये रह गयी है जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत पड़ती है। दूसरे रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है उसका आयोजनागत खर्चा 150 लाख है मगर आयोजनेत्तर खर्चा 217.47 लाख रुपया है इससे साफ जाहिर है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है। आगे इस बजट में देखें। जल संसाधन सम्बन्धी अध्ययन विशेष रूप से दिखाया गया है, पानी के प्रदूषण सम्बन्धी समस्या के निदान के बारे में जो रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर बनाया गया है, इसके अपग्रेडेशन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

इस योजना में जल संसाधन सम्बन्धी अध्ययन विशेष कर गिरते हुए पानी के स्तर का आंकलन तथा पानी के प्रदूषण सम्बन्धी अध्ययन आदि के बारे में डेटा संकलन का काम करते हैं इसके लिए पता चलेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। साइंस इंट्रेक्टिव मीट आगरा में जो 14 सितम्बर, 2007 को सेन्ट जोन्स कालेज, आगरा में हुई थी वहां आगरा जनपद में फ्लोराइड व खारे पानी की

समस्या के समाधान हेतु तकनीकी खोज पर बल दिया गया था। लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं है। फ्लोराइड जहां ज्यादा पाया जाता है-उस एरिया में फास्फेट से उपचारित करने की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में आगरा के बारे में बजट में एक शब्द नहीं कहा गया है। मैंने सिंचाई मंत्री जी से प्रश्न किया था कि फतेहाबाद में नलकूप योजना को करवा दें। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह फतेहाबाद खारे पानी का क्षेत्र है। मैंने अपने क्षेत्र में जाकर पता किया जो पता चला कि यहां खारे पानी की कोई समस्या नहीं है सिर्फ दो गांवों में इसकी समस्या है। लेकिन मंत्री जी ने कह दिया कि यहां खारे पानी की समस्या है यहां नलकूप योजना किसी तरह से प्रभावी होगी ही नहीं। मैं चाहता हूं कि फ्लोराइड के बारे में कोई निदान कराया जाय। इन्सेफ्लाइटिस रिसर्च के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, इन्सेफ्लाइटिस का अभी तक कोई इलाज नहीं है इन्सेफ्लाइटिस का सिम्पटमैटिक ट्रीटमेन्ट होता है इसका जांच सेन्टर तो प्रभावी है लेकिन इसके ट्रीटमेन्ट के लिए वैक्सीन बनाने की जरूरत है। जिनका आयात चीन व जापान से आप कर रहे हैं हम चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाय व भारत के अन्दर ही वैक्सीन बनाने की व्यवस्था की जाय तथा सुअरों के लिए भी वैक्सीन लगाया जाय। इस क्षेत्र में भी शोध की जरूरत है। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे साथ ही एण्टी वायरल ड्रग ढूढने की जरूरत है। बजट में नैनो टेक्नोलाजी शब्द का इस्तेमाल किया गया। नैनो मैटीरियल में सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेन्स बनाने की बात की जा रही है यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसके अवस्थापना के लिए बड़े सेट अप की जरूरत है जो कही नहीं दिखाई दे रहा है नैनो से चिकित्सा, छोटे कम्प्यूटर, चिप्स, कृषि, कम घिसने वाले टायर व स्टील 50 गुना मजबूत बनेगा नैनो का मतलब एक अरबवां भाग होता है जैसे एक कि0ग्रा0 चीज को एक ग्राम में बदल दिया जाय इससे उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन यदि अरबवां भाग लिया जाय तो परमाणुओं का यह क्लस्टर ज्यादा वह ताकतवर कई गुना अधिक होगी। लेकिन नैनो टेक्नोलाजी के लिये तो यह बजट उपयोगी नहीं है। 25 करोड़ के बजट शापिंग माल बनाने पर जा सकता है। एक्सपेरीमेंट के लिए बजट कहां से आएगा। आपने 2007-2008 में 75 शोध परियोजनाएं स्वीकृत कीं तथा 25 नई परियोनायें आप इस साल 2008-09 में शुरू कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल में आपने जो स्वीकृत की उनकी क्या प्रगति हुई जो पैसा आपने दिया उसका कितना उपयोग हुआ। भारत का दुर्भाग्य है कि शोध कार्य में रुचि कम है तथा बजट भी आशा के अनुरूप नहीं है। शोध कार्य के लिए जो अवस्थापना सुविधा होनी चाहिए उसका आप इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। पहले आपने 390 लाख 2007-08 स्वीकृत किये लेकिन अभी तक खर्च उसके सापेक्ष 195 लाख हुए हैं। शोध कार्य भी आपके सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित रह जाते हैं। आप ज्यादातर धन सेमिनार पर खर्च करते हैं जो फाइव स्टार में आयोजित होती हैं और उस पर एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च हो जाती है। शोध में आपके पास पैसा ही कहां बचता है। मैं कहना चाहता हूं कि शोध कार्य में गुणवत्ता से समझौता न करें।

मेडिकल साइंस में आपने 30 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। मेरा सुझाव है कि रेजेस्टेन्ट टी0बी0, फेल्सीपेरेम, मलेरिया, इन्सेफ्लाइटिस तथा भारत के अनुरूप वाइरल बैक्टिरियल, फंगस तथा वर्म इन्फैस्टेशन व एड्स, दिल तथा डाइबिटीज की योजनाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाये। साथ ही

जेनेटिक इन्जीनियरिंग को तथा कैंसर के रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। आपने 36 परियोजनाओं को एग्रीकल्चर व एलाइड सान्सेस में स्वीकृत किया है। बजट में 497 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य रखा है। आज जरूरत है जैविक खाद पर शोध करने की। उन्नत बीज तथा कम पानी से ज्यादा फसलें मिलें। ऐसी प्रजातियों की जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उग सकें। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिये क्षेत्र के अन्दर भूमि के अन्दर तत्वों का आंकलन करने के लिये प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की जो खण्ड स्तर पर स्थापित हो। हाइब्रीड नस्लों के पशु जो उन्नत किस्म के हों तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने के लिये जरूरी हो, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज भारत में दस लाख की आबादी पर केवल 110 वैज्ञानिक हैं। चीन में 660 और जापान में 5085 वैज्ञानिक हैं। यहां माहौल ही नहीं है। प्रशासनिक व राजनैतिक हस्तक्षेप, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां वैज्ञानिकों के रहने के अनुकूल नहीं है हम चाहते हैं कि यहां पर इस तरह का वातावरण बनाया जाये जिससे शोध कार्यों में लगे लोग मान सम्मान व इज्जत के साथ आर्थिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर काम कर सकें। साइंस और टेक्नोलाजी भ्रष्टाचार की जड़ है। फाइव स्टार होटल में सारे के सारे काम होते हैं। दो चार जगह आप पोस्टर लगवा देते हैं, दो चार लोगों को बुलवा लेते हैं, इस बजट का सारे का सारा पैसा खाने पीने के काम में चला जाता है। किसी तरह से साइंस टेक्नालाजी को बढ़ाने का काम नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों के सम्मान के लिये बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। विज्ञान गौरव सम्मान 1 को, विज्ञान रत्न सम्मान, 2 को, युवा वैज्ञानिक सम्मान 5 को, विज्ञान छात्र सम्मान, बाल वैज्ञानिक सम्मान 5 इस तरह से कई नाम रखे हैं और उसमें कितना पैसा देंगे किसी को 1 लाख, किसी को 20 हजार, किसी को 10 हजार। इस तरह से 10 हजार में तो एक बकरी भी नहीं खरीदी जा सकती है। इस राशि को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। एक बड़ी लम्बी योजना थी जेट्रोफा की। जेट्रोफा के विकास के बारे में 1 करोड़, 52 लाख 41 हजार रुपये पिछले साल खर्च हुए थे। कहा गया था कि इससे पेट्रो डीजल बनेगा। क्या आपने एक बूंद भी पेट्रो डीजल कहीं बनाया ? बख्शी का तालाब जहां पर आपने इसकी खेती करवाई उससे प्रदेश के लिये पेट्रोल केमिकल के क्षेत्र में कोई कार्य किया गया ? इसी तरह से नील हरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना है। आश्चर्य है कि इससे 1000 किलोग्राम जैव उर्वरक का उत्पादन किया और उससे सिर्फ 75 किसान लाभान्वित हुए। यह पता नहीं कि इस परियोजना में कितना पैसा खर्च किया गया ? इसी तरह से आपकी सारी परियोजनाएं चल रही हैं। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में कम विद्युत खपत वाले उपकरणों की खोज हो। लाइन लॉस को कम करने का उपाय किया जाय। मान्यवर, तीन चार वाक्य कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सूर्य ऊर्जा के बारे में कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति के अनुसार सूर्य ऊर्जा पर 15 रुपये प्रति यूनिट का खर्चा आता है। आज इसमें भी शोध करके इसको कम किया जा सकता है। एल्कोहल के बारे में बहुत दिनों से बात हो रही थी कि पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता है। जेट्रोफा से कुछ फायदा हो सकता है इस पर शोध करवाया जाय। मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहता हूं कि सड़कें इस तरह की बनाई जायं जो कम से कम 10 वर्ष तक चलें। मान्यवर, विधायक निधि इतनी कम मिलती हैं कि एक कि0मी0 सड़क बनाने में 20 लाख रुपये लग

जाते हैं। सड़क की गुणवत्ता के यह हाल है कि इस साल सड़क बनी और अगले साल वह बर्बाद हो जाती है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि सड़कें कम से कम इस तरह से बनें कि हम जो चार-पांच साल विधायक रहते हैं तो उतने साल तो चल जायं। आप कुछ इस तरह के इंतजाम करने की कोशिश करें।

इसी तरह से कीट नाशकों पर शोध आवश्यक है। जो कीटों पर हानिकारक हों। मनुष्यों पर हानिकारक न हो। जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है मैं इस पर चिन्ता करने की जरूरत महसूस करता हूं मान्यवर, एक बार हमने जनसंख्या के ऊपर प्रश्न भी लगाया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सीधा-सीधा जवाब दे दिया कि 43 प्रतिशत लोग कन्ट्रासेप्टिस का प्रयोग कर रहे हैं अरे, जब चीन के अन्दर 90 परसेन्ट लोग, 88 परसेन्ट लोग जापान में कान्ट्रासेप्टिक का प्रयोग कर रहे हैं तब कहीं जाकर थोड़ी बहुत जनसंख्या कम हुई है तो 43 परसेन्ट में कहां से जनसंख्या कम हो जायेगी। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। (व्यवधान) आटोमोबाइल का क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक का क्षेत्र, टैली कम्युनिकेशन का क्षेत्र, नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो शोध के लिए उपस्थित है। आर्सेनिक जो सबसे बड़ी परेशानी है उसकी ओर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं क्योंकि हम आगरा से सम्बन्ध रखते हैं सबसे बड़ी परेशानी आगरा के अन्दर यमुना के अन्दर आर्सेनिक की बढ़ती हुई समस्या के बारे में है। आर्सेनिक को किसी भी तरह से शोध से निकाला नहीं जा सकता है। उसका मुख्य स्रोत फैक्ट्री है जितना आर्सेनिक निकलता है फैक्ट्रीज के अन्दर से निकलता है उसको हर हालत में वहीं का वहीं रोका जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं साथ ही आशा करता हूं कि मेरे बताये हुए सुझावों पर माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय सदस्य द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य जो अपनी बात कह रहे थे उसका मूल आधार यह है कि हम ढेर सारे विभागों में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं यह अनुसंधान कौन नियंत्रित कर रहा है। कहां हो रहे हैं इसका अंदाज नहीं लगता है। अगर विज्ञान और तकनीकी विभाग के अन्तर्गत और उनके नियंत्रण में यह पूरे प्रदेश के सारे विभागों में विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों को अगर जोड़ दिया जाय तो हम शायद पूरे प्रदेश में होने वाले अनुसंधानों को बेहतर दिशा दे सकते हैं। लेकिन इस विभाग की सबसे बड़ी समस्या है किसी विभाग को चलाता है उसका प्रमुख सचिव और एक साल में इस विभाग ने नौ प्रमुख सचिव बदले होंगे। माननीय मंत्री जी अगर सूची पेश करें तो वह हम लोगों के देखने लायक होगी कौन प्रमुख सचिव 15 दिन रहा, कौन एक महीना रहा, कौन दो महीना रहा पता नहीं चलता है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए टेक्नालॉजी है यह। (हंसी)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कह रहा हूं जो समस्यायें हैं उस पर इसीलिये कोई गम्भीरता से विचार नहीं करता है। मैं इस सदन में एक साल से गोरखपुर के तारामण्डल का विषय लाता हूं लेकिन जब तक एक सचिव फाइल पलटना शुरू करते हैं तब तक वह किसी दूसरे विभाग में अपनी व्यवस्था कर लेते हैं और तारामण्डल की फाइल जहां की तहां रह जाती है। आज स्थिति यह है कि डेढ़ साल से गोरखपुर का तारामण्डल बन्द पड़ा है। तीन साल का कान्ट्रेक्ट था अब डेढ़ साल से गोरखपुर का तारामण्डल बन्द होने के कारण मशीनें खराब होती चली जा रही हैं। 23 करोड़ रुपये की लागत से यह तारामण्डल आया लेकिन विभाग में कोई प्रमुख सचिव रहना नहीं चाहता है जैसा बताया कुल 25 करोड़ का मामला होता है इसलिए समस्या होती है इसकी नीतियों को निर्देशित कौन करें। एक तारामण्डल गोरखपुर में जो इतनी मेहनत से बनाया गया पूरी की पूरी किताब में अध्यक्ष महोदय जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की किताब हम लोगों को मिली है गोरखपुर के तारामण्डल नाम की कोई चर्चा ही नहीं है कि गोरखपुर तारामण्डल नाम की कोई चीज है जो चल रही थी जो बन्द हो गई उसके लिए क्या योजना बनाई जायेगी उसको कब तक चालू किया जायेगा। इसको चलाने की मीटिंग भी रखी जाती है तो 21 तारीख को जबकि सब जानते हैं कि 21 तारीख को रविदास जयन्ती का अवकाश है कार्यालय बन्द रहेगा मीटिंग ट्रांसफर हो जाती है तो माननीय मंत्री जी आप जब जवाब देने के लिये खड़े होंगे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गोरखपुर के तारामण्डल की क्या स्थिति है। कब तक वास्तव में चल पायेगा। कब तक वहां स्टाफ की नियुक्ति हो जायेगी। क्योंकि जब आपने बजट में व्यवस्था नहीं किया तो यह मामला अनुपूरक बजट तक चला जाएगा तो या तो आप घोषणा करें कि व्यवस्था के साथ आप कान्टेन्जेन्सी से बजट लेकर आप इसको चलाने का प्रयास करेंगे।

श्री प्रदीप जैन-

हमारे यहां एक सेन्टर था वह बन्द हो गया उसकी वहां आवश्यकता है वहां जल स्तर गिर रहा है हमने कई प्रश्न भी लगाए हैं इस पर भी आप बता दें। इसी के साथ माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल मन्नान-

मान्यवर, मा0 डाक्टर साहब ने अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, मैं उस पर अपने विचार रखूंगा, दूसरे डाक्टर साहब ने भी सुझाव दिये हैं, तीसरे डाक्टर साहब कोई नहीं हैं। मान्यवर, दूसरे डाक्टर साहब ने जो बात कही है, मैं बताना चाहता हूं, 11 मार्च को उसकी मीटिंग लगी है और उसमें लगभग 1 लाख 98 हजार रुपये उसके ए0सी0 के लिए और 97 लाख रुपये उसमें पद आदि, उसको कराने के लिए प्रस्तावित है।

चौ0 सतेन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं, बाद में कह लीजिएगा।

श्री अब्दुल मन्नान-

मान्यवर, 11 तारीख को उसकी मीटिंग होने वाली है, जैसा अग्रवाल साहब ने तारा मण्डल के बारे में कहा है, वह जीडीए के पास है और जीडीए में हमारे 2 करोड़ रुपये मौजूद हैं, अभी हमारे विभाग में नहीं हैं। पिछली सरकारों द्वारा हमारे विभाग से लेकर जीडीए में कर दिया गया। अब हमने प्रस्ताव कर लिया है, उसको अब अपने विभाग में लायेंगे उसके बाद हो जायेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वह बहुत जल्दी शुरू हो जायेगा। अब मैं मा0 डाक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक अनुरोध है, एक वही गलती फिर हो गयी, 21 तारीख को लगा था, उस दिन थी रविदास जयन्ती और 11 तारीख को लगा है, जिस दिन विधान सभा का सत्र है इसलिए तारीख ठीक कर लीजिए।

श्री अब्दुल मन्नान-

ठीक कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं तो आभार व्यक्त कर रहा हूं, मेरे कटौती के प्रस्ताव का लोगों ने समर्थन किया है।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 अम्बिका जी ने उसका संशोधन कर दिया, उसी बात को उन्होंने कह दिया। अभी बात आई थी, चर्चा में कि जो बैठक रखी गयी है, विभाग की, वह ऐसे दिन रखी जाती है, जिस दिन छुट्टी होती है। मा0 मंत्री जी ने इसी विषय को लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई है और उस दिन विधान सभा का सत्र है, तो शायद मंत्री जी भी सत्र में रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उस तारीख में संशोधन कर लें, यही मैं संशोधन करवाना चाहता था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। डाक्टर साहब आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं तो यह चाहता था कि मंत्री जी आगरा के बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आगरा के बारे में तो सब लोग जानते हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, कुछ आगे बढ़ा दें, जो नैनो टेक्नॉलोजी वाला था उसको आगरा को ही दे दें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,78,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,96,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बात करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर उपलब्ध कराया। मान्यवर, परिवहन विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। मान्यवर, मैंने अपने सीमित कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जनता की अपेक्षा के अनुरूप परिवहन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। मान्यवर, हमारी सरकार प्रदेश में देश की सबसे अच्छी परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हमारा उद्देश्य प्रदेश में एक ऐसी परिवहन व्यवस्था विकसित करना है जिससे न केवल जनता का सस्ती एवं सुगम यात्रा उपलब्ध हो बल्कि वह यात्रा सुखमय एवं आनन्दमयी भी रहे। मान्यवर, प्रदेश का विकास एवं योजनाओं का क्रियान्वयन आर्थिक विकास पर निर्भर है। इसलिए मैंने परिवहन विभाग में राजस्व वृद्धि की ओर विशेष बल दिया है जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनवरी, 2007 तक की राजस्व प्राप्त रुपये 973.81 करोड़ के विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनवरी, 2008 तक राजस्व प्राप्ति बढ़कर रुपये 1 हजार 56.36 करोड़ हो गयी है अर्थात गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 82 करोड़ 55 लाख रुपये अधिक राजस्व अर्जित किया गया है। मान्यवर, राजस्व वसूली के साथ-साथ आधुनिकीकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि जनसामान्य का परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों में सुगमता व सहजता का अनुभव हो सके। वर्तमान में परिवहन आयुक्त कार्यालय को सम्मिलित करते हुए परिवहन विभाग के 39 कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं। वर्ष 2007-08 में 3 और कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा

है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में शेष कार्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत किये जाने की योजना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित चालन एवं वाहन पंजीकरण एवं प्रदेश की सीमा पर विभिन्न चेक पोस्टों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण की योजना भी विचाराधीन है।

मान्यवर, परिवहन क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचलों के नए मार्गों को तहसील और जिला मुख्यालयों से जोड़कर जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ यात्रा भी उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है।

मैंने जब परिवहन मंत्री के रूप में कार्यभार सम्भाला तो मेरे संज्ञान में लाया गया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ओवरलोडिंग की गम्भीर समस्या थी। माल वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग करने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त तो होती ही हैं साथ ही वाहन चालक का वाहन पर पर्याप्त नियंत्रण भी नहीं रहता है। मैंने इसको गम्भीरता से लेते हुए ओवरलोडिंग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। दिनांक 01-11-07 से 05-11-07 तक विशेष अभियान में 2636 वाहनों का चालान किया गया, 4749 भार वाहनों को ओवरलोडिंग के अपराध में निरुद्ध किया गया तथा रुपया 175.03 लाख परिशमन शुल्क वसूल करते हुए 1109 भार वाहनों का 4679.45 टन ओवर लोड माल उतरवाया गया। अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 तक 1 करोड़ 79 लाख 764 वाहनों का चालान कर 98 हजार 657 वाहन बंद किये गये जिनसे परिशमन शुल्क के रूप में रुपया 65.83 करोड़ प्राप्त हुआ।

मान्यवर, विभाग द्वारा अवैध संचालन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी जिसका परिणाम यह रहा है कि मोटर अधिनियम 1988 की धारा 207 के अन्तर्गत पिछली सरकार के कार्यकाल में अप्रैल, 06 से जनवरी, 07 तक कुल तिहत्तर हजार आठ सौ सैतालीस वाहन जहां निरुद्ध हुए वहीं इसी वर्ष जनवरी, 2008 तक अट्ठानबे हजार छः सौ सत्तावन वाहन निरुद्ध हुए। मान्यवर, लाल और नीली बत्ती, काले शीशे और बिना नम्बर की प्लेट के वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

मान्यवर, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत यात्रियों को उच्च श्रेणी एवं गुणवत्ता उपलब्ध करने के उद्देश्य से 2007-08 में अब तक कुल चार सौ चौवालीस नयी बसें तैयार होकर मार्ग पर संचालित की जा चुकी हैं तथा एक हजार छः सौ चौबीस बसों की चेसिस क्रय किये जाने के आदेश कम्पनियों को दे दिये गये हैं।

परिवहन निगम द्वारा चारबाग बस स्टेशन पर जाम की समस्या को अनुभव करते हुए सुविधा की दृष्टि से दिनांक 31-7-2007 एवं 1-8-2007 के मध्य रात्रि में चारबाग से संचालित निगम बसों का संचालन आलमबाग स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर बस स्टेशन से आरम्भ किया गया। यात्रियों की सुविधा हेतु चारबाग से नगरीय बसों का संचालन भी आरम्भ किया गया है।

मान्यवर, परिवहन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 अप्रैल से दिसम्बर में 329 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन की उपयोगिता प्राप्त की गयी जो गत वर्ष की तुलना में 0.9 किलोमीटर अधिक है। वर्ष 2007-08 अप्रैल से दिसम्बर में 66 प्रतिशत लोड फैक्टर प्राप्त किया गया जो गत वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, परिवहन निगम की बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 33.29 करोड़ है। जो गत वर्ष की तुलना में 1.54 करोड़ अधिक है।

मान्यवर, परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2006-07 में अप्रैल से दिसम्बर में शासन को अतिरिक्त कर के रूप में रुपये 137.09 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया और वर्ष 07-08 में अप्रैल से दिसम्बर में रुपया 159.03 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया, जो गत वर्ष से 22.21 करोड़ अधिक है। परिवहन निगम द्वारा मान्यवर, वर्ष 2007-08 में अप्रैल से दिसम्बर में 940.29 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी जो गत वर्ष की तुलना में रुपया 91.65 करोड़ अधिक है। इसी अवधि में परिवहन निगम को रुपया 62.71 करोड़ का लाभ हुआ जो गत वर्ष की तुलना में रुपया 24.92 करोड़ अधिक है परिवहन निगम द्वारा 2007-08 अप्रैल से दिसम्बर में 5.31 किलोमीटर प्रति लीटर का ईंधन औसत प्राप्त किया गया जो गत वर्ष समतुल्य है।

बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में रिक्त पदों को भरा जाय इससे जहां परिवहन निगम के कर्मियों की समस्या समाप्त होगी वहीं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

मान्यवर, परिवहन निगम के कर्मचारियों की कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ाने और यात्रियों के सद्व्यवहार के प्रति प्रेरित करने हेतु निगम के प्रशिक्षण संस्थान में चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है परिवहन निगम के प्रशिक्षण संस्थान में केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत एक चालक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना गतिशील है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार से प्रथम किश्त एक करोड़ एक लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है जिसका उपयोग कर लिया गया है। मान्यवर, परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि परिवहन निगम के बस स्टेशनों का काया-कल्प हो और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण व उच्चीकरण किया जाय। परिवहन निगम में कम्प्यूटरीकरण की दिशा में निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। परिवहन निगम में बसों के कल-पुर्जे एवं अन्य भण्डार सामग्री की सुव्यवस्था हेतु इन्वेंट्रीकन्ट्रोल का साफ्टवेयर यू0पी0 डेस्को के माध्यम से बनवाये जाने की कार्यवाही गतिशील है इससे प्रबन्धन द्वारा मुख्यालय में ही बैठ कर किसी भी डिपो, कार्यशाला व क्षेत्रीय कार्यशाला में उपलब्ध कल-पुर्जों आदि की स्थिति की सही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी इससे कुशल प्रबन्धन हो सकेगा। मान्यवर, मुझे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने परिवहन विभाग का बजट आज इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। मैं मंत्री जी का ध्यान उनके प्रस्तुत बजट में जनहित के छूटे बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, आलोचना की दृष्टि से नहीं, सुझाव की दृष्टि से। वह अपने दोनों विभागों केवल 06-07, 07-08 के साहित्य को देख लें। दोनों संगठन इनके परिवहन विभाग के अधीन हैं, एक परिवहन आयुक्त संगठन और परिवहन निगम, यह दो संगठन माननीय मंत्री जी के अधीन कार्य करते हैं। परिवहन आयुक्त संगठन के दोनों वर्षों के साहित्य की प्रस्तावना अगर पढ़ेगें तो वर्ष 2006-07 एवं

07-08 के साहित्य की प्रस्तावना जिसे जो सदन के समक्ष इन्होंने रखा है, उसका एक-एक अक्षर समान है। लगता है, रंगनाथ मिश्रा जी यहां नहीं हैं नहीं तो नकल विरोधी उनका जो अध्यादेश आने वाला है, उसमें माननीय मंत्री जी एवं उनके अधिकारी कहीं न कहीं निश्चित रूप कानूनी दांव-पेंच में फंस जाते। हूबहू शत् प्रतिशत एक-एक अक्षर दोनों वित्तीय वर्ष की प्रस्तावना का समान होने से लगता है विभाग ने बजट के लिये कोई कार्य नहीं, जो अंतर है वह अंतर किया है पक्के मार्गों की लम्बाई के विवरण में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, परिवहन मंत्री भी रहे हैं, हमारे मा0 रामवीर उपाध्याय जी को भी परिवहन विभाग के कार्य-कलाप की बहुत जानकारी है। परिवहन आयुक्त संगठन का विवरण यह बताता है कि पूरे प्रदेश में पक्के उपलब्ध मार्ग के सापेक्ष राष्ट्रीयकृत मार्ग 22323 कि0मी0 है लेकिन यू0एस0आर0टी0सी0 का जो प्रस्तुत विवरण है उसका पहला पृष्ठ अगर आप देखेंगे तो उनका साहित्य कहता है कि प्रदेश में 26729 कि0मी0 उनके पास राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। दोनों में कि0मी0 के प्रस्तुत विवरण से बड़ा विरोधाभास है। दूसरी तरफ आप दृष्टि डालें तो परिवहन आयुक्त संगठन यह कहता है कि गत वर्ष एक लाख कि0मी0 पक्की सड़क हमारे पास प्रदेश में उपलब्ध थी जिस पर निगम एवं निजी बसों का हम संचालन कर सकते थे, चाहे वह परिवहन निगम की बस हो चाहे वह हमारी निजी बस हो। इस वित्तीय वर्ष में परिवहन निगम ने उन्होंने 1.25 लाख कि0मी0 पक्के मार्ग का विवरण दिया है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का पिछली विधान सभा में जो बजट आया था, अध्यक्ष महोदय आपका स्मरण होगा मा0 लोक निर्माण मंत्री ने अपने में आप ही का प्रस्ताव का उल्लेख किया था कि हमारे वित्तीय वर्ष 2006-07 में दो लाख कि0मी0 पक्की सड़कें हैं निश्चित रूप से एक वित्तीय वर्ष 07-08 और बढ़ा है, उसमें हमारी पक्की सड़कें बढ़ी हैं। कुल राष्ट्रीयकृत मार्ग का जो प्रतिशत है 1.25 लाख कि0मी0 के सापेक्ष जब हमने उसको प्रस्तुत प्रतिशत गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीयकृत मार्ग का कम हुआ है, इनके विवरण से ही आप देखेंगे, जो माननीय मंत्री जी ने बताया है। कि टोटल नोटीफाई रूट की लम्बाई वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल उपलब्ध पक्के मार्ग में राष्ट्रीयकृत मार्ग का जो प्रतिशत था वह 13.95 था लेकिन वित्तीय वर्ष 07-08 परिवहन आयुक्त एवं निगम संगठन ने पक्का मार्ग में 1.25 लाख कि0मी0 बताया है जो संचालन योग्य है। उसमें राष्ट्रीयकृत मार्ग का प्रतिशत 13.32 हो गया जो वर्ष 06-07 के सापेक्ष कम हो गया। श्रीमन् मंत्री जी पढ़े लिखे हैं, मंत्री जी के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है एक मंत्रि-परिषद् में हम दोनों साथ रहे हैं, मैं इस बात के लिए इनको बधाई देना चाहता था अगर इन्होंने अपने बजट के माध्यम से इस सदन को यह अवगत कराया होता कि इनकी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें इन्होंने उपलब्ध राष्ट्रीयकृत मार्गों की वर्तमान योजनाओं में इन्हें मोटरयान अधिनियम की धारा-100 उप धारा-2 के अन्तर्गत इन्हें अधिकार प्रदान करती है क्योंकि यह भारतीय ऐक्ट होने के कारण के केवल धारा-100(2) के माध्यम से परिवहन विभाग राष्ट्रीयकृत योजनाओं में निजी बसों के संचालन की व्यवस्था कर सकते हैं। उसका प्रस्ताव आपने किया है अखबारों के माध्यम से आया भी जिस पर नियमित सार्वजनिक आपत्तियां भी मांगी गयीं सैकड़ों मार्ग इन्होंने उसमें रखें हैं जिसको कि निजी बसों के लिये खोल रहे हैं जन सुविधा की दृष्टि से, परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों के संचालन के लिए। मंत्री जी ने पूरे बजट भाषण में कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं किया जिसका

प्रमुखता से मा0 मंत्री जी को अपने बजट भाषण में उल्लेख करना चाहिये जो सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है।

मान्यवर, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट है उसकी धारा-99 से लेकर 104 तक यदि मा0 मंत्री जी ध्यान दे दें तो यह जितनी धारायें हैं वह उत्तर प्रदेश की इस परिवहन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में मंत्री जी के हाथों को मजबूत कर सकती है और राजस्व की दृष्टि से लाभप्रद हो सकती है। यहां परिवहन विभाग के अधिकारी दीर्घा में आज बैठे हुए हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। धारा-99 से लेकर 104 तक के प्राविधानों का इस्तेमाल करते हुए हम उस व्यवस्था को जो प्रकाशित की गयी थी उसको लागू कर सकते हैं। मान्यवर, यहां पर आबकारी मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं, जितना राजस्व आज हम इस विभाग से प्राप्त करते हैं, परिवहन विभाग यदि परिवहन मंत्री जी राष्ट्रीयकृत मार्गों की योजनाओं में निजी बसों के संचालन की व्यवस्था करा दें तो परिवहन विभाग आबकारी विभाग से आगे खड़ा मिलेगा अगर उस योजना के क्रियान्वयन में आप सफल हो जाते। मान्यवर, हम जानते हैं कि मंत्री जी बहुत ही सहज हैं और सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने इस पर विचार भी किया है ऐसा लगता है। मा0 मंत्री जी आज अपनी इस मूल बात को वह सदन के समक्ष नहीं रख सके। मान्यवर, यदि नेशनलाइज्ड स्कीम्स को आप एमेंड करना चाहते हैं तो उसमें कुछ अधिनियम की रोक है। हम इंडियन ऐक्ट में किसी नेशनेलाइज्ड रूट्स पर निजी बस के संचालन को एलाऊ नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उसके सम्बन्ध में धारा 100 की उपधारा 2 में ही इस बात का प्रावधान है जिसके द्वारा आप यह नोटिफाई कर सकते हैं कि राष्ट्रीयकृत योजना में प्राविधान के अनुसार रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें चलेंगी। आपने अगर उसको फाइनलाइज्ड करा लिया होता तो परिवहन विभाग की दशा दिशा दोनों ही बदल जातीं। मान्यवर, आपत्तियां प्रस्तुत करने एवं उसे निस्तारित करने हेतु नियमों में एक महीने का टाइम होता है। जो भी योजनायें आप प्रकाशित करते हैं उसमें जो भी संशोधन आप करना चाहते हैं तो एक माह के भीतर शासन स्तर पर नामित सक्षम अधिकारी के समक्ष सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित होती हैं। यदि मा0 मंत्री जी आपने 30 दिनों के भीतर उन आपत्तियों को निस्तारित करा दिया होता तो आज आप प्रदेश की जनता के सामने फख्र के साथ कह सकते थे कि हम जनता को सस्ती और सुलभ यात्रा दिला रहे हैं और निजी परिवहन उद्योगों को बढ़ाने का कार्य करेंगे गरीबों को भी हम अच्छी बसों में यात्रा करा सकते हैं। मान्यवर, पता नहीं मंत्री जी आज इतना क्यों भयभीत हैं। उस मूल योजना को सदन के सामने नहीं रखा। जबकि आपने पहले बड़े-बड़े समाचार-पत्रों में उसे प्रकाशित कराया था। आज मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं है। उनके बारे में यह माना जाता है कि वे जो सोचती हैं उसे लागू कराती हैं। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण भी बैठे हुये हैं। अभी हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि सदन में मंत्रि-परिषद् का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। यह बात आनी चाहिये कि हम सब मिलकर इस योजना को लागू करना चाहते हैं। आपको निजी बसों के साथ-साथ रोडवेज की सर्विसेस को चलाने में मदद मिलेगी, बेहतर सुविधा जनता को मिलेगी। निगम रहे या न रहे, इसमें किसी प्रकार का समझौता किसी कल्याणकारी सरकार को नहीं करना चाहिये। इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। एम0 बी0 ऐक्ट की धारा 100(2) में योजना के सम्बन्ध में यह प्रक्रिया है कि आप एक टाइम बाउंड

सार्वजनिक नोटिस अधिसूचना के सम्बन्ध में और उसको निस्तारित करेंगे। आप इस भय से उसे लागू नहीं कर रहे हैं कि निगम के कर्मचारी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे ? आपने अभी अपने सम्बोधन में बताया कि आपका निगम लाभ में हैं। आपने अपना जो बसों का बेड़ा बताया है बहुत कम है मान्यवर, प्रदेश की 17 करोड़ की आबादी है, उसमें हमारे 17 मण्डल हैं, 70 जनपद हैं। 820 विकास खण्ड हैं और 52 हजार ग्राम सभायें हैं। इसी तरह से नगर निगम, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों की संख्या 689 है। आपका जबकि कुल बेड़ा बसों का 7 हजार का है। मान्यवर, एक ब्लाक में लगभग 2 लाख की आबादी होती है। हमारे पास जो बसें हैं उसमें मात्र लगभग 10 बसें एक ब्लाक में आ पा रही हैं तो आप इस तरह दो लाख लोगों को बसों की सर्विसेस नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, मंत्री जी की नीयत में कोई खोट नहीं है। लेकिन हर ब्लाक को परिवहन की आप बेहतर सुविधा दें और ठीक ढंग से सब सुविधायें चलें यह भी जरूरी है इसे सुनिश्चित करायें। मान्यवर, आपके निगम में लाभ तो है लेकिन उस लाभ की वस्तुस्थिति क्या है, शुद्ध लाभ की। आपने डिप्रिशियेटेड वेल्यू इसमें ऐड की है वह इन्कम टैक्स में रिबेट के प्वाइंट आफ व्यू से तो ठीक है। लेकिन वह शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जा सकता। यह अवमूल्यन राशि तो कागज पर ही दिखाया जाता है, उससे फिजिकल लाभ नहीं मिलता है। इसी तरीके से नये प्रस्ताव भी आपने इसमें दिखाये हैं। आपने इन्कम टैक्स के प्वाइंट आफ व्यू से जो प्रदर्शित किया है वह वास्तव में फिजिकल इन्कम नहीं है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त वह लाभ जो आप दिखा रहे हैं। वह सही नहीं हैं क्योंकि 900 करोड़ रु0 पैसेंजर टैक्स का परिवहन आयुक्त संगठन को अभी प्राप्त नहीं हुआ है परिवहन निगम पर बकाया है। वह घटा दीजिये तो आप कहां पर खड़े होंगे। लाभ कहां जायेगा पूंजीगत व्यय कहां से पूरा होगा ? बैंकों से आपने लोन लिया है वह कहां से पूरा होगा ? लाभकारी संगठन बनाने के लिये अगर परिवहन निगम को वाइंड अप भी करना पड़े तो उस पर सोंचें। निजी क्षेत्र में इसे देने की पहल करें। निश्चित रूप से परिवहन की एक उद्योग के रूप में झलक दिखेगी। मान्यवर, आप देख रहे है पूरे देश में कि देश और प्रदेश में मेट्रो रेल चल रही है। प्राइवेट रेल चल सकती है, प्राइवेट एयरलाइन चल सकती हैं लेकिन निजी बस नहीं चल सकती और उन सड़कों पर ओवर लोडेड ट्रक प्रत्येक दिन चल रही हैं जिससे नियमों की अनदेखी के साथ माननीय मंत्री जी कर रहे थे ओवर लोडिंग के खिलाफ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इनफोर्समेन्ट कराया होगा। लेकिन बांदा के माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कौशाम्बी के माननीय मंत्री बैठे हैं, सरोज जी यदि बांदा-इलाहाबाद पर सड़क पर खड़े हो जायें तो पूरी पूरी हाइट तक गिट्टियां लदी हुई मिलेंगीं माननीय राय साहब लखनऊ से बनारस जाते हैं, फागू चौहान साहब जाते हैं यह सब जाते होंगे इनको लखनऊ से झकवा के बीच में ओवरलोडेड ट्रक मिलती होगीं। उसका इनफोर्समेन्ट क्यों कमजोर है, इस पर मंत्री जी को ध्यान देना होगा। उनकी नीयत ठीक नहीं है अन्यथा मोटर व्हैकिल ऐक्ट के प्राविधानों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मान्यवर, आप देखें माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने रेवन्यू बहुत इकट्ठा किया, आपका टारगेट क्या था ? टारगेट के अंगेस्ट आपका एचीवमेन्ट क्या है माननीय मंत्री जी उसका भी फिजिकल वैरीफिकेशन आप जिस दिन करायेंगे उस दिन आपके कागजी आंकड़ों की पोल जो विभाग ने आपके सामने रखा है वह निश्चित रूप से खुल जायेगी। एसटीए और आरटीए आप गठित करते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट एथारिटी में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसके चेयरमैन होते हैं।

नान आफिसियल मेम्बर उसके मेम्बर होते हैं, पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी उसका मेम्बर होता है, पीडब्ल्यूडी का एक सीनियर आफिसर उसका मेम्बर होता है, आरटीए में दो नान आफिसियल मेम्बर चाहे वह सत्ता पक्ष के या विपक्ष के हों हमेशा उसके सदस्य होते हैं। उससे पब्लिक इंटरेस्ट हमारा कहीं न कहीं उसमें रखा जाता था। पब्लिक रिप्रेंजेटेटिव जब जाते थे चाहे उस पक्ष के विधायक हों, चाहे इस पक्ष के विधायक हों जनप्रतिनिधि के रूप में अपने विधायक मित्रों से हम भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते थे और कमिश्नर परिवहन डिवीजनल कमिश्नर के सामने वह बात जाती थी तो पब्लिक इंटरेस्ट में हम ट्रांसपोर्ट व्हैकिल को कनवीनियेन्ट तरीके से परमिटों को जारी करने में जनता की मदद होती थी उसको भी आप गठित नहीं कर सके। एस0टी0ए0 का प्रापर कांस्टीट्यूशन नहीं है। सिंगिल चेयरमैन उसके जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके दो आफिसियल मेम्बर हैं उनको लेकर वह जो परिवहन व्यवसाय के कार्य है उसे सम्पादित करते हैं। माननीय मंत्री जी ने देखा होगा अपने आंकड़े में कि कितनी व्हैकिल रजिटर्ड हुई हैं साल भर में चाहे वह जिस क्लास की हों, मोटर साइकिल हों, प्राइवेट व्हैकिल हों, टैक्सी कैब हों, स्टेज कैरिज हों पर्टीकुलर स्टेज कैरिज हो, गुड्स व्हैकिल हों उसमें आप ध्यान देंगे उन आंकड़ों में तो मैं माननीय मंत्री जी से जब वह अपना उत्तर भाषण प्रस्तुत करेंगे तो मैं जनना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों में प्राइवेट स्टेज कैरिज कितनी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई हैं, रजिस्ट्रेशन की जो फीस जमा होती है इनके आर0टी0ओ0 आफिसेज में, इनके जो आर0आई0 है वह बता देंगे उससे आपको जरूर महसूस होगा कि जो पब्लिक सर्विस स्टेज कैरिज के माध्यम से, बसों के माध्यम से परिवहन बसों के बेड़े के अलावा निजी बसों के बेड़े में उसकी भी बहुत कमीं हुई है जिससे कि हमारा पैसेंजर टैक्स कम हो रहा है, रोड टैक्स कम हो रहा है और कहीं न कहीं सैल्स टैक्स जो स्टेट का है वह मारा जा रहा है तो इस पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। हमारे परमिट की बात है, हम परमिट कंडीशन को भी देखें। हम परमिट देते हैं पर्टीकुलर स्टेज कैरिज को, मैं समझता हूं कि धारा 70, 71, 72 ऐसी है जिसमें कि नान नोटिफाइड पोरसन में परमिट देने में कोई रिस्टक्शन नहीं है वैकेन्सी की, हमें इसको भी तय करना चाहिये कि दिये गये परमिटों की इकोनामिक वायबिलिटी क्या है क्योंकि जनता से सीधे जुड़ा परिवहन व्यवस्था एक उद्योग है। अगर रेल चल सकती है, सहारा एयरलाइन्स चल सकती है, जेट चल सकती है तो सड़क पर निजी बस क्यों नहीं चल सकती है ? परमिट देने पर वह आपको टैक्स देती है आपके और प्रदेश का अवैध अन्यथा आपरेशन बन्द होगा। रोज आपको बयान देना पड़ता है कि अवैध संचालन हम बन्द करेंगे तो कैसे बन्द करेंगे ? 17 करोड़ को यह आपकी 7000 बसें नहीं ढो सकती हैं। इसका कोई भी कलकुलेशन निकालेंगे तो वह अव्यवहारिक होगा। इसलिये आपको जनसमस्याओं के निदान की दृष्टि से जनउपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन पर निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परमिट देना होगा। पर्टीकुलर स्टेज कैरिज निजी बसों को निजी बसों का निर्माण देता है। सर्विस आफ स्टेज कैरिज परमिट का एक प्रकार है जिसमें कि निगम की बसों को देते हैं जिसमें निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक को अपनी व्हैकिल को, डिसक्लोज करना चाहिये कि अमुक परमिट पर हमारी अंकित बसें फ्लीट की इस पर्टीकुलर परमिट एवं पटीकुलर रूट पर चलेंगी। खेद है, परिवहन मंत्री जी विभागीय जांच करा लेंगे तो पता चलेगा कि परिवहन निगम बसों को परमिट शर्तों के खिलाफ चलायी जा रही है।

लेकिन मुझे अफसोस है कि इनफोर्समेंट की बात तो मंत्री जी ने बताई कि ओरलोडेड गाड़ी बंद की, इतनी बस बंद की, इतनी टैक्सी बंद की, जो छोटे लोग हैं, उनका वाहनों को बंद किया लेकिन निगम की कितनी बसों का चालान माननीय मंत्री जी आपने 2007 में कराया, उसका सीजर कहां है, उसका विवरण आप सदन में रखें। जो जुर्माना करते हैं हमारे आर0टी0ओ0, जो रेवेन्यू रियलाइज होता है उससे स्थिति ज्ञात होगी और इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पर्टीकुलर स्टेट कैरिज, सर्विस आफ स्टेट कैरिज के परमिटों के प्राविधानों का पालन अक्षरशः सुनिचित हो। कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट आप देते हैं, चाहे वह आल यू0 पी0 का हो, चाहे टूरिस्ट परमिट हो, आल इंडिया परमिट हो, आप देते हैं, टैक्सी कैब का परमिट आप देते हैं, टैम्पो का परमिट आप देते हैं, जीप का परमिट आप देते हैं लेकिन उसमें कंडीशन जरूर इम्पोज कर देते हैं और कहते हैं साहब गवर्नमेंट आफ इण्डिया का ऐक्ट है और उसमें यह क[illegible] है कि किसी भी कान्ट्रैक्ट कैरिज को हम कारीडोर रिस्ट्रक्शन के वीयान्ड परमिट नहीं दे सकते। [illegible] आदमी प्रतापगढ़ से लखनऊ आना चाहता है और रास्ते में सलवन में उसका बेटा खड़ा है। हमारे माननीय विधायक, हमारे छोटे भाई सौरभ जी बैठे हैं, बड़े तेज तर्रार हैं। अगर गडवारा से कोई मोटर चली और उसमें हुक्म है कि प्रतापगढ़ से सडंवा, चंदिका, सांगीपुर होते हुये रायबरेली, लखनऊ आने वाली गाड़ी अन्तू में नहीं रूकेगी। लेकिन मा0 अब विधायक जी खड़े हैं गनर खड़ा है, ड्राइवर मा0 विधायक को पहचान रहा है कहा बस रोको, कैसे बस नहीं रुकेगी लेकिन चेकिंग हेतु खड़े हैं, तो मा0 ए0 आर0 टी0 ओ0 साहब मंत्री जी कहेंगे कि इसमें कारीडोर रिस्ट्रक्शन का वायलेशन हुआ, परमिट कंडीशन वायलेट हुयी, इसलिये 10 हजार जुर्माना होगा। माननीय विधायक को देखकर ड्राइवर की कैसे हिम्मत है कि वह मोटर लेकर चला जाय, जन प्रतिनिधि है, जनसमस्या से जुड़े हैं, उनको माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करने के लिये सदन में लखनऊ में उपस्थित होना है, वह ड्राइवर बस रोकेगा, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के निर्देश हैं तो ए0आर0टी0ओ0 चालान जरूर कर देगा। विशेषाधिकार हनन का बिन्दु हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो श्रीमन् इन सब चीजों का व्यवहारिक पक्ष भी देखा जाय कि कैसे हम चीजों को सरल करके अपने राज्य का राजस्व बढ़ा सकते हैं और जनता को जन सुविधा से जोड़ने का काम भी कर सकते हैं। परन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जन सुविधा बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख नहीं कर सके। मा0 अध्यक्ष जी आप हमारे संरक्षक हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बड़ी कृपा होगी, हमें भी तथ्यों की जानकारी होगी। जहां तक मैंने मा0 मंत्री जी का बजट भाषण सुना था, माननीय मंत्री जी ने कम्प्यूटरीकरण की बात बताई, व्हेकुलर रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड की बात उन्होंने पढ़ी, स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की बात उन्होंने बताई, सड़क सुरक्षा योजना पर भी उन्होंने आपका ध्यान आकृष्ट किया, परिवहन कर संग्रह केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की बात भी उन्होंने रखी, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसेस के निर्माण की बात भी उन्होंने रखी और एक विश्वस्तरीय ट्रेनिंग स्कूल की बात कही, जिसमें उन्होंने कुछ करोड़ कुछ लाख रुपये खर्च करने की बात बताई थी। यह पिछले बजट में भी बताया था और आज भी माननीय मंत्री जी ने इसको बताया। जल परिवहन का माननीय मंत्री जी ने कोई उल्लेख नहीं किया यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर स्टेट इसे इम्प्लीमेंट करता है श्रीमन् तो मैं समझता हूं कि देश के अन्य प्रदेशों के लिये यह एक मानक भी होगा, मील का पत्थर भी होगा, उदाहरण भी होगा

और माननीय मंत्री जी को लोग बुलाकर इनसे कहीं न कहीं इस बात को समझने का भी प्रयास करेंगे, माननीय मंत्री जी ने इस ओर भी कम ध्यान दिया है। ट्रांसपेरेसी मेजरमेंट मीटर की बात कही, नीली बत्ती, लाल बत्ती, फिल्म उतारने की बात कही, श्रीमन् आप स्वयं हजरतगंज से जाते हैं, आपको जरूर मिलेगा कि हमारे ए0आर0टी0ओज वहां खड़े रहते हैं, ट्रैफिक के लोग खड़े रहते हैं, पुलिस के आर0 आई0 चेकिंग हेतु खड़े रहते हैं। परन्तु ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होती है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां माननीया मुख्य मंत्री जी रहती हैं, उस सड़क से आने जाने वालों को आप देखेंगे तो कोई हूटर बजाता चला जा रहा है, जिसे अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई बिना अधिकार के बत्ती जलाये चला जा रहा है पता नहीं उस बत्ती में कौन सा जोश भर जाता है, उसे मंत्री जी का विभाग नहीं देख पा रहा है। आप तो बहुत हास परिहास में विश्वास करते हैं जिससे सदन का वातावरण बहुत ही सरल बना रहता है। मान्यवर, मैंने एक सुझाव दिया है मा0 अध्यक्ष को अगर माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे तो कृपा होगी जनता का हित होगा। मान्यवर, मैं और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्रियों ने जो बजट रखा था उसमें माननीय लोक निर्माण मंत्री जी हमारे सामने हैं, बहुत वरिष्ठ है, हम सबके अग्रज हैं और उच्च सदन के सदस्य हैं और मुझे भी मा0 संसदीय कार्य मंत्री वर्मा जी के साथ, विधान परिषद् में सेवा करने का अवसर मिला है।

श्री अध्यक्ष-

राय साहब को नहीं बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

राय साहब तो हमारे रिश्तेदार हैं। इनके बारे में क्या बताना ? अब आप तो जानते ही हैं, हमारा उनका रिश्ता क्या है, अब सबके सामने कहूं, तो और लोग उनसे रिश्ता जोड़ेंगे तो उनके सामने कठिनाई होगी। इसलिये श्रीमन् वह हमारी निजी बात है, हमारी निजी सम्पत्ति है। मेरे पास ही रहने दें तो बड़ी कृपा होगी। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने बजट रखा था, राजेन्द्र सिंह राणा साहब ने बजट रखा था, नरेश चन्द्र अग्रवाल साहब ने रखा था, अरिदमन सिंह साहब ने रखा था इन सब माननीय मंत्रियों ने जरूर कोशिश की होगी कि उत्तर प्रदेश में परिवहन उद्योग फले-फूले और आगे बढ़े। आज क्यों नहीं हमारे उत्तर प्रदेश का परिवहन व्यवसाय दिल्ली की मेट्रो रेल साबित हो सकता है। हमारी निगम की बसें बेहतर हों, उनका कंट्रोल बेहतर हो। जैसा कि मा0 मंत्री जी ने उनका किलोमीटर बताया, उनकी लाइफ बतायी और 66 परसेंट लोड फैक्टर मा0 मंत्री जी ने बताया है उसे ठीक किया जाये पैसेन्जर टैक्स ऐक्ट हैं इनका उसमें 75 परसेंट से कम पर लम्प-सम एग्रीमेंट करने का प्राविधान ट्रांसपोर्ट अथारिटी के पास नहीं है। अगर हमारी बेविल से चलने वाली गाड़ियों, बेविल के एक वर्ष की जांच करा लें तो ज्ञात होगा कि बेविल बतायेगा कि हमने कहां से पैसेंजर बैठाया, कहां उतारा और कहां तक यात्रा हुयी और जो तथा पैसेंजर टैक्स रूल के अनुसार अनुमन्य प्रतिशत हम टैक्स के रूप में यात्री से वसूल करके, डिपार्टमेंट के अनुमन्य हेड द्वारा मन्य वह ट्रेजरी में जमा करे और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के संगठन को वह सूचित करे। अनुमन्य यात्रीकर निगम ने जमा कर दिया यात्री कर कम से कम लोड फैक्टर के रूप में 75 परसेंट आपका नियम कहता है और 66 परसेंट आपकी बसें वसूल कर रही है, कहां है आपका फायदा, परिवहन निगम की बसें कानून तोड़ रही हैं,

क्यों उसे चलाना चाहते हैं ? अगर एक हजार आदमी कम हो जाए और 17 करोड़ आदमी खुश हो जाए तो मैं समझता हूं कि जो आपकी सरकार का नारा है "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" वह पूरा हो सकता है। मा0 मुख्यमंत्री जी का पिछला बजट भाषण देख लें, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि 33 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हमारे बहुत से मित्र बैठे हैं, जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला और जिनके साथ काम करने का मौका मिला। उन 33 प्रतिशत लोगों के लिए मा0 परिवहन मंत्री जी आपने कौन सी घोषणा की ? आप कहते हैं कि हम उन्हें बराबर करना चाहते हैं। हमारे एक मित्र हमारे पड़ोसी हैं बैठे हुए हैं अम्बेडकर नगर से, वह कह रहे थे कि सामने बैठे लोगों ने उन लोगों को मौका नहीं दिया जो सर पर लोहा ढोते थे। अरे, आज आपको मौका मिला है, उन 33 प्रतिशत लोगों को, जिनको आपने बी0पी0एल0 कार्ड दिया है, जिनको आप गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं उनको तथा उनके बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री चलने की अनुमति आप प्रदान करें और उसके लिए उनका आइडेन्टिटी कार्ड वही बी0पी0एल0 कार्ड की फोटो। क्यों नहीं किया आपने, किसने रोका था आपको, आपका इतना रेवेन्यू है, आप इतने को बसों में चलने का अनुमति पवन मान ले प्राफिट में है, आपको इतना धन मिल रहा है, उसके बाद भी उन गरीबों के लिए यदि कोई भी कार्य आपने किया होता तो आपको बधाई देते मा0 मंत्री जी मैं तो आपका मित्र हूं, मा0 राजभर जी आप मुस्कराते हैं तो फ़िज़ा बदल जाती है। आप क्यों नहीं उन गरीबों पर खुश हुए, हमारे नेता मा0 ओम प्रकाश जी बैठे हैं, शिक्षक भी रहे हैं, हमारे नेता हैं गरीबों के हित चिन्तक हैं उन्हें भी आपके बजट से बड़ी निराशा है। आपके माध्यम से हम मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि उन 33 प्रशितात लोगों पर रहम कब करेंगे ? मैं चाहता हूं कि आप टैक्स बढ़ाइये लेकिन उन 33 प्रतिशत लोगों के बच्चे परिवार एवं अगर पढ़ने जाते हैं, और उनके पास बी0पी0एल0 आइडेन्टिटी कार्ड है तो उनको भी उस की मदद से अमीर के बेटे के बगल की सीट पर निःशुल्क यात्रा हेतु बैठने की इजाजत दे दीजिए। उस अमीर के बेटे के बगल में जब वह आइडेन्टिटी कार्ड लेकर बैठेगा तब उसका सामाजिक उत्थान होगा। सामाजिक उत्थान कागजी भाषण से नहीं हो सकता। आप गरीबों की जीप तो चलने नहीं देते हैं, टैम्पों चलने नहीं देंगे लेकिन रोडवेज के उन हाथियों को नहीं पकड़ना चाहेंगे जो बिना टैक्स और बिना परमिट के चल रही है। मथुरा के हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, वहां का पेड़ा खिलाइये रोडवेज की गाड़ी चलाइये, कौन रोकने वाला है ? लेकिन रोकना किसको है, पैसेंजर को, जो रेल से नहीं चल सकता है, जो पैदल नहीं चल सकता है, जो गरीब है, निर्धन है, जिसके पास अपना कोई स्रोत नहीं है। मा0 वित्त मंत्री जी बैठे हैं, लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, कितना सुन्दर संयोग है कि परिवहन के बजट पर सभी वह मंत्री विद्यमान हैं जो सभी चीजों को कर सकते हैं। आर0ई0एस0 मिनिस्टर बैठे हैं, जो बड़े जिन्दादिल हैं, अपनी सड़क को अच्छी रखें और स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े सुन्दर शक्ल से हैं, उनका विभाग भी बहुत सुन्दर है। सबको मिलकर गरीबों की मदद की परिवहन सुविधाओं में जनता की मदद करे।

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

प्रतापगढ़ के बारे में भी जरूर कहें।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

जरूर कहेंगे। कितना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने रखा है मैं चाहूंगा कि उनको नोडल मंत्री प्रतापगढ़ का बनाया जाये और अवैध संचालन जब तक बन्द न हो जाये तब तक यह विधान सभा में वापस न लौटें। यह प्रोसीडिंग में रिकार्ड कर लीजिए। मोती सिंह उस व्यवसाय से जुड़े हैं, जितने परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हों, मैं जब से विधायक हूं यह तीसरा टर्न यहां का है और विधान परिषद् का एक टर्न रहा है, किसी परिवहन मंत्री की कृपा पर मैंने कोई कार्य नहीं किया ? मा0 समाज कल्याण मंत्री जी हमारे मित्र हैं, कृपा चाहता हूं, लेकिन कोई परिवहन मंत्री यह नहीं कह सकता कि मोती सिंह गये हों और कहा हो कि परमिट हमें दे दीजिए। जो नियम है उसके अनुसार काम करते हैं, मा0 मंत्री जी मेरी मोटर नियम के विरुद्ध अगर मिले तो मा0 मंत्री जी तो हम आपको अधिकृत करते हैं कि 207 में नहीं, नीलाम कराकर लौटिएगा लेकिन दम रखिये कि हम गरीब के साथ इंसाफ करेंगे, हम गरीब का काम करेंगे। मैंने तो कहा कि लोक निर्माण मंत्री जी लोड फैक्टर ऑब्जर्ब कराते हैं, रोड डेन्सिटी ऑब्जर्ब कराते हैं, रोड डेन्सिटी अपने पी0डब्लू0डी0 के इन्जीनियर से मंगवा लीजिए और वही रोड डेन्सिटी मोटरेबुल पोर्शन तय करता है कि रूट का क्लासीफिकेशन क्या है ? मा0 मंत्री जी आप जितना अधिक टैक्स करेंगे, रोड टैक्स अलग, पैसेन्जर टैक्स अलग, गुड्स टैक्स अलग, एडीशनल टैक्स अलग, इन्शयोरेंस अलग ? उतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा और परिवहन उद्योग समाप्त हो जायेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम माननीय मंत्री जी करने की जरूरत है। जो भी टैक्स हो, यदि वह एक ट्रक रजिस्टर्ड कराता है तो वह तब तक नहीं बिकनी चाहिए जब तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर यह अथॉरिटी न दे दें कि अमुक व्यक्ति को नियमित यह परमिट ग्राण्ट कर दिया गया है, स्टेट कैरिज बिकती है, चेसिस बिकती है, उद्योगपति बेचता है, टाटा बेचते हैं, व्यवसायी खरीद कर बाडी बनवा कर जब बस लाकर खड़ी करता है और 20 लाख लगाता है तो उसे कहां ले करके जायेगा ? आपके बेरोजगार कैसे जिन्दा रहेगा कि रजिस्टर्ड गाड़ी को भी 10 हजार देना है अगर परमिट नहीं है तब भी देना है। नियम कहते हैं ऐसा तुगलकी आदेश है परमिट दीजिये जनता की सेवा करने का अधिकार वाहन स्वामी को दीजिये और उचित टैक्स राजकीय कोष में जमा कराइये।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप कीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

इस पर विचार करना चाहिए। मेरा सुझाव प्रदेश की गरीब जनता के हित में है मैंने कहा कि हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं और जनहित चाहते हैं समाज कल्याण मंत्री जी ने प्रतापगढ़ की ओर आपका ध्यान मा0 मंत्री जी आकृष्ट किया है, जिनके पास मंडी समिति से भी अनुरोध है कि जनपद की सड़कें बेहतर कर दीजिए, बसें कम टूटे चाहे रोड़वेज की ही चलें। टैक्स कम कर दीजिए, एक स्लैब बना दीजिए जो कन्वीन्यिंट हों। जो टैक्सिंग होती है वह पब्लिक पर ही जाती है। सिंगल प्वाइंट टैक्स लीजिए तब बड़ी बातें सदन को बताइये स्टेट कैरिज के लिए, रोड टैक्स, पैसेन्जर टैक्स मर्ज कर दीजिए। गुड से व्हीकिल के लिए, रोड टैक्स, गुड टैक्स मर्ज कर दीजिए कि और परिवहन उद्योग के हित में आज

घोषणा करें कि हम सिंगल प्वाइंट टैक्स लेंगे। अगर आप वैल्यू एडेड टैक्स ले सकते हैं तो मोटर पर जन सुविधा हेतु कृपा क्यों नहीं करेंगे हम पैसेन्जर टैक्स अलग जमा करें, रोड टैक्स अलग जमा करें, एडीशनल टैक्स अलग जमा करें, अगर सिंगल प्वाइंट टैक्स करने की व्यवस्था करेंगे तो विभाग बढ़ेगा भ्रष्टाचार मिटेगा। आगे एक सुझाव मा0 मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जो उन्होंने आंकड़े पढ़े हैं उसे विभाग को करने दीजिए तकनीकी बातों में जाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सुविधा अगर बढ़ेगी तो निजी बसों में संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत योजना में संशोधन की जो आपने घोषणा की है जिसमें आपकी नीयत मा0 मंत्री जी साफ नहीं है, यश जिसका आप एवं आपकी जन विरोधी सरकार नहीं कमाना चाहते हैं उसका उल्लेख आपने इस सदन के सामने नहीं किया। हम मुख्य मंत्री जी और आप दोनों को बधाई देना चाहते थे यदि आपने जो पहल निजी बसों के संचालन हेतु की है जिससे जनसुविधा बढ़ेगी, गरीब की सुविधा बढ़ेगी और सरकार की हनक भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगी अगर आपने उसे इम्पलीमेण्ट करा लिया होता परन्तु आपने कुछ नहीं किया इसलिए जो आपने स्कीम को अमेण्ड करने की योजना चलायी है वह राजस्व की दृष्टि से भी, जनसुविधा की दृष्टि से भी, गरीबों की दृष्टि से वह बहुत ही उपयुक्त है। दुग्ध मंत्री जी मूंछ ऊपर किये हंस रहे हैं, पहलवान आदमी हैं, इनकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है, ऊपर से निकल जा रही है, मैं क्या करूं ? मेरे बड़े पुराने साथी हैं, विधान परिषद् में भी रहे, विधान सभा में भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे सदन ने हमारे सुझाव को गम्भीरता से सुनने की कृपा की, चाहे वह इस पक्ष के माननीय सदस्य रहे हों या उस विपक्ष के रहे हों। यह सुझाव हमने विभाग की जो रूपरेखा है उसको ठीक करने की दृष्टि से रखा। माननीय मंत्री जी योग्य हैं, सक्षम हैं, निर्णय उन्हें लेना है, विचार उन्हें करना है, स्वीकार उन्हें करना है। मैं इन सुझावों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया और मा0 मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में जो भी तथ्य उनके पास थे उसको प्रस्तुत किया और सुझाव मांगे और सुझाव को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे और इस विभाग को मजबूत करने की दृष्टि से, जनसुविधा बढ़ाने की दृष्टि से, परिवहन उद्योग को और मजबूत करने की दृष्टि से मेरे सुझाव को स्वीकार कर वह गम्भीरता से विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और सदस्यों के जब विचार आ जायेंगे और आप पुनः अवसर देंगे, मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री बृजेश सौरभ-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में कुछ बात कहूं उसके पहले मैं अपने स्वजनपदीय बड़े भाई आदरणीय मोती सिंह के कथन पर कुछ कहना चाहूंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे, दक्ष खिलाड़ी के रूप में जैसे किसी अच्छे गेम का जो खिलाड़ी होता है, उसकी विशेषता होती है। जैसे हॉकी का खिलाड़ी होता है तो पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ होता है, पेनाल्टी स्ट्रोक विशेषज्ञ होता है। हमारे मोती भाई ने परिवहन स्ट्रोक या परिवहन खिलाड़ी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप में विभाग पर पैनी नजर डाली जो यह बताता है कि उनका ज्ञान कितना गहरा है परिवहन विभाग के मामले में। इसका कारण क्या है वह हमारे बड़े भाई हैं देहात में कहावत कही जाती है कि मोची की निगाह....हम कहते हैं कि मोती भाई की निगाह परिवहन विभाग पर हमारा कथन इसलिए है कि आज उन्होंने जितनी बातें बताई में आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा जनपद प्रतापगढ़ कई तरह के माफियाओं से ग्रस्त है हमारे यहां परिवहन माफिया भी पाए जाते हैं हमारे यहां दूध माफिया नहीं पाए जाते हैं लेकिन परिवहन माफिया अवश्य पाये जाते हैं। कई दशकों से मोती भाई का परिवार परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है हमारे पिताजी बताया करते थे कि जब बसें कोयले से चलती थी तब से उनके पास बस चलाने का अनुभव है। पूरे परिवार को ईश्वर की कृपा और उनके कर्म साथ रहे आज उनके पास 200-300 बसें हैं। मैं समझता हूं कि अगर परिवहन विभाग ने सतर्क और पैनी निगाह रखी होती तो जितनी हमारी रेवेन्यू लास हुई है वह प्रतापगढ़ से कवर हो जाती अगर परिवहन विभाग ने थोड़ी सी सतर्कता बरती होती। क्योंकि हमारे बड़े भाई है, अनुभवी हैं हम लोग उनके अनुभव से सीखते हैं लिखाई-पढ़ाई में काफी मजबूत हैं। हम लोग जनपद में कोई बात आती है अगर किसी विधायक को कुछ लिखकर देना है तो मोती भाई से सीखता है। उनसे पढ़ाई लिखाई सीखकर आज जब उन्होंने परिवहन विभाग पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखा निश्चय ही उनका कटौती का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उससे परिवहन विभाग का ढांचा जहां का तहां रुक जाएगा और हम लोग जहां के तहां खड़े हो जाएंगे आगे भी नहीं पीछे भी नहीं जा सकेंगे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिस प्रकार से हमारे परिवहन मंत्री जी ने 82 करोड़ 55 लाख राजस्व का लाभ दिया निश्चित तौर पर यह उपलब्धि का विषय है। जहां पर हमारा रुग्ण विभाग परिवहन विभाग 1947 में जब यू0पी0 रोडवेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी तब से 1972 में इसका स्वरूप बदला और इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का नाम दिया गया उस दौर से लेकर आज तक 7 हजार बसें बढ़ी ऐसा लगता है कि इसमें धीरे-धीरे जो हमारी सरकारें सत्ता में रहीं सबका अपना-अपना योगदान रहा है। एक समय मोती भाई मंत्री हुआ करते थे वह कृषि विभाग के मंत्री थे मैं कहता हूं कि भले ही वह कृषि विभाग के मंत्री हों लेकिन उस समय के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह को सुझाव तो दे सकते थे 10 हजार बसें बढ़ा देते जिससे 17 हजार बसों का बेड़ा हो जाता लेकिन मोती भाई ने राजा साहब को यह सुझाव नहीं दिया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किसी भी देश को किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में परिवहन व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना आवश्यक है। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार आई थी उस समय हमें बसों का जो बेड़ा मिला था वह तो बेड़ा गर्क था हमारी सरकार में योजनाएं बनाकर आगे बढ़ने का काम किया है। अभिलेखों को दुरस्त करने का काम किया गया है चाहे व्हैकुलर स्मार्ट कार्ड योजना हो, जो अन्य राज्यों कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश आदि दक्षिणी राज्यों में 15 साल पहले से चल रही है। मान्यवर, हमारे परिवहन मंत्री की दूर दृष्टि है, इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। स्मार्ट कार्ड योजना उन्होंने लागू की है। इसके लिये ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ियों के अभिलेख, उनके कल पुर्जों के नियमितीकरण के लिए सारी चीजों का पूरा-पूरा अभिलेख 4 के0बी0 माइक्रो प्रोसेसर चिप के अन्तर्गत प्रिजर्व रहकर सुरक्षित रहेंगे। मान्यवर, इसके लिये पूरे सदन को कहा जाना चाहिए कि

हमारे परिवहन मंत्री जी ने प्रदेश को उस दौड़ में शामिल किया जिस दौड़ में हम पिछले 10 सालों से टकटकी लगाकर देख रहे थे। उसमें हमारे प्रदेश को परिवहन मंत्री जी ने शामिल किया है। इसके लिये इनको बधाई दी जानी चाहिए बधाई दी जानी चाहिए हमारी बहिन कुमारी मायावती जी को जिन्होंने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिये ऐसी योजना बनाई हैं महोदय, स्पीड गवर्नर जैसी हमारी योजना है यहां पर अनियंत्रित बस चलती हैं,' वाहन चलते हैं उनको नियंत्रित करने के लिये हमारी सरकार ने योजना बनाई है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये यह कारगर योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, "अन ट्रेन्ड ड्राइवर नीम हकीम खतरा ऐ जान" एक कहावत है। वैसे ही अगर अशिक्षित, अर्द्धप्रशिक्षित ड्राइवरों के होने से खतरे की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। आज हमारे यहां परिवहन व्यवस्था में जिस तरीके से अर्द्धशिक्षित, अप्रशिक्षित या ऐसे व्यक्ति जो कम शिक्षित हैं, जो चालन और प्रचालन में हैं उनके कारण दुर्घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं आज हमारे विश्व स्तर ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने के लिये माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो योजना लागू की है वह निश्चित तौर पर एक प्रशंसनीय कदम है और इसकी इसलिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि इन ट्रेनिंग सेन्टरों से निकलकर जो ड्राइवर आयेंगे वो निश्चित तौर से हमारी गाड़ियों को चलाने की पद्धति में बदलाव लायेंगे उनमें खर्च कम आयेंगे उनमें टूट फूट आदि में कमी आयेगी और गाड़ियों में डीजल की खपत के रूप में उसका एवरेज बढ़ेगा इसलिए ऐसे स्कूलों की स्थापना के लिये हमारे परिवहन मंत्री जी को बधाई दी जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम ज्यादा बातें नहीं कहना चाहते हैं। इतना ही कहना चाहते हैं कि जितनी बातें परिवहन मंत्री जी ने परिवहन विभाग के द्वारा रखी थीं। आंकड़ों के विषय में कहा गया था तो जो आंकड़े पुरानी सरकार ने हमारे मंत्री जी को दिये होंगे उनको आगे बढ़ाकर उसमें जो प्रगति होती है उसी को रखा जाता है। माननीय विधायक मोती सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं। लिखा पढ़ी के मामले में तो मोती सिंह जी को मैं आदर्श मानता हूं। मैं यह कहता हूं अगर यह आंकड़े बनाने को उनको दिये गये होते तो वे डेढ़ गुना अच्छे बनाकर प्रस्तुत कर सकते थे। (व्यवधान) हां यह तो बहुत बड़े आंकड़ेबाज हैं। इसमें किसी तरीके की आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ-

माननीय अध्यक्ष जी, हम अपने परिवहन मंत्री को सदन के माध्यम से उनके विभाग द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं बात कह रहा हूं। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना प्रगतिशील बजट रखा है इससे जन सुविधाएं बढ़ेंगी और हमारे यहां यात्रीकर से लेकर ढेर सारी नई योजनाएं हमारे प्रदेश में आयेंगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सनातन पाण्डेय जी, बहुत कम समय में अपनी बात कहें।

श्री सनातन पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मोती सिंह जी द्वारा परिवहन विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का अवसर दिया। विभागीय मंत्री जी द्वारा जब अपना बजट भाषण पढ़ा जा रहा था। बजट भाषण जो कुछ भी हो उनके अधिकारियों द्वारा बनाया गया है। वहां तक तो अच्छा था। उसमें कहा जा रहा था कि हमारा बजट पिछली सरकार की गलत नीतियों, पिछली सरकार द्वारा जो ओवर लोडिंग की व्यवस्था दी गई थी हमारे द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया यह उनके बजट भाषण का मुख्य अंश रहा है। आज हम इस सदन में बैठे हुए सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सदस्य नजर उठाकर देखें आपके अधिकारी भी बैठे हुए हैं। आपने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कहते हुए रोबीले ढंग से अपनी बात को रखा कि विपक्ष में बैठे लोगों की जब सरकार थी और ओवर लोडिंग व्यवस्था की हुई थी उसको हमने समाप्त किया है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा आप अलग से नियम और कानून बनाये बैठे हैं। औरों के लिये और नियम और आपके द्वारा बनाये जाने वाले कार्यों में चलने वाले गाड़ियों के लिये और नियम। आप बैठे हैं मंत्री जी और आपके अधिकारी भी बैठे हैं अगर हिम्मत हो तो चलकर देख लें कि अम्बेडकर उद्यान में उद्यान विशेष कार्य के नाम पर ओवर लोड करके गाड़ियां चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं और गोमतीनगर में खड़ी हैं कि नहीं। प्रतिपक्ष पर आरोप लगाने से पहले अपने दामन में भी झांककर देखना चाहिए। आप विपक्ष की बात को सुनने का मौका नहीं देते हैं सुनने की कोशिश नहीं करते हैं मैं नहीं कहता कि मैं हर बात सही कहता हूं लेकिन अगर कुछ सही विपक्ष कहता है तो उसको ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय", समता मूलक समाज कानून के द्वारा कानून का राज्य, आप कहीं भी किसी व्यवस्था को स्थापित कर ही नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी दबाव में सारे के सारे मंत्री काम कर रहे हैं और सारे के सारे अधिकारियों के द्वारा निश्चित रूप से चंगुल में फंसे हुए हैं। बनारस के बारे में कहा गया, भाई मोती सिंह जी जौनपुर की बात कह गए बलिया में ट्रकें जा रहीं हैं पूरी की पूरी बॉडी लोड करके जा रही है जिस पर लिखा है विशेष कार्य हेतु, अम्बेडकर उद्यान कहां बन्द है ओवरलोडिंग, कहां आपने विपक्ष से सीखने का काम किया है ? अगर ऐसा ही है तो निश्चित रूप से आप विपक्ष की कमियों को बताने के लिए अपना बजट रखने का काम कर रहे हैं और सही बात कहने की और सही बात सुनने की आपके अन्दर हिम्मत नहीं है। मैं परिवहन निगम के बजट पर आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा मान्यवर हमारे यहां एक हजौली से बस चलती थी ग्रामीण क्षेत्रों से बलिया के लिए, वह भी किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई है आप उसको देखें, पता करवा लें अगर वह बस लाभ में चलती रही हो तो उसको वहां से चलवाने का कष्ट करेंगे। अगर वह नहीं हो पाता है तो गढ़मलपुर से बलिया जो बस चलती है वह गढ़मलपुर होते हुए हजौलिया से बलिया पहुंचा देंगे तो आपको आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी। बलिया से ए0सी0 बस जो लखनऊ होते दिल्ली जाती थी उसको भी अगर सही टाइम से रखने का काम करेंगे तो उसमें भी आय में वृद्धि होगी इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। समय को ध्यान में रखते हुए मैं दो-तीन सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं और मंत्री जी का ध्यान भी चाहता हूं अपनी ओर। मेरठ कमिश्नरी के अन्दर, मेरठ से चार-पांच ऐसे रूट्स हैं सहारनपुर को जाने वाली रोड मेरठ से बागपत छपरौली को जाने वाली रोड मेरठ से बड़ोतरोटा रोड, दिल्ली से लेकर सहारनपुर शामली जाने वाली रोड, इन तमाम रूटों पर मान्यवर प्राइवेट बसों का परिचालन होता था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह तमाम बसें बन्द हो गई चूंकि कोर्ट का आदेश था इसलिए वह तमाम बसें चलनी बंद हो गई हैं उन तमाम रूटों पर आम लोगों को बड़ी समस्या है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं उन रूट पर जो परिवहन निगम की बसें चल रही हैं वह बसें अपने टाइम टेबल के अनुसार चलें उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। कुछ बसों की संख्या वहां बढ़ाने का काम कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, परिवहन विभाग पर कट-मोशन प्रस्ताव, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसी चीजें हैं मैं परिवहन मंत्री जी से चाहूंगा, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया या आप भूल गए हैं मान्यवर हमारे उत्तर प्रदेश के हजारों फोर व्हीलर वाहनों के रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में न होकर हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं एक तरफ तो यह सरकार राजस्व बढ़ाने की बात करती है दूसरी तरफ यह देखने में आता है कि हमारा राजस्व दूसरा स्टेट लेकर जा रहा है मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे देखें क्या ऐसे कारण हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन न होकर तमाम हजारों की संख्या में हरियाणा स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हम चाहेंगे जहां तक आर्थिक स्थिति की बात होती है, जहां जिसको फायदा होता है वह वहीं जाता है दो परसेन्ट रजिस्ट्रेशन पर हरियाणा में पड़ता है हमारे यहां यह पांच परसेन्ट पड़ता है तो अगर सरकार चाहती है कि हमारा राजस्व बढ़े रजिस्ट्री ज्यादा होवें तो यह कम भी हो जाये तो कोई ऐसी बात नहीं है तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। दूसरा मान्यवर, जो परिवहन विभाग की बसें चल रही है यह पुरानी बसें हैं। 20 तारीख को मान्यवर, सदन था हम यहां से वापस गए। इत्तेफाक से शताब्दी गाड़ी टूण्डला पर रुक गई तो हम परिवहन की बस में बैठ गए टूण्डला से आगरा जाने के लिए। मान्यवर, भगवान जानता है कि कैसे हम राम-राम करके पहुंचे न तो उस बस में आगे लाइट थी और ब्रेक का तो नाम नहीं था। एक गाड़ी जा रही थी उसको फालो करते-करते पहुंचे।...कुल 20 किलोमीटर दूरी थी, टूंडला से लेकर आगरा तक की मान्यवर, डेढ़ घण्टे में वापस पहुंचे, इससे तो बढ़िया था कि अलीगढ़ पहुंच करके अपने गन्तव्य तक पहुंच जाते। ऐसी स्थिति रहती है, परिवहन विभाग को मान्यवर, जितनी पुरानी बसें चल रही हैं, मैं पहुंच गया लेकिन कितनी दिक्कतें हुई, यह भगवान जानता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करूंगा कि जो पुरानी बसें इस हालत में हैं, नयी बसों से तो कोई भी समय पर गन्तव्य तक पहुंच जायेगा, चाहे डाक्टर की उसे जरूरत पड़े, चाहे नौकरी पर उसे जाना हो, नयी बस रहती है तो उसे विश्वास रहता है कि समय पर पहुंच जाऊंगा। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह जरूर चाहूंगा कि वह इसकी ओर भी देखें लेकिन उन्होंने अपने बजट में इसके लिए कोई जिक्र नहीं किया है। इसके साथ ही मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया, धन्यवाद।

चौ0 सत्यपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। अलीगढ़ जनपद में, अलीगढ़ टप्पन जेबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है, शायद उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होगा। लेकिन अब उस रूट की हालत इतनी दुर्दशापूर्ण होती चली जा रही कि जितने भी ट्रान्सपोर्ट हैं अपने अपने परमिटों को सरेण्डर कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसें अलग डीटीसी की बसें अलग हमारे सौ-सवा सौ परमिट अलीगढ़ टप्पन जेबर पर अलग और वहां पर आरटीओ महोदय ने छोटे-छोटे 100-200 टेम्पो का और परमिट दे दिया है वहां पर रोजाना झगड़ा होता है, कहीं टैम्पो पड़ा हुआ मिलता है क्योंकि यह हाई वे हो गया है, अलीगढ़ टप्पन पलवल मार्ग, इसीलिये छोटे-छोटे टैम्पो वहां से हटाकर, जो ट्रान्सपोर्टर हैं उनकी दशा सुधारने के लिये और आपके राजस्व की हानि न हो इसके लिये कोई कार्यवाही करे, मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यही निवेदन है धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बुनियादी तौर पर जो समस्याएं समाने आती हैं, उसी पर दो बार सुझाव मैं रखने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी आबादी यहां पर है, उसी तरीके से प्रदेश को परिवहन विभाग भी निश्चित तौर से बड़ा है, तो भी आबादी के लिहाज से कहा जा सकता है कि हमारे यहां परिवहन की समस्यायें दूसरे प्रदेश से ज्यादा है। वैसे तो देखने में आता है, मैंने भी कई बार महसूस किया है, अगर हमारे यहां के परिवहन की कोई बस, रोडवेज की बस किसी बस अड्डे पर खड़ी है और वहां पर किसी दूसरे प्रदेश की बस बराबर में आकर खड़ी हो जाती है तो यहां के यात्री उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में बैठने के बजाय, दूसरे प्रदेश की बस में बैठना ज्यादा पसन्द करते हैं। खूबसूरत शब्दों से किसी प्रदेश को आर्थिक मजबूती नहीं मिला करती है, टैक्निकल तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने और मा0 मंत्री जी ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से इस बजट को बनाया होगा तो भी बहुत सारी बातें इसमें रह गयी कि जिनको इतने बड़ी प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी था। कई बार हम लोग देखते हैं कि रास्ते में अगर हमारे परिवहन निगम की बस खराब हो जाती है, तो मान्यवर, यकीन मानें, पूरी पूरी रात यात्रियों को सड़क पर गुजारना पड़ता है। यानी मेरा सुझाव है कि कोई साधन-सुविधा हमारे पास जरूर होनी चाहिये कि अगर किसी तकनीकी कारणों से या किसी और कारण से हमारे कोई बस जंगल में खराब हो गयी है

तो यात्रियों को जल्दी जाने की सुविधा मिल जाए यात्रियों को ले जाने की कोई व्यवस्था हमारे पास हो। मान्यवर, प्रैक्टिकल रूप में जो देखने में परेशानी मुसीबत का रूप धारण कर लेती है, उसमें भी हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी को कोई नीति लागू करनी चाहिये थी और मान्यवर, गरीबों, विद्यार्थियों और शिक्षित बेरोजगारों के लिये कोई कल्याणकारी योजना हमारे इस बजट में जरूर होनी चाहिये थी।

मान्यवर, प्रदेश में इन गरीब लोगों के बल पर यह सरकार बनी है तो निश्चित रूप से सरकार की उनकी प्रति जवाबदेही भी है। तो मेरा सुझाव है कि गरीबों के लिये निशुल्क यात्रा सेवा या बेरोजगार शिक्षित नौजवानों के लिये उनके परिवारों के लिये जरूर कोई योजना आनी चाहिये। मान्यवर, एक बात यह कहनी है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है तो सड़कों पर अवैध वाहनों और जो डग्गामार बसें या निजी मुनाफा कमाने के चक्कर में बसें चलती हैं या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट साधन चलते हैं उन पर उस पार्टी का झण्डा लगना शुरु हो जाता है, यानी इससे प्रदेश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, प्रदेश के राजस्व में बहुत बड़ी हानि होती है। तो इसलिये ऐसी कोई नीति अवश्य लागू करें जिससे करोड़ों रुपये का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसमें कोई न कोई रोक लगे। मान्यवर, मैं बहुत पिछड़े जिले से आता हूं। सहसवान मेरा विधान सभा क्षेत्र है। वहां के रोडवेज बस अड्डे की हालत बड़ी खराब है। यानी बस के अलावा वहां पर बाकी सारी चीजें हैं असामाजिक तत्व वहां पर जुआं खेलते हैं, कुत्ते लोटते रहते हैं, गधे घूमते रहते हैं। अगर वहां किसी चीज की कमी है तो वह है बस की कमी। मान्यवर, वहां पर बस कभी नहीं आती। अगर आती भी है तो बाहर बाईपास से होकर गुजर जाती है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि प्राइवेट बस अगर रोडवेज बस के आगे पीछे लग जाती है तो समझ लीजिये कि लोग रोडवेज बस के बजाय प्राइवेट बस में सवार हो जाते हैं। प्राइवेट बस भरकर जाती है और रोडवेज बस खाली जायेगी। तो इसका मतलब है कि कर्मचारी के मन में कोई न कोई बेईमानी जरूर है। इसलिये चेकिंग की स्थिति में सुधार होना चाहिये। यहां तक कि रोडवेज के कई कंडक्टर और ड्राइवर भी अपनी ड्यूटी के लिये कारों में बैठकर आते हैं। मान्यवर, आज के आधुनिक युग में आर्थिक रूप से मजबूत होना बुरी बात नहीं है लेकिन रोडवेज बसों के माध्यम से प्रदेश के राजस्व का आर्थिक हानि पहुंचाने का काम किया जाता रहेगा तो यह जो मुनाफा आप दिखा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के छोटे से छोटे प्रदेश का मुनाफा भी हमारे प्रदेश से ज्यादा होगा। तो मान्यवर, इसलिये ऐसी योजनायें लागू की जायं जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। मान्यवर, हालांकि प्रदेश की अधिकतर आबादी गरीब है। अगर किसी को 5 कि0मी0 जाना हो तो वह बस से जाने के बजाय पैदल जाना शुरू कर देते हैं लेकिन अगर गरीबों को सुविधा देनी है तो परिवहन निगम इनको दे सकता है। मेरे दो-तीन सुझाव हैं इनको कहते हुये इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, आपने मुझे श्री मोती सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, यह जो बजट पेश हुआ है यह केवल कागजों पर खानापूरी है। मान्यवर, मैं पिछले 1 वर्ष में बिलासपुर तहसील में रोडवेज बस अड्डे के निर्माण के लिये कई नियमों में मांग करता आ रहा हूं और यह आश्वासन में भी आया था।

माननीय मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से कहा था। अधिकारियों से भी बराबर सम्पर्क किया था। मान्यवर, उत्तरांचल को रामपुर से नैनीताल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे संख्या-87 है। बस अड्डे नहीं होने की वजह से हर 15 दिन में एक दुर्घटना होती है, एक्सीडेन्ट होते हैं, लम्बा जाम लगता है। अगर वाकई में आज आप बजट को अच्छा पेश करना चाहते हैं और सर्वजन हिताय की बात कहते हैं तो प्राथमिकता से विलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाने को इस मार्ग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके अलावा रोडवेज की बसों का सवाल है तो बहुत से रूट्स ऐसे हैं जहां पर बसों की आवश्यकता है, लेकिन बसें नहीं चलायी जातीं। इसका कारण यह है कि प्राइवेट बस मालिक से उनकी सांठगांठ रहती है। हमारे क्षेत्र में मीरगंज से शीशगढ़ बंगाली कालोनी होते हुए रुद्रपुर मार्ग है, उसमें मैंने मांग करी और बस चलायी भी गयी। बस एक हफ्ते चलायी जाती है और वह बन्द हो जाती है। वह इसलिए बन्द हो जाती है कि प्राइवेट बस वालों से इनकी सांठगांठ है तो ऐसे बजट को पेश करने से क्या फायदा जब लोग पूरे-पूरे दिन खड़े रहें और उन्हें बस न मिले। उन्हें कोई सवारी नहीं मिलती है। जहां तक रोडवेज बस ड्राईवर का सवाल है बहुत से ड्राईवर ऐसे हैं जो अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाते हैं जिससे कैजुअलिटी होती है। वह लोग कारों जीपों से आगे बढ़ने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं मांग करता हूं कि विलासपुर में बस बड्डा जिसकी मैंने पहले मांग की है। उसका इस बजट में प्राविधान किया जाय। इसी के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री भोला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज जब परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है तो ऐसे वक्त में क्योंकि हम लोग चुनकर जनप्रतिनिधि आये हैं और ऐसे वक्त में सुझाव न दिये जायें तो हम अपने क्षेत्र की जनता के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे उनके प्रति नाइंसाफी होगी। मान्यवर, आपके क्षेत्र के करीब सटा हुआ मेरा क्षेत्र है। आप जानते हैं कि आजमगढ़ जिले का इन्टीरियर क्षेत्र है, वह बहुत पिछड़ा हुआ वह क्षेत्र है। एक ब्लाक मार्टिनगंज है वह पूरा क्षेत्र अछूता है। जिला केन्द्र से ब्लाक से लेकर के वहां परिवहन की कोई बस नहीं चलती कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्राइवेट की बसें न चलें, तो उस क्षेत्र की जनता को जिला केन्द्र तक पहुंचने में बहुत झेलना पड़ता है। मान्यवर, आप जानते हैं कि मार्टिनगंज क्षेत्र आपके पड़ोस से लेकर के कालापुर, दुबरा लिलाई मार्टिनगंज पहले कुछ बसें चलती थीं, लेकिन आज प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, वह कई जगह स्टापेज लेती है। सिसवारा से लेकर गम्भीरपुर कई जगह रुकते हुए जाना पड़ता है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है और समय बहुत बरबाद होता है तो मैं यह मांग करता हूं कि एक ऐसी परिवहन निगम की बस चलायी जाय ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। लेकिन लोग, आज हाईवे बन रहा है दिल्ली केन्द्र से जुड़ना चाहते हैं, प्रदेश से

जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र जो इन्टीरियर क्षेत्र है, उनकी राहत के लिए एक ऐसी बस चला दी जाय जो जिला केन्द्र से जुड़ जाय और वहां की जनता को राहत मिल सके।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिवहन विभाग के कटौती प्रस्ताव जो भाई मोती सिंह ने रखा, उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेश को परिवहन विभाग ने करों की दृष्टि से चार भागों में बांटा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड वाला क्षेत्र। बुन्देलखण्ड वाले क्षेत्र में आबादी का घनत्व सबसे कम है। पूरे प्रदेश से 35 से लेकर 38 फीसदी तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आबादी निवास करती है। प्रतिवर्ग कि0मी0 237 व्यक्ति बुन्देलखण्ड में रहते हैं और इस कारण से विगत 2001 में एक अध्यादेश आया था कि जो परिवहन विभाग ने अतिरिक्त कर लगाया है उस अतिरिक्त कर में उस अध्यादेश 21 के माध्यम से 17 फीसदी की बुन्देलखण्ड के परिवहन विभाग में प्रत्येक यात्री को कटौती दी जाती थी, लेकिन वह अध्यादेश क्योंकि कुछ समय के बाद वह सरकार चली गई और राष्ट्रपति शासन लग गया और वह अध्यादेश फिर विधेयक नहीं बन पाया और हम चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड का जो लोड फैक्टर और जो एक अध्यादेश काफी दिनों से लम्बित है और बुन्देलखण्ड के लिए यह सरकार भी काफी संवेदनशील है तो हम चाहते हैं कि वहां पर जो छूट थी 17 फीसदी की, वह पुनः कायम हो जाये और दूसरा एक बहुत सालों से एक प्रस्ताव वहां चला आ रहा है क्योंकि झांसी एक सेन्टर है केन्द्र है अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का। झांसी से लोग खजुराहो जाते हैं, झांसी से लोग दतिया जाते हैं ओरछा जाते हैं, लेकिन वहां का जो बस अड्डा है वह इतना गन्दा है कि वहां पर जो पर्यटक आते हैं वह पर्यटक स्टेशन से ही या तो टैक्सी से चले जाते हैं या तो किसी प्राइवेट बसों से चले जाते हैं जो स्टेशन पर आ जाती है जिससे परिवहन विभाग को भारी राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। दूसरी एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी बजट प्रस्तुत किया गया निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किन्हीं विभागों में है उनमें एक परिवहन विभाग है, हम इसे दलों के ऊपर उठ कर देखें तो सबसे ज्यादा मिट्टी के तेल से बसें चलती हैं और एक-एक जितना बस आपरेटर पैसा नहीं कमा पाता, उससे कहीं ज्यादा परिवहन विभाग के क्लर्क और जो चेकपोस्ट पर बैठे होने वाले बाबू एक साल में पैसा कमा लेते हैं। आज स्थिति यह है कि बहुत सारी बसें प्रदेश में और खासतौर से हमारे बुन्देलखण्ड में इस तरह की बसें चल रही है कि वह नम्बर, वह गाड़ी को सरेण्डर कर देते हैं और सरेण्डर करने के बाद बस चलाते रहते हैं और अगर कहीं पकड़े गये तो बता दिया कि हमने इसको सरेण्डर कर दिया। इससे भी परिवहन विभाग को भारी राजस्व की हानि हो रही है। दूसरा कम से कम लाखों वाहन, चोरी के लाखों वाहनं जिनका नामोनिशान नहीं है परिवहन विभाग में क्योंकि निश्चित रूप से आपकी सरकार का प्रयास अच्छा होगा लेकिन हम समझते हैं कि जब आप यहां बैठते होंगे तो आपके मन में भी आता होगा कि परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार खत्म हो। आज पूरे परिवहन विभाग के अन्दर, चाहे परमिट देने का हो, चाहे टैक्स का हो, चाहे चेकिंग का हो उसमें बहुत जरूरी है, लाइसेन्स तक एक आम आदमी को बड़ी

मुश्किल से मिलता है। हम चाहते हैं कि आज के इस प्रस्ताव में आप कम से कम बुन्देलखण्ड का जो 17 फीसदी का 2001 में अध्यादेश संख्या-21 पारित हुआ था उस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बस अब आप समाप्त करें। श्री कुबेर सिंह जी, दो मिनट में आप अपनी बात कह दें कोई सुझाव वगैरह देना चाहते हों तो दे दें।

* श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं सदन में पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए अपनी बात कहने के लिये आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ गलतियां भी हो सकती हैं इसलिए मैं सब मित्रों से चाहूंगा कि क्षमा करें।

मान्यवर, पहला तो मेरा आग्रह/निवेदन यह है माननीय मंत्री जी से कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जलेसर, नौ सड़कों से जुड़ता है विश्व लेबिल पर घुंघुरू और घण्टी के लिए प्रसिद्ध है और वहां आज तक रोडवेज डिपो की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय जी को, कि इनके प्रयास से, सहयोग से मेरे क्षेत्र में बसें तो चलना शुरू हो गई हैं क्योंकि उनका पड़ोसी विधान सभा है, लोग मिलते जुलते रहते हैं, हम भी आग्रह करते हैं तो उनके प्रयास से ऐसा हुआ परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद तो वह देंगे चूंकि उनके द्वारा हुआ है, ऐसा इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद दे दूं। एक मौका मिला है दूसरा मौका फिर मिले न मिले, इसलिए मैं इसी समय माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी और धन्यवाद दे दूं।

मान्यवर, सन् 1996 में मेरी पत्नी विधायक रही है। हम सत्ता में रहे। उस समय भी मेरे यहां रजबहों में कभी पानी नहीं पहुंचा। उसके बाद सपा की सरकार आयी। फिर यह सरकार आयी। मान्यवर, लगातार दस साल बाद वह पानी हमारे यहां तक पहुंचा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद (मेजों की थपथपाहट) सत्य मानने में क्या बात है। (मेजों की थपथपाहट) दूसरा विषय मेरा यह है मेरे मित्रों कि मैं किसी दल की और विपक्ष की बात नहीं कहना चाहता हूं। जब उधर होते हैं तो रावण की तरह बोलते हैं और जब इधर आते हैं तो राजा हरिश्चन्द्र हो जाते हैं, राम हो जाते हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इसके पीछे विषय यह है कि आज हमारे यहां से सभी तरह की लाबियां पलायन कर रही हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वह बड़े अधिकारी डाक्टर और आई0ए0एस0 बनना चाहते हैं और वह जब कुछ बनते हैं तो जो ऊपर शासन बैठा है उन पर दबाव डालकर गलत काम कराता है और खुद पैसा पैदा करता है। इसलिए वह लोग आज प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं इधर आपके यहां रुकना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, इस तरह से भ्रष्टाचार की जड़े वहां से चल रही है। अगर सरकार चाहे तो सब कामों में पारदर्शिता ला सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कुछ शुद्धीकरण का कार्य हो जाये ताकि सब कार्य मानक के तहत पूरे हों जो योजनायें हैं उनका पूरा विवरण उजागर हों। हम विधायकों को अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिले ताकि हम लोग उसे देख सकें ताकि भ्रष्टाचार कम से कम हो तब यह सब बातें जाकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं खत्म हो सकती हैं इन सब बातों पर काबू पाया जा सकता है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो जिस नेचर के अच्छे अधिकारी हैं उनको पूरा सम्मान भी मिलना चाहिए। उन्हें आज सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान के साथ आज वहीं अधिकारी रह सकते हैं जो भ्रष्टाचार में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहते हैं। अगर आप उनके माध्यम से एक करोड़ पैदा करते हैं तो वह स्वयं भी फिर 80 लाख रु0 पैदा करने की सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी यह भावना मुख्य मंत्री जी तक पहुंचायी जाये कि शुद्धीकरण का कार्य हो। मान्यवर, सब कामों में स्पष्टता और पारदर्शिता आ जाये पूरी तरह से तो यह बात सम्भव हो सकती है। दूसरे अच्छे नेचर का कोई अधिकारी है तो उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मान्यवर, वह 25 वर्ष से काम कर रहा है मेरे बाप की उम्र का है उसकी उम्र आज 55 वर्ष की हो गयी है लेकिन उसके साथ भी कभी-कभी अच्छा व्यवहार नहीं होता है। इसीलिये जब इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख रु0 का आफर मिल रहा है तो वह वहां जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। उनको सम्मान नहीं मिल रहा है इसी कारण से आज अधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर पलायन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों पर पूरी तौर से गौर किया जाये तो इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है ऐसी मेरी सोच है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं यदि बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो। अध्यक्ष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया। अभी मान्यवर, एक माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे वह हमारी सरकार को और हमारे सिंचाई मंत्री जी को बधाई दे रहे थे उनके अच्छे कार्यों के लिये। मान्यवर, यह सदन की अच्छी परम्परा है। यह परम्परा कायम रहनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं तो विपक्ष के साथियों को उसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए। यह बातें प्रदेश के देश के और समाज के हित में होती है। कोई अगर अच्छे काम हुए हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह बात कही है सदन में यह परम्परा बननी चाहिए। कि सरकार किसी की हो यदि सरकार अच्छा काम करती है तो सभी सदस्यों को उसका सम्मान और समर्थन करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश की महान जनता ने जब बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में विश्वास किया और 17 वर्षों का रिकार्ड तोड़कर बहुमत की सरकार दी तब से लेकर आज तक बहन कुमारी मायावती जी की सरकार सर्वजन हित और सर्वजन समाज के हित के लिए कार्यरत है। लेकिन जब भी बात इस सदन में उठती है तो हमारे विपक्ष के साथी "सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय" के शब्द का इस तरह से मखौल उड़ाते हैं कि जैसे वह कोई शब्द ही न हो। वह शब्द नहीं है वह धर्म वाक्य है और धर्म वाक्य क्यों है-

सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होनतिच खेमिनो।
सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कन्च दुःखमागमा।

यह धम शास्त्र के शब्द है अब जब हमारी नेता उसके परिपालन में लगी है प्रदेश को ही नहीं देश को उधर ले जाने के लिये तत्पर है तो हमारे सत्ता पक्ष के साथी इस तरह के सम्मान करते

हैं तो विपक्ष के साथियों को भी सम्मान करना चाहिए। मान्यवर, चूंकि समय ज्यादा हो गया है आपको भी और हमारे सभी साथियों को चिन्ता है 7.00 बजे का। माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बजट रखा है परिवहन विभाग का वह प्रशंसा का लेकिन हमारी विधान सभा भगवान बुद्ध की तपोस्थली है उपदेशस्थली है जहां पर वह 24 वर्षाबास रहकर के जनकल्याण के लिए उपदेश दिये हैं लेकिन हमारा विधान सभा क्षेत्र इकौना के जो क्षेत्रवासी हैं जनपद वासी हैं वह जनपद मुख्यालय जाने के लिये कोई बस संचालित नहीं है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको संचालित करायें। साथी ही भगवान बुद्ध के उस तपोस्थली श्रावस्ती में अन्तर्राष्ट्रीय देशों से लोग आते हैं उनके आने जाने के लिए कोई परिवहन का बस अड्डा नहीं है इसलिए मैं परिवहन मंत्री जी से चाहता हूं कि एक अन्तर्राज्यीय परिवहन बस अड्डा बनाने की कृपा करें। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मेरे द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। जिसको निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी गम्भीरता से सुन रहे थे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। दो सुझाव है, आलोचना तो जो होनी थी वह हो गयी दो बात माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। उनका विभाग कमीशन्ड आफिसर से भरा हुआ है। कमीशन से सेलेक्टेड आफिसर्स में जिसमें ट्रांसपोर्ट के सारे आफिसर्स एआरटीओ एण्ड एबव एआरटीओ एण्ड लोवर सभी के पास इनफोर्समेन्ट के पावर हैं। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी आप भी सहमत होंगे कि आपके महकमें को जहां पर एआरटीओ पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर आता है। उसके पावर को पुलिस का थानेदार इनज्वाय करता है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है आप ट्रांसपोर्ट के आफिसर्स की संख्या बढ़ा लीजिये। इनफोर्समेन्ट का पावर जिसको भी देना चाहे अपने महकमें में और दे दीजिये लेकिन पुलिस की बला से इस परिवहन व्यवसाय को इसलिए अलग कर दीजिये कि कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट, इंटरस्टेट टूरिस्ट जब अन्तर्जनपदीय यात्रा करता है, अन्तर्देशीय यात्रा करता है तो पुलिस का वह थानेदार नहीं समझता है कि हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट कितना इम्पार्टेन्ट है हमारे अन्तर्राष्ट्रीय समझौत के दृष्टिगत। पर्यटन मंत्री जी बहुत चिन्तित होंगे अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर प्रकाश डालेंगे। क्योंकि जब हमारा टूरिस्ट आता है तो उसकी पहली मुलाकात उसकी हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से होती है।

अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कहीं इनकन्वीनियंस हुयी तो निश्चित रूप से हमारा यह महकमा भी रिफलेक्ट होता है, हमारी व्यवस्था भी रिफलेक्ट होती है। जब प्रदेश का अपमान होगा तो उसमें न पक्ष बचेगा, न विपक्ष बचेगा इसलिये अनुरोध है आपसे कि इसको भी रेक्टीफाई करने पर आप विचार करें, इसके पहले यह व्यवस्था हो चुकी है। मान्यवर, पुलिस चेकिंग से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट को अलग करने का प्रयास हम सबको करना चाहिये। दूसरी बात जो आपने बस अड्डों के बारे में कहा है कि हम लीज पर देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा यू0पी0एस0आर0टी0सी0 घाटे में है। लेकिन आप उसे वाइंड अप करके किसी एक को निजी बस को आप देना चाहेंगे तो मोनोपोली होगी, आपका जो काउन्टर चेक है, वह भी प्रभावित होगा। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि टाइम टेबिल के आधार पर

हम बसों का परमिट निर्गत करें और टाइम टेबिल फिक्स करें और एक प्वाइंट से हम ज्वाइंट आपरेशन की व्यवस्था हम उसी बस अड्डे से करें जिसको कि हम अलाभकारी मानते हुए उसको लीज पर देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी अगर इस पर भी विचार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी के लिये चाहता हूं कि यह जहां रहते हैं वहां बहुत चौराहे पड़ते हैं और रांग साइड से आने जाने की परम्परा यहां लखनऊ शहर में भी बन गयी है। हमारे ट्रांसपोर्ट एथारिटीज के जो लोग हैं, उन्हें यह चाहिये कि जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, उनके लिये हम सख्त कानून बनायें, चाहे वह मोटरसाइकिल से चलने वाला हो, चाहे वह फोर व्हीलर से चलने वाला हो, चाहे वह कामर्शियल व्हीकिल से चलने वाला हो, पूरे लखनऊ शहर सहित पूरे प्रदेश में इसकी डिफासंस हो रही है, मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक रूल्स को भी आप पूरे प्रदेश में ठीक ढंग से लागू कराने की कृपा करेंगे। इसी सुझाव के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा और उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा परिश्रम किया अपने बजट को बचाने में, गलती उनके महकमें के अधिकारियों ने की। अगर उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा होता, अन्य कार्यों में न व्यस्त रहे होते तो निश्चित रूप से जैसा स्वभाव है, राम अचल जी का, वैसा वह बजट प्रस्तुत करते। मा0 मंत्री जी भी इंसान हैं बजट स्वयं नहीं देख सके लेकिन वह भविष्य के लिये इस पर ध्यान रखेंगे। चूंकि जिन बातों का मैंने उल्लेख किया, माननीय मंत्री जी उसे कितना स्वीकार करेंगे, यह माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण बतायेगा। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने इस चर्चा में सहभागिता की, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद।

श्री रामअचल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्यों ने विपक्ष के और सत्ता पक्ष के जो अपने सुझाव दिये हैं, जो विचार दिये हैं, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने बड़े भाई श्री मोती सिंह से भी निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि आज उनके अन्दर जो पीड़ा है, चिन्ता है उससे मैं पूरी तरह मुतमईन हूं। उस चिन्ता के लिये बहन मायावती जी प्रदेश में यात्रियों को बेहतर सुविधा दे सकें इसके लिये वह गम्भीर हैं माननीय सदन को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में यात्रियों की सुविधा अच्छी हो सके, बस अड्डों का आधुनिकीकरण हो सके, परिवहन विभाग में आमूल चूल परिवर्तन हो सके, उसके लिये हमारी सरकार गम्भीर है। क्योंकि आपत्तियों पर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है जो सही बात माननीय मोती सिंह जी कहना चाह रहे थे मैं उससे अवगत हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे और माननीय सदस्यगणों ने अपनी विधान सभाओं तथा अपने जिले की भी बातें रखी हैं, अमुक-अमुक सड़कों पर बसें चलाने के लिये या रोडवेज बस अड्डा बनाने के लिये। मान्यवर, अभी पूरे प्रदेश में रोडवेज के 107 बस अड्डे बनाये गये हैं और 15 और जिले प्रस्तावित हैं, उनका नाम है-भदोही, चन्दौली, अमरोहा, श्रावस्ती, चित्रकूट, फिरोजाबाद, संत कबीरनगर, लखीमपुर-खीरी, कौशाम्बी, कानपुर देहात, बाराबंकी, पड़रौना, शामली, इस तरह से मान्यवर, 15 नये डिपो बनाने का कार्य प्रस्तावित है और हमारे कपूर साहब ने जो चिन्ता व्यक्त की है उन्होंने पहले भी

मुझे अवगत कराया था और मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया था, जैसे-जैसे ही संसाधन हमें उपलब्ध होंगे उसी हिसाब से आगे चलकर आपकी मांगों को भी हम पूर्ण करते जायेंगे। मैं अपने बड़े भाई मोती सिंह, हमारे साथी डी0पी0 यादव जी, कुबेर जी, भोला पासवान जी, सत्यपाल जी, पूरन प्रकाश जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहले भी कुछ रोडों पर बसें चलाने के लिए लिख करके हमें दिया था, उसके लिये हम गम्भीर हैं और हम चाहते हैं कि बेहतर सुविधाएं हों, यातायात बेहतर हो और इसके लिये हमें जो भी कदम उठाना होगा, वह हम उठायेंगे मा0 मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करके सीमित संसाधनों के अनुरूप कदम उठायेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ओवर लोडिंग की बात आई थी, मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और समय-समय पर ओवर लोडिंग रोकने के लिए अभियान चलाये जाते हैं और जो हमारे प्रवर्तन दल के अधिकारी हैं, वह कान्टीन्यू अभियान चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष अभियान के बाद वह रुक जाते हैं और दूसरा हमारे बड़े भाई ने पूछा था कि तीन वर्षों में कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 में।

(विपक्ष की ओर से उसे छोड़िये की आवाज)

मैं मा0 मोती सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मैं मा0 मंत्री जी का आभारी हूं कि मा0 सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों में से बहुत से सुझावों को उन्होंने स्वीकार किया। मैंने एक पक्ष रखा था उनके विभाग को मजबूत करने की दृष्टि से कि क्या पुलिस चेकिंग से ट्रांसपोर्ट व्हीकिल को अलग करेंगे, उस पर मा0 मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला है। इसके अतिरिक्त कुछ और बिन्दु थे, उन पर भी मा0 मंत्री जी जनहित में ध्यान नहीं दे सके, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,96,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (श्री बादशाह सिंह-)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,19,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, आपके समक्ष मैं वर्ष 2008-2009 के श्रम विभाग का आय-व्ययक प्रस्तुत करते हुए मैं आपका ध्यान श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश संगठन की ओर .....

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको पास करा दें, इसमें कोई कटौती भी नहीं रख रहा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं कटौती रख रहा हूं। मा0 मंत्री जी बोल न पा रहे हों तो बात दूसरी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अग्रवाल साहब कटौती का प्रस्ताव रख दें परन्तु ज्यादा विचार न रखें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को पिछली बार जब सदन का समापन हुआ और हम लोग घर गये तो श्रम विभाग का कोई साहित्य नहीं मिला था इसलिए गोरखपुर पहुंचकर वहां श्रमायुक्त कार्यालय से उनके कार्य-कलाप के बारे में जो आंकड़े थे उसे प्राप्त किया। मैं देख रहा हूं कि सबको बहुत जल्दी है। मैं सिर्फ श्रम विभाग की एक गतिविधि के बारे में चर्चा करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा बाकी आपकी कोई चीज छुऊंगा नहीं। लेकिन इससे आप भी अंदाज लगा सकते हैं कि चावल का एक दाना इतना सड़ा और कच्चा है तो इससे पूरी हांडी का अंदाजा लगा सकते हैं। यह गतिविधि अध्यक्ष महोदय, जब मैंने वहां से आंकड़े लिये तो यह गोरखपुर के श्रम विभाग के 7 जिलों का वहां पर कार्यालय है, कुल मिलाकर 2994 सर्वेक्षण किये गये, उसमें 932 खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिक पाये गये और कुल मिलाकर 2405 गैर खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिक पाये। अब बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य यह रहा कि कुल 932 श्रमिकों में गत वर्ष इस विभाग ने कुल मिलाकर 155 बच्चों को बाल श्रमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया। 932 में से 155 बच्चों को बाल श्रम विद्यालयों में प्रवेश दिया गया, 269 को यह कह दिया गया कि यह प्रदेश वास्य है। इस प्रकार से 932 में से 339 योग्य थे उनमें से भी 339 प्रवेश से आज भी वंचित हैं। कुल मिलाकर 920 परिवारों को चिन्हित किया जो इनके हिसाब से बाल श्रमिक परिवार से थे। जो चाइल्ड लेबर प्रिवेन्शन ऐक्ट है। 1986 का, वह अपेक्षा करता है कि ऐसे बाल श्रमिक परिवारों को पुनर्वास करेंगे। 932 में से कुल 33 परिवारों को अध्यक्ष महोदय,

7 जिलों में मिलाकर इतना बड़ा श्रम विभाग, 932 में से कुल 33 और 519 परिवार अभी भी रोजगार पाने के लिये इंतजार कर रहे हैं, यह इस विभाग की कार्यप्रणाली है। इसी प्रकार से जो विधिक कार्यवाहियां किया, कुल मिलाकर 571 सेवायोजकों को चिन्हित किया और 571 में से 224 के ऊपर कार्यवाही किया, 224 में से अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक पर फैसला हुआ है वह भी अपराधमुक्त हो गया। 223 केसों में यह विभाग कुछ नहीं कर पाया। यह नियम बना है अपने प्रिवेन्शन ऐक्ट में कि जहां बाल श्रमिक होंगे सेवायोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक लिया जायेगा। गोरखपुर के श्रमायुक्त कार्यालय में पैसा इकट्ठा हुआ होता तो 1 करोड़ 86 लाख रुपया आया होता और अध्यक्ष महोदय मैं समस्त मंत्री महोदयों को बताना चाहूंगा कि जो कुल पैसा इकट्ठा हुआ एक करोड़ 86 लाख के सापेक्ष, 2 लाख 52 हजार और सरकार का जो कारपस फण्ड मिला 7 लाख 52 हजार का, कुल मिलाकर 10 लाख हुआ। इस 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 16,861 रुपये इन श्रमिकों के पुनर्वासन और रिहैबिलिटेशन के लिए उपयोग किया गया। जब मैं सदन में आया तो पटल में हम लोगों को पुस्तिका मिली यही बैठकर उस पुस्तिका को पलटने का प्रयास किया एक पेज मैंने देखा। इस सरकार ने कुल मिलाकर 78 हजार 330 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया है। अपेक्षा यह की जाती है कि जो बाल श्रमिक चिन्हित होंगे उन्हें नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जो स्कूल चलते हैं वहां उनको शिक्षित किया जायेगा आपने बताया कि यह 1861 काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षित किया जायेगा इन्होंने प्रयास भी किया है गलती इनसे यह हो गयी कि चिन्हित बच्चे 78 हजार 330 हैं इन्होंने इन विद्यालयों में शिक्षित किया है 91 हजार 725 अध्यक्ष महोदय, इसको सोचिए सरकार ने यह जो मैं आपको बता रहा हूं मंत्री जी 78 हजार बच्चे हैं यह 1996 से हैं इनमें से बहुत से बच्चे तो निकल भी गये होंगे। अध्यक्ष महोदय, जो बदली हुई आर्थिक नीतियां हैं उदारीकरण का माहौल है जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का माहौल है उसमें लेबर नीतियों में परिवर्तन हो रहा है स्वयं साहित्य में यह बता रहे हैं कि लेबर इंडेक्स सिस्टम ठीक करना है। हमारे प्रदेश का लेबर इंडेक्स 19 प्रदेशों में हमारा 17वां स्थान है नियम बहुत कड़े हैं और हमें इनमें ढील देनी चाहिए जिससे हमारा लेबर इंडेक्स ठीक हो सके। रोजगार बढ़ सकें। स्वाभाविक रूप से जो बाकी श्रम कल्याण की चीजें हैं उनका महत्व बहुत कम हो जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः पूरे देश में जिसको सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी है वह बाल श्रमिकों का उन्मूलन है। इस बिन्दु पर यह सरकार पूरी तरह से असफल रही है। बावजूद इसके हम केन्द्र सरकार के माध्यम से चाइल्ड राइट कन्वेंशन पर हस्ताक्षरी हैं। हमने टास्क फोर्स का गठन किया है। हमने चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन ऐक्ट लागू किया है। इसके बावजूद हम यह मानकर बाल श्रम कानून हमारे लिए आवश्यक आवश्यकता हो गये हैं। गरीबी से पैदा होते हैं। लेकिन सरकार की मंशा इसको हटाने की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो भी बाल श्रमिकों के बारे में अध्ययन हुए हैं उनमें यही कहा गया है कि बाल श्रमिकों का उन्मूलन कर दिया जाय किसी भी प्रदेश और देश के आर्थिक विकास के लिये यह लाभदायक होने वाला है। अध्ययन हुए हैं उनमें कहा गया है कि पहले बाल श्रमिकों की समस्याओं का जड़ से उन्मूलन करें तो हमारे प्रदेश का विकास में 10 गुना ज्यादा लाभदायक होंगे। बाल श्रमिक उन्मूलन में जो निवेश करेंगे उसके बदले में लाभ ही होगा और 10 गुना अधिक लाभ होगा। वह जमाना गुजर गया जब हम कहते थे कि आर्थिक वृद्धि की चिन्ता कर लेंगे प्रति व्यक्ति आय की चिन्ता कर लेंगे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जायेगी। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या समाप्त करनी है तो वस्तुतः प्रत्येक गरीबों के बच्चों को काम करना पड़ेगा। प्रत्येक बाल श्रमिकों की पहचान कर हम प्रदेश से बाल श्रमिकों का उन्मूलन कर लेंगे और बाल

श्रमिकों के माध्यम से इस प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी भुखमरी की समस्या का समाधान कर लेंगे। गुरूपद स्वामी आयोग ने भी यही कहा है कि बाल श्रमिकों का उन्मूलन किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जी को यह बात समझ में नहीं आती है। इन्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि 99 प्रतिशत बाल श्रमिक दलित परिवार से आते हैं इनकी रुचि इसमें कम है। यह सरकार दलितों की हितैषी होने का दावा करती है लेकिन बाल श्रमिकों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहती। अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इस पुस्तिका में कहा गया है कि इस प्रदेश में कुल मिलाकर 22 श्रमिक न्यायालय है और 7 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। गोरखपुर में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है, ताला लगाकर रखे गये हैं। दोनों एक ही विभाग द्वारा संचालित होते हैं अगर यह सरकार चाहती है और वस्तुतः इन न्यायालयों के प्रति ईमानदार होती 6 हजार मुकदमें अध्यक्ष महोदय लम्बित है तो यह सरकार श्रम न्यायालय को वहां स्थानान्तरित करती वहां पर पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करती और ऐसे पीठासीन अधिकारियों की जिनके दांत होते। क्योंकि डिस्प्यूट ऐक्ट यह कहता है कि ऐसे न्यायालयों में जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं वह तीन साल के अनुभव के डिस्ट्रिक्ट जज और ए0डी0जी0बी0 होते हैं। बिहार तक की सरकार तक में वर्किंग जजेज की नियुक्ति की जाती है और हमारी सरकार जानबूझकर सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति करती है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि श्रम न्यायालयों में औद्योगिक न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की यह जो प्रक्रिया है जिसमें आप जानबूझकर दंतविहीन अधिकारियों को भेजते हैं उसे बदलें गोरखपुर के श्रम न्यायालय और प्राधिकरण में आप अधिकारी भेजें। उसे स्थानान्तरित करें और इस प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन की घोषणा करें।

श्री बादशाह सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नये न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव चले गये हैं जल्दी किये जा रहे हैं। गोरखपुर के बारे में इन्होंने जो बताया है इनकी भावनाओं को गम्भीरता से लेते हुए मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह हमको लिखकर दे दें हम अपने स्तर से जो भी होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से कह रहा हूं कि यह सरकार बाल श्रम उन्मूलन योजना की घोषणा करे और कहे कि आगामी पांच साल में इस प्रदेश से बाल श्रमिक का समापन कर दिया जायेगा, मैं कटौती को वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,19,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण इस प्रकार है। पहली सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ में घाघरा नदी के किनारे ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ये वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में रामनगर स्थित पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के निवास को एक प्रेरणादायी स्मारक के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री राम सागर अकेला की जनपद बलरामपुर के ग्राम गालिबपुर की अधिग्रहीत भूमि पर लोक निर्माण विभाग का नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ की शाखा संग्रामगढ़ को ग्राम सभा संग्रामगढ़ की सीमा के अन्तर्गत रखे जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित सघन सहकारी समिति लिमिटेड, बल्लामजरा, कार्यालय में लाखों रुपये का घोटाला करने वाले पूर्व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील मिलक की भवरकी में सैजनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा कम बिजली उपभोग करने के बाद भी निर्धारित यूनिट के अनुसार विद्युत मूल्य लिये जाने में हो रही धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद के अयोध्या में अधूरी पड़ी सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा नगरपालिका परिषद् मथुरा द्वारा नगला पाइसा, माताश्रम टीला, घाटीबहाल राय, एवं सतघड़ा में जर्जर एवं टूटी पड़ी पानी की पाइप लाइनों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम स्थित हापुड़ रोड पर बन्द पड़े पशुवधशाला की जमीन को नगर निगम को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री मदन भैया की लखनऊ के उदयगंज रोड स्थित सरकारी प्राइमरी पाठशाला के बगल में स्थित कूड़ाघर एवं सुअर बाड़े को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सत्येन्द्र सोलंकी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,

श्री जगन प्रसाद गर्ग, महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, चौ0 धूराम लोधी, श्री कृपाशंकर सिंह, श्री सिबकतुल्ला अंसारी, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री उदयराज यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, श्री राधे श्याम जायसवाल, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री मिथलेश कुमार, श्री अशोक सिंह चन्देल, श्री इमरान मसूद, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, डा0 राजकुमार सिंह गौतम।

चौ0 सत्यपाल सिंह, मा0 अध्यक्ष महोदय, ग्राम्य विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने क्षेत्र खैर, अलीगढ़ के ग्रामीण विकास हेतु निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

1-भूजल स्तर को गिरने से रोकने हेतु पतवाया नाला परौली पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर चैक डैम बनाये जायें, जिससे पीने के पानी के गिरते जल स्तर को रोका जा सके। डैम बनाये जाने हेतु निम्न गांवों पर कार्यवाही कराई जाये :

बसेरा, नमालिया, बिजना, दमुओं, उसरह, रसूलपुर और खेड़ा किशन, बझेड़ा, करनपुर, सालपुर आदि।

2-पानी पीने के लिए ग्रामीण जनता मेरे क्षेत्र की बहुत परेशान है। खारे पानी की समस्या को दूर करने हेतु सरकार कार्यवाही करे। निम्न गांवों में खारे पानी की समस्या होने के कारण बहिन-बेटियों को 6-6 घण्टे लाइन में लगकर पानी भरने के लिये इन्तजार करना पड़ता है। अतः जड़तौली मादक, करनपुर, कल्याणपुर, पीडौरिया, सालमपुर, राघवगढ़ी आदि मेरे क्षेत्र के गांवों में सरकार सुस्वाद एवं मीठे पानी हेतु कोई योजना शीघ्र ही दें।

जनपद कुशीनगर स्थित नारायणी नदी के तट पर अवैध बालू खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री शम्भू चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है :

एक सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[कि विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया में नारायणी नदी के तट पर एशिया का सबसे बड़ा बाढ़ निरोधक टोकर (वीरभार) स्थित है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दिनों में इस क्षेत्र की जनता बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त रहती है। पिछले दिनों इसी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अवैध बालू खनन होने से इस क्षेत्र के बंधे तथा नहर के किनारे बसे ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में है, अवैध बालू खनन होने से किसानों की जमीन एवं फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। पूर्व में बालू खनन हेतु निर्धारित स्थानों पर बालू खनन न करके नये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थानों पर मनमाने ढंग से बालू खनन किये जाने से क्षेत्र की शान्ति तथा सुरक्षा खतरे में है। (उदाहरण स्वरूप खड्डा थानान्तर्गत-मदनपुर-भेड़िहारी-गैनही जंगल)। उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 41 के खण्ड (ङ) में यह प्राविधान है कि किसी जलाशय नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे-सार्वजनिक सड़कों और भवनों या निवसित स्थल से 50 मीटर की दूरी के भीतर खनन संक्रियायें प्रतिबन्धित रहेंगी। विषयगत संदर्भ में जिलाधिकारी कुशीनगर से प्राप्त आख्यानुसार जनपद कुशीनगर में नारायणी नदी पर बाढ़ निरोधक ठोकर वीरभार स्थित है। बाढ़ खण्ड कुशीनगर द्वारा इसका रख-रखाव किया जाता है। थाना खड्डा के अन्तर्गत मदनपुर, भेड़ीहारी व गैनही जंगल के बालू घाट क्षेत्र का पट्टा नियमानुसार स्वीकृत किया गया है जो बाढ़ निरोधक ठोकर से 2.00 किलो मीटर दूर है। बांध की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक सुरक्षा पट्टी को छोड़कर ही खनन क्षेत्र निर्धारित किया गया है। सुरक्षा पट्टी छोड़े जाने के फलस्वरूप खनन से न तो सिंचाई बांध को किसी खतरे की आशंका है और न ही खड्डा अन्तर्गत मदनपुर-भेड़िहारी-गैनही जंगल को ही खतरा होने की आशंका हैं बालू खनन संक्रियाओं से नहर के किनारे स्थित ग्राम के किसानों की जमीन व फसलें प्रभावित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त खनन क्षेत्र से बाहर अवैध खनन होता नहीं पाया गया हैं अवैध खनन न होने देने के प्रयोजन से प्रशासन द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। शासन कटिबद्ध है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न किया जाये और कृषकों के हित सुरक्षित व अप्रभावित रहें।]

जनपद वाराणसी स्थित गंगा नदी में राजघाट से रामनगर तक आरक्षित कछुआ सेन्चुरी क्षेत्र समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन एवं जन्तु राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री श्यामदेव राय चौधरी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि 'वाराणसी एक ....

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[.....धार्मिक नगरी है जहां विभिन्न धार्मिक कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु भी नाव द्वारा बीच गंगा में जाया जाता है और इन कार्यों के अतिरिक्त देशी-विदेशी पर्यटक भी गंगा विहार हेतु आते रहते हैं जिन पर गंगा तट पर बसे हुए मल्लाह समुदाय के लोगों की रोजी-रोटी निर्भर है। काशी वन्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जीव प्रभाग द्वारा एक आदेश के तहत गंगा में नावों द्वारा हर प्रकार की गतिविधि पर प्रवेश शुल्क लगा देने से हजारों गरीब मल्लाह समुदाय के लोगों में तथा काशी के आम जन मानस में भयंकर रोष व्याप्त है और पिछले दिनों उक्त आदेश का हर स्तर के लोगों द्वारा इसका जबरदस्त विरोध किया गया फलस्वरूप शासन द्वारा उक्त शुल्क सम्बन्धी आदेश को स्थगित किया गया है लेकिन मल्लाह समुदाय की मांग है कि (1) शुल्क सम्बन्धी उक्त आदेश को समाप्त किया जाय, (2) रामनगर से राजघाट तक के क्षेत्र में मछली मारने के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाय, (3) बालू खनन पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाय, (4) जल पुलिस में गोताखोरी हेतु मल्लाह समुदाय के लोगों को भर्ती किया जाय तथा मल्लाह समुदाय एवं उपजातियों को अनुसूचित वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाय। उक्त मांगों के सम्बन्ध में कई हजार नाविकों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के उपरान्त जिलाधिकारी के माध्यम से मांग-पत्र भी शासन को प्रेषित किया गया है। जिन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने व त्वरित निर्णय लिए जाने की जनहित में आवश्यकता है क्योंकि परम्परागत रूप से सभी मांग नाविक समुदाय के रोजी-रोटी तथा उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और उनका अधिकार भी बनता है।]

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि-

बिन्दु संख्या-1-काशी वन्यजीव प्रभाग के अन्तर्गत वाराणसी में गंगानदी में राजघाट से रामनगर तक आरक्षित कछुआ सेन्चुरी क्षेत्र में शुल्क सम्बन्धी आदेश को समाप्त किया जाना :-

शासनादेश संख्या-4170/14-3-62/89, दिनांक 21-12-89 से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र कछुआ वन्यजीव बिहार घोषित किया गया। राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव बिहारों में प्रवेश शुल्क की दरें पर्यटकों के लिए निर्धारित की गई है जो शासनादेश संख्या-1491/चौदह-4-2002-816/93, दिनांक 30-12-2002 से आच्छादित है। इसी क्रम में प्रमुख वन संरक्षक एवं (वन्यजीव) ने दिनांक 07-12-2007 को कछुआ वन्यजीव बिहार में बोट संचालन हेतु प्रवेश शुल्क लगाए जाने के निर्देश दिये। वाराणसी शहर के धार्मिक व पौरणिक मान्यता एवं महत्व के कारण इन घाटों व नदी पर भारी मात्रा में धार्मिक एवं देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनका उद्देश्य कछुआ बिहार का भ्रमण न होकर पूजा, प्राचीन/धार्मिक स्थलों के दर्शन एवं अध्यात्मिक कारण हैं तथा गंगा को एक आस्था के रूप में पूजते हैं। अन्य राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव बिहारों में पर्यटक इको-टूरिज्म/वन्यजीवों को देखने के उद्देश्य से आते हैं। जिनको नियंत्रित करने के लिये प्रवेश शुल्क एवं अन्य फीस देय होती है। अतएव वन्यजीव बिहार के उद्देश्यों एवं कछुआ वन्य जीव बिहार में आ रहे पर्यटकों के उद्देश्यों में भिन्नता होने के कारण कछुआ वन्य जीव बिहार में हस्तचालित वोटों के सम्बन्ध में प्रवेश शुल्क समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या-2-राम नगर से राजघाट तक के क्षेत्र में मारने के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाना।

बिन्दु संख्या-3-बालू खनन पर लगाए गए प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाना।

उपरोक्त क्षेत्र वन्य जीव बिहार होने के कारण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-29 के अन्तर्गत मछली मारना तथा बालू खनन आदि प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त रिट पिटीशन संख्या-2002/95 में दिनांक 14-2-2000 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि राष्ट्रीय पार्क व वन्यजीव बिहार से मृत, रोगी, मृतप्राय व हवा से गिरे वृक्ष बहती प्रकाष्ट

और घास आदि वन उत्पाद की निकासी निषिद्ध है। अतः उपरोक्त आलोक में इन प्रतिबन्धों को नियमानुकूल समाप्त नहीं किया जा सकता है।

बिन्दु संख्या-4, जल पुलिस में गोताखोरी हेतु मल्लाह समुदाय के लोगों को भर्ती किए जाने तथा मल्लाह समुदाय एव उपजातियों को अनुसूचित वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना।

उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मल्लाह समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शासकीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इस सुविधा का इस समाज के सदस्यों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है।

जल पुलिस में अलग से भर्ती की व्यवस्था नहीं है। पुलिस विभाग में जो भर्ती होती है उसी में जल पुलिस सम्मिलित है।]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार स्थित प्राइमरी स्वास्थ्य के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री आरिफ अनवर हाशमी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-2-2008 को दी गई सूचना निम्नवत् है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार स्थित प्रा0 स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही नहीं सरकारी उक्त अस्पताल में उपलब्ध करायी गयी आलमारियां, कुर्सी, मेज, मरीजों के गद्दे तौलिया आदि सामग्री को अपने आवासों पर उठा ले गये हैं। सरकार दवाइयां मरीजों को न देकर बाजार में बेच दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाला लाभांश प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कमीशन लेकर दिया जाता है और यहां तक कि उक्त योजना का दुरुपयोग फर्जी नामों को दर्शाकर किया जा रहा है। मरीजों के साथ भेदभाव किया जाता है। बिना फीस लिये उनका इलाज नहीं किया जाता है इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है।

2-प्रकरण की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर ने करायी गयी। जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-रेहरा बाजार, बलरामपुर पर तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं अन्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारियों द्वारा शासकीय धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में उठाया गया बिन्दु प्रमाणित नहीं हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आलमारियां, मेज, कुर्सी, गद्दे, तौलिया आदि को अपने आवासों पर उठा ले जाने के सम्बन्ध में की गयी जांच में यह पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर उपलब्ध है और आवश्यक फर्नीचर का अभाव नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि प्रभारी चिकित्साधिकारी के आवास पर बाहरी कमरे में एक मेज व तीन कुर्सियां पायी गयीं, जिसे सरकारी कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा था। चिकित्सालय बन्द होने के उपरान्त भी प्रभारी चिकित्साधिकारी के आवास पर भी जनप्रतिनिधिगण आया करते हैं जिन्हें यथोचित सम्मान देने के लिए एक-दो कुर्सियां रखवायी गयी थीं। चूंकि उक्त मेज एवं कुर्सियां अस्पताल की थीं, अतः उन्हें यथास्थान अस्पताल में रखवा दिया गया है। प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि भविष्य में किसी भी सरकारी सामान का प्रयोग आवासीय भवनों में न किया जाय। सरकारी दवाओं के बाजार में बेचे जाने की पुष्टि नहीं हुई। इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना की धनराशि में कमीशन लिये जाने के बिन्दु के सम्बन्ध में जांचोपरान्त यह पाया गया कि लाभार्थियों को धनराशि चेक द्वारा दी जाती है। स्थलीय परीक्षण में प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कमीशन लिये जाने की बात किसी लाभार्थी द्वारा स्वीकार नहीं की गयी है। इस प्रकार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली धनराशि में कमीशन लेने का बिन्दु तथा फर्जी नाम से धनराशि के आवंटन का बिन्दु प्रमाणित नहीं पाया गया। मरीजों के साथ भेदभाव एवं फीस लेकर इलाज किये जाने के बिन्दु पर भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुए।]

जनपद सीतापुर के जिला पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि विकलांगों के सर्वांगीण कल्याण एवं पुनर्वास हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश में सन् 1985 में 11 जनपदों में पुनर्वास केन्द्रों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थापना की गयी थी, जिसमें से एक केन्द्र जनपद-सीतापुर में विगत 22 वर्षों से कार्यरत है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-4-2006 से इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया गया तथा राज्य सरकारी से यह अपेक्षा की गयी कि यह इन केन्द्रों को अपने संसाधनों से संचालित करें। इसी के तहत मध्य सिविल अपील संख्या-7999/02 से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10-11-2006 को आदेश पारित किये कि इन केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों को अधिवर्षता आयु तक वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जायं। जिला सीतापुर में 29 कर्मचारी जिला पुनर्वास योजना के अन्तर्गत अभी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों द्वारा निर्बाध रूप से अपनी ड्यूटी राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे-पल्सपोलियो कार्यक्रम व निर्वाचन आदि में कार्य किया जा रहा है परन्तु इनके वेतन का भुगतान लगभग 22 माह से न मिल पाने के कारण कर्मचारी व उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। इनके परिवार को दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है तथा इनके बच्चों को शिक्षा-दीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की गयी है, जिस नियम-51 में स्वीकार करते हुए वक्तव्य हेतु निर्धारित किया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकलांगजनों के पुनर्वास के उद्देश्य से भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अन्य प्रदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी वर्ष 1985 तथा 1988 में क्रमशः सीतापुर तथा जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गयी थी। कर्मचारियों के वेतन आदि सहित शत-प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा उक्त पायलट प्रोजेक्ट दिनांक 01-04-2006 से बन्द कर दिया गया, साथ ही उक्त पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित जिला पुनर्वास केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने अथवा इन्हें बन्द किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की गयी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-4-2006 से इन जिला पुनर्वास केन्द्रों का वित्त पोषण बन्द कर दिये जाने के कारण इन केन्द्रों के कर्मचारियों का दिनांक 01-4-2006 (लगभग 22 माह) से वेतन भुगतान नहीं हुआ है।

प्रदेश में विकलांगजनों के पुनवार्सन के उद्देश्य से उक्त जिला पुनर्वास केन्द्रों को राज्य सरकार के वित्त पोषण से संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

जनपद मऊ स्थित हाहानाला बैरियाडीह के अधूरे पुल एवं रामपुर बेलौली के टूटे पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद मऊ में रामपुर बेलौली एवं गजियापुर मर्यादपुर मार्ग पर...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... बैरियाडीह के निकट हाहानाला सेतु के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

उक्त सेतुओं की स्थिति प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नवत् है :-

(1) रामपुर बेलौली सेतु

रामपुर बेलौली का टूटा पुल मोहम्मदाबाद-घोसी-मधुबन-बेल्थरा प्रमुख जिला मार्ग 94 के किमी0-52 में स्थित है। यह एक लघु सेतु है जो पूरी तरह से जर्जर हो जाने के कारण ध्वस्त हो गया है। इस पुल के बगल में डाइवर्जन बनाकर यातायात चालू किया गया है। उक्त सेतु के स्थान पर 2x6 मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(2) गजियापुर मर्यादपुर मार्ग पर बैरियाडीह के निकट हाहानाला सेतु

जनपद मऊ में स्थित उक्त सेतु का निर्माण आर0आई0डी0एफ0-4 योजना के अन्तर्गत दि0 31-3-1999 को 70.40 मी0 लम्बे एक लेन सेतु के लिए रु0 97.06 लाख की स्वीकृति निर्गत हुई थी। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष 58.40 मी0 लम्बा सेतु निर्माणाधीन है। वर्ष 1998-99 से 2007-08 तक इस सेतु के लिए प्राप्त कुल धनराशि 97.06 लाख है। सेतु की अद्यतन प्रगति 62 प्रतिशत एवं पहुंच मार्ग की अद्यतन प्रगति 65 प्रतिशत है।

सेतु आर0आई0डी0एफ0-4 योजना में नाबार्ड वित्त पोषित है। जिसके अधीन दो लेन चौड़े सेतु का निर्माण आवश्यक होता है। चूंकि सेतु की स्वीकृति एक लेन चौड़े सेतु की है। अतः निर्माण लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्माण की लागत पुनरीक्षित की गयी। सेतु की पुनरीक्षित लागत रु0 126.82 लाख है। सेतु के शेष भाग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गौरा बडहरी में थानाध्यक्ष द्वारा किसानों के पेड़ जबरन कटवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 स्थगित किया जाता है।

जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां स्थित मदरसा दारुल उमूल जियाउल इस्लाम में 26 जनवरी, 2008 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र विरोधी बयान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से प्राप्त ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... आख्या के अनुसार मदरसे के सचिव मुफ्ती वारिसुल कादरी निवासी कस्बा मौरावां द्वारा नौवी मुहर्रम के अवसर पर तकरीर में कहा गया था कि ताजियादारी में शिरकत करने वाले इस्लाम से खारिज समझे जायेंगे, ऐसा धार्मिक किताबों में है। इसी बीच कस्बा स्थित मदरसा दारुल उलूम जिलाउल इस्लाम के प्रिन्सिपल मो0 अयूब जो काफी वृद्ध हो गये हैं तथा वजीफा आदि रजिस्टरों का सही रख-रखाव नहीं कर पा रहे थे उन्हें दिनांक 22-01-08 को मदरसे से हटाकर उनके स्थान पर मौलवी मो0 वारिस को प्रिन्सिपल बना दिया गया था। प्रिन्सिपल के हटाये जाने के कारण स्थानीय पत्रकार असगर अब्बास रिजवी जो शिया समुदाय के हैं तथा जिन्हें ताजियेदारी के सम्बन्ध में वारिसुल कादरी का बयान नागवार गुजरा था द्वारा पूर्व प्रिन्सिपल से मिलकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर "सारे जहां से अच्छा हिन्दोंस्ता हमारा" गीत न गाये जाने की बात अखबारों में छपवायी गयी। वस्तुतः इस प्रकार की कोई घटना गणतंत्र दिवस का विरोध किया जाना प्रकाश में नहीं आया है। उक्त संदर्भित समाचार, समाचार-पत्रों में छपने से स्थानीय हिन्दू संगठनों द्वारा दिनांक 12-2-08 को विरोध प्रदर्शन किया गया था।]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री प्रमोद तिवारी मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ तहसील ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... लालगंज के अन्तर्गत मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है प्रकरण में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से जांच आख्या प्राप्त की गई। शासन से जनपद को मिट्टी का तेल जो आवंटन प्राप्त होता है उसे जलापूर्ति अधिकारी द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समानुपात में एक निश्चित मानक से जनपद की प्रत्येक तहसील के लिए आवंटित किया जाता है। तहसील से एक निश्चित मानक के उचित दर विक्रेताओं को मिट्टी तेल आवंटित किया जाता है। तद्नुसार ही तहसील लालगंज में विक्रेताओं को मिट्टी तेल आवंटित है। उचित दर दुकानों से ग्राम सभा के कार्डधारकों को नियमानुसार मात्रा और मूल्य पर ही मिट्टी तेल वितरण किया जाता है। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी एवं अन्य नामित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दुकानों की जांच हो जाती है। वर्तमान में हर माह दुकान पर स्टाक पहुंचने पर स्टाक का सत्यापन व निर्धारित रोस्टर के अनुसार दुकान स्तर पर नामित पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में लाभार्थियों को मिट्टी तेल आदि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इसके पश्चात् भी यदि किसी विक्रेता द्वारा अनियमितता की जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत तहसील लालगंज परिक्षेत्र में कुल 27 उचित दर दुकानें निलम्बित 03 दुकानें निरस्त की गई तथा विभिन्न विक्रेताओं से दण्ड स्वरूप रुपया 11750.00 की प्रतिभूमि जब्त की गई है। 03 विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस प्रकार तहसील लालगंज में उचित दर दुकानों से मिट्टी तेल व अन्य वस्तुओं के वितरण पर समुचित सतर्कता रखी जाती है। लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा और मूल्य पर वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।]

जनपद चन्दौली में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी के ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... कारण अन्य जनपदों की भांति जनपद चन्दौली में भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे, तहसील स्तरीय नगरों को प्रतिदिन 15 घण्टे तथा जनपद मुख्यालय चन्दौली में प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। निर्धारित घण्टों के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु विद्युत की उपलब्धता में और कमी होने के कारण प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत की आपात कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है। विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धता के आधार पर करायी जाती है। प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाये जाने के लगातार हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। जिससे निर्धारित घण्टों के अनुसार जनपद चन्दौली सहित प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आलू की फसल के नुकसान होने से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उद्यान मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... अविलम्बनीय लोक महत्व की ध्यानाकर्षण नोटिस में यह कहा गया है कि आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र आलू उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इस साल भयंकर पाले के कारण काफी जगह पर आलू की फसल में नुकसान हुआ जिसके कारण लघु व सीमान्त किसानों को आर्थिक रूप काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः सरकार से क्षति का आंकलन कर मुआवजे की मांग करते हुए इस विषय पर वक्तव्य की मांग की गई है।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। भारत के कुल आलू उत्पादन का लगभग 40-45 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। आगरा जनपद प्रदेश के प्रमुख आलू उत्पादक जनपदों में से एक है। प्रदेश में 2006-07 में 4.69 लाख हे0 क्षेत्रफल आलू के अन्तर्गत आच्छादित था, जिसमें आगरा जनपद में 37453 हे0 क्षेत्रफल आच्छादित था। इसी प्रकार प्रदेश के कुल उत्पादन 102.47 लाख मै0 टन में आगरा जनपद का योगदान 8.71 लाख मै0 टन का था। इस वर्ष 2007-08 में प्रदेश में आलू के अन्तर्गत 5.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के आच्छादन तथा 130.00 लाख मै0 टन आलू उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगरा जनपद में इस वर्ष आलू के अन्तर्गत 30000 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा 8.35 लाख मै0 टन आलू के उत्पादन का लक्ष्य है।

जनपद आगरा में इस वर्ष 2007-08 में आलू के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन तथा पाले के प्रभाव का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विवरण	आलू के अन्तर्गत आच्छादन हेक्टेयर		आलू उत्पादन लाख मै0 टन में		तुषार/पाले का प्रभाव	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति (संभावित)	लाक पर	उत्पादन पर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद आगरा	30000	34412	8.35	10.30	12-15%	8-12%
2	फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र	6560	5980	1.46	1.51	15-20%	9-13%

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद आगरा में खुदाई प्रारम्भिक अवस्था में है जिसके कारण वास्तविक क्षति का आंकलन नहीं किया जा सकता, आलू की पूर्ण खुदाई होने के उपरान्त ही वास्तविक क्षति का आगणन सम्भव है। जिलाधिकारी द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार शीतलहर/पाले से जिला आगरा में आलू की फसल को अधिकतम आलू लॉक पर 14 प्रतिशत असर देखा गया, परन्तु तहसील फतेहाबाद में आलू लॉक पर पाले का असर 12 प्रतिशत मात्र पाया गया, जिसके कारण आलू की फसल को जिले में अधिकतम 10 प्रतिशत एवं तहसील फतेहाबाद में अधिकतम 11 प्रतिशत उत्पादन पर नुकसान होने की सम्भावना है जबकि राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी0आई0-156/1-11-04-46/96 दिनांक 01-03-2005 के बिन्दु 3द, जो कि प्राकृतिक दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता से सम्बन्धित है, के अनुसार किसी फसल में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर ही मुआवजा/क्षतिपूर्ति देय होती है। अतः वर्तमान आंकलन के आधार पर तहसील फतेहाबाद में पाले से आलू की फसल को 50 प्रतिशत से कम सम्भावित क्षति होने के कारण कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति सम्प्रति देय नहीं होती है।]

राज्य संसाधन केन्द्र उत्तर प्रदेश साक्षरता निकेतन, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लम्बित वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... सूचना में उल्लेख किया गया है कि राज्य संसाधन केन्द्र, उ0 प्र0 साक्षरता निकेतन, लखनऊ में कार्यरत तीन विभागाध्यक्षों (डा0 एस0सी0 उपाध्याय, श्री वी0के0 मिश्र व डा0 एन0के0 श्रीवास्तव) का माह जनवरी, 2007 तथा श्रीमती रमन सूद, लिपिक का माह अगस्त, 2007 से अकारण वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। लगभग 14 माह से वेतन से वंचित यह अधिकारी गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अपने 07 आवेदन पत्रों/अनुस्मारक के माध्यम से वेतन भुगतान की मांग मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन/रिसीवर, इंडिया लिटरेसी बोर्ड, लखनऊ से ये कार्यकर्ता कर चुके हैं। मुख्य सचिव के स्तर से कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की जा सकी है। वेतन के अभाव में इन अधिकारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर हैं तथा बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। स्थिति बड़ी ही संवेदनशील है। अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय सुनिश्चित प्रकरण पर वेतन का अविलम्ब भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य संसाधन केन्द्र एक रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्था है। जिसके कर्मियों के वेतन भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है। संस्था अपने कर्मियों हेतु वित्तीय व्यवस्था स्वयं करती है। संस्थान के निदेशक से प्राप्त आख्यानुसार राज्य संसाधन केन्द्र, उ0 प्र0 साक्षरता निकेतन के समन्वयक, डा0 एस0सी0 उपाध्याय, श्री वी0के0 मिश्रा व डा0 एन0के0 श्रीवास्तव विगत सितम्बर, 2006 से राज्य संसाधन केन्द्र का कोई कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तथा कार्यालय आदेशों एवं निर्देशों का निरन्तर उल्लंघन करते आ रहे हैं तथा कार्य निर्देशित करने पर वर्तमान निदेशक को यह कहकर अवज्ञा करते हैं कि हम आपको निदेशक नहीं मानते हैं। राज्य संसाधन केन्द्र एक स्वैच्छिक संस्थान है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। प्रतिवर्ष संस्था को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। अतः उपरिलिखित तीनों समन्वयकों द्वारा कार्य न करने के कारण नियमानुसार वेतन भुगतान स्थगित किया गया है।

डा0 एन0के0 श्रीवास्तव व अन्य बनाम राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ व अन्य द्वारा एक रिट याचिका संख्या-682 (एस0बी0)/07 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में दिनांक 08-06-2007 को दाखिल की गयी।

उक्त याचिका के आदेश के क्रम में डा0 एन0के0 श्रीवास्तव व अन्य के प्रार्थना-पत्र को दिनांक 17-11-2007 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन/रिसीवर, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा अपना कार्य न करने तथा अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर उपरोक्त को वेतन भुगतान नहीं किये जाने के औचित्य को उचित बताते हुए याचियों के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जा चुका है।

तदोपरान्त डा0 एन0के0 श्रीवास्तव एवं अन्य द्वारा रिसीवर इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 17-11-2007 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में एक और याचिका संख्या-1484 (एस0बी0)/2007 दाखिल किया है जो अभी मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

संस्थान में श्रीमती रमन सूद, लिपिक हैं। श्रीमती सूद का स्थानान्तरण करने हेतु दिनांक 25 जून, 2007 को आयोजित राज्य संसाधन केन्द्र की प्रबन्ध निकाय की बैठक में नियुक्ताधिकारी/निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र को अधिकृत किया गया था। श्रीमती सूद का स्थानान्तरण दिनांक 24 अगस्त, 2007 को प्रशिक्षण विभाग से जनसंख्या एवं विकास शिक्षा, विभाग में किया गया था। लगातार आदेशों का उल्लंघन करने, अपने पद व संस्था के दायित्वों का निर्वहन न करने व कार्यालय समय में कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण नियमानुसार इनका वेतन भुगतान स्थगित किया गया है।]

जनपद गोण्डा में जिला पंचायत द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना ;र पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 को स्थगित किया जाता है।

इलाहाबाद शहर की मलिन बस्तियों में मा0 काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट, दारागंज, नयापुरा, मेंहदौरी...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[..... रसूलाबाद, स्वरोजनगर आदि मुहल्ले में पूर्व से विद्युतीकरण है तथा यहां विद्युत संयोजन मांगने वाले सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराकर विद्युत संयोजन दिया जा रहा है।

इलाहाबाद महानगर में मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने हेतु प्रथम चरण में 4 वार्डों-सुलेमसराय (वार्ड नं0-1), जयन्तीपुर (वार्ड नं0-3), मुट्ठीगंज (वार्ड नं0-68) एवं कटरा (वार्ड नं0-43) का चयन किया गया है। इन वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने हेतु रु0 154 लाख की योजना बना ली गई है तथा सुलेमसराय वार्ड में कार्य आरम्भ करा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विद्युत लाइनों का निर्माण ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाना है तथा स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जायेगा। इस योजना के अधीन निःशुल्क विद्युतीकरण अथवा निःशुल्क संयोजन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन होने, बिल जमा करने के बाद भी जेल भेजने एवं विद्युत बकाये की आर0सी0 जारी करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री जगन्नाथ पुत्र श्री मैकू लाल, निवासी सब्जी मण्डी, दारागंज, इलाहाबाद के यहां विद्युत विभाग द्वारा चोरी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 5 जून, 2007 को एल0टी0 लाइन से कटिया लगाकर विद्युत चोरी करते हुये पाया गया। इनके यहां पान एवं बरतन की दुकान में वाणिज्यिक विद्युत उपभोग पाया गया। मौके पर शमन शुल्क न जमा करने के कारण इनके विरुद्ध थाना दारागंज में दिनांक 5 जून, 2007 को प्राथमिकी संख्या-59/2007 दर्ज कराई गई। उपभोक्ता के विरुद्ध राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22-7-2007 को नोटिस भेजी गई। तत्पश्चात् धारा-3 एवं उसके बाद रु0 21444.00 की वसूली हेतु दिनांक 05-11-2007 को धारा-5 की नोटिस भेजी गयी जिसकी वसूली अभी भी लम्बित है।

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बजरंगी पुत्र श्री कालीदीन, निवासी बैहराना, इलाहाबाद के यहां संयोजन संख्या आर0बी0/0802/029033 पर रु0 32086.00 का बकाया था जिसके लिये उनका संयोजन 3/07 में काट दिया गया था तथा दिनांक 20-3-2007 को धारा 3 की नोटिस भेजी गई थी। दिनांक 6-6-2007 को श्री रामजी श्रीवास्तव सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर यह संयोजन चलता हुआ पाया गया तथा श्री बजरंगी कटिया डालकर विद्युत का उपयोग करते हुये पाये गये। उनके विरुद्ध थाना कीटगंज में 6-6-2007 को एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई थी।

इलाहाबाद नगर निगम के चयनित वार्डों में स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु मानक के अनुरूप कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विद्युत चोरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने तथा विद्युत देयों के बकाये की वसूली हेतु आर0सी0 निर्गत किये जाने का कार्य सामान्य रूप से सभी स्थानों पर किया गया है।]

जनपद उन्नाव के विकास हेतु शासन से स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23 को स्थगित किया जाता है।

दस्यु प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा राजनैतिक विद्वेष से निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह चन्देल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट से प्राप्त आख्या के अनुसार थाना ...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[मानिकपुर जनपद-चित्रकूट के पूर्व प्रधान श्री श्याम बिहारी यादव के चचेरे भाई स्व0 प्रकाश यादव की हत्या, आपसी रंजिश के कारण कस्बा मानिकपुर में वर्ष 2003 को हो गई थी, जिसके सम्बन्ध में वादी श्री धनराज सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद द्वारा दिनांक 7-01-03 को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-01/03 धारा 302/34 भा0दं0वि0 बनाम मदन गोपाल पंजीकृत किया गया। वाद विवेचना आरोप पत्र दिनांक 17-01-03 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। इसी प्रकार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री श्याम बिहारी उपरोक्त के एक अन्य चचेरे भाई गजराज पुत्र लक्ष्मी प्रसाद यादव की मृत्यु के सम्बन्ध में पाया गया कि दिनांक 27-2-05 को ग्राम रानीपुर मौजा जिगनवाह के मरवरिया जंगल में गजराज यादव पुत्र लक्ष्मी प्रसाद यादव के ऊपर भालू (रीछ) द्वारा हमला कर घायल कर दिया गया था जिसके कारण गजराज यादव की मृत्यु हुई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 12-01-08 को श्याम बिहारी यादव, निवासी-रानीपुर, थाना-मानिकपुर जनपद-चित्रकूट को मरवारिया पहाड़ी के पास रानीपुर गिदुरहा जाने वाले जंगली रास्ते में थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा मय हमराही कर्मचारीगण के दस्यु राधे गैंग को दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं खाद्य सामग्री आदि पहुंचाने हेतु जाते समय गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12-01-08 को मु0अ0सं0-29/08 धारा 216ए भा0दं0वि0/14 डीईए एक्ट बनाम श्याम बिहारी यादव पुत्र राम लखन यादव निवासी रानीपुर, थाना-मानिकपुर पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग थानाध्यक्ष मानिकपुर, चित्रकूट द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर पंजीकृत किया गया था। जिसकी वाद विवेचना आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र संख्या-3 दिनांक 22-01-08 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्याम बिहारी यादव उपरोक्त द्वारा दस्यु राधे गैंग को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर के रो0 आम की र0सं0-19 समय 17.00 बजे दिनांक 23-9-07 एवं र0सं0-24 समय 20.30 बजे दिनांक 7-10-07 को बीट सूचना भी अंकित करायी गई है। श्याम बिहारी यादव उपरोक्त के शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण हेतु थाना मानिकपुर से आख्या प्रेषित किया जाना तथा थाना मानिकपुर की गोपनीय पुस्तिका में दस्युदलों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में शरणदाता का उल्लेख किया जाना अभिलेखानुसार नहीं पाया गया है। अन्य अंकित आरोपों/तथ्यों की पुष्टि जांच से नहीं हो सकी है।]

जनपद संतकबीर नगर को घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु बनाये गये बांध के लिये अधिगृहीत की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 को स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 25 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के 1ले सोमवार के लिए श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-70 के उत्तर का संलग्नक

दिनांक 1-7-07 से 31-12-07 तक आबन्धित किये गये-

(1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ए0जी0ए0 (अपर शासकीय अधिवक्ता)

क्र0सं0	आबन्धित विधि अधिकारी का नाम	पद नाम	पंजीकरण संख्या
1	श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता-1	यू0पी0 125/81
2	श्री सुरेन्द्र तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-1	कार्यभार ग्रहण नहीं किया
3	श्री इन्द्रपाल सिंह राजपूत	अपर शासकीय अधिवक्ता-1	यू0पी0-396/98
4	श्री महेन्द्र बहादुर सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-1	यू0पी0-906/88
5	श्री नीरज कान्त वर्मा	अपर शासकीय अधिवक्ता-I	यू0पी0-1051/80
6	श्री हरी शंकर सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-331/90
7	श्री हरी शंकर	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2287/82
8	श्री शिव बदन	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-7180/92
9	श्री प्रशान्त मिश्रा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2593/99
10	श्री कृष्णकान्त दीक्षित	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2066/2000
11	श्री अरूण कुमार शुक्ला	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2963/85
12	श्रीमती राज लक्ष्मी सिन्हा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1802/98
13	श्री गौरव कुमार श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5141/89
14	श्री राम अवध मिश्रा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-254/82
15	श्री रघुराज किशोर मिश्रा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4220/84
16	श्री सत्य प्रकाश मिश्रा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5956/90
17	श्री राम मिलन द्विवेदी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2033/94
18	श्री रवि शंकर तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3950/87
19	श्रीमती पशाली सोलंकी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5435/95
20	श्रीमती समशीदा त्यागी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-18705/99
21	श्री रोशन खान	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3349/99
22	श्री विकास सहाय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-7658/95

क्र0सं0	आबन्धित विधि अधिकारी का नाम	पद नाम	पंजीकरण संख्या
23	श्री रजनीश कुमार पाण्डेय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3406/99
24	श्री कमलेश कुमार तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2760/98
25	श्री प्रदीप कुमार	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4183/98
26	श्री इन्द्र मोहन सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3437/99
27	श्री दिलीप कुमार तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2018/86
28	कुँवर कुलदीप सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-376/79
29	श्री विवेक श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4292/89
30	श्री बृज गोपाल सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2291/87
31	श्री विष्णुकान्त मालवीय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-349/78
32	श्री आन्नद विजय श्रीवास्ताव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-482/75
33	श्री कुलदीप जौहरी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3180/96
34	श्रीमती मृदुला त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-546/94
35	श्री सुनील कुमार वर्मा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-118/2000
36	श्री अजय विक्रम सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-18216/99
37	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-640/90
38	श्री प्रेम शंकर दुबे	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1038/95
39	श्री जय कृष्ण उपाध्याय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-9125/2000
40	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-55/94
41	श्री तबरेज अहमद	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-7806/95
42	श्रीमती सुनीता जैन	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4740/90
43	श्री राम नरेश सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5895/90
44	श्री राम कुमार मालवीय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2925/99
45	श्री नन्द लाल मौर्या	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-10213/2000
46	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2463/81
47	श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4702/90
48	श्री बृज गोपाल सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2291/87
49	श्री अरूण कुमार	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-18526/99
50	श्री अवधेश सक्सेना	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5043/85

क्र0सं0	आबन्धित विधि अधिकारी का नाम	पद नाम	पंजीकरण संख्या
51	श्री शैलेन्द्र कुमार पाठक	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3023/89
52	श्री संजय कुमार सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3029/99
53	श्री ऋषि चड्ढा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1297/99
54	श्री फहीम अहमद	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-381/93
55	श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1524/81
56	श्री रशिम जैयसवाल	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-996/99
57	श्री जिया खुर्शीद हसन	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2930/79
58	श्री शाकिब मीजान	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-8407/2000
59	श्री शमशुद्दीन	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-966/91
60	श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1275/92
61	श्रीमती माया बाजपेई	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-808/91
62	श्री कृपा शंकर यादव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3735/85
63	श्री विनोद कान्त	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	कार्यभार ग्रहण नहीं किया
64	श्री रमेश राय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-43/84
65	श्री आनन्द प्रकाश पाण्डेय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3719/87
66	श्री प्रमोद कुमार केसरवानी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1835/2000
67	श्री निखिल चतुर्वेदी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-129/2000
68	श्री राम जी गुप्ता	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-210/92
69	श्री ओम नारायण त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-418/99
70	श्री अरविन्द त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2710/99
71	श्री विनोद कान्त श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3216/76
72	श्री सैय्यद अली शौकत आब्दी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4287/91
73	श्री सत्य कान्त दुबे	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1796/2000
74	श्री अजय कुमार जैन	अपर शासकीय अधिवक्ता-I	यू0पी0-1725/79
75	श्री रामाज्ञा शुक्ला	अपर शासकीय अधिवक्ता-I	यू0पी0-4300/87
76	श्री महेन्द्र सिंह यादव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1194/88
77	श्री अरूणेन्द्र कुमार सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2450/92

क्र0सं0	आबन्धित विधि अधिकारी का नाम	पद नाम	पंजीकरण संख्या
78	श्री एस0एम0 अयाज अली	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-9774/2000
79	श्री रामा शंकर यादव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-6652/95
80	श्री इजरायल सिद्दीकी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3658/80
81	श्री वैभव प्रकाश त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5190/92
82	श्री विजय नाथ प्रसाद	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3795/93
83	श्री नगेन्द्र नरायण सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2954/89
84	श्री विजय कुमार त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4692/90
85	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-7238/92
86	श्री रविन्द्र प्रसाद	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5416/95
87	श्री इन्द्र देव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2625/98
88	श्री जगदीश चन्द्र	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2161/91
89	श्रीमती सुशीला चौधरी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3168/89
90	श्री विजय शंकर चौरसिया	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2639/80
91	श्री राम पाल सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3356/85
92	श्री विजय कुमार सोनकर	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2792/83
93	श्री महेन्द्र कौशिक	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2658/80
94	श्री शीतला प्रसाद दुबे	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2494/99
95	श्री श्रीनारायण मिश्रा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-5131/95
96	श्री शरदेन्दु शेखर शुक्ला	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3786/86
97	श्री मेराजुद्दीन	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2798/87
98	श्री प्रेम कुमार भारतीय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3146/99
99	श्री दानिश इकबाल फरीदी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-7158/95
100	श्री मनोज कुमार द्विवेदी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-12253/2000
101	श्री नन्द लाल सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-7559/99
102	श्री पंकज श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-13185/99
103	श्री अमरेश कान्त द्विवेदी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-2571/99
104	श्री अशोक कुमार तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-3103/84
105	श्री अशोक कुमार सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1319/76

क्र0सं0	आबन्धित विधि अधिकारी का नाम	पद नाम	पंजीकरण संख्या
106	श्री राजेश यादव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-11614/2000
107	श्री विनोद कुमार मिश्रा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1311/85
108	श्री इन्द्रपाल सिंह मलिक	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-4856/82
109	श्री जितेन्द्र कुमार	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1242/92
110	श्री शशि कुमार	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-914/88
111	श्री राना महेन्द्र जंग बहादुर	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-960/91
112	श्री सैय्यद अली हैदर रिजवी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-43/77
113	श्री ओम प्रकाश	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-1024/95
114	कुं0 अंजुम हक	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-729/98
115	श्री राजीव तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II	यू0पी0-844/98

(2) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में ए0जी0ए0 (अपर शासकीय अधिवक्ता)

1	श्री राकेश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री बाल मुकुन्द तिवारी	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-1 (एजीए-1)	6980/94
2	श्री हरीश चन्द पुत्र श्री नानक प्रसाद	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-1 (एजीए-1)	1320/84
3	श्री आर0पी0शुक्ला पुत्र श्री पी0पी0 शुक्ला	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-1 (एजीए-1)	1991/88
4	श्री मयंक मिश्रा पुत्र स्व0 महेश चन्द्र मिश्रा	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-1 (एजीए-1)	4586/88
5	श्री इजहार हुसैन पुत्र श्री तफज्जुल हुसैन	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	1369/89
6	श्री युवराज सिंह राठौर पुत्र स्व0 टी0एन0एस0 राठौर	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	3173/85
7	श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र डा0 बी0डी0 सिंह	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	2332/2000
8	श्री एस0एम0काशिफ पुत्र स्व0 सैय्यद अब्दुल मुजीब	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	3081/2000
9	श्री राकेश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद उपाध्याय	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	3872/96

10	श्रीमती दुर्गेश नंदिनी पत्नी श्री उदय प्रताप	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	17443/99
11	श्री सैय्यद अहसन मेंहदी जैदी पुत्र स्व0 एस0 हुसैन जैदी	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	1412/90
12	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र श्री आर0एम0द्विवेदी	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	791/92
13	श्री विष्णु कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री दिनेश चन्द	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	2632/93
14	कुमारी नन्द प्रभा शुक्ला	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए) (वाद धारक से)	2493/99
15	श्री तेज सिंह पुत्र स्व0 मंगल प्रसाद सिंह	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	3601/95
16	श्री वीरेन्द्र मोहन पुत्र स्व0 राज किशोर श्रीवास्तव	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	3530/80
17	श्री अमर सिंह पुत्र श्री श्रीदत्त सिंह	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	9[illegible]1/99
18	श्री रमेश चन्द बिन्द पुत्र श्री भोला नाथ बिन्द	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	4842/94
19	श्री मो0 सईद पुत्र श्री अब्दुल्ला	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	998/82
20	श्री आनन्द अवस्थी पुत्र श्री वी0एन0 अवस्थी	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	9036/04 इनकी आवद्धता समाप्त कर दी गयी है।
21	श्री जय राम पुत्र श्री चेत राम	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	2261/93
22	श्री हरी राम उर्फ श्री हरी प्रकाश यादव पुत्र श्री उदय राज यादव	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	3932/95
23	श्री आलोक सिंह पुत्र स्व0 विनोद भास्कर सिंह	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	4662/95
24	श्री राजेश कुमार पाठक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (एजीए)	901/96
25	श्री राहुल दुबे	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता	1662/89

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(3) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्टैण्डिग काउसिंल (स्थायी अधिवक्ता)

1	श्री विमलेश कुमार राय	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2642/91
2	श्री धीरेन्द्र सिंह राजपूत	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2405/96
3	श्री दशरथ राम	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3170/87
4	श्री तीरथ राज शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-583/87
5	श्री शिव प्रकाश	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-220/88
6	श्री शैलेन्द्र नाथ त्रिपाठी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2941/82
7	श्री अशोक मालवीय	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2065/93
8	श्री अर्जीत कुमार शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2901/85
9	श्री जगत नरायण मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-731/85
10	श्री शेखर कुमार	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3406/90
11	श्री देवी प्रसाद मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-495/94
12	श्री गम्भीर मणि त्रिपाठी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5074/82
13	श्री ओंकार दत्त मालवीय	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-7836/95
14	श्री अवधू राम	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3572/84
15	श्री राजेश कुमार सोनकर	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2281/80
16	श्री पंकज सक्सेना	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-620/96
17	श्री हंसराज विष्ट	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3564/96
18	श्री प्रवीण मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1320/89
19	श्री सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1282/80
20	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-33/82
21	श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3357/89
22	श्री राजेश मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1622/89
23	श्री राजेश त्रिपाठी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3136/94
24	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-4176/86
25	श्री हबीब अहमद	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5192/91
26	कु0 चित्रा दीक्षित	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5387/92
27	श्री अजय चन्देल	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-600/85
28	श्री अखिलेश मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-7761/94

29	श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर राय	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1836/94
30	श्री शचिकान्त मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-7373/94
31	श्री सचिन्द उपाध्याय	स्थायी अधिवक्ता	बिहार-907/95
32	श्री राजेश शंकर श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2583/94
33	श्री आनन्द कुमार सिन्हा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1584/80
34	श्री सैय्यद अतीक अहमद	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1794/88
35	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-921/76
36	श्री संदीप मुखर्जी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2873/87
37	श्री आर0एन0 शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1106/78
38	श्री विजन राठौर	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-892/91
39	श्री अब्दुल शाहिद	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-158/92
40	श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5098/87
41	श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-801/72
42	श्री कैलाश सिंह कुशवाहा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-213/80
43	श्री बाल कृष्ण	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3804/90
44	श्री एच0एम0बी0 सिन्हा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2665/91
45	श्री विद्या विलास मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-394/80
46	श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5006/84
47	श्री जफर मोनिस	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3480/82
48	श्री कृष्णराज सिंह	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2230/82
49	श्री रविन्द्र नाथ ओझा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2187/80
50	श्री मृदुल चन्द्र द्विवेदी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-67/85
51	श्री छोटे लाल	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3761/84
52	श्री सुदामा राम	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5592/89
53	श्री छोटे लाल चौधरी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-745/97
54	श्री आर0 पी0 मौर्या	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1951/87
55	श्री अनिल कुमार	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-4309/90
56	श्री बृज लाल प्रजापति	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-41266/84
57	श्री इंद्रमणि कुशवाहा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5013/84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

58	श्री मैकूलाल मौर्या	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1731/80
59	श्री हर विलास श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-165/79
60	श्री महेश नरायन मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-4715/90
61	श्री अमिताब	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-2348/94
62	श्री मनोज कुमार मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5514/95
63	प्रभा कुमारी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3508/93
64	श्री नरेन्द्र प्रसाद शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-6307/92
65	श्रीमती रीता शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1862/95
66	श्री शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-4332/86
67	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-680/94
68	श्री रमेन्द्र प्रताप सिंह	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-484/94
69	श्री उदय शंकर मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3244/86
70	श्री रत्नेश मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3741/91
71	श्री अमर बहादुर मौर्य	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-5298/92
72	श्री आनन्द कुमार राय	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-3370/76
73	श्री एस0 पी0 एस0 निरंजन	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1550/85
74	श्री गिरजा सरन सिंह	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-1865/81

(4) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ में स्टैण्डिग काउसिंल (स्थायी अधिवक्ता)

1	श्री अजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	स्थायी अधिवक्ता	कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।
2	श्री प्रहलाद मौर्य	स्थायी अधिवक्ता	यू0पी0-4487/87

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0-93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-93 का संलग्नक-"क"

क्र0सं0	कारागार का नाम	बंदी/पिता का नाम	मृत्यु का दिनांक	पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण
1	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी रामनरेश पुत्र श्री गजोधर	10-06-05	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों फेफड़ों में क्रानिक लंग्स डिसीज एवं दाहिने साइड (अंग) में फालिस व मस्तिष्क में खून का थक्का जमना।
2	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी विष्णु नरायन पुत्र श्री राजमनी	14-06-05	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियों के कारण शॉक व दोनों फेफड़ों में क्रानिक डिसीज।
3	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी मेहताब पुत्र श्री मोहिउद्दीन	20-06-05	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियों शॉक व दोनों फेफड़ों में इन्फेक्सन एवं मवाद का जमा होना।
4	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी राजू उर्फ राजीव कुमार मिश्र पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद मिश्र	21-06-05	बंदी की मृत्यु कारण सेप्टीसीमियों शॉक व दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन व मवाद का जमा होना।
5	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी नीलू पासी पुत्र श्री कैलाश पासी	20-08-05	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियों।
6	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी संगम लाल पुत्र श्री माता शरन शुक्ला	26-08-05	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियों तथा दोनों फेफड़ों में क्रानिक डिसीज।
7	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदिनी श्रीमती बेबी तिवारी	18-09-05	बंदिनी की मृत्यु का कारण लीवर के फट जाने के कारण शॉक एण्ड हैमरेज

क्र0सं0	कारागार का नाम	बंदी/पिता का नाम	मृत्यु का दिनांक	पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण
8	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी राममूरत उर्फ बलई पुत्र श्री रामखेलावन	31-10-05	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों फेफड़ों में क्रानिक डिसीज के कारण सेप्टीसीमियाँ।
9	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी रामपाल पुत्र श्री रहिमाल	30-11-05	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों फेफड़ो में क्रानिक डिसीज के कारण सेप्टीसीमियाँ।
10	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी नत्थू पुत्र श्री भगवानदीन	19-12-05	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों फेफड़ो में क्रानिक डिसीज के कारण सेप्टीसीमियाँ।
11	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी शिवकरन सिंह पुत्र श्री कुँवर सिंह	26-12-05	बंदी की मृत्यु का कारण हृदय एवं फेफड़ों का फेल हो जाना व लीवर फेल हो जाने पर हिपेटिक कोमा व एक्यूट हिपेटाइटिस।
12	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी रामजीवन पुत्र श्री शिवनाथ	14-02-06	बंदी मृत्यु के कारण दोनों फेफड़ों में क्रानिक डिसीज के कारण सेप्टीसीमियाँ।
13	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी सियाराम पुत्र श्री भैयालाल	26-02-06	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों फेफड़ों में क्रानिक डिसीज के कारण सेप्टीसीमियाँ।
14	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी सईद अहमद पुत्र श्री अब्दुल समद	30-03-06	बंदी की मृत्यु का कारण दाहिने फेफड़ों में मवाद की वजह से सेप्टीसीमियाँ।
15	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी लेदई पुत्र श्री कालू	31-03-06	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों गुर्दा फेल होने के कारण सेप्टीसीमियाँ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-93 का संलग्नक-"ख"

क्र0सं0	कारागार का नाम	बंदी/पिता का नाम	मृत्यु का दिनांक	पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण
1	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी शर्माम उर्फ कालिया पुत्र श्री मुर्तजा	01-09-06	बंदी की मृत्यु का कारण अज्ञात है, इसलिये विसरा संरक्षित किया गया है।
2	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी इन्द्रेश पुत्र श्री शिवबाबू	14-09-06	बंदी की मृत्यु का कारण क्रानिक लंग्स डिसीज एवं टी0बी0 व सेकेन्ड्री सेप्टिक इन्फेक्शन।
3	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी अरूण कुमार मिश्र पुत्र श्री कमलेश	23-09-06	बंदी की मृत्यु का कारण हृदय एवं फेफड़ों का फेल हो जाना एवं दोनों फेफड़ों में एक्सटेन्सिव टी0बी0 की शिकायत।
4	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी बच्चा पासी पुत्र श्री चण्डी लाल	05-11-06	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण सेप्टीसीमियों शॉक।
5	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी लाल सिंह पुत्र श्री राम पाल सिंह	30-11-06	बंदी की मृत्यु का कारण अज्ञात है इसलिये विसरा संरक्षित किया गया है।
6	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी शिवराज सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह	05-01-07	बंदी की मृत्यु का कारण दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण सेप्टीसीमियों।
7	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी नसीर पुत्र श्री मुन्नू	13-01-07	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियों के शॉक।
8	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी रामेश्वर उर्फ लल्लू पुत्र श्री बैजनाथ	02-02-07	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियों।

क्र0सं0	कारागार का नाम	बंदी/पिता का नाम	मृत्यु का दिनांक	पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण
9	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी लल्लन पुत्र श्री मोहन पासी	06-03-07	बंदी की मृत्यु का कारण पेट में गम्भीर बीमारी के कारण ड्यूयोडिनल परफोरसन व पेरिटोनाइटिस से सेप्टीसीमियॉ।
10	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी अनिल हरिजन पुत्र श्री कल्लू हरिजन	27-04-07	बंदी की मृत्यु का कारण अज्ञात है विसरा संरक्षित 1 डी/टी हिपैटिक डिसीज।
11	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी फूलचन्द पुत्र श्री शिवराज	18-05-07	बंदी की मृत्यु का कारण फेफड़ों में फाइब्रोकैविटी डिसीज व मैनिनजाइटिस व एक्सटेन्सिव टी0बी0 के कारण सेप्टीसीमियॉ शॉक।
12	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी अर्जुन यादव पुत्र श्री वृन्दावन यादव	20-05-07	बंदी की मृत्यु का कारण अज्ञात विसरा संरक्षित।
13	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी पप्पू गुप्ता पुत्र श्री सीताराम	02-06-07	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियॉ।
14	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी बजरंगी पुत्र श्री कालीदीन	13-06-07	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियॉ।
15	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी माताबदल उर्फ मतलुवा पुत्र श्री मोतीलाल	01-07-07	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियॉ।
16	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी वृतन्ती पुत्र श्री हंसराज	10-07-07	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियॉ।
17	केन्द्रीय कारागार नैनी	विचाराधीन बंदी सतीश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र	10-09-07	बंदी की मृत्यु का कारण डाइबिटिक इन्फेक्शन पैर में घाव व अल्सर की वजह से सेप्टीसीमियॉ शॉक।

क्र0सं0	कारागार का नाम	बंदी/पिता का नाम	मृत्यु का दिनांक	पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण
		श्री भगवत प्रसाद		
18	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी ओमप्रकाश पुत्र श्री जयराम	01-10-07	बंदी की मृत्यु का कारण हृदय व फेफड़ों में गम्भीर बीमारी के कारण सेप्टीसीमियों शॉक।
19	केन्द्रीय कारागार नैनी	सिद्धदोष बंदी गिरिजा पुत्र श्री कालू	25-10-07	बंदी की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमियों।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0प्र0सं0-100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री राम बिशुन आजाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-100 का संलग्नक

विधान सभा क्षेत्र-मनकापुर, जनपद-गोण्डा में वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02 व 2002-03 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों की सूचीः--

वर्ष 1999-2000 हेतु चयनित

क्र0सं0	विकास खण्ड	डा0 अम्बेडकर ग्राम
1	वजीरगंज	वजीरगंज
2	छपिया	खालेगांव
3	मनकापुर	उपाध्यायपुर ग्रन्ट
4	छपिया	महराजगंज
5	मनकापुर	हरनाटायर
6	वजीरगंज	कोठा
7	वजीरगंज	चढ़ौवा
8	मनकापुर	हडहवा
9	वजीरगंज	बेलिया
10	वजीरगंज	उदयपुर ग्रन्ट

वर्ष 2000-01 हेतु चयनित

वर्ष 2000-01 में पूर्व में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में बैकलाग को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया और इस वर्ष में कोई नया ग्राम चयनित नहीं हुआ।

वर्ष 2001-02

क्र0सं0	विकास खण्ड	डा0 अम्बेडकर ग्राम
1	मनकापुर	पेरी पोखर
2	छपिया	लक्ष्मीनगर ग्रन्ट
3	छपिया	सिसई रानीपुर
4	मनकापुर	वल्लीपुर
5	छपिया	गायघाट

वर्ष 2002-03 हेतु चयनित

क्र0सं0	विकास खण्ड	डा0 अम्बेडकर ग्राम
1	मनकापुर	जैदवा
2	छपिया	महतिनया
3	छपिया	फूलपुर
4	छपिया	बिछियाटाड
5	नवाबगंज	जटमलपुर
6	नवाबगंज	गौरिया
7	मनकापुर	ककरघटा
8	मनकापुर	जगन्नाथपुर
9	मनकापुर	विरेपुर
10	छपिया	सगवन
11	मनकापुर	भिटौरा
12	छपिया	बीरपुर
13	मनकापुर	मनकापुर ग्रामीण
14	मनकापुर	बक्सरा अज्ञाराम
15	मनकापुर	ऐलनपुर ग्रन्ट
16	मनकापुर	असरफपुर
17	वजीरगंज	पूरेडाढू
18	मनकापुर	हरनाटायर
19	वजीरगंज	बेलिया
20	मनकापुर	उपाध्यायपुर ग्रन्ट
21	वजीरगंज	उदयपुर ग्रन्ट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6	मनकापुर	गरही	22	वजीरगंज	कोटा
7	छपिया	घनश्यामपुर ग्रन्ट	23	वजीरगंज	वजीरगंज
8	छपिया	बासदेवपुर ग्रन्ट	24	वजीरगंज	चढ़ौवा
9	मनकापुर	गोहना	25	छपिया	महराजगंज ग्रन्ट
10	मनकापुर	बेनीपुर	26	छपिया	लक्ष्मीनगर ग्रन्ट
			27	छपिया	सिसई रानीपुर
			28	छपिया	गायघाट
			29	मनकापुर	गडरही
			30	छपिया	घनश्यामपुर ग्रन्ट
			31	छपिया	बासुदेवपुर ग्रन्ट
			32	मनकापुर	गोहन्ना
			33	मनकापुर	बेनीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 69 विधान सभा (116)-28-7-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।